महानगर नई दिल्ली मंगलवार 20 अगस्त, 2019, रु. 5.00 (16 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

संसद के नए भवन सहित तमाम विकल्पों पर किया जा रहा विचार : प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि संसद के लिए नए भवन सहित वर्तमान संसद भवन को नया स्वरूप प्रदान करने की राज्यसभा के सभापति, लोकसभाध्यक्ष और सांसदों सहित विभिन्न वर्गों की मांग पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकसभाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने कहा कि जब देश 2022 में आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा, तब संसद भवन का स्वरूप भी बदलना चाहिए। पिछले पांच साल से अनेक सांसदों से भी यही बात सुनता आ रहा हूं। मीडिया जगत से भी सुनता आ रहा हूं कि संसद भवन बहुत पुराना हो गया है।

आवास समिति, लोकसभा के तत्वावधान में नार्थ एवेन्यू डुप्लेक्स फ्लैट्स के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, 'सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। संसद के भवन का अच्छे तरह से उपयोग किया जाए, या कोई और भवन बनाने की जरूरत है... अधिकारी इस पर दिमाग लगा रहे हैं।' उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल पूरा होने पर इस कार्य को करना चाहिए। समय कम बचा है लेकिन फिर भी प्रयास किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि संसद के बजट सत्र के दौरान अगस्त के शुरूआत में लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला बाकी पेज 8 पर

मोदी ने कहा कि आजादी के 75 साल पूरा होने पर इस कार्य को करना चाहिए। समय कम बचा है लेकिन फिर भी प्रयास किया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकसभाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने कह चुके हैं कि जब देश 2022 में आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा, तब संसद भवन का स्वरूप भी बदलना चाहिए।

बाढ़ और भूस्खलन से पहाड़ में तबाही

हिमाचल में सैकड़ों लोग फंसे

शिमला, 19 अगस्त (भाषा)।

हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा के कारण सोमवार को तीन और लोगों की जान चले के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई। अधिकारियों के अनुसार राज्य में बाढ़ और भूस्खलन के कारण कई सड़कों के बाधित हो जाने से अनेक हिस्सों में कम से कम 500 लोग फंसे हुए हैं। शनिवार से ही राज्य में भारी बारिश हो रही है जिससे बाढ़ आ गई, मकान ध्वस्त हो गए और भूस्खलन हुआ। राज्य में जगह-जगह सैकड़ों लोग फंस गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य में बारिश जारी रहने का अनुमान जाहिर किया है।

राज्य सरकार के प्रवक्ता के अनुसार वर्षा से अबतक 574 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सोमवार को वर्षा में कमी तो आई लेकिन अधिकारियों के अनुसार रविवार से अब तक तीन और लोगों की मौत हुई है। शिमला मौसम केंद्र के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि मंगलवार सुबह तक राज्य के अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, जबकि कुछ-कुछ स्थानों पर तेज बारिश के आसार हैं। सड़कों से मलबा हटाने और वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर जाने देने के लिए यातायात बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक अधिकारी बाकी पेज 8 पर

बादल फटने से मृतकों की तादाद 20 हुई

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 19 अगस्त।

उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी जिले के मोरी विकासखंड के क्षेत्र में बादल फटने की घटना में करीब डेढ़ दर्जन गांव चपेट में आए हैं। कई गांव तक राज्य सरकार की आपदा प्रबंधन टीमें नहीं पहुंच पाई हैं। इन गांवों में मरने वालों की तादाद 20 के करीब पहुंच गई है। अब तक 15 लोगों के शव अब तक बरामद किए गए हैं। रविवार की रात और सोमवार की सुबह उत्तरकाशी में तीन जगह बादल फटने की घटनाएं हुई।

उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग जिलों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन के चलते बाकी पेज 8 पर

कुल्लू में बाढ़ में बहा पुल

पंजाब, हरियाणा में बाढ़ जैसे हालात

चंडीगढ़, 19 अगस्त (भाषा)।

पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश के बाद पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सोमवार को रूपनगर जिले में स्थिति का जायजा लिया, जबकि वायुसेना ने करनाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से नौ लोगों को बचाया। इस बीच, भाखड़ा बांध का जल स्तर सोमवार को स्वीकार्य सीमा 1680 फुट को पार कर गया जिसके बाद अधिकारियों को 41,000 क्यूसेक अतिरिक्त जल को फाटकों से बाकी पेज 8 पर

कश्मीर में नरमी, खुले स्कूल; दिल्ली में बैठक

जम्मू-कश्मीर **में हालात सामान्य हो रहे हैं। राज्य में करीब 14 दिन बाद सोमवार को प्राथमिक स्कूल दोबारा खोल दिए गए। जल्द ही सेकेंडरी स्कूल और डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। घाटी में मोबाइल सेवा बहाल करने पर फैसला इस हफ्ते संभव है। इस बीच कश्मीर से लौटकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने गृह मंत्री अमित शाह को वहां के हालात की जानकारी दी। इस समीक्षा बैठक में गृह सचिव और अन्य अधिकारी भी शामिल हुए।**

जम्मू के सीमाई जिलों में ज्यादातर स्कूल खुले

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 19 अगस्त।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के करीब 14 दिन बाद सोमवार को स्कूल दोबारा खोल दिए गए। श्रीनगर के 190 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल खुल गए। इन स्कूलों में खासी चहल-पहल देखने को मिली। हालांकि, पहले दिन कम संख्या में ही बच्चे स्कूल पहुंचे।

अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही स्थिति में सुधार होगा और स्कूलों में बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी। प्राइमरी के बाद अगले दो-एक दिनों में सेकेंडरी स्कूल और डिग्री कॉलेज भी खोले बाकी पेज 8 पर

सेकेंडरी स्कूल और डिग्री कॉलेज खोले जाने पर फैसला अगले दो-एक दिनों में **घाटी** में मोबाइल सेवा बहाल करने का फैसला इस हफ्ते के आखिर में

डोभाल की शाह के साथ बैठक

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 19 अगस्त।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने पांच अगस्त से प्रशासनिक पाबंदियों से गुजर रहे जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति के बारे में सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दी। कश्मीर घाटी से लौटने के बाद डोभाल की शाह के साथ यह पहली बैठक है। वह घाटी में दस दिन तक रुके थे और वहां उन्होंने हालात पर व्यक्तिगत रूप से नजर रखी थी।

इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा और बाकी पेज 8 पर

आतंक व कई मुद्दों पर मोदी-ट्रंप ने बात की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 19 अगस्त।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर आधे घंटे तक बातचीत हुई है। बातचीत गर्मजोशी से भरी और सौहार्दपूर्ण रही। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से सीमा पार से होने वाले आतंकवाद, द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मामलों को लेकर बात की।

प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसपर क्षेत्र में तनाव पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने ट्रंप से कहा, 'क्षेत्रीय बाकी पेज 8 पर

जाने-माने संगीतकार खय्याम का 92 साल की उम्र में निधन

मुंबई, 19 अगस्त (भाषा)।

अनेक हिंदी फिल्मों में यादगार संगीत देने वाले और दिल को छू लेने वाले संगीत के सशक्त हस्ताक्षर बन चुके जाने-माने संगीतकार खय्याम का लंबी बीमारी के बाद सोमवार को यहां के अस्पताल में निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक जताते हुए कहा कि देश ख्य्याम साहब का हमेशा ऋणी रहेगा। उन्होंने यादगार संगीत दिया। सुर-साम्राज्ञी लता मंगेशकर सहित संगीत जगत की अनेकों हस्तियों ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनके निधन से संगीत के एक युग का अंत हो गया।

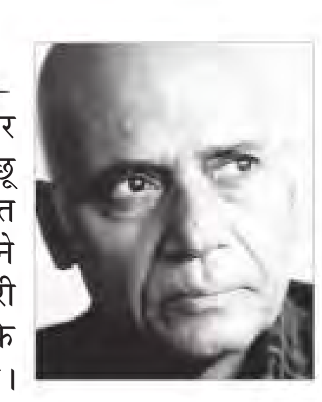

'कभी कभी' और 'उमराव जान' जैसी फिल्मों को अपने सदाबहार संगीत से सजाने वाले खय्याम 92 वर्ष के बाकी पेज 8 पर

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र का निधन

पटना, 19 अगस्त (भाषा)।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र का लंबी बीमारी के बाद सोमवार को निधन हो गया। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि कैंसर से पीड़ित 82 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र ने दिल्ली में सोमवार सुबह अंतिम सांस ली।

राज्यपाल फागू चौहान ने जगन्नाथ मिश्र के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि मिश्र एक कुशल प्रशासक, संवेदनशील बाकी पेज 8 पर

तरुण तेजपाल मामले में 23 सितंबर से फिर सुनवाई

पणजी/नई दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा)।

गोवा की एक अदालत 'तहलका' पत्रिका के संस्थापक तरुण तेजपाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले की 23 सितंबर से फिर से सुनवाई करेगी। उनके खिलाफ यह मामला उनकी एक पूर्व महिला सहकर्मी ने दर्ज कराया था।

उत्तर गोवा जिला न्यायाधीश विजय पोल ने सुनवाई की अगली तारीख 23 सितंबर तय की है। दरअसल, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तेजपाल की वह याचिका खारिज कर दी, जिसके मार्फत उन्होंने अपने खिलाफ तय आरोपों को रद्द करने का अनुरोध किया था।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने निचली अदालत को मामले की सुनवाई छह महीने के अंदर पूरी करने को कहा है। तेजपाल पर आरोप है कि उन्होंने शिकायतकर्ता का 2013 में गोवा के एक फाइव स्टार होटल की लिफ्ट में यौन उत्पीड़न किया था। हालांकि, उन्होंने इन बाकी पेज 8 पर

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

नई दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा)।

दिल्ली हाई कोर्ट ने स्त्री और पुरुष की विवाह की कानूनी उम्र समान करने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर के पीठ ने केंद्र को सोमवार को उस जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि स्त्री के लिए विवाह की सीमा 18 साल तय करना 'स्पष्ट भेदभाव' है। भारत में पुरुष के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल है। भाजपा नेता व वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की इस याचिका में दावा किया गया है कि स्त्री और पुरुष के लिए तय शादी की न्यूनतम उम्र में यह अंतर पितृसत्तात्मक रूढ़ियों पर आधारित है और इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 30 अक्तूबर तय की है। याचिका में दावा किया गया है कि विवाह की उम्र में यह अंतर लैंगिक न्याय सिद्धांतों का लैंगिक समानता के सिद्धांतों, और महिलाओं की गरिमा के बाकी पेज 8 पर

स्त्री-पुरुष के लिए विवाह की उम्र समान करने की मांग वाली याचिका पर

कारपोरेट कर की दर धीरे-धीरे 25 फीसद करेंगे : निर्मला

नई दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा)।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि 400 करोड़ रुपए से अधिक सालाना कारोबार वाली कंपनियों के लिए कारपोरेट कर की दर धीरे-धीरे घटाकर 25 फीसद की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि संपत्ति सृजित करने वालों को सरकार हर प्रकार की मदद देगी।

सीतारमण ने पिछले महीने 2019-20 के अपने पहले बजट में 400 करोड़ रुपए तक के सालाना कारोबार वाली कंपनियों के लिए कारपोरेट कर की दर को 30 फीसद से घटाकर 25 फीसद कर बाकी पेज 8 पर

400 करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना कारोबार वाली कंपनियों के लिए कर की दर धीरे-धीरे घटाकर 25 फीसद तक लाई जाएगी।

दरअसल

शौर्य

उफनती तवी नदी में फंसे चार मछुआरों को बचाया वायुसेना के गरुड़ कमांडो ने

हेलिकॉप्टर से उतारे गए वायुसेना के कमांडो

हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 19 अगस्त।

जलस्तर बढ़ने से जम्मू की तवी नदी में दो घंटे तक फंसे चार मछुआरों को वायुसेना के गरुड़ कमांडो ने साहसिक अभियान में बचा लिया। गरुड़ कमांडो के इस अभियान में हेलिकॉप्टर एमआइ 17 से फंसे मछुआरों को एअरलिफ्ट किया गया। अचानक हुई भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ गया। फंसे लोगों में से दो को एक बार में एअरलिफ्ट किया गया। सुरक्षित बचाकर लाए गए मछुआरे बिहार के सीवान से थे। उन्होंने वायुसेना के कमांडो को धन्यवाद दिया।

वायुसेना के अधिकारियों ने बताया कि सभी चार लोग बागवती नगर में एक झील बनाने के लिए एक निर्माणाधीन संरचना के एक खंभे के नीचे बने एक ठोस प्लेटफार्म पर फंसे हुए थे। आपदा मोचन बल और पुलिस के जवान मछुआरों तक पहुचने में विफल रहे थे। इसके बाद वायुसेना को बुलाया गया। वायुसेना कर्मी प्लेटफार्म पर उतरे और रस्सियों की सीढ़ी के सहारे उन लोगों को एअरलिफ्ट किया गया।

'जब हम वहां पहुंचे तो हमने पाया कि फंसे हुए लोग सीढ़ी की सहायता से चढ़कर आने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे में हमने गरुड़ कमांडो की मदद ली, जिन्हें रैपलिंग रोप (रैपलिंग रस्सी) की सहायता से नीचे भेजा गया और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित हेलिकॉप्टर तक लाया गया। गरुड़ कमांडो सबसे प्रशिक्षित कमांडो होते हैं।'
- ग्रुप कैप्टन संदीप सिंह, बचाव अभियान का नेतृत्व करने वाले वायुसेना के अधिकारी

इस साहसिक बचाव अभियान का जिम्मा वायुसेना के चार कमांडो को सौंपा गया था। ग्रुप कैप्टन संदीप सिंह मिशन की अगुआई कर रहे थे। वायुसेना ने इस अभियान का वीडियो जारी किया। ग्रुप कैप्टन संदीप सिंह ने बताया, 'मैं अपनी पूरी टीम को इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए धन्यवाद कहूंगा। हमें दोपहर 12 बजे के करीब जानकारी मिली कि तवी नदी में जलस्तर बढ़ने से कुछ लोग फंस गए थे।

जब हम वहां पहुंचे तो हमने पाया कि फंसे हुए लोग सीढ़ी की सहायता से चढ़कर आने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे में हमने गरुड़ कमांडो की मदद ली, जिन्हें रैपलिंग रोप (रैपलिंग रस्सी) की सहायता से नीचे भेजा गया और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित हेलिकॉप्टर तक लाया गया। गरुड़ कमांडो बेस्ट ट्रेंड कमांडो होते हैं।' संदीप ने कहा, 'यह पूरी तरह डेयरडेविल ऑपरेशन था। हमारा मिशन उन बाकी पेज 8 पर

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I,Ranjeet Kumar Singh S/o Keshav Kumar Singh R/o H.No-SK-209B sector-110 Noida district-GB Nagar UP have change my name to Ranjit Kumar Singh. 0040508630-1

I,Ramesh Kumar Ravimandiram Surendran Nair S/o Surendran Nair,R/O Flat no.21,GF.Ashirwad Apartment,Block-A,Mayur Vihar phase-3,Delhi 110096,have changed my name to Ramesh Kumar. 0040508562-6

I,Pushpa D/o Sh.Shri Ram W/o.Sh. Kaushal Pandey R/o-D-105,Nawada Housing Complex,Kakrola Mod,New Delhi-110059,have changed my name to Pushpa Pandey for all future purposes. 0040508562-1

I,Kaushal Pandey S/o Late.Sh. Amal Pandey,R/o-D-105,Nawada Housing Complex,Kakrola Mod,New.Delhi-110059,have changed the name of my minor Daughter aged about 16-Years from Tamanna to Tamanna Pandey for all future purposes. 0040508562-2

I, Vivek Kumar S/O Yograj Gaba R/O-Plot-337, Flat-A1, GyanKhand-1, Indirapuram, Ghaziabad, U.P-201014, Changed my name to Vivek Gaba. 0040508584-1

I, Vishakha Mittal D/o Shri Shannkar Mittaal R/o C-3/142, Top Floor, Janakpuri, Delhi-110058 and also at H-1/29, Bengali Colony, Mahavir Enclave, Delhi-110045, have changed my name to Veyshakha Mittaal for all future purposes. 0040508512-1

I, Vidhya Setiya W/o Late Shri Lajpat Rai, R/o H.No.-8/53, Geeta Colony, Delhi-31. I have changed my name Vidhya Rani for all future purposes. 0040508539-1

I, Veena Kumari Gupta W/O Anil Gupta R/O-A-13/1, First-Floor Left-Side, Rana-Pratap Bagh, Delhi-110007., Changed My Name To Veena Gupta. 0040508605-8

I, Varinder Kumar Gauba S/O Krishan Lal Gauba, R/O-Wz-54/2-J-30, Gali.No-5, Beri Wala-Bagh, Harinagar, N.Delhi-110064.,Changed My Name To Varinder Kumar Gaba. 0040508605-6

I, Tripti D/o-Shankar Lal R/o WZ-43B, Possangipur, Janakpuri, NewDelhi-58.,Have Changed My Name to Tripti Jain.,for all Purposes. 0040508584-5

I, Surjeet Singh Chandel s/o Matthu Ram r/o F 29, Karam Pura, New Delhi 110015. Have changed my name to Surjeet Chandel. 0040508511-1

I, Surinder Kumar S/o Late Anant Ram R/o-A-154, Gali.No.4, Nehru-Vihar, Delhi-110094,have changed my to Surender Kumar.,for all future purposes. 0040508572-1

I, Suparna Khanna w/o Rajesh Khanna R/o 1/22, Tilak Nagar, New Delhi-110018, have changed my name from Suparnna Khanna to Suparna Khanna, for all legal purposes. 0040508519-1

I, Sunny S/o Sunder Lal R/o-B-7/46, Sector-3, Rohini, Delhi-110085 have changed my name to Sunny Madaan. 0040508612-2

I, Sidhant Godara @Sidhant Godara Ahlawat,S/o Jitender Singh Godara R/o-D-40, IGNOU-Road, Freedom-Fighter Enclave, Neb-Sarai, South-Delhi, Delhi-110068.,have changed my name to Sidhant Godara Ahlawat.,for all purposes. 0040508596-6

I, Shivani Jain W/o Rishabh Jain R/o H.No.-J-123, 4th floor, Phase-I, Ashok Vihar, Delhi-52, have changed my name from Shiva Sabharwal to Shivani Jain, for all future purposes. 0040508507-1

I, Shashi Kumari Jaiswal and Shashi Jaiswal W/o Vinod Kumar R/o B-1602, Ajnara Gen-X, Crossing Republik, Near ABES Engineering College, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201016, are one and the same person and henceforth I shall be known by the name Shashi Kumari for all purposes. 0040508605-4

I, Shandhya Kalita W/O Golap Kakoti R/O-Plot No-158, Block-A, Sector-8, Dwarka, Delhi-110077 Have Changed My Name To Sandhya Kakoti. 0040508584-7

I, Shamim W/o Saleem R/o E-11-A/27, New No. A-32/2, A-Block Buland Masjid Shastri Park, Delhi-110053 have changed my name to Rukhsana. 0040508532-2

I, Shahid Ahmed S/o Shamsuzzoha R/o-A-77, Punjabi Basti Baljeet Nagar New Delhi-8,have changed my name to Sofiya Khatun. 0040508563-1

I, Seema Rani W/0 Manoj Gupta R/0 B-71 New Gupta Colony Delhi-110009., CHANGED My Name To Seema Gupta 0040508596-1

I, Saral Kumari D/o Devi Charan and W/o Mohammad Irfan Ilahi, residing at House No-26, Pinjore, Panchkula, Haryana-134102, have embraced Muslim and renounced Hindu and also have changed my name from Saral Kumari to Salika. 0070670726-1

I, Sarabjeet Singh Maggo S/O Dalbir Singh R/O-A-3/141, Sector-16, Rohini, Delhi-85, Changed My Name Sarabjeet Singh. 0040508563-5

I, Sanjay Sagar S/o Suresh Kumar R/o KH 125/1 Village Bamnoli, New Delhi-110077, have changed my name to Sanjay Kumar. 0040508559-3

I, Raji Mundakkal Rajan W/O Nilson Philip, H.No-115, S.F, DDA-Flats, Ranjeet-Nagar, N.Delhi-110008.Changed My Name To Raji Nilson. 0040508605-7

I, Rajeev Kumar S/o Natthu Singh R/o E-29, Ranjeet-Vihar, Nilothi-Ext. NewDelhi.have changed my name to Rajiv Kumar for future.0040508596-4

I, Nisha Rani W/o Arvind Kumar R/o-117, Pocket-1, Sector-22, Rohini, Delhi-110086, have changed my name to Nisha. 0040508612-1

I, RUNA ARORA resident of Mahadev Math, Ward No. 1, Rosera, Samastipur, Bihar have changed my name after marriage FROM RUNA KUMARI TO RUNA ARORA for all future purposes. 0040508602-1

I, Pupinder Singh S/O - S. Jaswant Singh R/O-J-20, VikasPuri, NewDelhi-18, Changed My Name S. Papinder Singh 0040508563-8

I, Pravin Kumar Singh S/O, Nakul Prasad Singh R/o K 68 Saurabh Vihar, Jaitpur, Delhi, Badarpur, ND-44, have changed my name to Praveen Kumar Singh for all purposes. 0040508561-1

I, Pravesh Kumar S/o Inderjeet Singh, R/o House No-100, Dr. Bholaram Sehrawat House, Village Rangpuri, Delhi-110037, name of mine has been wrongly written as Pravesh Sehrawat in my minor daughter Yashika Sehrawat aged 11 years in his School Records and Birth Certificate. The actual name of mine is Pravesh Kumar 0070670741-1

I, PREETI BALA SURAJIYA,D/o Shri.Lal Chand Surajiya & W/o Mr.Jagdish-Garwal, R/o-D-402, IFCI-Colony, Jwalaheri, Paschim-Vihar, NewDelhi-110063,inform that have changed my name to PREETI GARWAL.,for all purposes. 0040508584-2

I, Mridula Sinha D/o Umesh Kumar Sinha R/o-36-C, Pocket-1, Mayur-Vihar Phase-1, Delhi-110091 have changed my name to Mridula. 0040508572-3

I, Mridula W/o Satish Yadav R/o B-70, MotiBagh-1, New Delhi-110021, have changed my to Mridula Yadav.,for all future purposes. 0040508584-4

I, Mohd Fahim S/o Mehandi, R/o House No-100, Kh.No-5/5, Ground Floor, Gali No-3, Sangam Vihar, Wazirabad, Delhi-110084, name of mine has been wrongly written as Fahim Hussain in my son Mohd Furkan School Certificate of 10th Class. The actual name of mine is Mohd Fahim. 0070670738-1

I, Mithlesh Kumari W/O - Brahmdev Sharma R/O - 19-A, Block-C, Rajiv-Nagar Phase-2 Begumpur,Delhi-86,Changed My Name Mithlesh Sharma. 0040508563-7

I, Master Lalit Gaur S/o Adesh Gaur R/o H.No.A-46, Basant-Nagar, Vasant-Vihar, Delhi-110057 have changed my name to Lalit Gaur. 0040508572-2

I, Manoj Kumar S/O Prabhu Dayal H.No-3507, Kucha Lal Man DaryaGanj, Delhi-110002.Have Changed My Name To Manoj Kumar Arora. 0040508572-6

I, Manjeet S/o Rajiv Kumar R/o E-29, Ranjeet Vihar, Nilothi-Ext. New-Delhi.have changed my name to Manjeet Singh for future. 0040508596-3

I, Manish Ahuja S/o Subhash Chander R/o M-541, Guru Harkishan Nagar, Paschim Vihar, New Delhi 110087, have changed my name to Manish Kumar Ahuja. 0040508559-2

I, Kiran Bala W/O Tilak Raj Mendiratta H.No.2g-6, N.H-2, Nit-Faridabad, Haryana-121001., changed My Name To Kiran Mendiratta.0040508605-9

I, Khushboo Pandey W/o Sh. Munna Kumar Pandey R/o Bhagwanpur, Simra, Muzaffarpur, Bihar-843120, have changed my name from Khushbu to Khushboo Pandey, for all future purposes. 0040508611-1

I, Kedar Rai S/o-Hari Nandan Rai R/o,73/A Press-Enclave Part-3, Gali No-15, Vikas-Nagar, Uttam-Nagar Delhi-110059,Changed my Minor Son's name.,From Nikil To Nikhil.,for all Purposes. 0040508584-3

I, Kawaljeet Singh S/O Balvinder Singh R/O-351,SriNagar,Shakur-Basti, Delhi-110034. Changed My Name To Kawaljeet Singh Chawla.0040508605-10

I, Kavita W/O Vinod Kumar. R/O D-14/12, Sector 7, Rohini, Delhi 110085. Have Changed My Name From Kavita To Kanta. 0040508559-1

I, Karan Dhanjal S/o Mr. Amarjot Singh Dhanjal R/o Flat No.D-901, Exotica Elegance, Ahinsa Khand-2, Indirapuram, Ghaziabad, UP-201014 have changed my name to Karan Singh Dhanjal. 0040508560-1

I, Kamli Devi W/o Madan Singh R/o A-54/2 Pandav-Nagar Shakarpur East Delhi-110092 changed my name to Sobti Devi. 0040508605-3

I, Kamlesh Rani W/o Bharat Bhushan R/o 83, Rajdhani Enclave, Pitampura, Delhi, Changed Name to Kamlesh Gupta. 0040508572-5

I, Kamal S/O, Hazara Singh R/o 16/154 Top Floor, Geeta Colony, Delhi-110031. Have changed my name to Kamal Kamlotia for all purposes. 0040508522-1

I, KARNICA BHURJEE resident of H.No. 562, Sector-18B, Chandigarh have changed my name after marriage FROM KARNICA BHURJEE TO KARNICA BHURJEE GUPTA for all future purposes. 0040508600-1

I, Jainamma Thomas S/O Thomas Philipose Thazhoor, R/O 50a, DDA-Flats Mayur Vihar-1, Delhi-110091. Changed My Name To Jainamma Joshy. 0040508563-3

I, Inderjit/Inderjeet S/O Zile Singh R/O H no. 142/21, Gali no.3, Patel Nagar, Sonipat-131001. Have Changed My Name To Inderjeet Singh. 0040508612-3

I, Ekta Bansal W/O Anish Singhal H.No-276, DDA-Flats, Pocket-V, Mayur-Vihar Phase-1,Delhi-110091.Have Changed My Name To Akta Bansal. 0040508596-5

I, Dr C C Kumar, s/o late Shri Raso Tanti, R/O Parsvnath Majestic floor, Tower 2, flat no 1202A, near Shipra mall, Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh, PIN 201010, have changed my minor daughter's name from Shreya to Shreya Sharma for all future purposes. 0040508597-1

I, Deeksha W/O Manoj Kumar Arora H.No-3507, Kucha Lal Man Darya Ganj, Delhi-110002. Have Changed My Name To Diksha. 0040508572-7

I, Dalbir Singh Maggo S/O JAI Singh R/O-A-3/141, Sector-16,Rohini, Delhi-85, Changed My Name Dalbir Singh. 0040508563-6

I, D Viswanathan,S/o Sh.Duraisamy R/o,S-126/588,Kanak Durga-Colony,Sector-12, R.K.Puram, New Delhi-110022,have changed my son name from V Tarun to Tarun Parvish,for all purpose. 0040508605-5

I, Chirag S/0 Ram Mehar Singh H.No-108 Ext-3 Nangloi Delhi-110041., Changed My Name To Chirag. 0040508605-2

I, Bharat Chugh S/O Late, Shri Harish Kumar Chugh R/O-B-1/115, Janakpuri, New Delhi-110058 Have Changed My Name To Jatin Chugh. 0040508563-9

I, Bharat Bhushan S/o Rameshwar Dass R/o 83, Rajdhani Enclave, Pitampura, Delhi, Changed Name to Bharat Bhushan Gupta. 0040508572-4

I, Babitta Singh W/o Vivek Singh R/o C-31, Shyam Park-Extn, Sahibabad, Ghaziabad have changed my name to Babeeta Singh. 0040508596-7

I, Awnish Kunwar Singh S/o Angad Singh R/o-221, 2nd-Floor, Gali.No.4, Main-Shyam-Park, Sahibabad, Ghaziabad have changed my name to Awnish Singh. 0040508596-8

I, Ashish Minocha s/o Subhash Chander Minocha r/o House no.-195, Sector-13, Urban Estate, Karnal, Haryana-132001, have changed my minor (DOB: 14/03/2005) daughter's name from SAACHI CHOUDHARY to SAACHI MINOCHA. 0040508510-1

I, Gopal Aggarwal S/o Shri Ramesh Chander Aggarwal R/o A-123, 3rd Floor, Ashok Vihar, Phase-1, Behind Deep Market, Delhi-110052, have changed my name from Sri Gopal to Gopal Aggarwal for all future purposes. 0040508437-1

I, Ashish Minocha s/o Subhash Chander Minocha r/o House no.-195, Sector-13, Urban Estate, Karnal, Haryana-132001, have changed my minor (DOB: 14/03/2005) daughter's name from SAACHI CHOUDHARY to SAACHI MINOCHA. 0040508509-1

I, Ashish Kumar S/O Yash Pal R/O- H.No.157, Gali.No.1, Sanjay Colony, Narela, Delhi-40 Have Changed My Name To Ashish Awasthi. 0040508563-4

I, Ajay Kumar S/o Shri Suryadeo Prasad, Residing at H. No-550, West Parmanand Colony, Kingsway Camp, North West Delhi, Delhi-110009, have changed the name of my minor son UTKARSH aged 14 years and he shall hereafter be know as UTKARSH KUMAR. 0040508606-1

I, Agampreet Singh s/o Satnam Singh Add: J-3/94, first floor, Rajouri Garden, ND-110027, have changed my name to Agampreet Singh TULLI. 0040508514-1

I, Adnan Mohammad Abbas Shaikh, S/o, Md.Abbas Shaikh., R/o,G-8 & 9, G-Block, Inder-Enclave Phase-II,Kirari Suleman-Nagar, Delhi-110086.,Have Changed My Name To Adnan Shaikh.,for all future purposes.0040508572-10

I, Adiba D/o Mohd Naim R/o 5456, Kuen Wali Gali Chitli Qabar Jama Masjid Delhi-110006 have changed my name to Adeeba. 0040508532-1

I Virender Singh Mann S/O-Baldev Singh Mann R/O-G-259, Jalavaayu-Vihar, P-4, Builders-Area, Greater-Noida, U.P. Have Changed My Name,From Virender Singh Mann To Virender Mann,.For All Future Purposes. 0040508584-6

I Sushil Dabral S/o S. M. Dabral, residing at 1182 sector 2 R. K. Puram NewDelhi-110022 have changed the name of my minor son ANSH DABRAL aged 14Years and shell hereafter be known as ANSHU[illegible] DABRAL 0130012244-1

I Ravinder Singh Bisht S/o Trilok Singh Bisht R/o C-45 School Line, West Vinod Nagar, Mandawali Fazalpur, Delhi-92 have changed my name from Ravindra Singh to Ravinder Singh Bisht For All Purposes. 0040508395-1

I Pradeep Kumar S/o-Ram Niwas Goyal R/o.A-36, First-Floor,Jain-Park, Gali.no.3, Matiyala Road, Uttam-Nagar, NewDelhi-110059.have changed my name to Pradeep Goyal. 0040508572-8

I Parveen Kumar Verma alias Pravin Verma S/o Satya Narain Verma R/o Flat No-71-C, Pocket-A-9, Gomti Apartments, Kalkaji Extension, Delhi-110019, have finally changed my name to Parveen Kumar Verma 0070670731-1

I Norma Ecka W/o Puneet Gupta r/o-273, City CGHS, Sector-55, Gurgaon have changed my name to Norma Shilpi Gupta. 0040508572-9

I Nitin Kumar S/O Vinod Kumar Bhoj H.No-1 Gali.No-11 Near-Ahuja Bulb-Factory Krishna-Colony Gurgaon-122001.,HAVE Changed My Name To Nitin Kumar Bhoj. 0040508584-10

I Ms. Kuldeep Kour W/O-Gurpreet Singh R/O-A-15, Guru-Nanak Vihar Extention, Nilothi, Delhi-110041. Have Changed my Name to Kuldeep Kaur. 0040508563-2

I Manish Kumar S/o Sh. Mahender Singh R/o Village Badhana, Tehsil Jind, Post Badhana, Jind, Haryana-126102, have changed my name to Manish Khatkar 0070670725-1

I Jitender S/O Late Dharam Pal Sakuja R/O-G-54/G-1 Dilshad Colony Delhi-110095 Have Changed My Name To Jitender Pal Sakuja. 0040508584-8

I Kavita Choudhary W/O Sunil Choudhary R/O-A-4A Rama-Park, Uttam-Nagar, Delhi-110059 HAVE CHANGED MY NAME TO Sunita Choudhary. 0040508563-10

I Jaya Dua W/O Jitender Pal Sakuja R/O G-54/G-1, Dilshad Colony Delhi-110095, Have Changed My Name To Jaya Sakuja. 0040508584-9

I Jackie alias Jaiki S/o Raj Pal Singh R/o 64/245/6A, Madhu Nagar, C.O.D. Road Ke Pass, Tal Firoj Khan, Agra, UP-282001, have finally changed my name to Siddharth Singh 0070670739-1

I Divya Kautilya W/O, Nand Kishore Kautilya R/o D-686a, Pratap Vihar, Part-2, Kirari, Delhi-110086. have changed my name to Damyanti Kautilya forpurposes. 0040508605-1

I Chhote Lal Verma S/o-Ram Sukh R/o.H.No.B-1/58 Shiv Ram-Park Nangloi Delhi-41, inform that my name wrongly written as Chhote Lal in my minor son Rahul Verma class-10th certificate. My actual-name is Chhote Lal Verma. 0040508612-4

I Ashok Sharma S/o Shree Ram Kishan Sharma R/o G-6/21, Sector-11, Rohini, Delhi-110085 is also known as Ashok Kumar Sharma. Both names are of one & the same person. 0040508516-1

I Aparajita W/o Ambrish Johari R/o BE-10A, First-floor Hari Nagar, Delhi- 110064, have changed my name to Aparajita Johari. 0040508596-1

I, Ravupalli Usha Rani W/o Pratap Patla Singh R/o H.No.46 C-Block G.T.B. Hospital Campus Shahdara Delhi-95 changed my name to Usha Rani Patla Singh. 0040508298-5

I, Amit Sharma S/o Shri. R.L. Sharma R/o.B-16,Sector-48, Noida,Gautam Budh Nagar,Uttar Pradesh-201301 have changed my name to AMIT KUMAR permanently. 0040507889-1

खोया+पाया

I, Preeti Kumari D/o Shankar Gupta R/o-D-5, B-106 Ambedakar-Colony behind Gurukul Delhi, have lost my original-certificate Class-10th, rollno-8786161(2014) Class-12th Roll no- 9710917 CBSE-Delhi. 0040508612-12

I, Salman Khan S/o Anwar Khan R/o 1381, Janta-Flat, GTB-Enclave NandNagri, Delhi-110094, have lost my Original-CBSE Marksheet of 10th-Class Roll.No.8650900(2012). 0040508612-10

I, Vibha Tandon D/O Mr. Dhruv Narain Tandon, Resident of SD-269, Tower Apartments, Pitampura, New Delhi-110034, has lost my three degrees viz; B.Sc.(roll no. 17549), M.Sc.(roll no. 130162) & Ph.D.(enrolment no. 87AU/557). If found, please call Vibha Tondon @ 9313583818. 0040508585-1

I, YASH Kashyap S/o-Manohar Lal R/o-B-31 Mata Wali Gali-Johripur, Delhi-94. Have lost my original-certificate class-10th year-2019 Rollno-8175864 CBSE-Delhi. 0040508612-13

I, Kanta Kumari W/o Shri.Ramesh Gosain R/o-392 Dr.Mukherjee Nagar Delhi-110009,have lost my Property-Pepar Perpetual-Lease Of Property. No.392 Dr Mukherjee Nagar Registered.No.6646 Book. No.1 Volume. No.407 On Pages 168 To 173 Dated-11/8/1997. 0040508596-9

It is for general information that I,Narender Gupta S/o Johri Mal Gupta R/o-D-142 Ramprastha Colony,Ghaziabad U.P.,inform that mine & my father name hasbeen wrongly written as Niranjan Dass Gupta & Johri Lal,Johri Mal & J.L.Gupta in my Educational Documents & DDA LIG Rohini Plot Scheme Application No.7798,Dated-17/03/81.The actual name of mine & my father are Narender Gupta & Johri Mal Gupta respectively which may be amended accordingly. 0040508638-1

Lost: Passport no.-A724362 issued at Delhi in the name of Miss Agrita Astavans d/o Suresh Astavans. Mrs. Agrita Khandelwal w/o Hari Kishan Khandelwal r/o First floor, 29/8, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060. 0040508545-1

I, MEENU D/o Naresh Sehrawat R/o-558 Darsapur Kalan, Delhi-39, have lost my original-certificate class-10th year-2005 Rollno-6347780 CBSE-Delhi. 0040508612-11

I, Naresh Kumar Sahra,S/o Nihal Chand Sehra R/o-H-2/17, First-Floor,Sector-16,Rohini,Delhi,have lost my Original-DDA Allotment Letter and Conveyance Deed of my Property-Bearing No.H-2/17, Sector-16, Rohini, Delhi. 0040508596-10

I,Col Satish Kumar Kohli,S/O Lt.Barkat Ram Kohli Hno.302,Pearl-Gate Way Towers,Sector-44,Noida Up-201301.And.Have Lost My Original-Property Document Of Property No.H2/11,Krishna-Nagar Delhi-51.Lost Report Vide.No.1378833/2019. Contact-8373997274. 0040508638-3

नियुक्तियां

A Sr. Sec. School in Rohini

Req. Exp. and Qualified Staff

- Principal
- P.G.T. All Subjects
- T.G.T. All Subjects
- P.R.T.
- Admin Staff

Apply: infoschool7@gmail.com

EDUCATION ADMISSION

रिषभ इंस्टीट्यूट

(नियर मयूर विहार, फेज-1 मेट्रो स्टेशन) मयूर विहार, फेस-1, दिल्ली-110091 फोन: 011-22752055, 22752374

D. EL. ED. कोर्स 2019-2021 में

मैनेजमेंट सीट के लिए आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट के रिसेप्शन डेस्क पर (एस.सी.ई.आर.टी.) के मानदंड के अनुसार योग्य उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है। तिथि व समय: 29 जुलाई '19 से 20 अगस्त'19 तक 10:00 बजे से 4:00 बजे तक (सभी कार्य दिवसों में)

रिषभ इंस्टीट्यूट

(नियर मयूर विहार, फेज-1 मेट्रो स्टेशन) मयूर विहार, फेस-1, दिल्ली-110091 फोन: 011-22752055, 22752374

DPSE कोर्स 2019-2021 में

मैनेजमेंट सीट के लिए आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट के रिसेप्शन डेस्क पर (एस.सी.ई.आर.टी.) के मानदंड के अनुसार योग्य उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है। तिथि व समय: 29 जुलाई'19 से 20 अगस्त'19 तक 10:00 बजे से 4:00 बजे तक (सभी कार्य दिवसों में)

व्यक्तिगत

मैं दविन्द्र ठाकुर पुत्र श्री ठाकुर दास निवासी मकान नं. एमसीबी-जैड-5, 07315, गली नं. 3, श्री गुरु गोबिन्द सिंह नगर, भटिण्डा ने अपना नाम बदलकर ठाकुर दविन्द्र सिंह रख लिया है।

मैं रजनी पत्नी श्री ठाकुर दविन्द्र सिंह निवासी मकान नं. एमसीबी-जैड-5, 07315, गली नं. 3, श्री गुरु गोबिन्द सिंह नगर, भटिण्डा ने अपना नाम बदलकर रजनी ठाकुर रख लिया है।

मैं ठाकुर दविन्द्र सिंह पुत्र श्री ठाकुर दास निवासी मकान नं. एमसीबी-जैड-5, 07315, गली नं. 3, श्री गुरु गोबिन्द सिंह नगर, भटिण्डा ने अपनी नाबालिग पुत्री हर्षिता का नाम बदलकर हर्षिता ठाकुर रख दिया है।

PUBLIC NOTICE

My clients Sh. Narender Kumar S/o Late Parmanand & Smt. Bhavnesh Rani W/o Sh. Narender Kumar Both R/o A-109/1, Shastri Nagar, Delhi-110052 has debarred & disowned their son Arun Arora, his wife Preeti Arora & their children Sanya Arora & Sujal Arora from their all movable and immovable properties and severed their relations with them as they are disrespectful, disobedient. Any person dealing with them, shall be at his/her/their own responsibility and my clients shall not be responsible for their any act.

ANIL KUMAR SINGH (Advocate)
Ch. No. 190, Civil Wing, Tis Hazari Courts, Delhi

PUBLIC NOTICE

To be known to all that I, BIMAL SEHGAL W/O SH. LATE SHRI INDER KUMAR SEHGAL R/O C-2A/175, PKT-16, JANAK PURI, NEW DELHI-110058 Owner of Flat No.175, Block C-2A, Pocket 16, Janak Puri, New Delhi-110058, vide File No.F.5(54)71 and my original documents like DDA Possession, Site Possession and Electric Water NOC issued by DDA, has been lost and in this regard FIR/LRNo. 1366878/2019, Dated 16.08.2019 lodged in the P.S. Crime Branch, Delhi.
Any person(s) claiming any rights, interest, having any objection or found in possession of original documents, may write/contact with above named person at above Address/Phone No. 9873479585 within 15 days from the date of publication of this notice. The person claiming any right, interest, objection with respect to the property, can personally inform or write to Deputy Director, LAB Housing, Vikas Sadan New Delhi.

PUBLIC NOTICE

PUBLIC AT LARGE IS HEREBY INFORMED THAT MY CLIENTS RAM NARAIN GUPTA S/O LATE LALA BIRBAL DAS GUPTA AND SMT USHA GUPTA W/O SH. RAM NARAIN GUPTA R/O B-7/73, SAFDARJUNG ENCLAVE, NEW DELHI-110029 HAVE SEVERRED ALL THEIR RELATIONS WITH THEIR SON VIVEK GUPTA, DAUGHTER IN LAW SANGEETA GUPTA W/O VIVEK GUPTA AND GRANDSON SHIKHAR GUPTA R/O 2692, CHURIWALAN, BAZAR SITARAM, DELHI-110006 AND HAVE DISOWNED DEBARRED AND DISINHERITED THEM OF ALL THEIR MOVEABLES AND IMMOVEABLES. THEY SHALL NOT BE ENTITLED TO INHERIT ANY OF MY CLIENTS ESTATE.

VIKRANT ARORA (Advocate)
Ch. No. 285, Civil Wing, Tis Hazari Courts, Delhi

PUBLIC NOTICE

This is to inform the Public at large that Bank Guarantee no. 0908- BG0003-15 dated 15-05-2015, in favour of Delhi Vidyut Board, ETBF-2002 (Delhi Vidyut Board Employees Terminal Benefit fund-2002 (Pension funds) New Delhi for an amount of Rs. 2 lakh (Rs. Two Lakhs only) has been misplaced and not traceable despite my best possible efforts. **I advise the Public at large not to utilize the said B.G. and return us.**

S.R.KHURANA
Executive Director
Delhi Heart & Lung Institute
(A unit of Apex Heart Care Pvt. Ltd.)
3-MM-II, Panchkuian Road,
New Delhi-110055

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I SANJAY KUMAR S/O BRAHMANAND, residing at 205/C-1, 6BN RPSF Campus, Daya Basti, North West Delhi, Delhi-110035 declare that name of mine and my minor daughter LAKSHITA aged 13 years has been wrongly written as SANJAY MALIK and LAKSHITA MALIK in her School Records. The actual name of mine and minor daughter are SANJAY KUMAR and LAKSHITA, which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

My client Vijay Kumar, S/o Sh. Late Kundan Lal, R/o J-1St, 469, Sangam Vihar, South Delhi, New Delhi -110080 has severed all his relations from his son Gyan Prakash and his wife Neetu and disowned them from his all moveable-immovable properties due to their disobedience. My client shall not be responsible for their any acts.

Sd/-
SATISH KUMAR (Advocate)
Off.: J-3, 144, Street No.7,
Sangam Vihar, New Delhi-110080

PUBLIC NOTICE

As per instruction by my client Dharampal and Smt. Raj Bala both resident of 174B, Near Rishal Nagar, Alipur North West Delhi-110036, I hereby inform that my client have disowned and debarred their son Mr. Anil Kumar and daughter-in-law Smt. Sakshi from their immovable and movable properties with immediate effect causing their misbehavour and disobedient and my client will not responsible for any dealing done by their son and daughter in law.
Place: New Delhi
Dated:- 19.8.2019

Sd/-
SHAMA RANI
ADVOCATE
CH. NO. B-136, B.G.S. BLOCK
TIS HAZARI COURT COMPLEX
DELHI-110054

PUBLIC NOTICE

Be it Known to General Public that my Client Sh Rajan Ahrol S/o Il Mitter Pal Ahrol and his wife Mrs. Renuka Ahrol Resident of D-130 1st Floor, Ajay Enclave New Delhi-18 have disowned their Son Tejaswi Ahrol, daughter in law Mrs. Ankita Dhawan Ahrol and grandson Master Maan Ahrol due to their consistent misconduct and have severed all social ties with them. It is further stated that all the aforesaid person disowned by my client shall have no right or interest of whatsoever nature in the movable or immovable properties of my client and anybody dealing with them would do so at their own cost, risk and consequences.
Shankar Wig ,Advocate Chamber No. 407, 3rd Floor, Deep Plaza, Opposite District Court, Gurgaon

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुवक्किला लीलावती पत्नी स्व. श्री सुरेश चन्द निवासीः- मकान नं. 1/355, गली न.1, उत्तरांचल कॉलोनी, लोनी बॉर्डर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ने आज दिनांक 16.08.2019 को अपनी पुत्र अनुज पांचाल व पुत्रवधू आरती निवासीगणः- मकान न.1/355, गली न. 1, उत्तरांचल कॉलोनी, लोनी बॉर्डर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के गलत आचरणों के कारण उनसे अपने सभी प्रकार के सम्बन्ध विच्छेद कर लिए हैं। और अपनी चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया हैं यदि कोई व्यक्ति भविष्य में मेरी मुवक्किला के पुत्र अनुज पांचाल व पुत्रवधु आरती से किसी प्रकार का लेन-देन करता हैं या किसी प्रकार का रिश्ता बनाता/रखता हैं तो उसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी। मेरे मुवक्किला लीलावती की नहीं होगी।

हस्ता./-
आर.के. शर्मा
एडवोकेट

पूर्व सांसदों को एक हफ्ते में सरकारी बंगले खाली करने का आदेश

नई दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा)।

लोकसभा की समिति ने लुटियंस दिल्ली में सरकारी बंगलों में कार्यकाल खत्म होने के बाद भी रह रहे पूर्व सांसदों को एक हफ्ते में आवास खाली करने का निर्देश दिया है। लोकसभा की आवास समिति के अध्यक्ष सीआर पाटिल ने कहा कि समिति ने सोमवार को बैठक की थी। इसमें फैसला हुआ कि तीन दिनों में पूर्व सांसदों के सरकारी आवासों के बिजली, जल और गैस के कनेक्शन काट दिए जाएंगे।

एक दिन पहले खबर आई थी कि लोकसभा के 200 से ज्यादा पूर्व सदस्यों ने अब तक अपने सरकारी बंगले खाली नहीं किए हैं। इसके बाद यह घटनाक्रम हुआ है। पाटिल ने कहा, 'आवास समिति की सोमवार को हुई बैठक में फैसला लिया गया है कि तीन दिन के अंदर ऐसे बंगलों के बिजली, जल और गैस कनेक्शनों को काट दिया जाएगा और पूर्व सांसदों से एक हफ्ते के अंदर आवासों को खाली करने को कहा गया है।' उन्होंने कहा कि किसी भी पूर्व सांसद ने यह नहीं कहा है कि वह अपना बंगला खाली नहीं करेंगे। नियमों के अनुसार पूर्व सांसदों को पिछली लोकसभा भंग होने के एक महीने के भीतर अपने-अपने बंगलों को खाली करना होता है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर 16वीं लोकसभा को 25 मई को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया था। एक सूत्र ने बताया, 'लोकसभा के 200 से अधिक पूर्व सांसदों ने अब तक अपने सरकारी बंगलों को खाली नहीं किया है। इन पूर्व सांसदों को 2014 में ये बंगले आबंटित किए गए थे।' इस वजह से नव निर्वाचित सांसद अस्थायी आवासों में रह रहे हैं।

डीसीबी को जमा कराने ही होंगे 20 करोड़ रुपए

एनजीटी ने अपना निर्देश बदलने से किया इनकार

नई दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा)।

राष्ट्रीय हरित पंचाट (एनजीटी) ने दिल्ली छावनी बोर्ड (डीसीबी) को गाजीपुर, भलस्वा और ओखला ठोस अपशिष्ट भराव स्थल (लैंडफिल साइट) से कूड़े के ढेर की सफाई के लिए 20 करोड़ रुपए का योगदान देने के अपने पूर्व के निर्देश में कोई बदलाव करने से इनकार कर दिया है।

पंचाट के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल के अगुवाई वाले पीठ ने कहा कि 17 जुलाई के आदेश को बदलने का कोई आधार नहीं है । हालांकि उसने यह भी कहा कि छावनी बोर्ड किसी अन्य उपयुक्त प्रबंध के लिए मुख्य सचिव से बातचीत करने के लिए स्वतंत्र है। पंचाट ने कहा कि डीसीबी से मांगी गई राशि उससे निकलने वाले कूड़े के समानुपात नहीं हो सकती है लेकिन ऐसा निर्देश मुख्य सचिव के सुझाव पर व्यावहारिक ढंग से सोच-विचार के बाद जारी किया जा रहा है।

पीठ ने हाल ही में अपने आदेश में कहा, 'हालांकि डीसीबी का दायित्व मात्र ओखला डंप साइट को लेकर है जहां छावनी का कूड़ा डाला जाता है किंतु उपयुक्त होगा कि डीसीबी दिल्ली की बेहतर हवा गुणवत्ता के लिए कूड़ा हटाने पर आने वाली विशाल लागत के मकसद से इतनी राशि का योगदान करें क्योंकि दिल्ली की आबोहवा अन्य डंप स्थलों से भी प्रभावित होती है।' उसने कहा कि दिल्ली की हवा गुणवत्ता में सुधार दिल्ली छावनी के लोगों समेत समूचे दिल्लीवासियों के लिए लाभप्रद होगा। पीठ ने कहा, 'हमें उक्त आदेश में बदलाव करने का कोई आधार नजर नहीं आता, किंतु डीसीबी कोई अन्य उपयुक्त प्रबंध के लिए मुख्य सचिव से बातचीत के लिए स्वतंत्र है।' राष्ट्रीय हरित पंचाट डीसीबी की उस अर्जी पर सुनवाई कर रहा है जिसमें प्रदूषण नियंत्रण के लिए बोर्ड ने गाजीपुर, भलस्वा और ओखला के लिए क्रमशः 10 करोड़, पांच करोड़ और पांच करोड़ रुपए देने के पंचाट के आदेश में संशोधन की मांग की है।

पंचाट ने पहले कहा था कि इन लैंडफिल साइटों से कूड़े हटाने का काम मानसून के समापन के बाद एक अक्तूबर से शुरू होना चाहिए।

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my clients, Jagdish Sharma s/o Late Sh. Nand Lal Sharma & Smt. Raj Sharma w/o Jagdish Sharma both R/o 2/430, First Floor Subhash Nagar, Tagore Garden, New Delhi-110027 have disowned/debarred their son Dheeraj Sharma & daughter-in-law Geetika Sharma & their children all residing at above said address, from their all moveable & immovable assets/properties located at anywhere and also severed all relations with them. Any person/s dealing with them shall be at his/her own risk. **Parvesh Kr. Tyagi (Advocate)** Seat Behind Court Room No.36, Tis Hazari Courts, Delhi

PUBLIC NOTICE

My/Our client MR. BABU LAL SON OF LATE SHRI RAM RESIDENT OF N-678, MANGOL PURI, DELHI-110083, have disowner their son namely MR. MANOJ KUMAR@RAJU R/O N-661, MANGOL PURI, DELHI-110083 and his wife SMT. KRISHNA and his all children, and revoke all relationship from them due to their bad behavior and intensions. My clients have debarred them from all their rights, claims in any manner from their moveable and immovable properties and in near future their will have no concern with my clients in any manner immediate effect.
Any Persons dealing with them shall be doing so at their own risk and responsibilities.

Sd/-
SURENDER KUMAR
Advocate
Enrl. No. D/152/88

सार्वजनिक सूचना

मेरी मुवक्किल इन्दु देवी पत्नी रामजी दास, एवम उसके पति रामजी दास पुत्र बालदेव दास, दोनों निवासी प्लॉट व खसरा नं. 140/17, बाबा हरीदास एन्कलेव, झड़ौदा कलॉ, दिल्ली-110072, ने अपने पुत्र प्रदीप को नियन्त्रण से बाहर होने के कारण इसे अपनी सभी चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर अपने सभी सम्बन्ध विच्छेद कर दिये है। भविष्य में इसके किसी भी कृत्य/लेन-देन/मुकदमें आदि के लिये मेरी मुवक्किल व उनके पति उत्तरदायी नहीं होगें।

Sd/-
A. SHINGAL
(ADVOCATE)

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किलान राम स्वरूप पुत्र रामफूल व रेशमा देवी पत्नी राम स्वरूप निवासी आर.जैड-637, गली नं. 4-ए, शिव मंदिर, साधनगर-1, पालम कालोनी, नई दिल्ली-45 ने अपने पुत्र अर्जुन व उसकी पत्नी मीनाक्षी व इनके पुत्र तनिष्क को उनके गलत आचरण के कारण अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर उनसे अपने सभी पारिवारिक सम्बन्ध विच्छेद कर लिए है। उनके किसी भी कार्य के लिए मेरा मुवक्किलान जिम्मेदार नहीं होगें।

दिवाकर शर्मा (अधिवक्ता)
चै.न. 199, 298, पटियाला हाउस कोर्ट, दिल्ली-110001

जेटली का हालचाल जानने पहुंचे कई नेता

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 19 अगस्त।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के सेहत में कोई सुधार नहीं है। उनका हालचाल जानने आने वाले नेताओं का सोमवार को भी तांता लगा रहा। जीवन रक्षक प्रणाली पर रखे गए जेटली (66)को देखने पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित कई नेता एम्स पहुंचे। इस क्रम में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और थावरचंद गहलोत, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और भाजपा की सांसद मेनका गांधी भी सोमवार को एम्स पहुंचे।

Express Classifieds
EXPRESS EDUCATION
McGraw-Hill writer RAMESH SINGH'S
Nationally acclaimed course for IAS
GS ECONOMY
new batch: Sep 23-Nov 08
Timing: 2.30-5.00 pm
Available in various modes:
Classroom/Live Online/Androind App (RameshSinghLIVE)
44/41, Old Rajinder Nagar, Bada Bazar Road, Near Shankar Road, N. Delhi- 60
www.rameshsingh.org | phs. 98182-44224, 80767-48812, 011-49539444
Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
Ph.23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार, सरकार तैयार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 19 अगस्त।

यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से पार जाने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से अनुरोध किया कि वे प्रशासन की ओर से बनाए गए अस्थायी आश्रय स्थलों में चले जाएं। नदी का जलस्तर बढ़ने के मद्देनजर प्रशासन ने लोहे के पुल को बंद कर दिया है। मुख्यमंत्री ने यमुना के जलस्तर में हो रही वृद्धि और इस स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से की गई तैयारियों को लेकर सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि अगले दो दिन महत्त्वपूर्ण हैं लेकिन उनकी सरकार स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। स्थिति का आकलन करने और प्रबंधों का जायजा लेने के लिए मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा ने रविवार को यमुना नदी में 8.28 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा है।

यह पानी सोमवार शाम तक दिल्ली पहुंच सकता है और यमुना के 205.33 मीटर के खतरे के निशान को पार कर सकता है। उन्होंने कहा कि 2013 में हरियाणा ने 8.06 क्यूसेक पानी छोड़ा था जिससे यमुना का जलस्तर 207.32 मीटर हो गया था। उन्होंने बताया कि अबतक 2,120 अस्थाई आश्रय स्थल बनाए गए हैं, जहां खाना, पानी और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। यमुना के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलग–अलग बनाए गए आश्रय स्थलों में पहुंचाने का काम देर शाम तक जारी रहा।

आधिकारिक अनुमान के मुताबिक, निचले इलाकों में रहने वाले 23,800 से ज्यादा लोगों को वहां से निकालने की जरूरत है। दिल्ली में यमुना नदी दोपहर तीन बजे 205.2 मीटर के स्तर पर बह रही थी।

‘बाढ़ से निपटने के लिए नहीं उठाए कदम’

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 19 अगस्त।

दिल्ली विधान सभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार द्वारा बाढ़ से निपटने के लिए देरी से शुरू किए गए इंतजामों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा तब मुख्यमंत्री ने सोमवार दोपहर अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को ये इंतजाम तीन दिन पहले ही कर लेने चाहिए थे। गुप्ता ने कहा कि देरी से लिए गए निर्णय के कारण निचले इलाकों में रह रहे हजारों लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।

गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार को इन लोगों को पहले ही वहां से शिफ्ट कर देना चाहिए था। टैंट लगाने का काम आज दोपहर बाद शुरू हुआ है। बाढ़ पीड़ितों के लिए सुविधाओं का इंतजाम नहीं किया गया है।

शेहला राशिद मामले की जांच करेगा स्पेशल सेल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 19 अगस्त।

जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष और राजनीतिक कार्यकर्ता शेहला राशिद का अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के हालातों को लेकर किए गए ट्वीट की जांच दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को सौंप दी गई है।

‘दलेस’ ने मनाया 22वां स्थापना दिवस

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 19 अगस्त।

संत रविदास सभागार में दलित लेखक संघ (दलेस) का 22वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर दलेस द्वारा संकलित काव्य संग्रह ‘दलित कविताओं की तीन पीढ़ियां एक संवाद’ का लोकार्पण किया गया। दो लेखकों रंजीत कबीरपंथी और तारा परमार को उनके उत्कृष्ट लेखन कार्यों के लिए दलेस द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर दलित लेखक संघ के अध्यक्ष हीरालाल राजस्थानी ने अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में कहा कि हमें अपने उपेक्षित समाज के लिए त्याग की भावना को प्रबल करना होगा तथा पदों की लालसा को छोड़ संगठनों को मजबूत बनाने में ध्यान देना होगा।

रंजीत कबीरपंथी ने अपने अतिथीय वक्तव्य में कहा की दुनिया में मानवीय मूल्यों से बड़ा दूसरा कोई काम नहीं हो सकता। हमें बाबा साहेब आंबेडकर और कबीर के रास्तों पर चलकर ही समतामूलक समाज का सपना साकार ही सकता है।

पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, गुमला।

आवश्यक सूचना

माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची क्रिमिनल अपील संख्या– D.B No. 319/2001 के संदर्भ में लोको उराँव उर्फ लोकनाथ कुजूर पिता गोमना कुजूर, ग्राम चुगलू पड़कीटोली, थाना+जिला गुमला की खोज–बीन गुमला थाना के पुलिस पदाधिकारियों द्वारा की जा रही है। इस नोटिस के माध्यम से **लोको उराँव उर्फ लोकनाथ कुजूर पिता गोमना कुजूर, ग्राम चुगलू पडकीटोली, थाना+जिला गुमला** को सूचित किया जाता है कि आप इस समाचार प्रकाशन के एक सप्ताह के अंदर सशरीर गुमला थाना में उपस्थित हों ताकि माननीय न्यायालय को सूचित किया जा सके।

जिसे अब तक ना समझे, वो कहानी हूँ मैं, मुझे बर्बाद मत करो पानी हूँ मैं।
बूंद - बूंद नहीं बरतेंगे तो बूंद को तरसेंगे

पुलिस अधीक्षक
गुमला।

PR 214658 (Police) 19-20 (D)

सॉलिसिटर जनरल की पत्नी का मोबाइल छीना

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 19 अगस्त।

सॉलिसिटर जनरल की पत्नी का मोबाइल दिल्ली के मंडी हाउस के पास झपटमारों ने छीन लिया। रविवार रात जब वे अपने घर से टहलने के लिए निकलीं तभी मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली के बाराखंभा रोड थाना में मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल बदमाशों की शिनाख्त की कोशिश कर रही है।

Rama Paper Mills Limited

PAPER BOARD

4th Km. Stone Najibabad Road Kiratpur-246731 District Bijnor U.P.
CIN: L27104UP1985PLC007556
Website : www.ramapaper.com, E-mail : cs@ramapaper.com

Extract of Un-Audited Financial Results For the Quarter ended on 30th June 2019

Rs. in Lakhs

Sl. No.	Particulars	Quarter Ending 30.06.2019	Current Year Ending 31.03.2019	Quarter Ended as on 30.06.2018
1.	Total income from operations (Net)	2980.50	16302.47	4101.59
2.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items	-99.30	2,479.68	2552.75
3.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-99.30	2,479.68	2552.75
4.	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-99.30	2,479.68	2552.75
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	-99.30	2,479.68	2552.75
6.	Equity Share Capital	96.64	96.64	96.64
	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)			
7.	Earning Per Share (of ₹ 10 /- each) (for continuing and discontinued operations)-			
	Basic:	-1.03	25.66	26.41
	Diluted:	-1.03	25.66	26.41

Note:
1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeetings held on 14th August 2019 in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations,
2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations. 2015. The full format of Quarterly Financial Results has been uploaded on the website of the Stock Exchange www.bseindia.com
3. Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS/ AS Rules whichever is applicable.

By order of the Board
for Rama Paper Mills Limited
Sd/-
Pramod Agarwal
Managing Director (DIN: 00038838)

Date : 14th August 2019
Place : Kiratpur

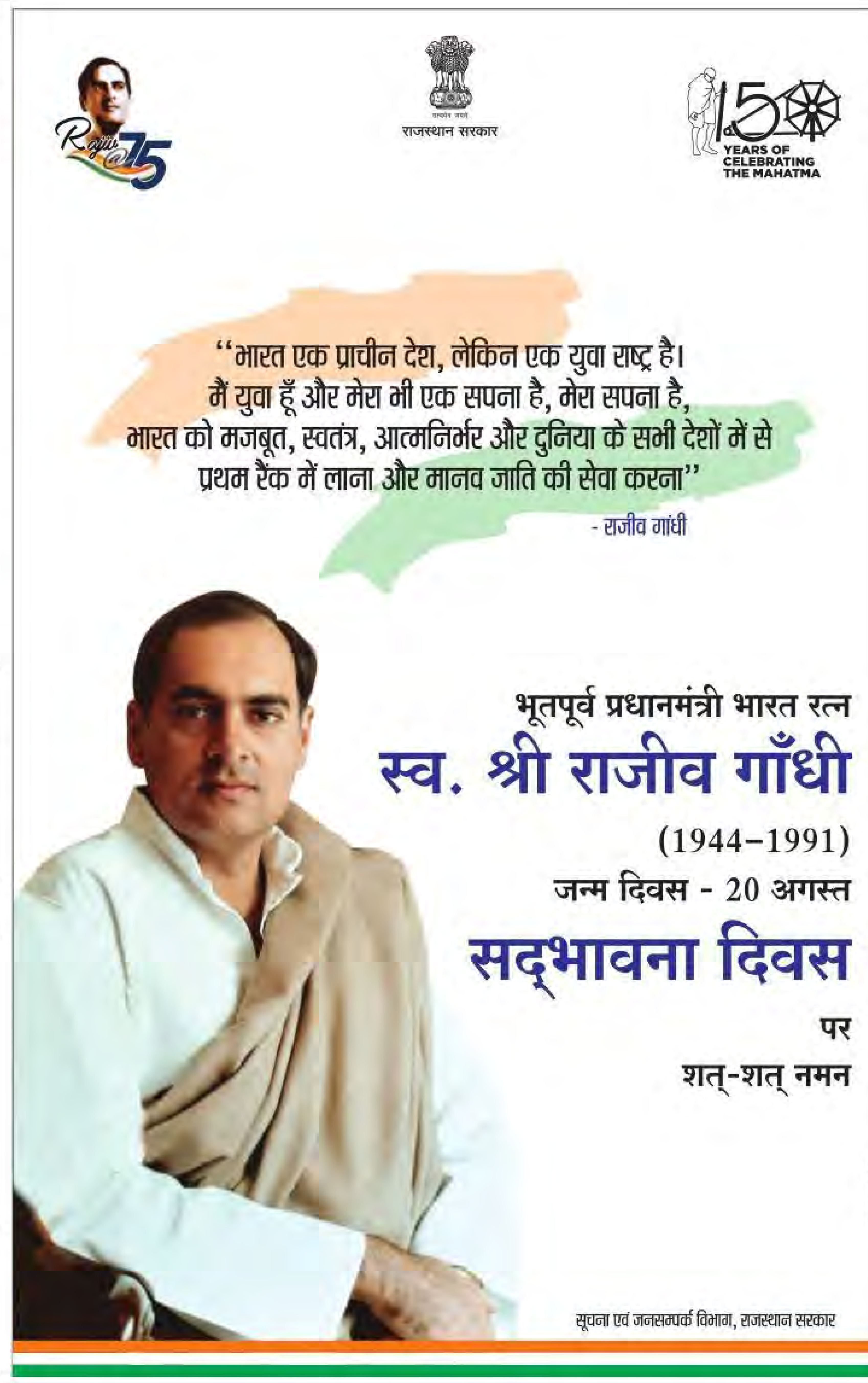

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	34.4 डि.से.	34.4 डि.से.	33.3 डि.से.	34.5 डि.से.
न्यूनतम	23.6 डि.से.	23.6 डि.से.	24.1 डि.से.	25.2 डि.से.

खबरों में शहर

आंबेडकर विवि के दो परिसरों की नींव 23 को

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 19 अगस्त।

डॉ बीआर आंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के धीरपुर और रोहिणी परिसर की नींव शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रखेंगे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहेंगे। धीरपुर में होने वाले इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विवि की कुलपति प्रो. अनु सिंह लाठर करेंगी। इस मौके पर उच्च शिक्षा सचिव संदीप कुमार भी मौजूद रहेंगे।

प्रदूषण फैलाने वाली 57 इकाइयां सील

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 19 अगस्त।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने प्रदूषण फैलाने वाली 57 इकाइयां सोमवार को सील कर दी। ई-कचरे से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही इन अवैध इकाइयों पर पूर्वी निगम की टीम ने कांति नगर एक्सटेंशन में 57 इकाइयों को सील किया। यह कार्रवाई दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के निर्देशानुसार निगम, डीपीसीसी, एसडीएम और दिल्ली पुलिस की टीम ने की।

इंजीनियर की मौत के मामले में पति गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 19 अगस्त।

सेक्टर- 51 में रहने वाली डीएमआरसी की महिला इंजीनियर स्वाति (26) की रविवार को हुई संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने पति अजय को गिरफ्तार किया है। महिला के परिजनों ने पति और सास के खिलाफ थाना सेक्टर- 49 में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था। पोस्टमॉर्टम के बाद महिला का शव परिजनों को सौंप दिया है। स्वाति की मां की तरफ से दी गई शिकायत में बताया कि शादी के बाद से ही पति और सास उसे परेशान कर रहे थे।

डॉक्टर सलूजा को मिला राष्ट्रपति पुरस्कार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 19 अगस्त।

डीयू के पूर्व शिक्षक डॉक्टर चंद किरण सलूजा को 'राष्ट्रपति सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर 2019' पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह सम्मान एचआरडी मंत्रालय की ओर से संस्कृत शिक्षा में उनके योगदान के लिए दिया जा रहा है। डॉ सलूजा करीब 20 सालों तक डीयू के केंद्रीय शिक्षा संस्थान से जुड़े रहे और उन्होंने संस्कृत, हिंदी, राजनीतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शिक्षा के सिद्धांत आदि विषयों को पढ़ाया। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान में निदेशक (अकादमिक) के रूप में नियुक्त हुए।

शिक्षण सत्र में भाग लेने वालों का सम्मान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 19 अगस्त।

उत्तराखंडी भाषा-बोली शिक्षण सत्र में भाग लेने वालों के लिए समाजसेवी दयाल सिंह नेगी, अध्यक्ष भुम्याल विकास मंच और उनकी पूरी टीम ने बदरीनाथ मंदिर पार्क, पश्चिमी विनोद नगर में सम्मान समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर मौजूद मुख्य अतिथि डीपीएमआइ के चेयरमैन विनोद बछेती ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच, उत्तराखंड एकता मंच एंव दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के तत्वाधान में उत्तराखंड की कई सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर दिल्ली और आस पास में अपनी बोली-भाषा से अपने नौनिहालों को जोड़ने के लिए 19 मई, 2019 से ग्रीष्मकालीन कक्षाओं की शुरुआत की गई थी। इसमें बड़ी संख्या में सामाजिक संस्थाओं, साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों और बच्चों ने हिस्सा लिया था।

जेएनयू प्रोफेसर ने तैयार किया 'मूक्स' पाठ्यक्रम

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 19 अगस्त।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने ऑर्गेनिक केमेस्ट्री-1 नाम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया है। यह पाठ्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ई-लर्निंग पहल 'स्वयं' के तहत शुरू किया है। बायोटेक्नॉलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर बीएस बालाजी ने एमएससी रसायन शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (मूक्स) तैयार किया है। ये पाठ्यक्रम यूजीसी के स्वयं प्लेटफॉर्म पर मिलेगा।

आज के कार्यक्रम

सभा/संगोष्ठी

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : पंडित मधुप मुद्गल की संगीत यात्रा पर चर्चा, सीडी देशमुख ऑडिटोरियम, सेंटर परिसर, शाम 6:30 बजे से।

थिएटर

इंडिया हैबिटाट सेंटर : ओल्ड वर्ल्ड थिएटर फेस्टिवल, द स्टेन ऑडिटोरियम, सेंटर परिसर, शाम 7 बजे।

महिला पर हमला करने वाले विधायक को सात दिन की सजा

नई दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा)।

दिल्ली की एक अदालत ने 2014 में एक महिला पर हमले के मामले में आम आदमी पार्टी विधायक को सात दिन कैद की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कहा कि विधायक एक लोकसेवक हैं इसलिए यह उनका दायित्व है कि उन लोगों के साथ निष्पक्षता और विनम्रता के साथ मिलें, जो उनके पास समस्याएं लेकर आते हैं। अदालत ने अच्छे आचरण के आधार पर उन्हें परिवीक्षा पर छोड़ने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उन्हें पहले भी एक अन्य मामले में दोषी ठहराया गया है और तीन महीने की कैद की सजा भी सुनाई गई थी। अदालत ने कहा कि इसलिए इस मामले में निवारण के लिए सजा की जरूरत है। मामले में मनोज कुमार को आइपीसी की धारा 352 के तहत दोषी ठहराया गया है। उन्होंने कहा

अदालत ने कहा, लोकसेवक को जनता से निष्पक्षता और विनम्रता से मिलना चाहिए

कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उन्हें सात दिन की साधारण कैद और 500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दोषी द्वारा सजा के खिलाफ अपील किए जाने की मंशा जताए जाने पर अदालत ने हालांकि उन्हें 10 हजार रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की जमानत राशि पर 30 दिनों के लिए छूट दे दी। अभियोजन के मुताबिक महिला विधायक के पास जलभराव संबंधी समस्या के समाधान के लिए गई थी।

बैंक लॉकर से 40 लाख के जेवर बदले

तीन अधिकारियों पर मामला दर्ज

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 19 अगस्त।

- सेक्टर-27 स्थित सहकारी बैंक की शाखा में हुआ फर्जीवाड़ा
- बैंक के ऑडिट और जांच में सामने आई जानकारी

सेक्टर-27 स्थित शिवालिक मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक शाखा के लॉकर में रखे करीब 40 लाख रुपए के जेवरातों की जगह नकली जेवर रखने का आरोप बैंक के तीन अधिकारियों पर लगा है। ऋण चुकाने के बाद ग्राहक की शिकायत पर बैंक ने जब जांच कराई, तो फर्जीवाड़े का पता चला। बैंक ने थाना सेक्टर-20 में शाखा के ऑपरेशनल प्रबंधक समेत तीन अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

शिवालिक मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक का मुख्य कार्यालय सेक्टर-126 में है। को-ऑपरेटिव बैंक बैंकिंग विनियम अधिनियम के तहत इसे लाइसेंस मिला हुआ है। बैंक सोने गिरवी रखकर ऋण (गोल्ड लोन) देने का काम करती है। बैंक की एक शाखा सेक्टर-27 में विनायक अस्पताल के पास है। जहां पर सामान्य ऋण के लिए सोना गिरवी रखकर भी ऋण दिया जाता है। ऋण देने के लिए ग्राहकों के आभूषण बैंक के लॉकर में रखे जाते हैं। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी शाखा के क्रियांवयन प्रबंधक धीरज तिवारी, क्रेडिट एग्जीक्यूटिव विपिन कसाना और सौरभ चौधरी पर थी। आरोप है कि इन तीनों ने ग्राहक के दो पैकेट में रखे 1100 ग्राम से अधिक सोने के आभूषण चोरी कर उनकी जगह नकली जेवरात रख दिए। इससे बैंक को 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जून महीने में 1100 ग्राम सोने के जेवरात रखने वाले ग्राहक ने बैंक का भुगतान कर आभूषण के पैकेट वापस लिए। ग्राहक ने पैकेट की सील से छेड़छाड़ होने की शिकायत की।

इसके बाद बैंक की तरफ से ऑडिट और जांच कराई गई। जांच में ग्राहक के आरोप सही पाए गए और उक्त तीन अधिकारियों की मामले में संलिप्तता पाई गई। शिवालिक मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक के एनसीआर क्लस्टर प्रमुख ने तीनों बैंक अधिकारियों के खिलाफ थाना सेक्टर-20 में नामजद मामला दर्ज कराया है।

कई सेवानिवृत्त अधिकारी और अधिवक्ता भाजपा में शामिल

जनसत्ता संवददाता
नई दिल्ली, 19 अगस्त।

संगठन पर्व सदस्यता अभियान के तहत बड़ी संख्या में लोग भाजपा के साथ जुड़ रहे है। इसी कड़ी में सोमवार को पंत रोड स्थित भाजपा दिल्ली प्रदेश कार्यालय में आयोजित सदस्यता अभियान कार्यक्रम के तहत सेवानिवृत्त अधिकारियों, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं, उद्योगपतियों, समाजसेवियों, इंजीनियर्स, चार्टेड एकाउटेंट और बड़ी संख्या में बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करने वाले प्रोफेशनल्स ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इन सभी को दिल्ली प्रदेश के प्रभारी श्याम जाजू और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सदस्यता दिलवाई।

दिल्ली पुलिस के सेवानिवृत्त अतिरिक्त

पुलिस आयुक्त भैरों सिंह गुर्जर, सीबीएसई के सेवानिवृत्त निदेशक प्रीतम सिंह, सेवानिवृत्त एसीपी मोहम्मद इकबाल, पब्लिक प्रोस्क्यूटर चरनदास, सेवानिवृत्त कार्यकारी इंजीनियर सुरेश चंद्रा, सेवानिवृत्त मेट्रोपोलिटियन मजिस्ट्रेट एसएस निमेश, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता टी एस वरुण, व्यापारी अनिल अग्रवाल, राष्ट्रपति भवन में वरिष्ठ पद से सेवानिवृत्त समर मंडल, समाजसेवी दीपिका मंडल, समाजसेवी निशा चौधरी सहित सैकड़ों की संख्या में सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्चतम न्यायालय और जिला न्यायालयों के अधिवक्ताओं ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ली। इस मौके पर श्याम जाजू ने कहा कि इस बार रेकॉर्ड संख्या में लोगों को भाजपा के साथ जोड़कर दिल्ली प्रथम स्थान पर रहेगी। कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने से प्रभावित होकर दिल्ली ही नहीं पूरे देश में लोग भाजपा के प्राथमिक सदस्य बन रहे हैं। वहीं, मनोज तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की संगठन शक्ति और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व से प्रभावित होकर भाजपा परिवार का विस्तार लगातार बढ़ता जा रहा है।

कांग्रेस आज बड़ी चुनौतियों के दौर से गुजर रही है : मुकुल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 19 अगस्त।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव मुकुल वासनिक ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी आज बड़ी चुनौतियों के दौर से गुजर रही है और जब-जब भी ऐसी परिस्थितियां आई कांग्रेस के एक-एक कार्यकर्ता ने उस चुनौती का डटकर मुकाबला किया है। आने वाले समय में कांग्रेस हर चुनौती का सामना करने को तैयार है।

वासनिक ने उक्त बातें विट्ठलभाई पटेल हाउस में कांग्रेस नेता जग प्रवेश कुमार के संयोजन में बुलाई गई दक्षिणी दिल्ली कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। सभा का आयोजन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 22 अगस्त को इंदिरा गांधी स्टेडियम में राजीव गांधी के 75वें जन्मोत्सव की तैयारियों के मद्देनजर किया था। कार्यक्रम में पूर्व सांसद रमेश कुमार, दिल्ली कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष देवेन्द्र यादव, हारुन युसुफ, पूर्व विधायक विजय लोचव, बलराम तंवर, समेत कई कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर मुकुल वासनिक ने राजीव गांधी के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने कठिन और विपरित परिस्थितियों में देश की बागडोर संभाली और देश कै नौजवानों को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कम्प्यूटर और तकनीकि युग की शुरुआत की।

करावल नगर में मकान की छत गिरने से बच्ची की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 19 अगस्त।

करावल नगर में मकान गिरने से तीन साल बच्ची नैन्सी की मौत हो गई। मकान के मलबे में दबकर नैन्सी की मां शिला, भाई मोनू (8) और नेहा (12) घायल हो गए।

जानकारी के मुताबिक नैन्सी अपने परिवार के साथ मकान नंबर-बी 2/21, अंकुर एन्क्लेव में रहती थी। सोमवार शाम करीब 5 बजकर 30 मिनट पर पुलिस को सूचना मिली कि एक मकान की छत गिर गई है। पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारियों ने मलबे में दबे चारों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने नैन्सी को मृत घोषित कर दिया। हादसे में घायल शिला, नेहा और मोनू का अस्पताल में इलाज चल रहा है। शुरुआती छानबीन में पुलिस को पता चला है कि लगातार कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से छत कमजोर हो गई थी हो सकता है कि इस कारण छत गिर गई होगी।

छत गिरने से चार घायल

नई दिल्ली। दिल्ली के झड़ोदा में सोमवार सुबह एक मकान की छत गिरने से सोते समय चार लोग घायल हो गए। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारी ने बताया कि चार दमकलों के साथ बचाव दल को मौके पर भेजा गया। दिल्ली अग्निशमन अधिकारी के मुताबिक सोमवार सुबह 6 बजकर 45 मिनट पर सूचना मिली कि झड़ोदा के भाग-दो में स्थित एक पुरानी मकान की छत गिर गई है। घटना में विपिन (25), राजन कुमार (20), कुंदन और विकास (18) को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मकान बहुत पुराना था, जिसमें चार कमरें थे। (जसं)

जेएनयू छात्र संघ : सितंबर के पहले सप्ताह में होंगे चुनाव

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 19 अगस्त।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ चुनाव को लेकर मंगलवार को विश्वविद्यालय जीबीएम (जनरल बॉडी मीटिंग) का आयोजन होगा। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग के सदस्यों का चयन होगा और इसके साथ ही छात्र संघ चुनावों की औपचारिक घोषणा हो जाएगी।

उम्मीद की जा रही है कि सितंबर के पहले सप्ताह में जेएनयू छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया का आयोजन किया जाएगा। लिंगदोह समिति की सिफारिशों के मुताबिक सत्र शुरू होने के 6 से 8 सप्ताह के बीच छात्र संघ चुनाव संपन्न होने जरूरी हैं। चुनाव आयोग ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। यह घोषणा मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति के बाद ही होगी। उम्मीद की जा रही है कि विश्वविद्यालय जीबीएम के बाद 21 या 22 सितंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की घोषणा होगी।

इसके बाद ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होगी। जेएनयू में छात्र संघ चुनाव प्रक्रिया में विश्वविद्यालय प्रशासन का हस्तक्षेप नहीं होता है। पूरी चुनाव प्रक्रिया विद्यार्थियों की ओर से चुने चुनाव आयोग द्वारा आयोजित की जाती है।

'फ्लैट न मिलने पर खरीदार को ब्याज सहित रुपए लौटाए कंपनी'

राज्य उपभोक्ता आयोग

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 19 अगस्त।

दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने कहा है कि फ्लैट हासिल करने के लिए खरीदार अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं कर सकते हैं। आयोग ने रियल इस्टेट कंपनी 'यूनीटेक' को एक खरीदार को 33 लाख रुपए से अधिक लौटाने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने यूनीटेक को निर्देश दिया कि अपार्टमेंट देने में सात वर्षों के विलंब के एवज में वह दिल्ली निवासी सुरहीद भंडारी को दस फीसद साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 45 दिनों के अंदर 33.59 लाख रुपए का भुगतान करे। आयोग ने यूनीटेक की सेवा में कमी बताते हुए कहा कि खरीदार से पर्याप्त राशि मिलने के बावजूद निर्माण कार्य पूरा नहीं करना अनुचित व्यापार व्यवहार है।

आयोग की पीठासीन सदस्य सलमा नूर ने कहा कि यह तथ्य स्पष्ट है कि उक्त इकाई का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है और सात वर्ष की अवधि भी खत्म हो चुकी है। आयोग ने कहा कि यूनीटेक निर्माण करने में विफल रहा और आज तक फ्लैट नहीं दे सका। शिकायतकर्ता फ्लैट हासिल करने के लिए अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं कर सकता है। शिकायतकर्ता के मुताबिक उसने 2012 में यूनीटेक की परियोजना 'द रेजिडेंसेज' के लिए आवेदन किया था और फ्लैट के लिए राशि भी जमा कराई थी। लेकिन इसके बाद परियोजना की प्रगति के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई।

अतिक्रमण के जिम्मेदारों को प्राधिकरण करेगा निलंबित

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 19 अगस्त।

प्राधिकरण के पंप हाउस, जल जलाशयों और सीवर शोधन संयंत्रों पर बाहरी लोगों के बसने पर प्राधिकरण अब अपने कर्मचारियों पर प्राथमिकी दर्ज कराएगा। इन परिसरों पर व्यावसायिक गतिविधियां पाए जाने पर प्राधिकरणकर्मियों की संलिप्तता की बात सामने आने पर चेतावनी जारी की गई है। इस बाबत सभी वर्क सर्कल प्रभारियों से तीन दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है। हाल ही में प्राधिकरण ने पंप हाउसों पर बने अतिरिक्त दो ढांचे (शैड) ढहा दिए हैं।

शहर में 182 नलकूप और छह रैनी वेल स्थापित हैं। इन्हें चलाने के लिए शहर के अधिकांश सेक्टरों में नलकूप खंड बने हुए हैं। जहां पर कुछ कमरे कर्मियों के लिए बनाए गए हैं। लेकिन शहर में लगातार मंहगे होते किराए के चलते इन स्थानों पर कर्मचारियों ने अवैध रूप से निर्माण या टीन शैड लगाकर अतिक्रमण कर बाहरी लोगों को बसा लिया है।

इंजीनियर और दो महिलाओं ने दी जान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 19 अगस्त।

राजधानी के तीन अलग इलाकों में इंजीनियर समेत दो अन्य महिलाओं ने खुदकुशी कर ली। न्यू अशोक नगर में इंजीनियर सनित कुमार पासवान (34) ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस को मिले सुसाइड नोट में उन्होंने पत्नी के शक करने से तंग आकर जान देने की बात लिखी है। वहीं, मुखर्जी नगर में सुमन आनंद (85) ने छत से और धीरपुर में कमलेश (55) ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस को दोनों महिलाओं के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

सोनिया से मिले चाको, प्रदेश अध्यक्ष का फैसला 22 के बाद

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 19 अगस्त।

कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने के बाद सोनिया गांधी ने लोकसभा की चुनावी हार से पस्त पड़ी पार्टी संगठन को चाक-चौबंद करने की कवायद शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी पीसी चाको ने सोमवार को सूबे के तीनों कार्यकारी अध्यक्षों हारुन युसूफ, देवेंद्र यादव व राजेश लिलौठिया के साथ पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात की और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की तैयारियों को लेकर चर्चा की।

सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान शीला दीक्षित के निधन के बाद से खाली पड़े प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर भी चर्चा हुई। समझा जा रहा है कि आगामी 22 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम के बाद दिल्ली में नेतृत्व के मुद्दे पर निर्णय हो सकता है।

एम्स में लगी आग

सुरक्षा पर हो रहे खर्च पर सवालिया निशान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 19 अगस्त।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में लगी आग कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आग लगने के बावजूद उसको नियंत्रित करने की चौकसी नहीं दिखी, जबकि प्रयोगशाला में व बाकी हिस्सों में ज्वलनशील रसायन थे। सूत्रों के मुताबिक एसी का कंप्रेसर भी फटा था और आग पांचवीं मंजिल तक पहुंच गई थी। नुकसान का सही आकलन अभी तक नहीं हो पाया है।

आग लगने से कई कम्प्यूटर व उपकरण जले तो कई लपट में आने से पिघल गए। गनीमत है कि इमरजंसी मेडिसिन की लैब के उपकरण रात भर की कूलिंग के बाद काम करने लगे। इस लैब को एक महीने में यहां से नई जगह भेजा जाना था। 50 के दशक में बनी इमारत के तार जर्जर व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के भारी बोझ से दबे हैं। इसलिए तमाम हिस्से को नई बन रही इमारतों में शिफ्ट करने की योजना है। कई अन्य चुनौतियां भी हैं जिनसे निपटने में एम्स को साल भी लग सकते हैं। एम्स के चिकित्सकों व कर्मचारियों ने जबरदस्त मुस्तैदी दिखाते हुए मरीजों को बचा लिया। सूत्रों के मुताबिक सूक्ष्म जैविकी विभाग की प्रयोगशाला के कुछ नए उपकरण पहले से रखे थे उन्हे कन्वर्जेंस ब्लॉक में लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। जल्दी ही यह प्रयोगशाला भी काम करने लगे इसकी कोशिश हो रही है।

स्टाफ की मुस्तैदी से बचे मरीज

एम्स आरडीए के संयुक्त सचिव डॉ अश्विनी मेहरा ने बताया कि शनिवार को आधे दिन में छुट्टी होती है तो वे बाहर चले गए थे। जैसे ही आग की सूचना मिली उन्होने तुरंत एम्स पहुंच कर अपने ग्रुप पर डॉक्टरों के लिए अपील जारी की। जो जहां था वहीं से भाग कर एम्स पहुंचा।

आरपी सेंटर में कराया प्रसव

उन्होंने बताया कि आरपी सेंटर के 53 साल के इतिहास में यह पहला मौका रहा जब कि इस सेंटर में सर्जरी करके बच्चे का जन्म कराया गया। यह सफल सर्जरी रात को उस समय की गई जब कि एम्स में आग व अफरा-तफरी चरम पर थी।

बैलगाड़ी पर बैठकर जलभराव पार कर रहे लोग

अमलेश राजू
नई दिल्ली, 19 अगस्त।

महंगी और तेज रफ्तार गाड़ियों से गुलजार रहने वाली राजधानी की सड़क पर लोगों को पुराने समय के बैलगाड़ी का सहारा लेना पड़ा। बारिश के बाद हुए जलभराव में जब अच्छी-अच्छी गाड़ियां बंद हो गई तो लोगों ने बैलगाड़ी पर बैठकर सड़क पार किया।

यह नजारा दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के पुल प्रह्लादपुर में दिखा, जहां पीडब्लूडी, दिल्ली नगर निगम और रेलवे की सुस्ती से लोग बारिश के बाद सड़क पार करने के लिए बैलगाड़ी बैठे नजर आए। यही नहीं गड्ढे की गहराई को देखते हुए मोटरसाइकिल सवार को भी सौ रुपए देकर अपनी गाड़ी इस पार से उस पार करानी पड़ी। इस काम में लगे आली गांव, प्रह्लादपुर गांव और सूरज कुंड के बैलगाड़ी वाले खूब कमाई कर रहे हैं। वे प्रति व्यक्ति 20 रुपए और प्रति मोटरसाइकिल से 100 रुपए ले रहे हैं। पुल प्रह्लादपुर के इलाके में बीते दो दिनों की बारिश से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। यह इलाका सालों से बारिश के बाद गड्ढे का रूप ले लेता है। आली गांव के रामचंदर और प्रह्लादपुर इलाके के आशीष का कहना था कि यहां की हालत के लिए एक नहीं कई विभाग जिम्मेवार है। उनका कहना था कि इस अंडर पास में कम से कम 20 अश्व शक्ति (एचपी) के पांच मोटर की जरूरत है। जबकि पीडब्लूडी ने दो मोटर तो लगाए हैं पर उसमें एक चलता है।

अदालती आदेश को 'राजनीतिक रंग' नहीं दिया जा सकता

रविदास मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा

नई दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि दिल्ली के तुगलकाबाद वनक्षेत्र में स्थित गुरु रविदास मंदिर को गिराने के उसके आदेश को 'राजनीतिक रंग' नहीं दिया जा सकता। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एमआर शाह के पीठ ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इस मुद्दे पर राजनीतिक रूप से या प्रदर्शनों के दौरान कानून-व्यवस्था संबंधी कोई स्थिति उत्पन्न न हो। पीठ ने कहा, 'हर चीज राजनीतिक नहीं हो सकती। धरती पर कोई भी हमारे आदेश को राजनीतिक रंग नहीं दे सकता।' महत्त्वपूर्ण है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने पिछले दिनों शीर्ष अदालत के आदेश का अनुपालन करते हुए संबंधित मंदिर को गिरा दिया था।

कोर्ट ने नौ अगस्त को कहा था कि वनक्षेत्र को खाली करने के उसके पूर्व आदेश पर अमल न कर गुरु रविदास जयंती समारोह समिति ने 'गंभीर उल्लंघन' किया है। 500 साल पुराने मंदिर को गिराए जाने के बाद, पंजाब और दिल्ली के कई स्थानों पर राजनीतिक दलों और दलित समुदाय के सदस्य प्रदर्शन कर रहे हैं। सुनवाई की शुरुआत में, अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि मंदिर को गिराने का काम डीडीए ने शीर्ष अदालत के आदेश के अनुपालन में किया और कुल 18 संगठन इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

शीर्ष अदालत ने 13 अगस्त को वेणुगोपाल से इस मामले में सहयोग करने को कहा था। वेणुगोपाल ने पीठ को बताया कि चूंकि कई संगठन इस कदम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए इन प्रदर्शनों के पीछे किसी एक व्यक्ति का ठीक-ठीक पता लगा पाना बहुत कठिन है। इस पर पीठ ने कहा कि अगर मामला सुलझ गया है तो कोई मुश्किल नहीं है लेकिन अगर यह अनसुलझा रहता है तो अदालत इस पर सुनवाई करेगी।

वेणुगोपाल ने तब पीठ से कहा कि उसे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की सरकार को यह सुनिश्चित करने के निर्देश देने चाहिए कि कानून-व्यवस्था की स्थिति बरकरार रहे। पीठ ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से यह सुनिश्चित करने को कहा कि राजनीतिक रूप से या अन्य किसी भी तरह से कानून-व्यवस्था संबंधी कोई स्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा था कि वह अपनी अगुआई में रविदास समुदाय के सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करवाएंगे और मामले में उनसे हस्तक्षेप करने को कहेंगे।

शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने भी गुरुवार को कहा था कि शिअद-भाजपा का प्रतिनिधिमंडल जल्द प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगा और उनसे मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने की अपील करेगा। शीर्ष अदालत ने इससे पहले मंदिर गिराए जाने का राजनीतिकरण करने के खिलाफ आगाह किया था और धरना व प्रदर्शनों के लिए उकसाने वालों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की चेतावनी दी थी।

अर्थव्यवस्था में मंदी के लिए जेटली की नीतियां जिम्मेदार: स्वामी

पुणे, 19 अगस्त (भाषा)।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा वापस लेना सही फैसला था। लेकिन अब देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने की जरूरत है क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा व राष्ट्र निर्माण दोनों के लिहाज से अहम है।

राज्यसभा सदस्य ने रविवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के कार्यकाल में अपनाई गईं गलत नीतियां अर्थव्यवस्था में सुस्ती के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने ब्याज दर बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की भी आलोचना की। स्वामी ने कहा- मेरा मानना है कि जेटली के कार्यकाल के दौरान अपनाई गईं गलत नीतियां जैसे अधिक कर लगाना अर्थव्यवस्था में सुस्ती का एक कारण है। ये नीतियां अभी भी लागू हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
प्रथम तल, यूनियन बैंक भवन, मंत्री आवास के पास, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010, दूरभाष:- 0522-2306893-94, फैक्स:- 2306884

अधिग्रहण सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत और धारा 13 (2) तथा 13 (12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 की सपठित नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सूचना जारी की गई थी तथा ऋणी को मांग सूचना में उल्लिखित धनराशि जिसका विवरण नीचे दिया गया है, का भुगतान सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने को कहा गया था।
ऋणी के द्वारा यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी/जमानतदार और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त एक्ट की धारा 13 (4) सहपठित उक्त नियम के नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्तियों का आधिपत्य ग्रहण कर लिया गया है।
ऋणग्रहिता को विशिष्ट रूप से सर्वसाधारण को सामान्य रूप से एतद्द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार (क्रय-विक्रय) नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और उक्त सम्पत्ति का किसी प्रकार से कोई क्रय-विक्रय यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया का बकाया धनराशि, ब्याज एवं अन्य व्यय के भार के अधीन होगा। **अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान के अनुसार ऋणी को अवगत कराया जाता है कि, दिये गये समय के अन्तर्गत भुगतान करके बंधक आस्तियों को मुक्त करा लें।**

क्र. सं.	ऋणकर्ता/जमानतकर्ता का नाम व पता	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तिथि/अधिग्रहण की तिथि/बकाया धनराशि (रु.)
	शाखा- गोमतीनगर, फोन नं.- 0522-2391484, ईमेल- gomtinagar@unionbankofindia.com		
1.	ऋणकर्ता:- 1. श्री ओमकार नाथ बाजपेयी पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद बाजपेयी निवासी 14, कृष्ण लोक नगर फैजुल्लागंज, लखनऊ 2. श्रीमती किरन बाजपेयी पत्नी श्री ओमकार नाथ बाजपेयी निवासी 14, कृष्ण लोक नगर फैजुल्लागंज, लखनऊ	मकान सम्पत्तियां:- पता: म.नं. 14 खसरा सं. 55 (एम) निकट बेहा रोड कृष्ण लोक कॉलोनी फैजुल्लागंज, लखनऊ, स्वामित्व- श्रीमती किरन बाजपेयी पत्नी श्री ओमकार नाथ बाजपेयी, क्षेत्रफल:- 1680 वर्ग फीट, चौहद्दी:- पूर्व: 18 फीट चौड़ी रोड, पश्चिम: कमला देवी का प्लॉट सं. 13, उत्तर: 18 फीट चौड़ी रोड, दक्षिण: गुंजन यादव का मकान	21.05.2019 / 14.08.2019 / रु. 4,81,211.65 + ब्याज दिनांक 01.04.2019 से व अन्य खर्च
	शाखा- देवा शरीफ, फोन नं.- 05248-245383, ईमेल- dewashariff@unionbankofindia.com		
2.	ऋणकर्ता:- 1. मेसर्स या वारिस ज्वैलर्स, प्रोप.- श्री राम सरन सोनी पुत्र श्री बेचू लाल मकान नं. 366, हुज्जाजी-2, देवाशरीफ, बाराबंकी जमानतकर्ता:- श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री बेचू लाल सोनी हुज्जा जी-2, देवाशरीफ, बाराबंकी	मकान सम्पत्तियां:- पता: सम्पूर्ण बंधक मकान सम्पत्ति स्थित हुज्जाजी पूर्वी-2, देवाशरीफ, बाराबंकी, स्वामित्व- श्री राम सरन सोनी पुत्र श्री बेचू लाल, क्षेत्रफल:- 42.943 वर्ग मी., चौहद्दी:- पूर्व: श्री शिव गोपाल का प्लॉट, पश्चिम: आनन्द राम का प्लॉट, उत्तर: रोड, दक्षिण: रानी देवी का प्लॉट	14.05.2019 / 16.08.2019 / रु. 3,57,751.76+ ब्याज दिनांक 01.05.2019 से व अन्य खर्च
	शाखा- लखनऊ मेन, फोन नं.-0522-2627850, 2672417, ईमेल- lucknowmain@unionbankofindia.com		
3.	ऋणकर्ता:- 1. मेसर्स अल्फा इंटरप्राइजेज, प्रोप.- श्री रेहान फारूकी पुत्र स्व. श्री कमलुद्दीन दुकान सं. 102, मुगल दिशा अपार्टमेंट, कपूरथला, लखनऊ - 226024 जमानतकर्ता:- श्रीमती फौजिया फारूकी पत्नी श्री मो. रेहान फारूकी, निवासी म.नं. 8/167 व 168, विकास नगर, लखनऊ	मकान सम्पत्तियां:- सम्पूर्ण बंधक मकान नं. 8/167 स्थित सेक्टर 8, विकास नगर, लखनऊ, स्वामित्व- श्री रेहान फारूकी पुत्र स्व. श्री कमलुद्दीन, क्षेत्रफल:- 41.31 वर्ग मी., चौहद्दी:- पूर्व: म.न. 8/166, पश्चिम: म.न. 8/168, उत्तर: म.नं. 8/124, दक्षिण: रोड और सम्पूर्ण बंधक मकान नं. 8/168 स्थित सेक्टर 8, विकास नगर, लखनऊ, स्वामित्व- श्री रेहान फारूकी पुत्र स्व. श्री कमलुद्दीन, क्षेत्रफल:- 41.31 वर्ग मी., चौहद्दी:- पूर्व: म.न. 8/167, पश्चिम: म.न. 8/169, उत्तर: म.नं. 8/123, दक्षिण: रोड	15.05.2019 / 16.08.2019 / रु. 10,25,233.01 + ब्याज दिनांक 01.05.2019 से व अन्य खर्च

दिनांक: 20.08.2019 स्थान: लखनऊ
प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया

नई पार्टी बनाने के मुद्दे पर पत्ते नहीं खोल रहे हुड्डा

आलाकमान की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है हुड्डा गुट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 19 अगस्त।

रोहतक के अपने सियासी गढ़ में रैली कर बागी तेवर दिखाने वाले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा नई पार्टी बनाने के मामले में अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं हैं। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने संबंधी केंद्र के फैसले का समर्थन कर अपनी ही पार्टी पर रास्ता भटकने का आरोप लगाने वाले हुड्डा सुर्खियों में जरूर हैं लेकिन इस मुद्दे को और ज्यादा तूल देने से बच रहे हैं।

सूत्रों ने बताया कि रोहतक की परिवर्तन महारैली के मंच से अपनी भावी रणनीति तय करने के लिए 25 सदस्यीय समिति गठित करने की घोषणा कर चुके हुड्डा को अब कांग्रेस हाईकमान की प्रतिक्रिया का इंतजार है। यदि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन की हुड्डा खेमे की मांग को एक बार फिर खारिज किया तो संभव है कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री की अगुआई में कोई नया मोर्चा खड़ा हो जाए।

रोहतक रैली की सफलता से गद्गद् हुड्डा ने सूबे की जनता का जबरदस्त समर्थन के लिए आभार जताया लेकिन अपनी भावी रणनीति के खुलासे से इनकार किया। उनके दिल्ली स्थित आवास पर रैली की सफलता का असर दिखाई पड़ा। सोमवार को उनसे मिलने वालों का तांता लगा रहा। पार्टी विधायकों के अलावा कांग्रेस के कई अन्य नेताओं ने भी उनसे मुलाकात की।

पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के करीबी सूत्रों ने बताया कि हुड्डा मंगलवार सुबह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में उनकी समाधि वीर भूमि पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के मौजूद रहने की संभावना है।

बालाकोट के बाद पाक से पारंपरिक युद्ध के लिए तैयार थी सेना : सूत्र

नई दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा)।

बालाकोट हमले के बाद सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने सरकार के प्रमुख लोगों को स्पष्ट रूप से बता दिया था कि सेना पाकिस्तान द्वारा किए जाने वाले किसी भी जमीनी हमले से निपटने और शत्रु की सीमा के भीतर युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। सेना के शीर्ष सूत्रों ने यह जानकारी दी है।

सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना पाकिस्तान के साथ परंपरागत युद्ध के लिए तैयार थी और इसमें पाकिस्तानी सीमा के अंदर जाना भी शामिल था। पुलवामा आतंकी हमले के बाद सरकार जब हवाई हमले करने समेत विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही थी तब सेना प्रमुख ने सरकार को अपने बल की तैयारियों के बारे में बताया था।

ऑटोडेकोर प्राईवेट लिमिटेड
(परिसमापन में)
सार्वजनिक उद्घोषणा
स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 31(2) के अनुपालन में। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 22 जून, 2019 को सार्वजनिक उद्घोषणा (प्रपत्र-बी) के प्रत्युत्तर में उनके द्वारा दाखिल की गई दावे के आधार पर शेयरधारकों की अंतिम सूची माननीय एनसीएलटी दिल्ली के पास दाखिल कर दी गई है तथा वह कॉर्पोरेट डेब्टर की वेबसाईट WWW.AUTODECOR.IN पर उपलब्ध है।
किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए कृपया resolution.ensemble@gmail.com पर सम्पर्क करें।

संजीव आहूजा
IBBI/IPA/002/IP-N00028/2016-17/10061
परिसमापक (ऑटोडेकोर प्राईवेट लिमिटेड)
ईमेल: ssmr.ahuja@gmail.com

तिथि: 20.8.2019
स्थान: नई दिल्ली

अर्थव्यवस्था में सुस्ती पर सरकार की चुप्पी खतरनाक : प्रियंका

कांग्रेस महासचिव ने पूछा, मंदी का जिम्मेदार कौन है?

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 19 अगस्त।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने देश की अर्थव्यवस्था में सुस्ती को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि इस भयंकर मंदी पर सरकार की चुप्पी खतरनाक है. उन्होंने सवाल किया कि इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है?

प्रियंका ने ट्वीट किया-सरकार की घोर चुप्पी खतरनाक है। कंपनियों का काम चौपट है। लोगों को काम से निकाला जा रहा है, भाजपा सरकार मौन है। आखिर देश में इस भयंकर मंदी का जिम्मेदार कौन है? इससे पहले उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा था कि देश का आम नागरिक भाजपा सरकार के शीर्ष नेताओं से, वित्त मंत्री से इस भयंकर मंदी पर भी कुछ सुनना चाहता है। प्रियंका ने अखबारों में छपी कुछ खबरें भी शेयर कीं, जिसके मुताबिक वाहनों की बिक्री में काफी गिरावट दर्ज की गई है और ऑटो क्षेत्र में 10 लाख से अधिक लोगों की नौकरी जाने का खतरा है तथा कई कंपनियों ने छंटनी शुरू कर दी है।

इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने रविवार को अर्थव्यवस्था की सेहत के 10 मानकों का हवाला देकर कहा कि देश में एक प्रकार से आर्थिक आपात काल की स्थिति है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की हालत खराब है और विभिन्न कंपनियों ने अपने यहां से घोषित तौर पर कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है। ढाई से अन्य उद्योगों को चलाना वाला रीयल एस्टेट की हालत चिंताजनक है और देश के 30 शहरों में लाखों की संख्या में बनकर खड़े मकानों का कोई खरीदार नहीं मिल रहा। सिंघवी ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट, रुपए की खराब हालत और सकल घरेलू उत्पाद की खराब दर का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से जानना चाहा कि आखिर उसने अर्थव्यवस्था की बिगड़ती हालत को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं।

NOTICE OF ARBITRATOR

Rakesh S/o Khem Chand partner M/S Maha Laxmi bus services, 1878, G.F, Jat Dharmashala, T-Huts, Kashmere gate, Delhi.

Whereas I have been appointed as Arbitrator pursuant to the Deed of partnership clauses 15 executed between you and Jaswant Singh. The Arbitration Proceeding is pending before me but you have failed to appear before me despite my letter dated 28-05-2019.

Whereas you are required to attend the Arbitration proceedings before me on any working day between 11 A.M to 4 P.M. Within 7 days from date of this publication and in default whereof I shall Proceed further in your absence.

Subhash C.Datt
Advocate/Arbitrator
Chamber no. X-42,
Civil Wing, Tis Courts, Delhi
Mob:9811280577

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
Resolution Recovery & Law क्लस्टर (दक्षिण और पूर्व) 82/ई-1, आर के मार्किट, मुनिरका, नई दिल्ली-110067, फोन : 26108530, 26108531, ई-मेल: rrl 7670@obc.co.in

शुद्धि-पत्र

दिनांक 15.08.2019 को इस समाचार पत्र में छपे विज्ञापन ई-नीलामी सूचना जिसमें **ई-नीलामी की तारीख 18.09.2019** के संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि ई-नीलामी **सर्विस प्रदाता का नाम: अन्तरेस सिस्टम्स लि., वेबसाईट** www.antares systems.com **व्यक्ति का नाम जिसे सम्पर्क किया जा सके श्री कुशल बोस्त, मो.** 7686913157, ईमेल : kushal.b@antares systems.com, lousik.g@antares systems.com, manohar.s@antares systems.com **के स्थान पर संशोधित सर्विस प्रदाता का नाम : मैसर्स 4क्लोज़र, वेबसाईट: https://bankauctions.in सम्पर्क हेतु : श्री विकास, मो. +91-8142000809, 8076427383, 9650387768, फोन - 040-23836405 एवं ई-मेल - vikash@bankauction.in** पढ़ा जाए।
ई-नीलामी के शेष नियम व शर्तें पहले के अनुसार रहेंगी।

प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

कांग्रेस रूपी डूबते जहाज से राहुल ने पहले ही छलांग लगा ली : चौहान

जनसत्ता ब्यूरो
जयपुर, 19 अगस्त।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ धोखा हुआ है। राहुल गांधी ने इन प्रदेशों में किसानों का कर्जा सरकार बनने के दस दिन बाद माफ करने का एलान किया था। चौहान का कहना है कि कांग्रेस पार्टी डूबता जहाज है और राहुल गांधी ने पहले ही छंलाग लगा ली है।

भाजपा के सदस्यता अभियान के राष्ट्रीय संयोजक शिवराज सिंह चौहान सोमवार को जयपुर में सदस्यता की समीक्षा करने आए थे। उन्होंने इस दौरान प्रदेश भाजपा मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के रणछोड़दास गांधी साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में जब तक परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति रहेगी तब तक कांग्रेस पनप ही नहीं सकती।

केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)
निगमित कार्यालय 4/1, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, हौज़खास, नई दिल्ली 110016, टेलीफैक्स: 011-26566107 एक्सटेंशन 257/336, वेबसाइट : www.cewacor.nic.in

स. केभनि/बीएण्डसी/ईडी/7(1)(डी)/2019 दिनांक: 20.08.2019

चुनाव सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय भण्डारण निगम नियम, 1963 के नियम 4(4) के अन्तर्गत 17.05.2021 तक की अवधि के लिए आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए भण्डारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 7(1)(डी) के अन्तर्गत केन्द्रीय भण्डारण निगम में पंजीकृत अंशधारी संस्थाओं अर्थात **अन्य अधिसूचित बैंकों** का प्रतिनिधित्व करने के लिए निदेशक का चुनाव **21.10.2019 सोमवार (अपराह्न 2.30 बजे से 4.30 बजे तक)** केन्द्रीय भण्डारण निगम, "वेयरहाउसिंग भवन", 4/1, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली 110016 में स्थित ऑडिटोरियम में सम्पन्न होगा।

- नामांकन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 03.09.2019 (मंगलवार) सांय 5.00 बजे तक है।
- प्रोक्सी/प्राधिकृत अभिवेदनों को प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 27.09.2019 (शुक्रवार) सांय 5.00 बजे तक होगी।

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.cewacor.nic.in पर लॉग ऑन करें।

(ह०/-अमित पुरी)
सचिव

साठ साल की उम्र में सेवानिवृत्त होंगे सीएपीएफ कर्मी

नई दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा)।

सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के कर्मी अब 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होंगे। एक सरकारी आदेश में सोमवार को यह जानकारी दी गई।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया कि बलों - केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल- के सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष होगी। पहले कुछ पदों तक के कर्मियों और अधिकारियों के लिए यह 57 वर्ष ही थी। यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट के जनवरी के उस आदेश से जुड़ा हुआ है जिसमें उसने चार बलों में सेवानिवृत्ति की अलग-अलग उम्र की मौजूदा नीति को 'भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक' करार देते हुए कहा था कि इसने वर्दीधारी बलों में दो वर्ग बना दिया है। मौजूदा नीति के मुताबिक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और असम राइफल्स के जवान 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं।

नोटिस

डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये फर्मों के पंजीकरण हेतु निवेदन फार्म आमंत्रित करता है। जिसके लिये विभिन्न निर्माता एवं सेवा प्रदानकर्ता फर्मों जो कि कम्प्युटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेर, मैडल, मुद्रण एवं प्रिंटिंग और प्रकाशन के कार्य, फर्नीचर एवं फिक्चर, पुस्तकालय की किताबें, स्टेशनरी, फोटोग्राफी, प्रयोगशाला का सामान, वाद्य, खेलकूद का सामान, दृश्य एवं श्रव्य (Audio visual aids) के साधन, यातायात के साधन, बिजली तथा सेनेटरी का सामान, सीसीटीवी कैमरा, ड्राइंग एवं पेंटिंग, अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी सामान, गिफ्ट सामान, नर्सरी परिधान, लाइट एवं साउंड सिस्टम, विद्यालय बिल्डिंग रिपेयरिंग एवं मेंटेनेंस सम्बंधित सामान, जनरेटर सेट, वाटर कूलर एवं प्योरीफायर, फोटोस्टेट एवं रिजो मशीन की ऐएमसी की सेवा, कैंटीन ठेका एवं खान-पान सम्बन्धी सुविधा, सिक्यूरिटी गार्ड, माली एवं सफाई की सेवायें, पहचान पत्र, झण्डे, बैनर इत्यादि से सम्बधित व्यवसाय करने वाले सभी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन एवं अन्य प्रपत्र विद्यालय से किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 21.08.19 से प्राप्त कर पोस्ट/By hand से जमा कर सकते हैं। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 09.09.19 है। - प्राचार्या

केन फिन होम्स लि.
1ला तल, डीडीए बिल्डिंग, पारस सिनेमा के निकट, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 CIN No. L85110KA1987PLC008699,
फोन नं. 7625079108, 011-26435815, 26430326, ईमेल: delhi@canfinhomes.com

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण तथा विशेष रूप से ऋणधारक(कों) तथा गारन्टर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका केन फिन होम्स लि., नेहरू प्लेस, नई दिल्ली शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है, की श्रीमती आँचल गुप्ता, पत्नी दीपेन्द्र गुप्ता तथा श्री दीपेन्द्र गुप्ता, पुत्र देवी सरण गुप्ता (ऋणधाकरों) तथा श्री कमल, पुत्र भवगती प्रसाद (गारन्टरों) से आगे के ब्याज तथा उस पर अन्य चार्जेज के साथ 10.8.2018 को केन फिन होम्स लि. के बकाए रु. 16,74,863/- (रुपए सोलह लाख चौहत्तर हजार आठ सौ तिड़ेसठ मात्र) की वसूली के लिए 24.09.2019 को "जैसा है जहां है" तथा "जो भी जैसा है" तथा "जो कुछ भी वहां है" आधार पर बिक्री की जाएगी। आरक्षित मूल्य रु. 19,00,000/- (रुपए उन्नीस लाख मात्र) तथा धरोहर राशि भुगतान रु. 1,90,000/- (एक लाख नब्बे हजार मात्र) होगी।

सम्पत्ति की अनुसूची

फ्लैट नं. एसएफ 4, दूसरा तल, रीअर साइड-एमआईजी (छत के अधिकार के साथ), प्लॉट नं. सी-198, एसएलएफ वेद विहार, जिला गाजियाबाद, उ.प्र., पिन-201102 में स्थित फ्लैट, बिस्तार 500 वर्ग फीट (46.45 वर्ग मी.)
पूर्वः अन्य भूमि, पश्चिमः 9 मी. चौड़ी रोड, उत्तरः प्लॉट नं. सी-199, दक्षिणः प्लॉट नं. सी-197

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तें केन फिन होम्स लि. की आधिकारिक वेबसाईट (www.canfinhomes.com) पर दी गई है। कृपया अधोलिखित लिंक https://www.canfinhomes.com/SearchAuction.aspx देखें।

तिथि: 19.8.19
स्थान: नई दिल्ली
हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी
केन फिन होम्स लि.

बिक्री उद्घोषणा
कार्यालयः रिकवरी अधिकारी-I, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली
4था तल, जीवनतारा भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001

आर.सी. नं. 244/2018 तिथि: 30.5.2019

बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा

पंजाब नेशनल बैंक ......आवेदक **बनाम** **मै. गणेश ट्रेडिंग कम्पनी एवं अन्य** ......प्रतिवादीगण

सेवा में,
सीडी नं. 1. मै. गणेश ट्रेडिंग क., सी-180, हरि नगर, नई दिल्ली-110064 द्वारा उसके प्रॉप्राईटर श्री हरमिन्दर गांधी
सीडी नं. 2. श्री हरमिन्दर गांधी, प्रॉप्राईटर मै. गणेश ट्रेडिंग क., सी-180, हरि नगर, नई दिल्ली-110064
सीडी नं. 3. श्री उजागर सिंह, पुत्र श्री खुसिया सिंह, एच-37, आर्य समाज रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली
सीडी नं. 4. श्री रियाजुल हसन, पुत्र मुफीदुल हसन, फ्लैट नं. 1, हरसुख अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली

सूचना

जैसा कि आप पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली द्वारा जारी ओ.ए.नं. 414/2013/डीआरटी-III, दिल्ली में रिकवरी प्रमाणपत्र के अनुसार आपके द्वारा देय रु. 31.5.2013 से लागत, खर्चे तथा 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के साथ रु. 3,62,65,700/- (रुपये तीन करोड़ बासठ लाख पैंसठ हजार सात सौ मात्र) तथा रिकवरी प्रमाणपत्र के अनुसार देय ब्याज एवं लागतों का भुगतान करने में विफल रहे हैं।
2. तथा जैसा कि अधोहस्तक्षरी ने उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि के लिए नीचे तालिका में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।
3. तथा जैसा कि उस पर लागतों तथा ब्याज को छोड़कर रु. 3,62,65,700/- (रुपये तीन करोड़ बासठ लाख पैंसठ हजार सात सौ मात्र) की राशि बकाया है। गुजरात कॉलेज के निकट, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006 गुजरात (भारत) टेलीः +91 07940016800, फैक्सः +91 7940016876
4. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में 03.10.2019 को 3.00 बजे अप. से 4 बजे के बीच (यदि जरूरी हो, समाप्ति से पूर्व अंतिम 5 मिनट में बोली के मामले में स्वतः विस्तार उपबंध के साथ ई-नीलामी द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा यह बोली "ऑन लाइन इलेक्ट्रानिक बोली" के माध्यम से मै. ई-प्रॉक्योर्मेन्ट टेक्नोलॉजीज लि. (एबीसी प्रॉक्योर), ए-201/208, वाल स्ट्रीट-II, ओरिएण्ट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज के निकट, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006 गुजरात (भारत) टेलीः +91 07940016800, फैक्सः +91 7940016876 सम्पर्क श्री नितीश झा, मोबाईल नं. 7982880393, ईमेलः delhi@auctiontiger.net के द्वारा की जायेगी।
5. किसी भी प्रकार की पूछताछ तथा सम्पत्ति के निरीक्षण के लिये इच्छुक बोलीदाता डीआरटी-III, दिल्ली (पवन कुमार, सहायक) से सम्पर्क कर सकते हैं।
6. यह बिक्री नीचे तालिका में नामित उपरोक्त प्रतिवादियों की संपत्ति की होगी तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी देयताएं एवं दावे, जो अब तक सुनिश्चित हैं, वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।
7. संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट लॉट में बिक्री पर रखा जाएगा। यदि वसूल की जाने वाली राशि संपत्ति के भाग की बिक्री से पूरी हो जाती है तो शेष के मामले में तुरंत बिक्री रोक दी जाएगी। यदि बिक्री संचालक अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाए; ब्याज लागत (बिक्री लागत सहित) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो किसी भी लॉट की नीलामी से पूर्व बिक्री तत्काल रोक दी जाएगी।
8. ऐसे किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति बिक्री के सिलसिले में कोई कर्त्तव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बेची जा रही संपत्ति को अर्जित करने के लिए बोली लगाने या कोई हित अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे। यह बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।
9. संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन, इस उद्घोषणा में किसी गलती, त्रुटि अथवा खामी के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।
10. आरक्षित मूल्य जिससे कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी रु. 71,92,800/- (रुपये इकहत्तर लाख बानवे आठ सौ हजार मात्र) है।
11. वह राशि जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जाएगी रु. 1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र) है। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से बिक्री पर लगाया जाएगा।
12. उच्चतम बोलीदाता को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यवहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को स्वीकार/ अस्वीकार कर सकते हैं।
13. रु. 7,19,280/- (रुपये सात लाख उन्नीस हजार दो सौ अस्सी मात्र) ईएमडी का भुगतान 01.01.2019 तक रिकवरी अधिकारी-II, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली के पक्ष में देय डीडी/ पे आर्डर द्वारा रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III दिल्ली के पास किया जायेगा। उसके बाद जमा की गई ईएमडी पर ई-नीलामी में भागीदारी के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
14. बोली आवेदन के साथ पैन कार्ड की प्रति, निवास के प्रमाण तथा पहचान के प्रमाण, ई-मेल आईडी, मोबाईल नं. तथा यदि वे अपनी ओर से या अपने प्रधान की ओर से बोली कर रहे हों तो उद्घोषणा जमा किया जायेगा। बाद में मामले में उन्हें उसका प्राधिकार जमा करना होगा अन्यथा बोली निरस्त कर दी जायेगी तथा कंपनी के मामले में कंपनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी की प्रतिनिधित्व/अटार्नी की पुष्टि करने वाले अन्य कोई दस्तावेज तथा उस जमा की रसीद/ काउंटर फाइल सेवा प्रदाता अथवा सीएच बैंक के पास ई-मेल या अन्य रूप से उक्त तिथि तक पहुंच जाए तथा उसकी हार्ड कॉपी, **रिकवरी अधिकारी II, डीआरटी-III, दिल्ली** के पास जमा की जायेगी।
15. सफल बोलीदाता को अगले बैंक कार्य दिवस के 3.00 बजे अप. तक उक्त खाता में ईएमडी समायोजित करने के बाद ऊपर वर्णित विवरणों के अनुसार अपनी अंतिम बोली राशि के 25% का भुगतान करना होगा।
16. सफल उच्चतम बोलीदाता को संपत्ति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन या उससे पूर्व तथा यदि 15वां दिन अवकाश या रविवार होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम बैंक कार्य दिवस में ऊपर पैरा 4 में वर्णित निर्धारित प्रक्रिया में अंतिम बोली राशि के शेष 75% का भुगतान करना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त क्रेता को रु. 1000/- तक 2% की दर से तथा रु. 1000/- की उक्त राशि के अधिक पर 1% की दर से रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में डीडी के माध्यम से रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के पास पाउंडेज शुल्क का भी भुगतान करना होगा।
17. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे को डेफ्रे करने के बाद यदि अधोहस्ताक्षरी उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस संपत्ति अथवा उस राशि जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी के प्रति अपने सभी दावे से वंचित हो जाएंगे।
18. असफल बोलीदाता को निर्देश दिया जाता है कि तदनुसार आरसी की सुनवाई की अनुसूचित/परवर्ती तिथि को या उससे पूर्व डीआरटी-III के रजिस्ट्री में पहचान के प्रमाण के साथ एक आवेदन दाखिल करें जो तदनुसार, आरसी की सुनवाई की अनुसूचित/परवर्ती तिथि को वापस लौटाई जायेगी।
19. सीएच बैंक को निर्देश दिया जाता है कि यहां दिये गए विवरणों की सत्यता को प्रमाणित तथा जाँच करें।
20. संपत्ति की बिक्री **'जैसा है जहां है तथा जो भी वहां है'** आधार पर की जा रही है।
21. अधोहस्ताक्षरी को किसी या सभी बोली को स्वीकार करने अथवा अनुपयुक्त पाते हैं तो अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है। अंतिम सुनवाई के लिये माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष एक अपील लम्बित है।

लॉट नं.	सह-ऋणधारकों जहाँ सम्पत्ति चूककर्ता का है तथा सह-स्वामी के रूप में किसी अन्य व्यक्ति के नाम के साथ बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण	संपत्ति या उसके किसी भाग पर गणना की गई राजस्व	ऐसा किसी अधिभारों का विवरण जो संपत्ति पर देय है	दावे, यदि कोई हो, जिसे संपत्ति पर रखा गया हो तथा उस प्रकृति एवं मूल्य के अन्य कोई ज्ञात विवरण
	सम्पत्ति सं. सी-81, भूमि माप 150 वर्ग यार्ड्स, खसरा नं. 452/28 का भाग जो खजान बस्ती, नई दिल्ली में स्थित है।	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

मेरे हाथ से तथा मुहर लगाकर 9 अगस्त, 2019 को दी गई।

(विकास जेटली)
रिकवरी अधिकारी-II

संकट और सवाल

अभी महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और केरल की भयावह बाढ़ का पानी उतरा भी नहीं है कि पहाड़ी राज्य- हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड इस प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गए हैं। हिमाचल में बारिश और इससे हुए हादसों में बाईस लोग मारे जा चुके हैं, जबकि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटने से बीस से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। पिछले कुछ सालों से पहाड़ी इलाकों में बारिश का मौसम बड़ा कहर बन कर टूटता रहा है और जानमाल का भारी नुकसान देखने को मिला है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ से सबसे ज्यादा खतरा जमीन धंसने और पहाड़ों के टूट-टूट कर गिरने का होता है। समस्या तब और विकराल रूप धारण कर लेती है जब दूरदराज के इलाकों में इस तरह की आपदाओं में लोग फंस जाते हैं और उन तक राहत नहीं पहुंच पाती है। बड़ी-बड़ी चट्टानें रास्तों को अवरुद्ध कर देती हैं। कच्चे-पक्के घर तक चट्टानों के नीचे दब जाते हैं। पहाड़ों का जीवन यों भी मुश्किलों भरा होता है, ऐसे में बारिश, बाढ़, भूस्खलन जैसे कुदरती संकट जिंदगी को और कठिन बना देते हैं।

हिमाचल और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों की भौगोलिक स्थिति भी कम जोखिम भरी नहीं है। कहा जा रहा है कि इस बार हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और इसके आसपास जितनी बरसात हुई है, उतनी सत्तर साल में कभी नहीं हुई। यानी रिकार्ड तोड़ बारिश हुई और आने वाले दिनों में भी ऐसी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग को इतनी ज्यादा बारिश का अनुमान पहले नहीं रहा होगा, वरना चेतावनी जारी होती और प्रशासन समय रहते बचाव के उपाय करता। बारिश और भूस्खलन से हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में सड़कें और पुल पानी में बह गए हैं और रास्ते बंद हो गए हैं। शिमला शहर में ही कई जगहों पर जमीन धंसने की घटनाएं हुईं जिनमें बड़ी संख्या में वाहन दब गए। दूरदराज के इलाकों में लोग जान जोखिम में डालते हुए अपने स्तर पर ही बचाव के तरीके अपनाते हैं। लेकिन कई बार इसी में जान भी चली जाती है। नदी-नालों का तेज बहाव लोगों को भी बहा ले जाता है। पहाड़ी इलाकों में सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि रास्ते बंद हो जाने से ज्यादातर हिस्सों का एक दूसरे से संपर्क टूट जाता है और किसी अनहोनी की खबर तक नहीं मिल पाती।

पहाड़ी इलाकों में इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं अब ज्यादा गंभीर रूप इसलिए भी लेने लगी हैं कि लोगों ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। औसत से ज्यादा बारिश होने को लेकर एक मोटी धारणा यह बनी है कि यह जलवायु संकट यानी धरती के बढ़ते तापमान का दुष्परिणाम है और इसी वजह से हिमालयी क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन भी इससे अछूते नहीं हैं। ऐसे में भारी बारिश या हिमपात से कोई नहीं बचा सकता। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य पर्यटन के बड़े ठिकाने हैं। पहाड़ों पर बहुमंजिला इमारतें, होटल जिस कदर छा रहे हैं, वह चिंताजनक है। इनमें से ज्यादातर निर्माण अवैध होते हैं। बारिश के बाद भूस्खलन जैसी घटनाएं पहाड़ों पर बढ़ते ऐसे ही दबाव का नतीजा हैं। जंगलों के दोहन ने बाढ़ जैसी समस्याओं को न्योता दिया है। सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती यह है कि अब प्राकृतिक आपदाएं जिस तरह से आती हैं और संकट खड़े करती हैं उनसे बचाव के नए तरीके खोजें। पिछली घटनाओं से सबक लें, ताकि जानमाल के नुकसान को न्यूनतम किया जा सके। लोगों को बचाना है तो इसके लिए पहले पहाड़ों को बचाना होगा।

आतंक का सिलसिला

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक विवाह समारोह के दौरान आत्मघाती बम विस्फोट में तिरसठ लोगों के मारे जाने और करीब दो सौ लोगों के बुरी तरह घायल होने के बाद एक बार फिर यह सवाल उठा है कि वहां जिस शांति प्रक्रिया की कवायदें चलने की बातें की जा रही हैं, उनका हासिल क्या है! एक शादी और उसमें शामिल होने के लिए आए आम लोगों के लिए यह थोड़ा खुश होने का मौका था, लेकिन इस आतंकी हमले ने एक समारोह को मातम का आयोजन बना दिया। सवाल है कि अगर आतंकवादी संगठनों का कोई राजनीतिक मकसद है तो उसमें स्थानीय आबादी के लिए क्या जगह है? व्यापक पैमाने पर इस तरह की तबाही मचा कर वे लोगों के बीच अपने बारे में क्या संदेश छोड़ना चाहते हैं? ऐसी घटनाओं से साफ है कि इन आतंकी हमलों का मकसद सिर्फ आम लोगों की हत्या करना या उनकी जिंदगी को त्रासद बनाना है। अगर खौफ पैदा करके ये संगठन अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं तो उसकी बुनियाद कैसी होगी!

दरअसल, अफगानिस्तान में अल कायदा और तालिबान के आतंक से उपजी समस्या लंबे समय से लगातार बनी हुई है। इस बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साथ अफगानिस्तान सरकार ने इन हमलों पर काबू पाने या रोकने की जितनी भी कोशिशें की हैं, वे आमतौर पर नाकाम हुई हैं। सही है कि अफगानिस्तान आज अगर आतंकवाद की मार से तबाह है तो उसमें तालिबान का रवैया सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। लेकिन हाल के वर्षों में आइएसआइएस ने भी वहां अपने पांव फैलाए हैं। यों कहीं भी कोई बड़ी आतंकवादी घटना होती है और उसमें ज्यादा लोग मारे जाते हैं तो उस इलाके में काम करने वाले आतंकी संगठनों के बीच इसका श्रेय लेने की होड़ मच जाती है। लेकिन काबुल में हुए ताजा आतंकी हमले की निंदा करते हुए तालिबान की ओर से यह बयान आया कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है तो घटना के बाद आइएस ने इसकी जिम्मेदारी लेने में कोई कोताही नहीं की। दूसरी ओर, हाल ही में काबुल में ही एक बम धमाके में चौदह लोगों की मौत हो गई और डेढ़ सौ लोग घायल हो गए थे और उस हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने ली थी।

ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान में मौजूद आतंकवादी संगठनों के बीच वर्चस्व के लिए कोई होड़ चल रही है, जिसके शिकार आम लोग हो रहे हैं। लेकिन इस आतंक से निपटने की रणनीति में वह कौन-सी कमी है जिसकी वजह से ऐसे संगठनों के आतंक पर लगाम नहीं लग पा रही है? यह ध्यान रखने की जरूरत है कि दुनिया भर में आइएसआइएस या तालिबान जैसे कोई भी संगठन, जो मजहबी आधार पर खुद को किसी खास समुदाय का चेहरा बताते हैं, उन्हें किसी धार्मिक त्योहार या सामाजिक समारोह में भी बड़े पैमाने पर आम लोगों की हत्या करने में संकोच नहीं होता। सच यह है कि नफरत या खौफ की राजनीति और निर्दोष लोगों की हत्या कर फैलाए गए आतंक के सहारे अपना प्रभाव बढ़ाने वाले किसी भी संगठन की नजर में वास्तव में धर्म की कोई अहमियत नहीं होती। विडंबना यह है कि ये हमले ऐसे हालात में हो रहे हैं जब तालिबान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता चल रही है, जिसका घोषित मकसद ही बीते दो दशक से जारी हिंसा और आतंकवाद को खत्म करना है। सवाल है कि जब दोनों पक्षों की ओर से बातचीत में सकारात्मक प्रगति का संकेत दिया जा रहा है, तो ऐसे समय में इन आतंकी हमलों और उनमें भारी तादाद में मासूम लोगों की हत्या के पीछे क्या वजहें हो सकती हैं?

कल्पमेधा

बिना निराश हुए ही हार को सह लेना पृथ्वी पर साहस की सबसे बड़ी परीक्षा है।

-आरजी इंगरसोल

अक्षय ऊर्जा : विकल्प और चुनौतियां

योगेश कुमार गोयल

भारत में अपार मात्रा में जैवीय पदार्थ, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस व लघु पनबिजली उत्पादक स्रोत हैं लेकिन इनसे ऊर्जा उत्पादन करने वाले उपकरणों का निर्माण देश में नहीं के बराबर होता है। अभी तक ऐसे अधिकांश उपकरण आयात किए जाते हैं। विगत तीन वर्षों में सौर ऊर्जा के लिए ही करीब नब्बे फीसद उपकरण आयात किए गए। इससे बिजली उत्पादन की लागत काफी बढ़ जाती है, जिसका सीधा-सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है।

ऊर्जा आज पूरी दुनिया में आधुनिक जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। ऊर्जा के बिना आधुनिक सभ्यता की कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि इसी से विकास के नए-नए रास्ते निकलते हैं। हमारा समस्त जीवन अब इसी ऊर्जा पर निर्भर है। पृथ्वी पर ऊर्जा के परंपरागत साधन बहुत ही सीमित रह गए हैं। ऐसे में यह खतरा मंडरा रहा है कि अगर ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का इसी प्रकार दोहन किया जाता रहा तो इन परंपरागत स्रोतों के समाप्त होने पर गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी और ऊर्जा के बिना आधुनिक सभ्यता के अस्तित्व पर ही बहुत बड़ा प्रश्नचिह्न लग जाएगा। आधुनिकता की ओर तेजी से बढ़ती दुनिया के लिए ऊर्जा के इन स्रोतों और संसाधनों का उपयोग करना जरूरी भी है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर आने वाले समय में परंपरागत ऊर्जा के स्रोत समाप्त हो गए तो हम क्या करेंगे? आने वाले वक्त की इसी समस्या के मद्देनजर अब ऊर्जा के ऐसे गैर परंपरागत स्रोतों की खोज करना बेहद जरूरी हो गया है जिनका क्षय भी न हो और वे प्रदूषणकारक भी न हों।

ऊर्जा का पर्यावरण से सीधा संबंध है। कोयला, गैस, पेट्रोलियम इत्यादि ऊर्जा के परंपरागत साधन सीमित मात्रा में होने के साथ-साथ पर्यावरण के लिए भी बहुत हानिकारक साबित हो रहे हैं। अक्षय ऊर्जा, जिसे 'नवीकरणीय ऊर्जा' के नाम से भी जाना जाता है, वास्तव में ऐसी ऊर्जा है जिसके स्रोत सूर्य, जल, पवन, ज्वार-भाटा, भू-ताप आदि हैं और ये स्रोत प्रदूषणकारक नहीं होते। इनका कभी क्षय भी नहीं होता। प्रकृति प्रदत्त सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल-विद्युत ऊर्जा, ज्वार-भाटे से प्राप्त ऊर्जा, बायोमास, जैव ईंधन इत्यादि अक्षय ऊर्जा के महत्त्वपूर्ण उदाहरण हैं। हमारे पास अक्षय ऊर्जा के इन विविध स्रोतों का अपार भंडार है और किसी भी राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए इन प्रदूषणरहित स्रोतों का समुचित उपयोग किए जाने की आवश्यकता भी है। यही कारण है कि भारत सरकार ने वर्ष 2004 में अक्षय ऊर्जा के विकास को लेकर जागरूकता अभियान चलाने के उद्देश्य से अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत की थी। आज देश में ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर तेजी से बढ़ रहा है। राष्ट्रीय पावर पोर्टल के अनुसार वर्तमान में देश में साढ़े तीन लाख मेगावाट से भी अधिक बिजली का उत्पादन किया जा रहा है लेकिन यह भी हमारी कुल मांग से करीब ढाई फीसद कम है। अक्षय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देने से हमारी ऊर्जा की मांग एवं आपूर्ति के बीच का अंतर भी खत्म हो जाएगा और इससे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक जीवन स्तर में भी सुधार होगा।

अक्षय ऊर्जा उत्पादन की देशभर में कई छोटी-छोटी इकाइयां हैं जिन्हें एक ग्रिड में लाना बेहद चुनौतीभरा काम है। इससे बिजली की गुणवत्ता प्रभावित होती है। भारत में अपार मात्रा में जैवीय पदार्थ, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस व लघु पनबिजली उत्पादक स्रोत हैं लेकिन इनसे ऊर्जा उत्पादन करने वाले उपकरणों का निर्माण देश में नहीं के बराबर होता है। अभी तक ऐसे अधिकांश उपकरण आयात किए जाते हैं। विगत तीन वर्षों में सौर ऊर्जा के लिए ही करीब नब्बे फीसद उपकरण आयात किए गए। इससे बिजली उत्पादन की लागत काफी बढ़ जाती है, जिसका सीधा-सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। इसलिए बेहद जरूरी है कि देश के भीतर ही इन उपकरणों के निर्माण के लिए अपेक्षित कदम उठाए जाएं।

भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित बीसवीं ऊर्जा सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011-12 से 2016-17 के बीच प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 3.54 फीसद बढ़ गई है। आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो वर्ष 2005-06 से 2018-19 के दौरान प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग में करीब दो गुना वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की अप्रैल 2019 की रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 1181 किलोवाट बिजली का उपभोग किया जाता है। इसका एक अहम कारण देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या भी है। विशेषकर बिजली और ईंधन के रूप में उपभोग की जा रही ऊर्जा की मांग घरेलू व कृषि क्षेत्र के अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में भी लगातार बढ़ रही है। औद्योगिक क्षेत्रों में ही बिजली और पेट्रोलियम जैसे ऊर्जा के महत्त्वपूर्ण स्रोतों का करीब 58 फीसद उपभोग किया जाता है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र और घरेलू कार्यों में भी ऊर्जा की मांग और खपत पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ी है।

हम जिस बिजली से अपने घरों, दुकानों या दफ्तरों को रोशन करते हैं, जिस बिजली या पेट्रोलियम इत्यादि ऊर्जा के अन्य स्रोतों का इस्तेमाल कर खेती-बाड़ी या उद्योग-धंधों के जरिए देश को विकास के पथ पर अग्रसर किया जाता है, क्या हमने कभी सोचा है कि वह बिजली या ऊर्जा के अन्य स्रोत हमें कितनी बड़ी कीमत पर हासिल होते हैं? यह कीमत न सिर्फ आर्थिक बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी धरती पर विद्यमान हर प्राणी पर बहुत भारी पड़ती है। भारत में थर्मल पावर स्टेशनों में बिजली पैदा करने के लिए कोयला, सौर ताप, नाभिकीय ताप, कचरे और बायो ईंधन का उपयोग किया जाता है। लेकिन अधिकांश बिजली कोयले के इस्तेमाल से ही पैदा होती है। ताप बिजली घरों में भाप पैदा करने के लिए कोयला जलाने से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है क्योंकि इस प्रक्रिया में निकलने वाली हानिकारक गैसें हवा में मिल कर पर्यावरण को बुरी तरह प्रदूषित करती हैं, साथ ही कोयला या अपशिष्ट जलाने के बाद बचने वाले अवशेषों के निबटारे की भी बड़ी चुनौती बनी रहती है। सार्वजनिक क्षेत्र के सवा सौ से भी अधिक थर्मल पावर स्टेशनों में प्रतिदिन करीब 18.17 लाख टन कोयले की खपत होती है। अमेरिका के वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के एक शोध के अनुसार वर्ष 2005 से 2013 के बीच भारत में 25.54 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ और उस दौरान उसमें प्रतिवर्ष साढ़े पांच फीसद की वृद्धि भी होती रही। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2005 से 2013 के बीच कुल कार्बन उत्सर्जन में 68 फीसद की प्रमुख वजह ऊर्जा क्षेत्र ही रहा। यहां उल्लेखनीय तथ्य यह है कि ऊर्जा क्षेत्र में सतहत्तर फीसद कार्बन उत्सर्जन बिजली उत्पादन से ही होता है। इन्हीं पर्यावरणीय खतरों को देखते हुए बिजली पैदा करने के लिए दुनियाभर में अब सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा के अन्य स्रोतों को विशेष महत्त्व दिया जाने लगा है।

आईसलैंड आज दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन चुका है जहां अक्षय ऊर्जा से ही सौ फीसद बिजली पैदा की जा रही है। इसके अलावा स्वीडन, जर्मनी, ब्रिटेन, कोस्टारिका, निकरागुआ, उरुग्वे इत्यादि देश भी आगामी दो वर्षों के भीतर अक्षय ऊर्जा से ही सौ फीसद बिजली उत्पादन के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यूरोपीय संघ और अमेरिका भी कोयले से बिजली बनाने वाले अधिकांश बिजली संयंत्रों को बंद करने का फैसला कर चुके हैं। ब्रिटेन में कोयले से चलने वाले जो गिने-चुने बिजलीघर बचे हैं और उन्हें भी 2025 तक बंद कर दिए जाने की उम्मीद है।

भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए अलग मंत्रालय गठित है और 'राष्ट्रीय पवन-सौर स्वच्छता नीति-2018' के अनुसार पवन-सौर ऊर्जा उत्पादन के वर्तमान लक्ष्य अस्सी गीगावाट को वर्ष 2022 तक दोगुने से भी ज्यादा यानी दो सौ पच्चीस गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य है। आज समय है आर्थिक बदहाली और भारी पर्यावरणीय विनाश की कीमत पर ताप, जल व परमाणु ऊर्जा जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के बजाय अपेक्षया बेहद सस्ते और कार्बन रहित पर्यावरण हितैषी ऊर्जा स्रोतों के व्यापक स्तर पर विकास के लिए तेजी से काम हो लेकिन साथ ही हमें ऊर्जा की बचत की आदतें भी अपनानी होंगी।

संवेदना की कीमत

सन्नी कुमार

दुनिया मेरे आगे

हम अक्सर देखते हैं कि कहीं कोई दुर्घटना होती है तो तत्काल हस्तक्षेप करने वालों से अधिक संख्या उन लोगों की होती है जो उसकी तस्वीर ले रहे होते हैं या फिर वीडियो बनाते हैं। कई बार ऐसा करने वालों में हम खुद भी होते हैं। ऐसे काम हमें फौरी तौर पर तो अचरज में डालते हैं, पर धीरे-धीरे इसके प्रति सहजता बढ़ती जा रही है, गोया यह कोई 'सामान्य' बात हो। दरअसल, इस प्रवृत्ति के निर्माण में तकनीकी विकास का भी योगदान है, जिसने एक अलग दुनिया रच दी है। अब हम सब वास्तविक और कृत्रिम, दोनों दुनिया में एक साथ जी रहे होते हैं और इसलिए दोनों ही जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के उद्देश्य से घटनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। यह प्रतिक्रिया अलग-अलग दुनिया के लिए अलग होती है।

तकनीक इतने दबे पांव हमारे जीवन में हस्तक्षेप करती है कि हम आसानी से एक आदत के रूप में उसे स्वीकार कर लेते हैं। इसी तकनीकी विकास से मोबाइल क्रांति आई और हर मोबाइल में कैमरा और इंटरनेट की सुविधा के होने ने एक तरफ फेसबुक और ट्विटर जैसी आभासी दुनिया रची तो दूसरी ओर कैमरे से तस्वीर लेकर या वीडियो बना कर उस दुनिया में हस्तक्षेप करने का अवसर दिया। हर व्यक्ति का यह सहज स्वभाव होता है कि वह सामाजिक घटनाओं के प्रति सक्रिय होना चाहता है और अपने तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करता है।

मानव समुदाय के लिए यह बहुत बुनियादी परिघटना है, क्योंकि इसी विधि से मनुष्य अपने सामाजिक होने की वैधता को पुष्ट कर पाता है। इसलिए जब वह ऐसा नहीं कर पाता है तो एक अपराधबोध का अनुभव करता है कि इस सामाजिक घटना में वह खुद को शामिल नहीं कर पाया। तकनीकी विकास ने उसे इस भाव से निकलने का रास्ता उपलब्ध करा दिया। दरअसल, तस्वीर लेने या वीडियो बनाने जैसी बात उसे इस अपराधबोध से काफी हद तक तटस्थ बना देती है, क्योंकि उस घटना को कैमरे में कैद करना और उसे आभासी दुनिया में पहुंचा देना उसे इस बात का दिलासा देता है कि वह सामाजिक घटनाओं से अनछुआ नहीं है। उसे यह संतोष हो जाता है कि इस घटना में वह एक सजग नागरिक के रूप में जो कुछ कर सकता था, उसने कर दिया।

अपनी सामाजिक भूमिका का निर्वाह कर देने की यही मानसिक संतुष्टि उसे प्रत्यक्ष जीवन में हस्तक्षेप की बजाय आभासी दुनिया में हस्तक्षेप के लिए प्रेरित करती है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह हस्तक्षेप न्यूनतम जोखिम के साथ संपन्न हो जाता है, इसलिए भीरू किस्म के नागरिक समाज में यह प्रवृत्ति और सघन हो जाती है। या फिर जिस समाज में हस्तक्षेप अधिक जोखिम का काम है, वहां ऐसी प्रवृत्ति अधिक देखी जाती है। इस प्रकार, एक ही व्यक्ति एक साथ दो जीवन जी रहा होता है और वह दोनों को इस प्रकार अंतर्संबद्ध किए रहता है कि खास किस्म का संतुलन बना रहे।

तकनीकी विकास ने सिर्फ मनुष्य के सामाजिक प्रतिरूप को ही प्रभावित नहीं किया है, बल्कि मानव जीवन की एकदम बुनियादी संरचना को भी आमूल-चूल ढंग से परिवर्तित किया है। दरअसल, आभासी दुनिया के निर्माण के बाद मानव जीवन में एक और जो बड़ा परिवर्तन आया, वह है स्मृतियों का डिजिटल रूपांतरण। हम मूर्त रूप में जिस इंसानी जीवन को देख रहे होते हैं, वह स्मृतियों से संचालित होता है। अपनी इंद्रियों के माध्यम से मानव समुदाय भौतिक जीवन का जो भी अनुभव महसूस करता है, उसका अमूर्त संकेंद्रण स्मृतियों के रूप में होता रहता है और यही व्यक्तित्व के एक बड़े हिस्से का निर्माण करती हैं।

इस तरह हम जिस संवेदना से किसी चीज का अनुभव करते हैं, वैसी ही स्मृति हमारे अंतस में स्थायी हो जाती है। स्मृति निर्माण में संवेदना सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व है और यही सबसे मानवीय चीज भी है। तकनीकी विकास ने इसी मूल विशेषता को सबसे अधिक चोट पहुंचाई। यह ठीक विपरीत आभासी दुनिया है, जहां स्मृतियां अनुभूतियों के सहारे नहीं सहेजी जा रहीं, बल्कि संवेदनशून्य घटनाओं को कैद भर किया जा रहा है। घटना को कैमरे से कैद कर लेना स्मृति को मानवीय अंतस से सिलिकन चिप में प्रतिस्थापित कर देना है। प्रतिस्थापन का यह क्षण संवेदना-शून्य होता है।

यही वजह है कि हम ऐसी विद्रूप तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर देख पा रहे होते हैं, जब किसी शव या जलती चिता के साथ सेल्फी ली गई हो और ऐसी विचित्रताओं से भी अवगत हो रहे होते हैं जब नितांत निजी पलों को भी स्थायी मानवीय स्मृतियों में संजोने के बजाय उसे 'डिजिटल स्मृति' में बदलने की अधीरता की जा रही होती है। इन सबके मूल में एक ही बात है कि हम वास्तविक दुनिया के साथ-साथ डिजिटल दुनिया में भी बने रहना चाहते हैं। यह एक खतरनाक स्थिति है, क्योंकि इसने मानवता के मूल मर्म पर चोट पहुंचाई है। तकनीकी विकास जरूरी है, पर अगर यह मानवीय संवेदना की कीमत पर हो तो इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।

दावे और हकीकत

पिता रोजाना 'आईटी सेल' के आका के निर्देश पर दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था, मुद्रा योजना से करोड़ों युवाओं को कारोबार मिलने, मेक इन इंडिया से रोजगार मिलने के प्रेरणादायी 'पोस्ट' करते ही रह गए और कंप्यूटर इंजीनियर बेटा साथियों की लगातार हो रही छंटनी से घबरा कर दुनिया को अलविदा कह गया। झारखंड के जमशेदपुर के बाराडीह मंडल भाजपा आईटी सेल के सह संयोजक कुमार विश्वजीत के इकलौते बेटे कुमार आशीष की मौत के पीछे यही कहानी वहां के अखबारों में भी आई है और सोशल मीडिया पर भी चल रही है। यह हैरान करने वाली बात है क्योंकि रोटी, रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर तो हमने अरसे से किसी को बोलते-सुनते नहीं देखा। वैसे भी जब हिंदू-मुसलमान, इमरान-पाकिस्तान, आजम-ओवैसी-टीपू के अलावा नेहरू-सोनिया-राहुल-प्रियंका का सदाबहार राष्ट्रीय मुद्दा हो तो फिर रोजगार, कारोबार जैसे घिसे-पिटे-सड़ेले विषय पर कोई क्यों बोले और सुने!

ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बीस हजार नौकरियां जा चुकी हैं, दस लाख पर तलवार लटकी है। गाड़ियों पर छूट और 'ऑफर्स' की भरमार है, लेकिन ढूंढ़े से नहीं मिल रहा खरीदार है, लिहाजा ठप सारा कारोबार है। रियल एस्टेट सेक्टर तो खैर चार साल से बीमार है, असंगठित क्षेत्र के लाखों सरिया, शटरिंग, ईंट-भट्ठा-चिमनी मजदूर लाचार हैं। आप नोएडा सेक्टर 62 के लेबर चौक पर दिहाड़ी के लिए दोपहर तक इंतजार करते और फिर खाली हाथ वापस घर जाते लोगों को किसी भी दिन देख सकते हैं। कमाई घटी है तो भरपाई के लिए छंटनी निकट भविष्य में तय ही मानिए। अब आप भले कितना ही नारा लगा लें कि गो लोकल, यानी स्थानीय कारोबार को बढ़ावा दें, लेकिन यह घड़ी की सुइयां उल्टी घुमाने जैसा है कि दो दशक गो ग्लोबल और अब गो लोकल! वैश्विक अर्थव्यवस्था डांवाडोल हो रही है तो असर ग्लोबल भी दिख रहा है और लोकल भी दिखना ही है!

रोजगार को लेकर हर सरकार, मौजूदा सरकार भी वादा निभाने में नाकाम रही, भले ही यह बात किसी को चुभे, लेकिन यह सच है। दो करोड़ रोजगार सालाना भी एक चुनावी वादा था, भले ही अब समर्थक दलील दें कि इस वादे से पहले तो सब कलेक्टर थे, लेकिन हमें नहीं लगता कि पूरा कार्यकाल मिला कर भी दो करोड़ नौकरियां मुहैया कराई गई होंगी। निजी क्षेत्र में सत्ता की करीब दो-चार कंपनियों को छोड़ दें तो ज्यादातर खस्ताहाल हैं, सबने मुट्ठी बंद कर रखी है, जबकि सूचकांक-शेयर बाजार सकारात्मक रुझान भी दिखाते रहे हैं। यह विरोधाभास क्यों है?

● *मो ताबिश, जामिया मिल्लिया, नई दिल्ली*

बाढ़ में सेल्फी

इन दिनों देश के अनेक भागों में भारी वर्षा के कारण बाढ़ आई हुई है या नदी-नाले उफान पर हैं। इन नदी-नालों या बाढ़ के पानी का उफान देखने वालों का हुजूम लग जाता है। वहां पर सेल्फी लेते या लापरवाही से मौज-मस्ती करते हुए हादसों में कई लोग मौत के मुंह में समा गए। उफनते हुए नदी-नालों के किनारे सेल्फी लेने या हंसी मजाक करने के कोई सुरक्षित स्थान नहीं हैं। यह लापरवाही पूरे परिवार के लिए महंगी साबित होती है। ऐसी घटनाओं से सबक लेने की जरूरत है।

● *हेमा हरि उपाध्याय, खाचरोद, उज्जैन*

नापाक मंसूबे

तिहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस पर जहां हमारे प्रधानमंत्री ने धारा 370 और 35-ए, तीन तलाक, बढ़ती जनसंख्या की समस्या, आतंकवाद और प्लास्टिक का उपयोग कम करने पर अपने विचार व्यक्त किए वहीं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का स्वतंत्रता समारोह का भाषण कश्मीर, भारत, पुलवामा और बालाकोट पर केंद्रित रहा। गौरतलब है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जर्जर स्थिति में होने के बावजूद इस संबंध में इमरान खान ने जिक्र तक नहीं किया। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के भाषणों की तुलना करने पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पाकिस्तान पहले की तरह अपनी संपूर्ण ऊर्जा भारत के विरुद्ध खपा रहा है, जबकि भारत के कदम देश के विकास और क्षेत्रीय शांति व स्थायित्व की तरफ बढ़ रहे हैं।

पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में अलग-थलग होने के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू-कश्मीर में धारा 370 और 35-ए हटाने को लेकर उसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना रोना रोया, लेकिन जम्मू-कश्मीर भारत का आंतरिक मामला होने के कारण उसने हर जगह मुंह की खाई है। इमरान खान अब इस मुद्दे पर पाकिस्तान का सहयोग नहीं करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को दोषी ठहरा रहे हैं। आजकल उनके ट्वीट केवल भारत, मोदी और कश्मीर के बारे में होते हैं, जो उनकी भारत-द्वेषी विकृत मानसिकता के सूचक हैं। पाकिस्तान को आतंकवाद का पोषण करने वाली हरकतें बंद कर देनी चाहिए और क्षेत्रीय विकास, शांति व स्थायित्व के लिए भारत के साथ कदम से कदम मिलाने चाहिए, ताकि उसकी डांवाडोल हो रही अर्थव्यवस्था और नागरिकों के जीवन में स्तर में सुधार हो सके।

● *ओम प्रकाश डूडी, जोधपुर, राजस्थान*

प्रकृति के साथ

नैनीताल के जिम कार्बेट पार्क में फिल्माए गए बेयर ग्रिल्स के कार्यक्रम 'मैन वर्सेज वाइल्ड' में प्रधानमंत्री बरसात में भी बिलकुल सहज नजर आए। शाकाहारी होने की वजह से जंगल में उन्होंने हर्बल चाय पीकर समय गुजारा। प्रधानमंत्री ने इस शो के जरिए लोगों को प्रकृति की अहमियत समझाई और सभी को प्रकृति से जुड़े रहने के लिए जागरूक बनने का संदेश दिया। इन प्रयासों से अब उत्तराखंड के साथ-साथ विविधताओं से भरे भारत के वन्य जीवन को दुनिया में नई पहचान मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि 'प्रकृति की रक्षा करने से वह इंसान की हिफाजत करती है, छेड़छाड़ करने पर यह खतरनाक साबित होती है। हमें जंगलों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका संरक्षण करना चाहिए। प्रकृति से प्रेम हमारे संस्कार में है।' उम्मीद है, पर्यावरण के प्रति दिया गया उनका संदेश देश के युवाओं को प्रेरित करेगा और भारत के वन्यजीवन के प्रति दुनिया भर के लोगों को लुभाएगा। इससे देश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

● *राजेंद्र कुमावत, जयपुर*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

जरा हट के

विश्व फोटोकॉपी दिवस की पूर्व संध्या पर बीकानेर के एक चौराहे की बेहद खूबसूरत तस्वीर। 'लॉन्ग एक्सपोजर' तकनीक से यह तस्वीर ली गई है।

बोल

यदि चीन के राष्ट्रपति शी प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करेंगे तो हांगकांग समस्या का सुखद अंत होगा। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है।
-डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति

विवाद

हमारा भविष्य बाहर तय नहीं किया जा सकता है, अफगानिस्तान की किस्मत का फैसला उसके घर में किया जाएगा। हम नहीं चाहते कि कोई हमारे मामले में दखल दे।
-अशरफ गनी, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति

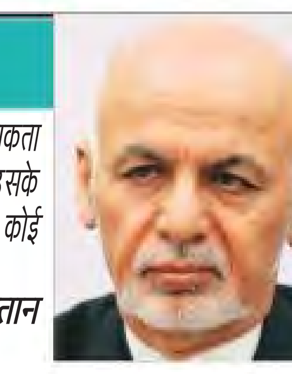

सम-सामयिक

अर्थव्यवस्था : गिरावट रोकने के क्या हैं रास्ते

जनसत्ता संवाद

देश की अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता है। शेयर बाजार में गिरावट जारी है। वाहन उद्योग पर मंदी की मार सबसे ज्यादा पड़ी है। अर्थशास्त्री लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत पर चिंता जता रहे हैं। बड़े पैमाने पर मंदी और चार दशक की उच्च बेरोजगारी झेल रही है भारतीय अर्थव्यवस्था। देश में बेरोजगारी 45 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है।

वाहन उद्योग क्षेत्र मंदी की चपेट में है। यह बात मई-जून के आंकड़ों से ही जाहिर होने लगी थी। जून के आंकड़ों के मुताबिक ही देश में वाहनों की बिक्री पिछले 19 साल के न्यूनतम स्तर पर थी। लेकिन, जुलाई-अगस्त में आए आंकड़े और डराने वाले हैं। वाहन उद्योग क्षेत्र का बैरोमीटर मानी जाने वाली मारुति सुजुकी की बिक्री में करीब 36 फीसद की कमी दर्ज की गई है। वाहन उद्योग क्षेत्र में तीन से चार लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। पूरे देश में 250 से ज्यादा वाहन डीलरशिप की इकाइयां बंद हो चुकी हैं।

भवन निर्माण क्षेत्र में भी ऐसे ही हालात हैं। देश के तीस बड़े शहरों में करीब 12.75 लाख मकान बनकर तैयार हैं, लेकिन उनका कोई खरीददार नहीं है। नोटबंदी, जीएसटी की मार के बाद सरकार ने बजट में इस क्षेत्र को कुछ राहत दी, जो अप्रभावी साबित हुए। शेयर बाजार ने एक महीने में गिरने का पिछले 17 साल का रिकार्ड तोड़ दिया है। बजट में अमीरों पर लगाए गए सुपर रिच टैक्स के दायरे में आने के कारण विदेशी निवेशक लगातार भारतीय शेयर बाजारों से अपना पैसा निकाल रहे हैं।

सरकार के द्वारा जारी आर्थिक आंकड़ों की विश्वसनीयता पर बहसें होती रही हैं। विकास की रफ्तार, रोजगार के आंकड़े वगैरह के बारे में स्वतंत्र अर्थशास्त्री कुछ और कह रह थे और सरकार का पक्ष इन पर कुछ और रहा। अब तो कैग ने भी खस्ताहाली की बात कह दी है। कैग का कहना है कि सरकार ने ऑफ बजटिंग (ऐसे मद से पैसे की व्यवस्था जो बजट प्रस्ताव में नहीं होती, लेकिन सरकार की देनदारी का हिस्सा होती है) के सहारे अपना राजकोषीय घाटा 3.4 फीसद दिखाया है। लेकिन, अगर ऑफ बजटिंग के कर्ज को भी जोड़ दिया जाए तो यह घाटा 5.9 फीसद तक पहुंच सकता है।

कॉरपोरेट जगत के दिग्गज सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ मुखर हैं। बजाज ऑटो के चेयरमैन राजीव बजाज ने ऑटो इंडस्ट्री पर सरकार की नीति पर तंज कसते हुए यह कहा कि जब ऑटो इंडस्ट्री संकट में है तब सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की बात कर रही है। उनके पिता राहुल बजाज ने अर्थव्यवस्था के पूरे परिदृश्य पर कहा, 'न मांग है और न कोई निजी निवेश हो रहा है। ऐसे में विकास दर कहां से आएगी। वह स्वर्ग से तो टपकेगी नहीं।' बजाज के बाद एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन दीपक पारेख, लार्सन एंड टूब्रो के चेयरमैन एएम नाइक सरीखे लोग भी अर्थव्यस्था को लेकर चिंता जता चुके हैं।

फौरी राहत नाकाफी

अर्थव्यवस्था में सुस्ती चौतरफा है। इसे सिर्फ ब्याज दर घटाने जैसे मौद्रिक उपायों से काबू कर पाना संभव नही होगा। बाजार में खरीदारी बढ़ाने के लिए दीर्घावधि के उपाय करने की जरूरत है। उत्पादन और रोजगार बढ़ाने वाले क्षेत्रों को बूस्टर डोज देना होगा।

छोटे शहरों से भी लघु उद्योगों को लेकर अच्छी खबरें नहीं है। सूरत के हीरा उद्योग में काम करने वाले कामगारों की एसोसिएशन ने उन 13 हजार लोगों की सूची जारी की है जो पिछले कुछ महीनों में बेरोजगार हो गए हैं। जमशेदपुर के अपने प्लांट में टाटा मोटर्स ने काम बंद कर दिया है। इससे आसपास की वे तमाम इकाइयां, जो टाटा मोटर्स को अपने उत्पाद सप्लाई करती थीं, बंद होने के कगार पर आ गई हैं। ऑक्सफोर्ड से शिक्षित अर्थशास्त्री पुलापरे बालाकृष्णन ने अपने ताजा शोधपत्र में कहा कि साल 2014 से ही सूक्ष्म-आर्थिक (मैक्रोइकोनॉमिक) नीतियां अर्थव्यवस्था को सिकुड़ाने वाली रही हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ उच्च स्तरीय बैठकें की हैं। प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री से शेयर बाजार में आई गिरावट, आर्थिक धीमेपन और ऑटो सेक्टर्स में जान फूंकने के लिए समीक्षा कर ठोस कदम उठाने को कहा है। भारतीय रिजर्व बैंक लगातार रेपो रेट में कमी कर रहा है, लेकिन उसका असर नहीं दिख रहा है। डूबते धन के संकट से जूझ रहे बैंक ब्याज दर घटाने को तैयार नहीं हो रहे हैं।

शोध-अनुसधान

सेंसर...जो पसीने से करेगा सेहत की निगरानी

जनसत्ता संवाद

सेंसर के माध्यम से शरीर में पानी की कमी को भी जाना जा सकेगा। इस अनोखे सेंसर को हेल्थ केअर के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि यह सेंसर रक्त परीक्षण की जगह ले सकता है।

आप कितने स्वस्थ हैं, इसकी जानकारी के लिए हर महीने रुटीन चेकअप करना बेहद जरूरी होता है। जहां डॉक्टर अमूमन रक्त और पेशाब की जांच करवाने की सलाह देते हैं। वहीं, वैज्ञानिकों ने एक अनोखा सेंसर विकसित करने का दावा किया है जो आपके पसीने से आपकी सेहत का राज बता देगा।

वैज्ञानिकों के मुताबिक यह सेंसर पता लगा सकता है कि आपके पसीने में क्या है और आपकी सेहत कैसी है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि पसीने की निगरानी से किसी बीमारी का पता लगाने के लिए रक्त निकालने की आवश्यकता को दरकिनार किया जा सकेगा और इससे निर्जलीकरण (डिहाइड्रेशन) या थकान जैसी स्वास्थ्य समस्याओं में तुरंत जानकारी मिल सकेगी।

लॉरेंस बर्कले राष्ट्रीय प्रयोगशाला में वैज्ञानिक और यूसी बर्कले में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान के प्रोफेसर और वरिष्ठ लेखक अली जेवी ने कहा कि 'इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य केवल सेंसर विकसित करना ही नहीं था, बल्कि कई विषयों पर अध्ययन की शुरुआत करना था। साथ ही यह पता लगना था कि पसीना हमारे शरीर के बारे में क्या जानकारी दे सकता है, मैंने हमेशा पसीने की 'डिकोडिंग' संरचना के बारे में बात की है।' उन्होंने कहा, 'इसके लिए, हमें ऐसे सेंसर चाहिए जो विश्वसनीय हों, पुनरुत्पादनीय और इसे हम बड़े पैमाने पर बना सकें ताकि हम शरीर के विभिन्न स्थानों में कई सेंसर लगा सकें और उन्हें परख सकें।'

इस नए सेंसर में एक स्पाइरलिंग माइक्रोस्कोपिक ट्यूब या माइक्रोफ्लुइडिक होता है, जो त्वचा से पसीना इकट्ठा करता है। माइक्रोफ्लुइड के माध्यम से किसी व्यक्ति के शरीर से पसीना कितनी तेजी से निकलता है इस पर नजर रखी जा सकती है। कोई व्यक्ति कितना पसीना बहा रहा है या उसके पसीने की क्या दर है इस बारे में सेंसर बताता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक माइक्रोफ्लुइडिक्स पसीने में पोटेशियम और सोडियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स की सांद्रता और ग्लूकोज के चयापचय का पता लगा सकता है।

कुछ इस तरह का दिखेगा सेंसर (फाइल फोटो)

शोधकर्ताओं ने सेंसर को परखने के लिए वह स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी देता है या नहीं इसके लिए व्यायाम कर रहे लोगों के शरीर के विभिन्न जगहों जैसे ललाट, अग्र-भुजाओं, कांख और पीठ के ऊपर लगा दिया। सेंसर से लोगों की पसीने की दर, पसीने में सोडियम और पोटेशियम का स्तर को मापा गया। उन्होंने पाया कि सेंसर के जरिए व्यायाम के दौरान किसी व्यक्ति के शरीर से कितना पानी निकला है इसका पता चलता है। इसके अलावा सेंसर का उपयोग कर एक स्वस्थ और मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति के पसीने के ग्लूकोज के स्तर और रक्त शर्करा के स्तर की तुलना की गई।

भारतीय मूल की शोधकर्ता मल्लिका बड़िया ने उम्मीद जताई है कि यह सेंसर भविष्य में मधुमेह में लगातार रक्त की जांच की जगह ले सकता है।

हालांकि, अभी यह पता चला है कि पसीने और शरीर के शुगर लेवल के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है। शोधकर्ताओं ने सेंसर के माध्यम से डायबिटीज के रोगियों के पसीने में शुगर लेवल का पता लगाया और पाया कि पसीने के शुगर लेवल से रक्त के शुगर लेवल का पता नहीं चल सकता है।

'साइंस एडवांस' पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में शोधकर्ताओं की टीम ने नए सेंसर डिजाइन का वर्णन किया है जिसके मुताबिक 'रोल-टू-रोल' प्रसंस्करण तकनीक का उपयोग इसे आसानी से निर्मित किया प्लास्टिक की सीट पर इस तरह से सेंसर बनाए जा सकते हैं जैसे कि कोई अखबार पर शब्दों की प्रिंट करता है।

विश्व परिक्रमा

चीन पहुंचा 'लेकीमा' तूफान, 13 लोगों की मौत

रविवार, 11 अगस्त : शक्तिशाली 'लेकीमा' तूफान शनिवार तड़के चीन के झिजियांग प्रांत पहुंचा और इसकी वजह से 13 लोगों की मौत हो गई और 16 लापता हैं। चीन के सरकारी मीडिया ने यह बताया कि तूफान 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ने के साथ कमजोर होगा।

हांगकांग में प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस

सोमवार, 12 अगस्त : हांगकांग के दो हिस्सों में रविवार की दोपहर सड़कों पर उतरे लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंस गैस के गोले छोड़े। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों पर ईंटों से हमला किया और सड़क जाम कर दिया।

चीन ने कश्मीर मुद्दे से बनाई दूरी

मंगलवार, 13 अगस्त : हाल ही में पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी चीन गए थे और उन्होंने चीन से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद बयान जारी करने एवं दखल देने की गुजारिश की थी। लेकिन चीन ने द्विपक्षीय मसले को शांति से निपटाने की बात कह इस मुद्दे पर दूरी बना ली है।

इमरान खान

ट्रंप और सुरक्षा परिषद ने भी पल्ला झाड़ा

बुधवार, 14 अगस्त : कश्मीर पर मध्यस्थता का बयान देकर विवाद खड़ा करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि अब वे मध्यस्थता नहीं करेंगे। दूसरी ओर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी इस मुद्दे से पल्ला झाड़ लिया है। संरा सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष देश पोलैंड ने कश्मीर मुद्दे को भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा करार दिया है।

इमरान ने विश्व समुदाय पर सवाल उठाया

गुरुवार, 15 अगस्त : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर मुद्दे पर विश्व समुदाय की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए बुधवार को कहा कि वह कश्मीर की आवाज बनेंगे और मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सहित हर वैश्विक मंच पर उठाएंगे।

चीन के सैनिकों ने परेड निकाली

शुक्रवार, 16 अगस्त : चीन के हजारों सैन्यकर्मियों ने हांगकांग की सीमा के पास शहर के खेल स्टेडियम में लाल झंडा फहराते हुए गुरुवार को परेड निकाली। ब्रिटेन में चीन के राजदूत लियू शिआओमिंग ने कहा कि यदि हांगकांग में संकट नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो चीन हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगा।

संरा बैठक से पहले इमरान ने की ट्रंप से बात

शनिवार, 17 अगस्त : कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बंद कमरे में बैठक शुरू हो गई है। बैठक शुरू होने से कुछ देर पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिकी राष्ट्रपति से टेलीफोन पर बातचीत की। बंद कमरे में बैठक का कोई औपचारिक महत्त्व नहीं होता। सुरक्षा परिषद के नौ सदस्य देश भारत के पक्ष में खड़े हो गए हैं।

जानें-समझें

जनसंख्या पर चिंता: चुनौतियों का मंथन कितना है जरूरी

दीपक रस्तोगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जनसंख्या विस्फोट के मुद्दे को उठाया। उन्होंने छोटा परिवार रखने वाले लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि यह भी देशभक्ति है। इसके बाद से जनसंख्या का सवाल अचानक सुर्खियों में आ गया है। देश के 17 प्रदेशों में 18 जगह जनसंख्या शोध केंद्र काम कर रहे हैं। छह जनसंख्या शोध केंद्र तो देश के छह विश्वविद्यालयों में ही चल रहे हैं। अब इन शोध केंद्रों में अचानक हलचल बढ़ जाना तय है। जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों पर बहस तेज होनी संभावित है। इससे पहले देखना जरूरी होगा कि भारत सरकार के हालिया आंकड़ों में जनसंख्या को कितना बड़ा विस्फोट माना गया है, क्या कहते हैं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे, आर्थिक सर्वे, जनगणना और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या विभाग के आंकड़ें।

संसाधनों की चिंता

अगली जनगणना वर्ष 2021 में होनी है। हालांकि, दुनियाभर में तमाम जनसंख्या घड़ियां चल रही हैं, जो हर सेकेंड की आबादी बता रही हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं इस मामले में हर देश पर लगातार नजर रखती हैं। इन सबके आंकड़ों के मुताबिक, अपने देश की आबादी 133 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। क्या इतनी आबादी के लिए हमारे पास संसाधन हैं। संसाधनों की एक सीमा है। 32 करोड़ हेक्टेयर जमीन और प्रकृति से बारिश में मिलने वाला 4000 अरब घनमीटर पानी उतने ही हैं, लेकिन आबादी आजादी के समय 36 करोड़ से बढ़कर 133 करोड़ को पार कर रही है। एक उदाहरण से तसवीर और साफ होगी। आजादी के समय प्रति व्यक्ति 5000 घनमीटर पानी उपलब्ध था। लेकिन पौने चार गुनी आबादी बढ़ने से आज पानी की उपलब्धता लगभग एक चौथाई यानी लगभग 1300 घनमीटर प्रति व्यक्ति रह गई है।

ठंडे बस्ते से निकली आयोग की रिपोर्ट

जनसंख्या विस्फोट पर काबू पाने के लिए वेंकटचलैया आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग की जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में 11 सदस्यीय संविधान समीक्षा आयोग (वेंकटचलैया आयोग) ने दो साल में अपनी रिपोर्ट दी थी। इसी आयोग के सुझाव पर मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार और भोजन का अधिकार जैसे महत्त्वपूर्ण कानून बनाए गए, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून पर संसद में चर्चा नहीं हुई। आयोग ने संविधान में अनुच्छेद 47ए जोड़ने और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का सुझाव दिया था। इस आयोग में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जस्टिस वेंकटचलैया (अध्यक्ष), जस्टिस सरकारिया, जस्टिस जीवन रेड्डी और जस्टिस पुन्नैया (सदस्य) थे। पूर्व अटॉर्नी जनरल केशव परासरन एवं सोली सोराब, लोकसभा के महासचिव सुभाष कश्यप, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा, सुमित्रा महाजन, पत्रकार सीआर ईरानी और अमेरिका में भारत के राजदूत रहे वरिष्ठ नौकरशाह आबिद हुसैन भी इस आयोग के सदस्य थे। वेंकटचलैया आयोग ने 31 मार्च 2002 को अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपी थी। आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट गृह मंत्रालय से जवाब मांग चुका है।

क्या है जानकारों की राय

फाइल फोटो

प्रजनन दर कम हो रही है, जच्चा-बच्चा मृत्युदर में कमी आई है। हमें जन्म दर घटाने की जगह विकास के मानकों पर काम करना होगा। कई पॉकेट्स में जच्चा-बच्चा मृत्युदर के आंकड़े भयावह हैं। जब तक हम स्वास्थ्य और सेवा दुरुस्त नहीं करेंगे, तब तक जनसंख्या और सामाजिक विकास के संबंधों को लोग समझ नहीं पाएंगे।
-डॉ फौजदार राम, पूर्व निदेशक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पापुलेशन साइंसेज

जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अलग से कानून की कोई जरूरत नहीं। हमारे पास पहले से ही जनसंख्या नीति है। हमें ध्यान रखना होगा कि तमिलनाडु, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र में रिप्लेसमेंट रेट कम है।
-आरबी भगत, विभागाध्यक्ष, आब्रजन अध्ययन, इंस्टीट्यूट ऑफ पाप्युलेशन साइंसेज, मुंबई

देश की आबादी

- भारत में रहती है दुनिया की 18 फीसद आबादी
- 19.3 लोग पैदा होते हैं भारत में प्रति एक हजार जनसंख्या पर
- 7.3 मृत्यु होती है प्रति एक हजार जनसंख्या पर
- दुनिया की जनसंख्या में भारतीय आबादी 17.74 फीसद
- चीन-अमेरिका से अधिक प्रजनन क्षमता। विश्व बैंक के 2016 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में प्रति महिला प्रजनन क्षमता 2.33 है, जबकि अमेरिका में 1.80 और चीन में 1.62

राहत पहुंचाते प्रजनन दर के आंकड़े

दुनिया में प्रजनन दर 2.1 को 'रिप्लेसमेंट रेट' माना जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए औसतन एक महिला के औसतन 2.1 बच्चे होंगे। वहीं, भारत में प्रजनन दर लगातार घट रही है और इस समय यह 2.2 है। आगे के दशकों में इसके दो से भी कम होने की संभावना है। धार्मिक आधार पर अगर हम आंकड़ों को देखें तो सभी धर्मों में प्रजनन दर में गिरावट देखी जा रही है। 2005-06 और 2015-16 के बीच हिंदुओं में प्रजनन दर 17.8 फीसद की दर से घटी। मुसलमानों में 22.9 फीसद की दर, ईसाइयों में 15 फीसद, सिखों में 19 फीसद, बौद्धों में 22.7 फीसद और जैन में 22.1 फीसद की दर से गिरावट देखी गई है।

2060 में सर्वोच्च स्तर पर आबादी

अगले कुछ वर्षों में भारत की आबादी चीन से आगे निकल सकती है। 2060 में 1.65 अरब के साथ भारत की आबादी सर्वोच्च स्तर पर होगी। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार इसके बाद घटने लगेगी। वहीं, अफ्रीका में इस पूरी सदी में आबादी की रफ्तार बढ़ती रहेगी और वह 2060 के दशक में तीन अरब के आंकड़े को पार कर जाएगी। हाल के आर्थिक सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि जनसंख्या वृद्धि दो दशकों में लगातार घटेगी। 2021-31 के दौरान एक फीसद, जबकि 2031-41 के दौरान इसके 0.5 फीसद सालाना तक घटने की संभावना है। ज्यादातर राज्यों से अनुमान है कि 2021 तक प्रजनन दर रिप्लेसमेंट रेट से कम होगी और आबादी जीवन प्रत्याशा के बढ़ने के कारण बढ़ेगी।

व्यक्तित्व

दीपा मलिक : खेल रत्न पाने वाली पहली पैरा एथलीट

जनसत्ता संवाद

दीपा मलिक खेल रत्न हासिल करने वाली पहली महिला पैरा-एथलीट बन गई हैं। शनिवार को भारत सरकार ने दीपा को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। वे यह पुरस्कार पाने वाली दूसरी पैरा-एथलीट बन गई हैं।

दीपा पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने समर पैरालंपिक -2016 में शॉट पुट (गोलाफेंक) में रजत पदक हासिल किया था। 2018 में दुबई में पारा एथलीट ग्रांड पिक्स में एफ-53/54 जेवलिन में स्वर्ण पदक जीता था। वे वर्तमान में एफ-53 श्रेणी में दुनिया की नंबर वन खिलाड़ी हैं।

दीपा ने सब-जीरो तापमान में 8 दिन, 1700 किलोमीटर की यात्रा करके रेड डी हिमालय की 18000 फीट की चढ़ाई की थी। इस यात्रा में दूरदराज के हिमालय, लेह, शिमला और जम्मू सहित कई कठिन रास्ते शामिल थे। इस चढ़ाई के साथ उन्होंने साबित कर दिया था कि वे मजबूत आत्मबल और इरादों वाली हैं और उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वह शरीरिक विकलांगता हो या फिर लिंग या फिर उम्र ही क्यों न हों।

दीपा का चलना-फिरना पिछले 17 साल से बंद है। दरअसल 17 साल पहले उन्हें रीढ़ में ट्यूमर हो गया था। इलाज के दौरान उनका 31 बार ऑपरेशन किया गया जिसके लिए उनकी कमर और पांव के बीच 183 टांके लगे थे। इसके बावजूद उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया। दीपा मलिक कर्नल बिक्रम सिंह की पत्नी और दो बच्चों की मां हैं।

यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। खेल रत्न मिलने पर दीपा मलिक ने एक साक्षात्कार में कहा कि 'मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैं हमेशा आगे देखती हूं। यह पूरी यात्रा विकलांगता के प्रति लोगों के दृष्टिकोण और विकलांगता वाले लोगों में छिपी क्षमता को बदलने के बारे में अधिक रही है। मुझे लगता है कि इससे उन महिला एथलीट को प्रेरणा मिलेगी जो विकलांग हैं। स्वतंत्र भारत को पैरा-ओलंपिक में पदक जीतने में 70 साल लग गए।'

पैरा-एथलीट होने के साथ वे खेल मंत्रालय और शारीरिक शिक्षा पर 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) में कार्य समूह की एक सदस्य है। दीपा एनएमडीसी के लिए 'स्वच्छ भारत' की ब्रांड एंबेसडर और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के 'स्मार्ट सिटी' प्रोजेक्ट के लिए विकलांगता समावेशी बुनियादी ढांचे की विशेषज्ञ सलाहकार भी हैं। खेल के साथ लेखनी और सामाजिक कार्यों में भी वे बढ़ चढ़ हिस्सा लेती हैं।

दीपा ने 2011 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में रजत पदक जीता तो उसी साल शारजाह में वर्ल्ड गेम्स में दो कांस्य पदक जीते। 2012 में मलेशिया ओपन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में जेवलिन व डिस्कस थ्रो में दो स्वर्ण पदक जीते। इसी साल उन्हें 42 वर्ष की आयु में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 2014 में चाइना ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप बीजिंग में शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीता था।

2017 में उन्हें देश के प्रतिष्ठित पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने एशियन पैरा गेम्स 2018 में एक नया एशियाई रेकॉर्ड बनाया और 3 लगातार एशियाई पैरा खेलों (2010, 2014, 2018) में पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला हैं। उन्हें 58 राष्ट्रीय और 23 अंतरराष्ट्रीय पदक जीते हैं।

आइएल एंड एफएस मामला : ईडी ने राज ठाकरे, मनोहर जोशी के पुत्र को तलब किया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 19 अगस्त।

प्रवर्तन निदेशालय ने आइएलएंडएफएस के कथित भुगतान कोताही मामले से जुड़े धन शोधन की जांच को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को तलब किया है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि मनसे प्रमुख से 22 अगस्त को जांच अधिकारियों के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री तथा शिवसेना के नेता मनोहर जोशी के पुत्र उन्मेश जोशी को भी इसी मामले की जांच के सिलसिले में बुलाया गया है।

अधिकारियों के अनुसार, जोशी सोमवार को या मंगलवार को अधिकारियों के समक्ष पेश हो सकते हैं। जांच एजंसी ने कोहिनूर सीटीएनएल कंपनी में आइएल एंड एफएस समूह की ऋण शेयरधारिता निवेश संबंधी एक मामले में ठाकरे की कथित संलिप्तता की जांच शुरू की है। इस कंपनी के प्रमोटर जोशी हैं।एक कंसोर्टियम बनाने के बाद ठाकरे और जोशी ने कुछ संपत्तियों के लिए संयुक्त रूप से बोली लगाई थी लेकिन बाद में मनसे प्रमुख अलग हो गए। प्रवर्तन निदेशालय पूरे लेनदेन की जांच करना चाहता है इसलिए ठाकरे एवं जोशी को तलब किया गया है। पिछले सप्ताह प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में एक आरोपपत्र भी दाखिल किया था।

भागवत की टिप्पणी पर संघ ने कहा

विवाद अनावश्यक, आरक्षण को पूरा समर्थन

नई दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा)।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने आरक्षण पर सरसंघचालक मोहन भागवत की टिप्पणी से पैदा हुए विवाद को सोमवार को 'अनावश्यक' करार देते हुए खारिज कर दिया। संघ ने कहा कि वह महज इस आवश्यकता पर बल दे रहे थे कि समाज में सद्भावनापूर्वक परस्पर बातचीत के आधार पर सभी प्रश्नों के समाधान ढूंढे जाए।

आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख अरुण कुमार ने एक ट्वीट में कहा, 'जहां तक संघ का आरक्षण के विषय पर मत है, वह कई बार स्पष्ट किया जा चुका है कि अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक आधार पर पिछड़ों के आरक्षण का (आरएसएस) पूर्ण समर्थन करता है।' कुमार ने ट्वीट में कहा कि दिल्ली में एक कार्यक्रम में दिए मोहन भागवत के भाषण के एक भाग पर अनावश्यक विवाद खड़ा किया जा रहा है।

गौरतलब है कि भागवत ने रविवार को कहा था कि जो आरक्षण के पक्ष में हैं और जो इसके खिलाफ हैं, उन लोगों के बीच इस पर सद्भावपूर्ण माहौल में बातचीत होनी चाहिए।

चंद्रयान-2 को आज चांद की कक्षा में प्रवेश कराएगा इसरो

बंगलुरु, 19 अगस्त (भाषा)।

भारत के चंद्र मिशन-2 के लिए मंगलवार एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण घड़ी होगी जब इसरो चंद्रयान-2 के तरल रॉकेट इंजन को दाग कर उसे चांद की कक्षा में पहुंचाने के अभियान को अंजाम देगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष के सिवन ने यान को चांद की कक्षा में पहुंचाने की प्रक्रिया के संबंध में सोमवार को कहा कि यह मंगलवार सुबह (अंदाजन सुबह साढ़े आठ बजे से साढ़े नौ बजे के बीच) होगा। यह चुनौतीपूर्ण है।

इसरो ने कहा कि इसके बाद यान को चंद्रमा की सतह से लगभग सौ किलोमीटर की दूरी पर चंद्र ध्रुवों के ऊपर से गुजर रही इसकी अंतिम कक्षा में पहुंचाने के लिए चार और कक्षीय प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जाएगा। अंतरिक्ष एजंसी ने कहा कि इसके बाद लैंडर 'विक्रम' दो सितंबर को ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा। इसरो ने कहा कि सात सितंबर को चंद्रमा की सतह पर 'सॉफ्ट लैंडिंग' कराने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले लैंडर संबंधी दो कक्षीय प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जाएगा।

गत 22 जुलाई को प्रक्षेपण यान जीएसएलवी मार्क 111-एम-1 के जरिए प्रक्षेपित किए गए चंद्रयान-2 ने 14 अगस्त को पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्र पथ पर आगे बढ़ना शुरू किया था। बंगलुरु के नजदीक ब्याललू स्थित डीप स्पेस नेटवर्क (आइडीएसएन) के एंटीना की मदद से बंगलुरु स्थित इसरो, टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क (आइएसटीआरएसी) के मिशन ऑपरेशंस कांप्लेक्स (एमओएक्स) से यान की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसरो ने 14 अगस्त को कहा था कि चंद्रयान-2 की सभी प्रणालियां सामान्य ढंग से काम कर रही हैं।

कारपोरेट कर की दर धीरे-धीरे 25 फीसद करेंगे : निर्मला

पेज 1 का बाकी

दिया था। इससे पहले, पिछले साल तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 250 करोड़ रुपए तक के सालाना कारोबार वाली कंपनियों के कारपोरेट कर की दर को घटाकर 25 फीसद किया था। उद्योग से जुड़े एक कार्यक्रम में सीतारमण ने कहा कि बची हुई कंपनियों के लिए कारपोरेट कर की दर को धीरे-धीरे कम किया जाएगा।हालांकि उन्होंने कटौती की समयसीमा के बारे में कुछ नहीं कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्र को संबोधन को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि संपत्ति सृजित करने वाले उद्यमियों को हर प्रकार की मदद दी जाएगी। मोदी ने 15 अगस्त को राष्ट्र के नाम संबोधन में संपत्ति सृजन करने वालों की सराहना की और कहा कि उन्हें संदेह की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए।

ईडी ने अदालत से कहा, जांच से बच रहे हैं रतुल पुरी

नई दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा)।

प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने सोमवार को यहां एक अदालत से कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी 3,600 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में जांच में शामिल होने से बच रहे हैं। ईडी ने विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष ये आरोप लगाए जो पुरी की उस अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे जिसके मार्फत उन्होंने अपने खिलाफ एक गैर जमानती वारंट रद्द करने का अनुरोध किया था। जांच एजंसी ने पुरी की याचिका का विरोध किया और कहा कि उसने रविवार और सोमवार सहित कई मौकों पर पुरी को बुलाया, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए।

जिब्राल्टर से छूटने के बाद भारतीय चालक दल के साथ ईरानी टैंकर रवाना

लंदन, 19 अगस्त (भाषा)।

जिब्राल्टर की ओर से पिछले हफ्ते छोड़े जाने के बाद ईरानी तेल टैंकर चालक दल के साथ रवाना हो गया। चालक दल में अधिकतर भारतीय हैं। जिब्राल्टर के स्थानीय प्रशासन ने बताया कि वे अमेरिकी वारंट के आधार पर पोत को रोकने का आदेश अदालत से पाने में असफल रहे।

ग्रेस-1 नामक इस पोत को ब्रिटेन के अर्धस्वायत्त क्षेत्र जिब्राल्टर ने चार जुलाई को स्पेन तट से पकड़ा था। इस पोत को ईरान ने एड्रियन दरिया नाम दिया है। समुद्री यातायात निगरानी वेबसाइट के मुताबिक टैंकर ने रविवार शाम जीएमटी समयानुसार 2300 बजे से पहले लंगर उठाया और वह पूर्व में भूमध्यसागर की ओर बढ़ रहा है। यूनान का कलामाता उसका पड़ाव होगा।

टैंकर के चालक दल के सदस्यों में अधिकतर भारतीय हैं, लेकिन रूसी, लातवियाई और फिलीपींस के नागरिक भी इनमें शामिल हैं। टैंकर के भारतीय कप्तान और तीन अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें पिछले हफ्ते सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था।

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

पेज 1 का बाकी

उल्लंघन है। याचिका में तर्क दिया गया, 'यह याचिका महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के स्पष्ट व जारी रूप को चुनौती देती है और यह रूप है भारत में स्त्री और पुरुष की विवाह के लिए न्यूनतम आयु सीमा में भेदभाव। 'जहां भारत में पुरुषों को 21 साल का होने के बाद ही शादी की अनुमति है वहीं महिलाओं की शादी 18 की उम्र में ही करने की इजाजत है। यह भेदभाव पितृसत्तात्मक रूढ़ियों पर आधारित है, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यह महिलाओं के खिलाफ विधि सम्मत और वास्तविक असमानता को बढ़ाता है और वैश्विक चलन के पूरी तरह खिलाफ जाता है।' याचिका में कहा गया, 'यह सामाजिक वास्तविकता है' कि विवाहित महिला से पति की तुलना में अधीनस्थ भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है और यह 'सत्ता असंतुलन' इस उम्र के अंतर के कारण और बढ़ जाता है। इसमें कहा गया, 'इसलिए कम उम्र की साथी से अपने से बड़े साथी का सम्मान करने और दास की तरह पेश आने की उम्मीद की जाती है जो विवाहित संबंध में पहले से ही मौजूद लैंगिक आधारित अनुक्रम को बढ़ाती है।'

संसद के नए भवन सहित तमाम विकल्पों पर किया जा रहा विचार : प्रधानमंत्री

पेज 1 का बाकी

तथा राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा था कि सभी की आकांक्षा है कि सबसे विशाल लोकतंत्र का संसद भवन सबसे भव्य और सबसे आकर्षक बने। ऐसे में प्रधानमंत्री से आग्रह है कि भारत की आजादी के 2022 में 75 वर्ष पूरे होने पर नए भारत के उनके संकल्प में संसद भवन के विस्तार और आधुनिकीकरण को भी सम्मिलित किया जाए। राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने संसद भवन के 92वें वर्ष पूरे होने का जिक्र करते हुए कहा था कि साल 2022 में देश की आजादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे और इस अवसर पर संसद भवन का विस्तार तथा इसका आधुनिकीकरण भी किया जाना चाहिए।

बहरहाल, प्रधानमंत्री ने कहा कि आमतौर पर यह अनुभव रहा है कि जब नया सत्र शुरू होता है तब सांसदों को रहने की व्यवस्था को लेकर असुविधा का सामना करना पड़ता है। लंबे अर्से तक होटल बुक करना पड़ता है। मोदी ने कहा कि जैसे जैसे आवास खाली होते हैं, तो उसे ठीकठाक करना पड़ता है। ऐसे में व्यवस्था को स्थायी रूप से कैसे विकसित किया जाए और बदलते समय के अनुरूप कैसे विकसित करें, यह अहम है।

उन्होंने कहा कि सांसदों को स्वयं के लिए एक कमरे से ज्यादा की जरूरत नहीं होती है। लेकिन उनके क्षेत्र के लोग काफी संख्या में आते हैं और दूर-दूर से आते हैं। आने वाले हर एक के मन में होता है कि रात में ठहरने की व्यवस्था हो जाए। मोदी ने कहा कि जगह हो या नहीं हो, सांसद उन्हें नकार नहीं सकता है। सांसदों को पता होता है कि कितनी बड़ी कठिनाई होती है। ऐसे में गत सत्र से इस दिशा में काफी विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि कुछ भवन बहुत पुराने हैं, उसमें समय-समय पर मरम्मत की जरूरत होती है। मोदी ने कहा कि इस बार संसद सत्र में बहुत उत्तम काम हुआ, इसका श्रेय हर राजनीतिक दल, सांसद और सदन संचालन करने वाले अध्यक्ष और सभापति को जाता है।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र का निधन

पेज 1 का बाकी

राजनेता और अर्थशास्त्र के विद्वान प्राध्यापक थे। उन्होंने तीन बार बिहार के मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय मंत्री के रूप में इस प्रदेश एवं देश की सेवा की। उनके निधन से देश को, विशेषकर बिहार प्रांत के राजनीतिक जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शोक-संदेश में कहा है कि मिश्र एक प्रख्यात राजनेता एवं शिक्षाविद थे जिनका बिहार के साथ-साथ देश की राजनीति में भी अमूल्य योगदान रहा है। उनके निधन से न केवल बिहार बल्कि पूरे देश के राजनीतिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी जगन्नाथ मिश्र के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है । बिहार सरकार ने जगन्नाथ मिश्र के निधन पर राज्य में तीन दिन के राजकीय शोक तथा उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ कराए जाने की घोषणा की है।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मिश्र के निधन पर दुख जताते हुए सोमवार कहा कि बिहार के तीन बार मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहते हुए जगन्नाथ मिश्र कई मौकों पर समाज के वंचित लोगों और हाशिये पर मौजूद वर्गों के लिए खड़े हुए। वे लंबे समय तक याद किए जाएंगे।

जम्मू के सीमाई जिलों में ज्यादातर स्कूल खुले

पेज 1 का बाकी

जाएंगे। अधिकारियों ने इस क्षेत्र के बड़े हिस्सों से प्रतिबंध हटा लिए हैं। कश्मीर में लैंडलाइन के बाद मोबाइल सेवा को बहाल करने का फैसला इस हफ्ते के आखिर में होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि सीमावर्ती जिलों- राजौरी, पुंछ, रामबन, डोडा एवं किश्तवाड़ के कई हिस्सों में शैक्षिक संस्थान फिर से खुले। पूरे क्षेत्र में कुल मिलाकर सुरक्षा स्थिति शांतिपूर्ण रही। इससे पहले दस अगस्त को क्षेत्र के पांच जिलों- जम्मू, कठुआ, साम्बा, उधमपुर एवं रियासी- में निषेधाज्ञा हटाने के बाद शैक्षिक संस्थान खोले गए थे।

राजौरी के उपायुक्त एजाज असद के मुताबिक, 'पूरे जिले में डिग्री कॉलेजों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों सहित सभी निजी एवं सरकारी शैक्षणिक संस्थानों ने सोमवार से कक्षाएं फिर से शुरू हुईं।' उन्होंने बताया कि जिले में यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और बाजार शांतिपूर्ण ढंग से खुले हैं। असद ने बताया कि कानून व्यवस्था सामान्य है, इसलिए अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत लागू निषेधाज्ञा वापस ले ली गई है। उन्होंने बताया कि बाजार भी खुल चुके हैं।

अधिकारियों ने बताया कि पुंछ जिले में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों एवं कालेजों को छोड़कर सभी शैक्षणिक संस्थान फिर से खुले और लोगों ने अपनी सामान्य गतिविधियां शुरू कीं। उन्होंने बताया कि सभी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले हैं और यातायात सामान्य रूप से चल रहा है। उन्होंने कहा कि उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और कॉलेजों को मंगलवार को खोले जाने की संभावना है।

किश्तवाड़ के उपायुक्त अंगरेज सिंह राणा ने बताया कि जिले में कई निजी स्कूलों ने अपने आप शिक्षण संस्थान खोलने का निर्णय किया क्योंकि सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इस जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है। अधिकारी ने बताया कि डोडा जिले में भी दसवीं कक्षा तक के स्कूल आज खुले।

कश्मीर में लैंडलाइन के बाद मोबाइल सेवा को बहाल करने का फैसला इस हफ्ते के आखिर में होने की उम्मीद है। घाटी के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लैंडलाइन टेलीफोन एक्सचेंज के प्रभाव का आंकलन करने के बाद ही कश्मीर में मोबाइल सर्विस को बहाल करने का फैसला लिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक, शुरुआत में केवल इनकमिंग कॉल की सुविधा दी जाएगी। इससे यहां के स्थानीय लोग जम्मू-कश्मीर से बाहर अन्य राज्यों से फोन पर बात कर सकेंगे और आइएसडी कॉल की सुविधा भी प्राप्त कर सकेंगे। जबकि मोबाइल इंटरनेट अभी कुछ समय तक बंद ही रहेगा।

पुंछ और रावलकोट के बीच नियंत्रण रेखा के पार चलने वाली साप्ताहिक बस सोमवार को निलंबित कर दी गई। ऐसा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की ओर से सेवा बंद करने के परोक्ष निर्णय के बाद किया गया। एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय अधिकारियों की ओर से बस को सीमापार करने देने के अनुरोध पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के अधिकारियों द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं देने पर बससेवा निलंबित कर दी गई। अधिकारी ने कहा कि नियंत्रण रेखा के पार चलने वाली बस सेवा निलंबित कर दी गई है। हमने पीओके के अधिकारियों को आज बससेवा के लिए एक संदेश भेजा था लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

तरुण तेजपाल मामले में 23 सितंबर से फिर सुनवाई

पेज 1 का बाकी

आरोपों का खंडन किया है। अदालत में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्हें 30 नवंबर, 2013 को अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया था। वह मई 2014 से जमानत पर जेल से बाहर हैं। न्यायालय ने छह अगस्त को तेजपाल की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा था। गोवा पुलिस ने दावा किया था कि उनके पास घटना के समय के कुछ 'वाट्सऐप' संदेश और 'ईमेल' हैं, जो तेजपाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त हैं। तरुण तेजपाल के खिलाफ तय आरोपों को निरस्त करने के लिये दायर याचिका का विरोध करते हुए पुलिस ने कहा था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिये पर्याप्त सामग्री है। बंबई हाई कोर्ट ने भी 20 दिसम्बर, 2017 को तेजपाल की उसके खिलाफ तय आरोप खारिज करने की याचिका रद्द कर दी थी। इसके बाद ही उन्होंने शीर्ष अदालत का रुख किया था। गोवा में मापुसा स्थित निचली अदालत ने यौन उत्पीड़न और बलात्कार से जुड़े प्रावधानों सहित आइपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत तेजपाल के खिलाफ आरोप तय किए थे।

आतंक व कई मुद्दों पर मोदी-ट्रंप ने बात की

पेज 1 का बाकी

परिस्थितियों के मद्देनजर यहां कुछ नेताओं द्वारा भारत विरोधी हिंसा, शांति के प्रयासों में बड़ी बाधा है।' जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार मोदी की ट्रंप से बातचीत हुई/इ/इहै। जम्मू-कश्मीर पर भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच लंबी बातचीत हुई। मोदी ने आतंक और हिंसा से मुक्त वातावरण के निर्माण पर जोर दिया और कहा, 'ऐसे वातावरण में सीमा पार आतंकवाद की कोई जगह नहीं होनी चाहिए।' उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के भारत विरोधी बयानों का परोक्ष रूप से जिक्र किया और कहा कि भारत के खिलाफ हिंसा के लिए इस तरह भड़काना शांति के अनुकूल नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा बयान के मुताबिक, 'मोदी और ट्रंप के बीच 30 मिनट तक बातचीत चली, जिस दौरान दोनों ने द्विपक्षीय व क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। यह बातचीत 'गर्मजोशी भरी और सौहार्दपूर्ण' तरीके से हुई, जो दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने गरीबी, निरक्षरता व बीमारियों के खिलाफ इस संघर्ष में साथ देने वाले किसी भी देश के साथ सहयोग करने के भारत के संकल्प को दोहराया।'

अफगानिस्तान की आजादी के 100 साल पूरे होने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत संगठित, सुरक्षित, लोकतांत्रिक और सच्चे मायनों में स्वतंत्र अफगानिस्तान के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध रहा है और आगे भी रहेगा। मोदी ने एकीकृत, सुरक्षित और लोकतांत्रिक अफगानिस्तान के लिए काम करने को लेकर भारत की लंबे समय से जारी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। ओसाका में द्विपक्षीय (भारत-अमेरिका) चर्चा का जिक्र करते हुए मोदी ने उम्मीद जताई कि भारत के वाणिज्य मंत्री और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि आपसी लाभ के लिए द्विपक्षीय व्यापार संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए जल्द मिलेंगे और दोनों देशों के बीच व्यापार से जुड़े द्विपक्षीय मुद्दों का समाधान आपसी हित में करेंगे।

डोभाल की शाह के साथ बैठक

पेज 1 का बाकी

खुफिया विभाग के शीर्ष अधिकारियों समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इसमें राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, एनएसए ने गृहमंत्री को जम्मू कश्मीर की संपूर्ण स्थिति के बारे में बताया। बैठक में जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में लगाई गई पाबंदियों से जुड़े मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा हुई। केंद्र सरकार अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में हालात खराब करने में जुटीं देश की अंदरूनी और बाहरी ताकतों पर गहरी नजर रख रही है। इसी क्रम में समीक्षा बैठक की गई। इसमें एक तरफ पाबंदियों के दौरान कश्मीरियों की सहूलियतों का ख्याल रखने पर जोर दिया गया तो दूसरी तरफ हिंसा भड़काने के मकसद से दी जा रही गलत खबरों और तरह-तरह की अफवाहों को कठोरता से कुचलने का निर्देश जारी करने का फैसला किया गया।

बैठक के बाद सुरक्षा एजंसियों से कहा गया है कि वे अफवाहों पर कार्रवाई करने को लेकर चौकन्ना रहें। साथ ही कश्मीर में आमलोगों को किसी जरूरी वस्तुओं की कमी न हो, इसके लिए उनकी उपलब्धता की भी समीक्षा हुई। इस बैठक में खुफिया अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारियों ने कश्मीर से आ रही रिपोर्ट साझा की। अधिकारियों के मुताबिक, सरकार की मंशा है कि अगले 10 दिन में सभी तरह की बंदिशें हटा ली जाएं। हालांकि, इस पर एहतियात बरतते हुए फैसला लिया जाएगा।

हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के

पेज 1 का बाकी

जिंदगियों को बचाना था। मेरी पूरी टीम इसे सफल बनाने में भागीदार है। विंग कमांडर खरे हेलिकॉप्टर उड़ा रहे थे, जबकि गरुड़ कमांडो खारवाड़ ने लोगों को रेस्क्यू किया। यह हमारी ड्यूटी होती है कि हमें अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाना होता है।' मछुआरों को रस्सियों से बांधकर सुरक्षित बचाने वाले गरुड़ कमांडो खारवाड़ ने बताया, 'मेरी प्राथमिकता उन्हें बचाना था। पायलट को शुक्रिया, उनके समर्पण के बिना यह असंभव था। यह अभियान दिखने में मुश्किल था, लेकिन उतना नहीं क्योंकि मेरी पूरी टीम पायलट समेत सबने मेरा साथ दिया।' खारवाड़ ने कहा, 'मुझे अपनी कोई चिंता नहीं थी। मैं पूरी तरह अपने कैप्टन और पायलट पर निर्भर था। हमारे लिए सबसे पहले फंसे हुए लोग हैं। उन्हीं की मदद के लिए हमें रखा गया है।'

हिमाचल में सैकड़ों लोग फंसे

पेज 1 का बाकी

ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल कांगड़ा जिले के नूरपुर उपमंडल में जमा हुए पानी को निकालने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग बना रहा है। अधिकारी के अनुसार इस उपमंडल में कई जगह भूस्खलन के कारण नदी-नालों का प्रवाह अवरुद्ध हो गया तथा खादेतार गांव में एक बड़ी कृत्रिम झील निर्मित हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि कांगड़ा जिले के त्रिंदी, दानी, मिरका, लदोर, थाना, हिंदोरघाट, लेत्री और जसूर गांव के लोगों से घरों को खाली करने को कहा गया है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि पिछले दो दिन से हो रही बारिश से पानी के पाइप क्षतिग्रस्त हो गए हैं और कांगड़ा जिले में पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। उन्होंने बताया कि क्षतिग्रस्त लाइनों को ठीक करने का काम चल रहा है लेकिन इसमें दो से तीन दिन का वक्त लग सकता है।

कुल्लू जिले में रूपा क्षेत्र के निकट भूस्खलन से अवेरी-बजीरबॉडी मार्ग और बजौरा-कतौला मार्ग बाधित हो गया है। चंबा जिले में भी अनेक मार्ग बंद हैं। परिहार में चंबा-पठानकोट मार्ग, भतलवान गढ़ और मथुनू में चंबा-चोवारी मार्ग बाधित हैं। इस बीच, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और चंबा जिलों में कुछ स्थानों पर मौसम की पहली बर्फबारी हुई। मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को यह जानकारी दी। अगस्त माह में आमतौर पर इन क्षेत्रों में बर्फबारी नहीं होती है। जिले के एक अधिकारी ने बताया कि ताजा बर्फबारी के कारण चंबा से पंगी जाने वाली सड़क साच दर्रा के पास बाधित हो गई है।

जाने-माने संगीतकार खय्याम का 92 साल की उम्र में निधन

पेज 1 का बाकी

थे। मुंबई के उपनगर जुहू में सुजय अस्पताल के आईसीयू में फेफड़े में संक्रमण के चलते मशहूर संगीतकार को 10 दिन पहले भर्ती कराया गया था। उनके एक पारिवारिक मित्र ने बताया, 'सांस लेने में तकलीफ और उम्र संबंधी बीमारियों के चलते कुछ दिन पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सुजय अस्पताल में सोमवार रात करीब साढ़े नौ बजे उन्होंने आखिरी सांस ली।' संगीतकार खय्याम ने 'त्रिशूल', 'नूरी' और 'शोला और शबनम' जैसी कई सफल फिल्मों में संगीत दिया है।उनका नाम मोहम्मद जहूर हाशमी था, हालांकि उन्हें शोहरत खय्याम नाम से मिली। उन्हें संगीत नाटक अकादमी और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें मंगलवार को सुपुर्दे खाक किया जाएगा।

बादल फटने से मृतकों की तादाद 20 हुई

पेज 1 का बाकी

कई सड़कें बंद पड़ी हैं। एक आंकड़े के मुताबिक पूरे उत्तराखंड में करीब 400 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं और दर्जनों पुल बह गए हैं। इससे कई गांवों का जिला मुख्यालयों और राजधानी देहरादून से संपर्क कट गया है। उधर गढ़वाल मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से हरिद्वार में गंगा के जलस्तर में लगातार लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सिंचाई विभाग उत्तराखंड गंगा नहर के अधिशासी अभियंता दिनेश कुमार ने बताया कि रविवार रात तीन बजे गंगा का जलस्तर भीमगोडा बैराज में 295.05 मीटर था, जो खतरे के निशान से एक मीटर 5 सेंटीमीटर ऊपर था। लेकिन इसके बाद पानी घटना शुरू हुआ सोमवार नौ सुबह बजे तक गंगा का जलस्तर घटकर 290.90 मीटर रह गया है । प्रशासन ने हरिद्वार, लक्सर, रुड़की और बिजनौर के गंगा तट पर बसे गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की चेतावनी जारी की है। भीमगोडा बैराज से गंगा के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। यहां पर वायरलेस से युक्त कंट्रोल रूम बनाया है।

वहीं, हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली उत्तरी गंगा नहर तथा हरिद्वार से ही बिजनौर तक जाने वाली पूर्वी गंगा नहर में भारी मात्रा में रेत, मिट्टी और कंकड़ पत्थर आने की वजह से बंद कर दी गई है ताकि इन दोनों गंगा नहरों में बने अहमदपुर पावर हाउस को खतरा ना हो। गंगा में मिट्टी और रेत की मात्रा कम होने के बाद गंग नहर खोल दी जाएंगी। पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण हरिद्वार में गंगा नदी में भारी मात्रा में रेत पत्थर और मिट्टी बह कर आ रही है। राजाजी नेशनल पार्क के गौहरी रेंज में वन गुर्जरों के सैकड़ों पशु गंगा के तेज बहाव में बह गए।

इस बीच, भारी बारिश के मद्देनजर कैलाश मानसरोवर यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ के मालपा में सड़क पर भारी मलबा आ जाने के कारण यात्रा को बीच में रोक दिया गया है। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी ने बताया कि भारी बारिश के कारण क्षेत्र के पहाड़ों में लगातार भूस्खलन हो रहा है जिस कारण मालपा-कैलाश मानसरोवर सड़क मार्ग बंद हो गया है। सुरक्षा की दृष्टि से इस रास्ते में मानसरोवर यात्रियों को रोका गया है।

पंजाब, हरियाणा में बाढ़ जैसे हालात

पेज 1 का बाकी

निकालना पड़ा। लुधियाना जिले के 10 गांवों में बाढ़ के पानी घुसने के बाद जिले के कुछ हिस्सों से लोगों को निकाला गया।

मौसम विभाग ने बताया कि सोमवार की सुबह में पंजाब और हरियाणा के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश होने की सूचना नहीं है। दोनों राज्यों में पिछले तीन दिनों में भारी बारिश हुई है। अमरिंदर सिंह ने बाढ़ से क्षति का आकलन करने के लिए बाढ़ प्रभावित रूपनगर जिले का दौरा किया। उन्होंने राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपातकालीन राहत और पुनर्वास के लिए सोमवार को 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने वहां बाढ़ से प्रभावित लोगों से बात की। उन्होंने रूपनगर में कहा कि हम तेजी से कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने पर काम करेंगे। हमारी प्राथमिकता बाढ़ से प्रभावित लोगों के जीवन को बचाने की है। उन्होंने कहा कि एक बार जब बाढ़ का पानी कम हो जाए, तब नुकसान का आकलन करने के लिए राजस्व सर्वेक्षण का आदेश दिया जाएगा। अधिकारियों ने रूपनगर जिले के कई हिस्सों में बाढ़ के मद्देनजर सोमवार को स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था।मुख्यमंत्री के साथ मुख्य प्रधान सचिव सुरेश कुमार, कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, आनंदपुर साहिब के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद थे। हरियाणा में, भारतीय वायुसेना ने यमुना नदी में अचानक पानी बढ़ने के कारण करनाल जिले में फंसे नौ लोगों को बचाया। करनाल पुलिस की सहायता से भारतीय वायुसेना ने महिलाओं और बच्चों सहित नौ लोगों को बचाया। हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) नवदीप सिंह विर्क ने कहा कि प्रतिकूल मौसम के बावजूद सोमवार तड़के भारतीय वायुसेना ने बचाव अभियान चलाया। रविवार शाम हरियाणा के यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज में जल स्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया।

इस बीच, भाखड़ा बांध का जल स्तर सोमवार को स्वीकार्य सीमा 1680 फुट को पार कर गया जिसके बाद अधिकारियों को 41,000 क्यूसेक अतिरिक्त जल को फाटकों से निकालना पड़ा। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि फाटक से पानी निकालने का निर्णय किया गया ताकि अगले तीन-चार दिनों के अंदर पानी का स्तर 1680 फुट तक लाया जा सके।अधिकारी ने कहा कि जलाशय में अब भी एक लाख क्यूसेक जल का प्रवाह है। वर्तमान स्तर 1681 फुट और जलाशयों में आ रहे प्रवाह को देखते हुए निर्णय किया गया कि भाखड़ा बांध से 19 हजार क्यूसेक से 41 हजार क्यूसेक पानी निकाला जाए। बांध प्रबंधन के अधिकारी अगले रविवार और सोमवार को बारिश का पूर्वानुमान देखते हुए भाखड़ा बांध में पानी को नियंत्रित कर जलस्तर को कम करना चाहते हैं।

epaper jansatta com

मै. मास टेक्नोलॉजीज एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है तथा 16 अगस्त, 2019 से उसे ए-213, 3रा तल, न्यू अशोक नगर, दिल्ली-110096 से प्लॉट नं. 26, शामला मैंशन, दुर्गा विहार कॉलोनी, नजीबाबाद, बिजनौर-246763, उत्तर प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया गया है।

हस्ता./-
विनिर्दिष्ट पार्टनर

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

तथा

फ्लैमिंगो पीजी एंड होस्टल प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय हैः 701-702, आर.जी. ट्रेड टावर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034, के मामले में

.... आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली'' से ''हरियाणा राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए शुक्रवार 22 जुलाई, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ-पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

701-702, आर.जी. ट्रेड टावर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034

कृते एवं के लिए
फ्लैमिंगो पीजी एंड होस्टल प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-

तिथिः 19.08.2019 शेवपाल यादव
स्थानः नई दिल्ली निदेशक

राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण दिल्ली पीठ के समक्ष

CAA No.56/ND/2019 AND CA (CAA) No. 198/ND/2018

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 और 232 और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 60 और 62 और अन्य प्रावधान के मामले में

और

निम्नलिखित के बीच की समामेलन योजना के मामले में जीवनतीका ऑरगेनीक फारमिंग एलएलपी

...याचिकाकर्ता नंबर 1/ स्थानांतरणकर्ता। तथा

इंडिया कन्वेंशन एंड कल्चर सेंटर प्राइवेट लिमिटेड

...याचिकाकर्ता नंबर 2/ स्थानांतरिती के साथ

याचिकाकर्ता सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी), सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 और कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत हैं और याचिकाकर्ता सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) का पंजीकृत कार्यालय 4/71 पश्चिम पंजाबी बाग, नई दिल्ली, पश्चिम दिल्ली डीएल 110026 में स्थित हैं और याचिकाकर्ता कंपनी का पंजीकृत कार्यालय मकान नंबर 4, रोड नंबर 71, पंजाबी बाग डीएल 110026 में स्थित हैं।

याचिका की सुनवाई की सार्वजनिक सूचना

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 से 232 और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 60 और 62 के तहत, संयुक्त याचिका, माननीय न्यायाधिकरण (दिल्ली पीठ) के समक्ष याचिकाकर्ताओं जीवनतीका ऑरगेनीक फारमिंग एलएलपी और इंडिया कन्वेंशन एंड कल्चर सेंटर प्राइवेट लिमिटेड ने समामेलन की योजना के प्रयोजन की मंजूरी के लिए दिनांक 11.07.2019 को प्रस्तुत किया था। इस याचिका को दिनांक 11.07.2019 के आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण दिल्ली पीठ में आगामी सुनवाई के लिए दिनांक 05.09.2019 को तय किया गया है।

यदि कोई भी व्यक्ति याचिकाकर्ताओं की समामेलन की योजना के विषय में समर्थन या विरोध करने का इच्छुक है तो वह अपने विचार को हस्ताक्षरित पत्र खुद या अपने वकील के द्वारा अपने नाम और पते के साथ हलफनामा की प्रतिलिपि के साथ माननीय न्यायाधिकरण (दिल्ली पीठ) में ग्राउंड, 6वीं, 7वीं मंजिल और 8 वीं सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, ब्लॉक नंबर 3, नई दिल्ली, दिल्ली 110003 और याचिकाकर्ताओं के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अंजनी कुमार, कंपनी सचिव को 104, मंदाकिनी टॉवर सेक्टर-4, वैशाली गाजियाबाद, यूपी-201010 पर याचिका की सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम दो दिन पहले पहुंचा दे। याचककार्ताओं के अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा याचिका की प्रति किसी भी इच्छुक व्यक्ति को निर्धारित शुल्क के भुगतान उपलब्ध कराई जाएगी।

अंजनी कुमार और एसोसिएट्स
हस्ता/-
जगहः दिल्ली अंजनी कुमार
तारीखः 19/08/2019 (कंपनी सचिव)
याचिकाकर्ता के लिए अधिकृत प्रतिनिधि
ईमेल : csanjanikr@gmail.com
मोबाइल नंबर : 9810305753

PUBLIC NOTICE
TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

This is to inform the General Public that following share certificate of Tata Steel Limited having its registered office at Bombay House, 24, Homi Mody Street, Fort, Mumbai Maharashtra 400001 registered in the name of the following shareholder/s have been lost by them.

Sl. No.	Name of the Shareholder	Folio No.	Certificate No.	Distinctive No. From	Distinctive No. To	No. of Shares
1	Vishwanath Agarwalla	SIV0026446	01818035	155164671	155164680	10
			01818036	155164681	155164690	10
			06118518	225967131	225967180	50
			06118519	225967181	225967190	10
			06118520	225967191	225967200	10
			06118521	225967201	225967210	10

The public are hereby cautioned against purchasing or dealing in any way with the above referred share certificate. any person who has any claim in respect of the said share certificate/s should lodge such claim with the company or its registrar and transfer agents Tsr Darashaw Consultants Pvt Ltd6-10, Haji moosa patrawala industrial estate,20, Dr.e. moses road, near, famous studio mahalaxmi(w), mumbai 400011 within 15 days of publication of this notice after which no claim will be entertained and the company shall proceed to issue Duplicate Share certificate/s.

Place: Noida Sd/-
Date : 13.08.2019 Vishwanath Agarwalla

OFFICE OF THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER
SHRI MATA VAISHNO DEVI SHRINE BOARD, KATRA

EXTENSION OF TENDER NOTICE

In reference to Abridged Tender Notice no. No. CO/Cat//333/430 dated 09.07.2019 & extension issued vide no. CO/Cat/333/569 dated 05.08.2019, the last date for submission of tender from Principal firms/ authorized franchisees/firms/any individual, for providing Catering Services from the premises of the Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board, is hereby further extended upto 29th of August, 2019, 1500 hrs.

The other terms and conditions of the tender shall remain the same. The NIT along with detailed terms & conditions can be downloaded from official website of the Shrine Board (www.maavaishnodevi.org.). free of cost. In case of lack of internet connectivity, prospective bidders can obtain a copy of NIT free of cost from the Central Office of Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board located at Katra (J&K).

No.: CO/Cat/333/628 Sd/-
Dated: 19.08.2019 (Dr. J.C. Mehra) KAS
Dy. Chief Executive Officer

Selan Exploration Technology Limited

Regd. Office: J-47/1, Shyam Vihar, Dindarpur, Najafgarh, New Delhi-110043
CIN : L74899DL1985PLC021445; **Website:** www.selanoil.com
E-mail: investors@selanoil.com; **Tele Fax No.:** 0124-4200326

NOTICE FOR ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Thirty Fourth Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on **Wednesday, 18 September 2019 at 10:00 A.M.** at Ashok Country Resort, Rajokri Road, Kapashera, New Delhi - 110 037 to transact the business stated in the Notice of the Thirty Fourth AGM.

Despatch of the Notice of the AGM together with the Annual Report for the Financial Year 2018-19 has been completed on 19 August 2019 to members by registered post and in the electronic mode whose e- mail ids are registered with the Company or Depository Participant(s).

Book Closure : Pursuant to Section 91 of the Companies Act 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 11 September 2019 to Wednesday, 18 September 2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

E-voting : Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, Secretarial Standard-2 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is offering remote E-voting facility to its Members in respect of businesses to be transacted at the 34th AGM.

Details of E-voting schedule are as under:

1. The cut-off date: Wednesday, 11 September 2019
2. Date & time of commencement of E-voting: Sunday, 15 September 2019 at 9:00 A.M (IST)
3. Date & time of end of E-voting: Tuesday, 17 September 2019 at 5:00 P.M (IST).
4. E-voting shall not be allowed beyond the date & time mentioned above.

Please note that a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote E-voting as well as voting at the AGM.

Any person, who acquire shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 11 September 2019, may obtain the login ID and password by sending request at evoting@nsdl.co.in or helpdeskdelhi@mcsregistrars.com. However, if a person is already registered with NSDL for E-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.

Members may note that: a) the facility for voting through Polling paper shall be made available at the AGM; b) the member who have cast their vote by remote E-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

The Notice of the AGM is available on NSDL website: https://www.evoting.nsdl.com. The Annual Report alongwith Notice is also available on the Company's website, i.e. www.selanoil.com. Attention is also invited to Notes to the 34th AGM Notice, giving instructions on how the business of the Meeting is to be transacted through electronic voting system.

In case of any queries, you may refer to the "Frequently Asked Questions (FAQs)" and "E-voting user manual" for shareholders available at the Downloads section of https://www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at e-mail id: evoting@nsdl.co.in or at telephone no. 1800-222-990.

Members holding shares in physical mode are requested to inform about change of address/e-mail ids/ dividend mandate/ ECS requests, if any, to the Company's Registrar and Share Transfer Agent- MCS Share Transfer Agent Ltd., Unit : Selan Exploration Technology Ltd., F-65, First Floor, Okhla Industrial Area Phase-I, New Delhi-110020. Members holding shares in Demat mode should inform their Depository Participants (DP) about such change.

By Order of the Board
For **SELAN EXPLORATION TECHNOLOGY LTD.**
Sd/-
Place : New Delhi **Pooja Agnihotri**
Date : 19 August 2019 Company Secretary

JMT AUTO LIMITED

An AMTEK Group Company
CIN-L42274DL1997PLC270939
Regd. Office: 3- LS C Pamposh Enclave, Guru Nanak Mrkt,Opp L.S.C Market, New Delhi-110048,Phone: 0657-6626340
E-mail: jmt.auto@amtek.com, Website: www.jmtauto.com (Rs.in Lakhs)

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2019

	Particulars	Standalone			Consolidated		
		Quarter Ended 30.06.2019	Quarter Ended 30.06.2018	Year Ended 31.03.2019	Quarter Ended 30.06.2019	Quarter Ended 30.06.2018	Year Ended 31.03.2019
		Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited
1	Total Income from operations	7,123.06	9,703.64	34,775.61	12,469.39	14,393.62	58,006.86
2	Net profit for the period before tax	(453.74)	82.12	172.80	(454.23)	(871.30)	(1,866.99)
3	Net profit for the period after tax	(122.51)	53.88	79.29	(85.82)	(922.51)	(1,282.13)
4	Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	(122.51)	53.88	79.67	(21.12)	134.13	(781.74)
5	Paid up equity share capital	5,038.32	5,038.32	5,038.32	5,038.32	5,038.32	5,038.32
6	Other Equity						
7	Earning per share of Rs. 1/- each - not annualised) -Basic	-0.02	0.01	0.02	-	0.03	-0.16
	-Diluted	(0.02)	0.01	0.02	-	0.03	(0.16)

Note :

1. The above audited financial results of the company for the quarter & year ended June-2019,were reviewed by the audit committee & approved by the board of directors at the meeting held on 14th August 2019.
2. This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) rules 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.
3. Segment reporting as defined in IND AS-108 is not applicable, since the entire operations of the company relate to only one segment i.e. Automotive Components.
4. Previous period figures have been regrouped/ reclassified, wherever considered necessary to conform to the current period presentation.

By Order of the Board
For **JMT AUTO Limited**
Place: New Delhi **Sanjay Tiku**
Date : 14.08.2019 CEO & Whole Time Director
DIN-00300566

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India
Relationships beyond banking.

पश्चिम विहार शाखा,
एफ-4, आई.एस.सी. भेरा एन्क्लेव,
नई दिल्ली-110087
टेली.: 25289418, 25282384

कब्जा सूचना (चल/अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया, पश्चिम विहार शाखा, नई दिल्ली के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 11.6.2019 जारी कर ऋणधारकों/ गारन्टरों श्री राहुल झा को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 49,03,745.12 (रुपए उन्चास लाख तीन हजार सात सौ पैंतालिस तथा पैसे इक्कीस मात्र) के साथ 10.5.2019 से अनचार्ज्ड ब्याज तथा अन्य चार्जेज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज 16 अगस्त, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 49,03,745.12 (रुपए उन्चास लाख तीन हजार सात सौ पैंतालिस तथा पैसे इक्कीस मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिए ऑफ इंडिया के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्री राहुल झा के नाम में सम्पत्ति सं. 32, सम्पूर्ण भूतल, पॉकेट-14, सेक्टर-24, रोहिणी, दिल्ली-110085 (जिनका अविभाजित शेयर है) से शामिल सम्पत्ति, माप 60.00 वर्ग मी. का सभी भाग तथा हिस्सा।

चौहद्दी इस प्रकार हैः उत्तरः प्लॉट नं. 1, दक्षिणः प्रवेश, पूर्वः प्लॉट नं. 31, पश्चिमः एस/लेन

तिथिः 16.8.2019 प्राधिकृत अधिकारी,
स्थानः नई दिल्ली बैंक ऑफ इंडिया

प्रपत्र - 'जी'
अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण
(दिवाला और ऋण शोध अक्षमता (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36क (1) के अधीन)

	प्रासंगिक विवरण	
1	कार्पोरेट देनदार का नाम	कश्यप मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	03-02-1997
3	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज - नई दिल्ली
4	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U99999DL1997PTC084864
5	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	20, इंडस्ट्रियल एस्टेट, ओखला, नई दिल्ली-110020
6	कार्पोरेट देनदार की ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	06-03-2019 (आदेश की प्रति 07-03-2019 को प्राप्त हुई)
7	अभिरूचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	20-08-2019 (पहले 16-05-2019)
8	संहिता की धारा 25(2)(ज) के अधीन समाधान आवेदकों की पात्रता :	पात्रता मानदंड : 1. न्यूनतम शुद्ध मूल्य रु. 2 करोड़ 2. रु. 1 करोड़ का टर्नओवर, नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार अन्य विवरण निम्नलिखित से ई-मेल द्वारा प्राप्त किया जा सकता है - cajatinmadan@yahoo.com
9	धारा 29क के अधीन अपात्रता के मानदंड :	http://ibbi.gov.in/webfront/legal_framework.php (आईबीबीआई की आधिकारिक वेबसाइट लीगल फ्रेमवर्क-अपडेटेड कोड) विवरण निम्नलिखित से ई-मेल द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है - cajatinmadan@yahoo.com
10	अभिरूचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	05-09-2019 (पहले 01-06-2019)
11	संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	12-09-2019 (पहले 08-06-2019)
12	अनंतिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	17-09-2019 (पहले 13-06-2019)
13	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	22-09-2019 (पहले 18-06-2019)
14	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	17-09-2019 (पहले 13-06-2019)
15	समाधान योजना हेतु अनुरोध, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि	विवरण निम्नलिखित से ई-मेल द्वारा प्राप्त किया जा सकता है - cajatinmadan@yahoo.com
16	समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	17-10-2019 (पहले 10-07-2019)
17	समाधान प्रोफेशनल को समाधान योजना सौंपने की विधि	श्री जतिन मदान, कश्यप मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के समाधान प्रोफेशनल, 25, डीडीए एलएससी, ब्लॉक एम1, विकास पुरी, नई दिल्ली -110018 के पते पर स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा अथवा दस्ती डिलीवरी द्वारा
18	निर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमानित तिथि	सीओसी द्वारा अनुमोदितानुसार यथाशीघ्र
19	समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर	जतिन मदान, पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-P00222/2017-18/10421
20	समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता और ई-मेल, जैसाकि बोर्ड में पंजीबद्ध है	जतिन मदान 25, डीडीए, एलएससी, ब्लॉक एम1, विकास पुरी, नई दिल्ली-110018 ई-मेल cajatinmadan@yahoo.com
21	पता और ई-मेल जो समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त किया जाना है	25, डीडीए, एलएससी, ब्लॉक एम1, विकास पुरी, नई दिल्ली-110018 cajatinmadan@yahoo.com
22	अतिरिक्त विवरण पर अथवा के द्वारा उपलब्ध है	अतिरिक्त विवरण निम्नलिखित से ई-मेल द्वारा प्राप्त किया जा सकता है - cajatinmadan@yahoo.com
23	प्रपत्र 'जी' के प्रकाशन की तिथि	20-08-2019

हस्ता. /-
जतिन मदान
समाधान प्रोफेशनल
रजि. नंबर IBBI/IPA-001/IP-P00222/2017-18/10421
तिथि : 20.08.2019 25, डीडीए, एलएससी, ब्लॉक एम1, विकास पुरी, नई दिल्ली-110018
स्थान : नई दिल्ली वास्ते कश्यप मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
जहाँ सेवा जीवन का एक तरीका है।
91, भंडारी हाउस, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
फोन-कार्यालयः 011-26225819, ई-मेलः do388@gsb.co.in

[नियम-8(1)]

कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **पंजाब एंड सिंध बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 21.5.2019 जारी कर 1) मै. हरजोग ओवरसीज द्वारा उसके प्रॉप. श्री धनराज सिंह सोंढ़ी (ऋणधारक), श्रीमती हरमीत कौर सोंढ़ी तथा श्री मनमोहन सिंह ओबराय (गारन्टर) को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 (साठ) दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 4,46,78,262/- (रुपए चार करोड़ छियालिस लाख अठहत्तर हजार दो सौ बासठ मात्र) विभिन्न साख सुविधाओं/ऋण खाताओं में तथा चालू खाता में डैबिट बैलेंस रु. 18,03,716 है, 31.3.2019 को जिसमें 31.3.2019 तक ब्याज शामिल है तथा 01.04.2019 से उपरोक्त राशि पर लागू दर पर ब्याज तथा उस पर अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

चूंकि, ऋणधारक/गारन्टर्स इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारन्टरों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 14 अगस्त, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 4,46,78,262/- (रुपए चार करोड़ छियालिस लाख अठहत्तर हजार दो सौ बासठ मात्र) विभिन्न साख सुविधाओं/ऋण खाताओं में तथा चालू खाता में डैबिट बैलेंस रु. 18,03,716 है, 31.3.2019 को जिसमें 31.3.2019 तक ब्याज शामिल है तथा 01.04.2019 से उपरोक्त राशि पर लागू दर पर ब्याज तथा उस पर अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के लिये पंजाब एंड सिंध बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

चल/अचल संपत्ति/परिसम्पत्तियों का विवरण

चल सम्पत्ति/परिसम्पत्तियां:

क) सभी स्टॉक्स, सभी चालू परिसम्पत्तियों (वर्तमान एवं भविष्य) तथा एक्स्पोर्ट बिल्स द्वारा अर्जित एफओबीपी/ एफओयूबीपी/ एफओबीएलसी/ लिमिट्स तथा सभी रिसीबैवल्स (वर्तमान एवं भविष्य) का हाइपोकेकेशन।

ख) मर्सडीज बेंज कारः पंजीककरण सं. DL8CAS2075, चैसिस नं. WDD2131046L008280, इंजिन नं. 65492080138801 जो मै. हरजोग ओवरसीज पता-261, फॉरेस्ट लेन, सैनिक फार्म, नेव सराय, नई दिल्ली-110068 के नाम में है, का हाइपोथेकेशन।

गिरवी रखी गई अचल सम्पत्ति का विवरण

अचल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। नं. 862 तिथि 22.01.2010 द्वारा विधिवत पंजीकृत श्री मनमोहन सिंह ओबराय के नाम में कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048 में स्थित सम्पूर्ण तीसरा तल, सम्पत्ति सं. एच-1, माप क्षेत्रफल 351 वर्ग यार्ड्स के तीसरे तल के ऊपर टैरेस/छत के अधिकार के साथ। सम्पत्ति की चौहद्दी। दक्षिणः रोड, उत्तरः प्लॉट नं. एच-2, पूर्वः रोड, पश्चिमः प्लॉट नं. एच-18

तिथिः 14.8.2019 (प्राधिकृत अधिकारी)
स्थानः नई दिल्ली पंजाब एंड सिंध बैंक

फॉर्म-ए (शुद्धिपत्र)
श्री स्वास्तिक सेल्स कार्पोरेशन प्रा. लि.

[illegible] 11.02.2020 [illegible]

ह. - [illegible]
[illegible]

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र पीठ, दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

तथा

मै. फिमो मैन्युफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय हैः एच. नं. 207, गली नं. 8, ब्लॉक-एफ, एम.बी. एक्स्टेंशन, बदरपुर, नई दिल्ली-110044, के मामले में

.... **आवेदक**

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''दिल्ली राज्य'' से ''हरियाणा राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए गुरुवार, 20 जून, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदह) दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पतेः बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

एच. नं. 207, गली नं. 8, ब्लॉक-एफ, एम.बी. एक्स्टेंशन, बदरपुर, नई दिल्ली-110044

आवेदक के लिये तथा उसकी ओर से
हस्ता./-
नवीन भटनागर
स्थानः नई दिल्ली (निदेशक)
तिथिः 19.08.2019 DIN: 07799979

भारत एकांश लिमिटेड

पंजी. कार्या.: एच.नं. 116, एफ/एफ, ग्राम कोटला, मयूर विहार फेज-1, हुकुम सिंह डेयरी के निकट, दिल्ली-110091
CIN: L74899DL1985PLC020973
Ph. No. 9355777335-36
Website: www.bharatekansh.com
Email: bharat.ekansh.ltd@gmail.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन 2015 (सूचीयन विनियमन) के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारत एकांश लिमिटेड के निदेशक मंडल की एक बैठक मंगलवार, 27 अगस्त, 2019 को आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ ऑडिट समिति द्वारा इन परिणामों की समीक्षा के बाद 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही तथा वित्त वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों तथा कार्य-सूची के अनुसार अन्य मदों पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे।

भारत एकांश लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
तिथिः 19.8.2019 भावना तलरेजा
स्थानः दिल्ली कम्पनी सचिव

पूर्वोत्तर रेलवे

ई-टेन्डरिंग निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिये मण्डल रेल प्रबन्धक/(विद्युत)/वाराणसी, निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन (ई-टेन्डरिंग) के माध्यम से 'खुली' निविदा आमंत्रित करते हैं।

क्रम सं0 1:- निविदा सूचना सं0 : ई-निविदा-एल-06-19-20.
ई-निविदा का नाम : आजमगढ़ कोचिंग डिपो में मौजूदा शिक लाइन के लिए कवर शेड (42x10 मीटर) के प्रावधान से सम्बन्धित विद्युतीय कार्य। **अनुमानित लागत : ₹ 1164681.28, अमानत राशि : ₹ 23300/-, निविदा प्रपत्र का मूल्य : ₹ 2000/-** कार्य समापन का समय : 90 दिन।

क्रम सं0 2:- निविदा सूचना सं0 : ई-निविदा-एल-07-19-20.
ई-निविदा का नाम : वाराणसी में आधुनिक प्रणालीय प्रशिक्षण संस्थान के प्रावधान से सम्बन्धित विद्युतीय कार्य। **अनुमानित लागत : ₹ 1500270.21, अमानत राशि : ₹ 30000/-, निविदा प्रपत्र का मूल्य : ₹ 2000/-** कार्य समापन का समय : 90 दिन।

क्रम संख्या 1 एवं 2 के लिए निविदा समापन की तिथि एवं समयः **निविदा बन्द होने की तिथि 23.09.2019 को 15.00 बजे।**
क्रम संख्या 1 एवं 2 के लिए निविदा खोलने की तिथि एवं समयः **निविदा खुलने की तिथि 23.09.2019 को 15.30 बजे।**
इस ई-निविदा का पूर्ण विवरण एवं निविदा में भाग लेने हेतु भारतीय रेल की वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर देखें।

वरिष्ठ मण्डल विद्युत इंजीनियर/
मुजाधि/विद्युत-53 सामान्य, वाराणसी

गाड़ी सुविधा सम्बन्धित शिकायत हेतु मोबाइल नं0 09794845955 पर एस.एम.एस करें।
गाड़ियों की छतों व पायदान पर कदापि यात्रा न करें

फॉर्म आईएनसी-26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन

केंद्र सरकार के समक्ष, उत्तरी क्षेत्र

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) खंड (ए) के मामले में

और

टी ए वाई कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-1/38, दूसरा फ्लोर, हौज खास, नई दिल्ली 110016, भारत में है के मामले में

...याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **"दिल्ली की रा.रा.क्षे."** से **"हरियाणा राज्य"** में स्थानान्तरित करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत 16 अगस्त, 2019 को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुकूल, केंद्र सरकार के समक्ष कंपनी की संस्था बहि नियमावली में परिवर्तन करने का आवेदन प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है तो वह निवेशक शिकायत फॉर्म फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या शपथ पत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदह) दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2 फ्लोर, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 को सूचित करें और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी को निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पर भेजें:

पंजीकृत कार्यालयः बी-1/38, दूसरा फ्लोर, हौज खास, नई दिल्ली 110016, भारत

कृते और आवेदक की ओर से
टी ए वाई कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/-
(मरोती वैलंगानाराजु)
स्थानः दिल्ली निदेशक
दिनांकः 20 अगस्त, 2019 DIN: 07740888

विन्सी बिल्डटेक प्राईवेट लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः प्लॉट नं.-255, ऑफिस नं.-304ए, IIIरा तल, तेन सिंह पैलेस, राकेश मार्ग, गाजियाबाद, उ.प्र.-201001 (भारत)
CIN No. U74999UP2017PTC098994
ई-मेल आईडीः vincybuildtech19@gmail.com, **मोबाईल नं.** +91-7428435045 केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) तथा कम्पनी निगमन नियमावली, 2014 के नियम 30(6)(ए) के मामले में

तथा

मै. विन्सी बिल्डटेक प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. 255, कार्यालय नं.-304ए, IIIरा तल, तेन सिंह पैलेस, राकेश मार्ग, गाजियाबाद, उ.प्र.-201001 (भारत) में है, के मामले में

.... **आवेदक**

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्लॉट नं. 255, कार्यालय नं.-304ए, IIIरा तल, तेन सिंह पैलेस, राकेश मार्ग, गाजियाबाद, उ.प्र.-201001 (भारत) उत्तर प्रदेश राज्य से ख.नं. 704, भूतल, ग्राम अलीपुर, लैंडमार्क केक फैक्ट्री-110036, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए सोमवार, 10 जून, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉज-II परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक) के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ-पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के कार्यालय उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

बोर्ड के लिये तथा उसकी ओर से
विन्सी बिल्डटेक प्राईवेट लिमिटेड
श्री पंकज कुमार शर्मा
तिथिः 19.8.2019 **(निदेशक)**
स्थानः उत्तर प्रदेश DIN: 08302798

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! **punjab national bank** ...the name you can BANK upon!

सामान्य सेवा प्रशासन प्रभाग
प्रधान कार्यालय, प्लाट सं0-4, सेक्टर-10, द्वारका नई दिल्ली-110075
hogad@pnb.co.in (011-28044687)

पेंशनभोगियों (रक्षा कार्मिकों हेतु) सहित पीएनबी वेतन खाताधारकों के लिए बेनाम समूह के व्यक्तिगत बीमा पॉलिसियों के नवीकरण हेतु बोलियाँ (बिड्स) प्रस्तुत करने हेतु सूचना।

पंजाब नैशनल बैंक, पेंशनभोगियों (रक्षा कार्मिकों हेतु) सहित पीएनबी वेतन खाताधारकों के लिए बेनाम समूह के व्यक्तिगत बीमा पॉलिसियों के नवीकरण हेतु आरएफपी में उल्लिखित पात्रता मानदंडों के अनुसार सामान्य बीमा कंपनियों से मुहरबंद बोलियाँ (बिड्स) प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता है।

विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट **https://www.pnbindia.in/Tender.aspx** पर जाएं। पात्र कंपनियाँ अपनी बोलियों (बिड्स) को उप-महाप्रबंधक, पंजाब नैशनल बैंक, सामान्य सेवा प्रशासन प्रभाग, प्रधान कार्यालय, प्लॉट नं० 4, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 को दिनांक **26.08.2019** को या उससे पूर्व **सांय 3.00 बजे** तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

मुख्य प्रबंधक (9816610262)

परिसंपत्तियों की ऑन-लाइन ई-नीलामी बिक्री

फिनिक्स एआरसी प्राईवेट लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः दानी कॉर्पोरेट पार्क, 5वाँ तल, 158, सी.एस.टी. रोड, कलीना, शांताक्रुज (ई), मुंबई-400098, टेली.: 022-67412314, फैक्सः 022-67412313
CIN: U67190MH2007PTC168303, **ई-मेलः info@phoenixarc.co.in,**
वेबसाईटः www.phoenixarc.co.in, http://phoenixarc.co.in/saleauction.php?id=NDY4

ऑनलाईन ई-नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

(प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली, 2002 के नियम 6, 7, 8 एवं 9 के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (''सरफैसी अधिनियम'') के प्रावधानों के अनुसार।)

एतद्द्वारा सामान्य रूप से जनता को तथा विशेष रूप से ऋणधारकों एवं गारंटरों को सूचित किया जाता है कि फिनिक्स ट्रस्ट एफवाई 17-09 के ट्रस्टी की हैसियत में कार्यरत फिनिक्स एआरसी प्राईवेट लिमिटेड (फिनिक्स) के पास गिरवी रखी गयी नीचे वर्णित सम्पत्ति (एसाइन्मेंट अनुबंध तिथि 24.3.2017 के माध्यम से फिनिक्स के पक्ष में देना बैंक के द्वारा ऋणों के एसाइन्मेन्ट के अनुपालन में) की वेबसाईट **https://www.bankeauctions.com** के माध्यम से प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6, 7, 8 एवं 9 के साथ पठित सरफैसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नीचे वर्णित बकाए तथा आगे के ब्याज, शुल्कों एवं लागतों आदि की वसूली के लिए ''ऑनलाइन ई-नीलामी'' द्वारा ''जैसा है जहां है'' आधार तथा ''जो भी वहां है'' शर्त पर बिक्री की जाएगी।

ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों का नाम	(i) डैश एक्स्पोर्टस प्राईवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालयः 1102-बी, पर्ल्स बिजनेस पार्क, नेताजी सुभाष पैलेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली (ii) श्री केवल कृष्ण कुमार, निवासीः 15/61, पंजाबी बाग (वेस्ट) नई दिल्ली-110026 (iii) श्री सिद्धार्थ कुमार, निवासीः 15/61, पंजाबी बाग (वेस्ट) नई दिल्ली-110026 (iv) श्रीमती सुनंदा कुमार, निवासीः 15/61, पंजाबी बाग (वेस्ट) नई दिल्ली-110026 (v) शक्ति भोग, फूड्स लिमिटेड, 1101-1103, पर्ल बिजनेस पार्क, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034, साथ हीः 24 एसएसआई इंडस्ट्रियल एरिया, जी.टी. करनाल रोड, दिल्ली-110033 तथा 403-405, 4 था तल, कृष्णा अपरा बिजनेस स्क्वायर, नेताजी सुभाष प्लेस, नई दिल्ली-110034
सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना के अनुसार बकाया राशि/प्रतिभूत ऋण	15.1.2016 को रु. 64,49,00,000/- (रुपए चौंसठ करोड़ उन्चास लाख मात्र) के साथ सम्पूर्ण बकाये के भुगतान तक अनुबंधित दर पर 16.1.2016 से ब्याज।
सरफैसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत ली गई कब्जा	भौतिक
निरीक्षण की तिथि	4.9.2019 (चार सितम्बर दो हजार उन्नीस) (बुधवार)- 12.00 अप. से 2.00 अप. तक।
धरोहर राशि भुगतान	ईएमडी राशिः रु. 4,60,27,500/- (रुपए चार करोड़ साठ लाख सत्ताईस हजार पांच सौ मात्र) धरोहर राशि का भुगतान ''फिनिक्स ट्रस्ट एफवाई 17-9'', चालू खाताः 0812529157; कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, शाखाः बीकेसी, आईएफएससी कोडः KKBK0001368 के पक्ष में आरटीजीएस के द्वारा किया जाएगा। यदि ईएमडी का भुगतान चेक/डीडी/पे आर्डर द्वारा किया जाता है तो चेक/डीडी/पे आर्डर ''फीनिक्स ट्रस्ट एफ वाई 17-9'' के पक्ष में बनाया जायेगा जिसे कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड शाखा बीकेसी के चालू खाता नं.: 0812529157 में जमा किया जायेगा तथा चेक/डीडी/पे आर्डर बोली जमा करने की अंतिम तिथि को या उससे पूर्व फीनिक्स ट्रस्ट एफवाई 17-9 की खाता में भुनाई जाएगी तथा क्लीयर क्रेडिट प्राप्त की जायेगी।
बोली (ई-नीलामी) जमा करने की तिथि	17.9.2019 (सत्तरह सितम्बर दो हजार उन्नीस) (मंगलवार) 8.00 बजे अप. से पूर्व।
आरक्षित मूल्य	रु. 46,02,75,000/- (रुपए छियालिस करोड़ दो लाख पचहत्तर हजार मात्र)
बोली में वृद्धि	रु. 5,00,000/- एवं उसके गुणकों में
ई-नीलामी की तिथि	18.9.2019 (अठारह सितम्बर दो हजार उन्नीस) (बुधवार) 11.00 बजे पूर्वा. से 12.00 बजे दोपहर तक।
नीलामी की पद्धत्ति	ऑन लाइन ई-नीलामी
नीलामी की जा रही प्रतिभूत परिसंपत्ति का विवरण	श्रीमती सुनंदा कुमार के स्वामित्व में सम्पत्तिः उस पर विद्यमान सभी निर्माणों, फिटिंग्स, साजो सामान, पानी एवं बिजली के कनैक्शनों, प्लान्टेशन आदि के साथ प्लॉट नं. 17, रोड नं. 77, वेस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026 के पार्ट माप 1000 वर्ग यार्ड्स तथा पार्ट माप 1609.26 वर्ग यार्ड्स, कुल माप 2609.25 वर्ग यार्ड्स का सभी भाग तथा हिस्सा तथा चौहद्दी इस प्रकार हैः उत्तरः सम्पत्ति सं. 15, दक्षिणः रोड नं. 74, पूर्वः रोड नं. 77, पश्चिमः लेन।

नियम एवं शर्तें:

1. यह नीलामी बिक्री प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई-नीलामी की मदद एवं माध्यम से सरफैसी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। नीलामी/बिक्री केवल वेबसाईट http://www.bankeauctions.com के माध्यम से ''ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पद्धत्ति'' में ही होगी। ई-नीलामी मंच की व्यवस्था करने के लिए **M/s C1 India Private Limited** सेवा प्रदाता है।
2. यह नीलामी बोली दस्तावेजों के विस्तृत नियमों एवं शर्तों तथा उसमें निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाएगी। बोली दस्तावेजों, नीलामी पर रखी गई प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विवरणों/ बोली प्रपत्र प्राप्त करने के लिए बोलीदाता फिनिक्स की वेबसाईट www.phoenixarc.co.in तथा सेवा प्रदाता की वेबसाईट www.bankeauctions.com देखें।
3. बोलीदाता अपने स्वयं के कार्यालय/पसंद की जगह से ई-नीलामी कोटिंग/ बोली में भाग ले सकते हैं। बोलीदाता को स्वयं ही इन्टरनेट कनैक्टिविटी की व्यवस्था करनी होगी। प्राधिकृत अधिकारी/फिनिक्स/सेवा प्रदाता इन्टरनेट कनैक्टिविटी, नेटवर्क की समस्या, सिस्टम की विफलता, बिजली आपूर्ति में बाधा आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
4. विवरणों, सहायता, ई-नीलामी, प्रक्रिया तथा ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता मै. सी. I इंडिया प्राईवेट लिमिटेड संपर्क संख्याः 91-120-4888888, 91-124-4302020/ 2021/ 2022/ 2023/ 2024, 09594597555, ई-मेल आईडीः support@bankeauctions.com से सम्पर्क करें।
5. नीलामी में रखी गयी प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण/बोली प्रपत्र प्राप्त करने के लिए बोलीदाता फिनिक्स की वेबसाईट www.phoenixarc.co.in भी देख सकते हैं।
6. ई-नीलामी यहां ऊपर वर्णित तिथि एवं समय में आयोजित की जाएगी जब उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्ति की ''जैसा है जहां है आधार'' तथा ''जो भी वहां है'' शर्त पर बिक्री की जाएगी।
7. सभी इच्छुक क्रेताओं/ बोलीदाताओं को उपरोक्त पोर्टल http:// www.bankeauction.com पर अपना नाम पंजीकृत करना होगा तथा उपरोक्त तिथि एवं समय को ई-नीलामी में भाग लेने के लिए निशुल्क यूजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा।
8. ई नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक क्रेता/ बोलीदाता को 17.9.2019 को या उससे पूर्व पैन कार्ड, कंपनी के मामले में बोर्ड के प्रस्तावों तथा पता के प्रमाण को प्रतियों के साथ प्रतिभूत परिसंपत्ति के आरक्षित मूल्य के 10% की प्रतिदेय धरोहर राशि के भुगतान के विवरणों को जमा करना होगा।
9. सफल क्रेता/ बोलीदाता को 18.9.2019 अर्थात नीलामी की तिथि को बैंकिंग अवधि या उससे पूर्व यहां ऊपर वर्णित खाता में आरटीजीएस के द्वारा अपने प्रस्ताव की 25% (ईएमडी सहित) राशि का भुगतान करना होगा जिस भुगतान की पुष्टि फिनिक्स द्वारा की जाएगी अन्यथा बिक्री विफल मानी जाएगी तथा उक्त सफल क्रेता/ बोलीदाता की ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
10. अन्य बोलीदाता जो ई-नीलामी में सफल नहीं होंगे, की ईएमडी नीलामी की समाप्ति के 48 घंटे के भीतर फिनिक्स द्वारा वापस लौटा दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
11. सफल क्रेता/ बोलीदाता को उक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति की बिक्री की पुष्टि के 15 (पंद्रहवें) दिन या उससे पूर्व अथवा लिखित में स्वीकृत विस्तारित अवधि के भीतर क्रय मूल्य की शेष राशि का भुगतान करना होगा। डिफॉल्ट की स्थिति में उस समय तक जमा की गई सभी राशि जब्त कर ली जाएगी।
12. सम्पत्ति के निरीक्षण अथवा अधिक जानकारी के लिए संभावित बोलीदाता श्री सुरेश बरियम/श्री पार्थ मिश्रा से उपरोक्त पते पर अथवा suresh.variyam@phoenix arc.co.in/ parth.mishra@phoenix arc.co.in (ई मेल) या 07506490036/08291950363 (मोबा.) पर संपर्क करें।
13. यह बोलीदाता का एकाकी उत्तरदायित्व होगा कि वे प्रतिभूत परिसंपत्ति के अधिकारों, नीलामी पर रखी गई संपत्तियों के टाइटल, प्रतिभूत परिसंपत्ति को प्रभावित करने वाले दावे/ अधिकारों/ बकाए सहित सांविधिक देयताओं तथा विनिर्देशनों के विषय में बोली जमा करने से पूर्व उसका निरीक्षण, जांच कर लें तथा स्वयं को संतुष्ट कर लें।
14. समाचार पत्रों में प्रकाशित नीलामी सूचना में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी में प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन किसी प्रकार की त्रुटि, गलती अथवा गलत विवरणों के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।
15. नीलामी के किसी भी चरण में प्राधिकृत अधिकारी उसका कोई भी कारण बताए बिना तथा बिना किसी पूर्व सूचना के बोली/ प्रस्ताव को स्वीकार/ अस्वीकार/ संशोधित निरस्त या नीलामी को निलंबित कर सकते हैं।
16. लागू होने वाले कानून के अनुसार उनके/अपने पक्ष में संपत्ति को प्राप्त करने के लिए सफल क्रेता/ बोलीदाता को जमा किए जाने के लिए वांछित किसी प्रकार के वैधानिक बकाए, कर, देय शुल्क, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, आदि का वहन करना होगा।
17. ऋण धारक/ गारंटर्स जो उक्त बकाया राशि के देनदार हैं, वे उपरोक्त नीलामी बिक्री के आयोजन के विषय में प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली के नियम 9 क्लॉज (1) के अंतर्गत इस बिक्री सूचना को एक सूचना रूप मे समझें।
18. यदि किसी भी कारण से यहां ऊपर वर्णित नीलामी कार्यक्रम विफल होती है तो फीनिक्स को सरफैसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत निजी संधि द्वारा इस सूचना के माध्यम से नीलामी के अंतर्गत प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री करने का अधिकार प्राप्त है।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया फीनिक्स एआरसी प्राईवेट लिमिटेड की वेबसाईट अर्थात www.phoenixarc.co.in अथवा http://phoenixarc.co.in/ saleauction.php?id=NDY4 में दी गई लिंक देखें।

हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः नई दिल्ली फिनिक्स एआरसी प्राईवेट लिमिटेड
तिथिः 20.8.2019 फिनिक्स ट्रस्ट एफवाई 17-9

PUBLIC ANNOUNCEMENT TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF
SANTOSH INDUSTRIES LIMITED

CIN: L51909WB1960PLC024531, Registered Office: 3A, Auckland Place, 3rd Floor, Suite No. 3A, Kolkata- 700017
Tel. No. : (033) 2290 2277/ 3377; Fax No. : (033) 2290 4477, Email: sil@bmd.net.in, Website: www.santoshindustrieslimited.in

This Public Announcement ("**PA**") is being issued by Mr. Surendra Kumar Dugar, Mrs. Madhu Dugar, Mrs. Pratibha Dugar, Mr. Sanyam Dugar, Mr. Rishabh Dugar, Mr. Shreyans Dugar, Mrs. Vinita Dugar, Mr. Anant Dugar, Surendra Kumar Dugar HUF and Kamal Kumar Dugar HUF, all forming part of the Promoters/ Promoter Group (hereinafter collectively referred to as the "**Acquirers**"), to the public shareholders [as defined under Regulation 2(1)(v) of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 as amended (the "**Delisting Regulations**") referred to as the "**Public Shareholders**"] of M/s. Santosh Industries Limited (hereinafter referred to as the "**Company**"/ "**SIL**") in respect of the proposed acquisition and voluntary delisting of fully paid-up equity shares of the Company from both BSE Limited ("**BSE**") and The Calcutta Stock Exchange Limited ("**CSE**") (hereinafter collectively referred to as the "**Stock Exchanges**") where the equity shares of the Company are currently listed pursuant to Regulation 10 and other applicable provisions of the Delisting Regulations and in accordance with the terms and conditions set out below (the "**Offer**" or "**Delisting Offer**").

1. BACKGROUND OF THE DELISTING OFFER:

1. i) M/s. Santosh Industries Limited ("**Company**"/ "**SIL**") was originally incorporated as "Santosh Industries Private Limited" on 25.01.1960 with the Registrar of Companies, West Bengal. Pursuant to the receipt of shareholders approval on 25.02.1981, the name of the Company was rechristened to its present name, i.e. M/s. Santosh Industries Limited, and a fresh Certificate of Incorporation consequent upon change of name was issued on 06.04.1981 by the Registrar of Companies, West Bengal. The CIN of SIL is L51909WB1960PLC024531. The registered office of the Company is presently situated at 3A, Auckland Place, 3rd Floor, Suite No. 3A, Kolkata- 700 017 with Tel. No.- 033- 2290 2277/ 3377, Fax No.: 033- 2290 4477 E-mail Id: sil@bmd.net.in and Website: www.santoshindustrieslimited.in. The equity shares of the Company are presently listed on both BSE and CSE.

1. ii) As on the date of the Public Announcement, the capital structure of the SIL is as follows:

Particulars	No. of shares	Face Value per share	Total Value (Rs.)
Authorized Share Capital	50,00,000	10/-	5,00,00,000/-
- Equity Shares	48,50,000	10/-	4,85,00,000/-
- 7% Tax Free Redeemable Cumulative Preference Shares	15,000	100/-	15,00,000/-
Issued, Subscribed and Paid-up Equity Share Capital	48,14,575	10/-	4,81,45,750/-

1.iii) As on the date of this Public Announcement, the Promoter and Promoter Group of the Company hold 3561010 equity shares of face value Rs. 10/- each representing 73.96% of the fully paid- up equity shares of the Company.

1.iv) The Acquirers are hereby making this Delisting Offer to all the public shareholders of the Company to acquire from them 1253565 equity shares ("**Offer Shares**") representing 26.04% of the fully paid-up equity share of the Company pursuant to Regulation 5 read with Chapter IV and other applicable provisions of the Delisting Regulations. If the Delisting Offer is successful as defined in paragraph 14 of this PA, the Acquirers will apply for delisting of the equity shares of the Company from both BSE & CSE where they are currently listed, in accordance with the Delisting Regulations and on the terms set out in this Public Announcement, the Letter of Offer and any other delisting offer documents. Consequent to such actions, the equity shares of the Company shall be delisted from both BSE & CSE.

1. v) Pursuant to the letter dated 25.03.2019, the Promoters of SIL have conveyed their intention to make voluntary delisting offer to acquire the Offer Shares, either by himself or along with persons forming part of the Promoter Group of SIL, and to delist the equity shares of the Company from the Stock Exchanges where equity shares are presently listed and requested the Board of Directors of the Company to approve the Delisting Offer and to seek the requisite approval from the Public Shareholders in accordance with the Delisting Regulations. The receipt of the Intention Letter was notified by the Company to the Stock Exchanges on 26.03.2019 ("**Notification Date**"/ **"Reference Date**").

1.vi) The Board of Directors, at its meeting held on 26.03.2019, took on record the Intention Letter and confirmed the appointment of M/s. VC Corporate Advisors Private Limited as the Merchant Banker ("**Merchant Banker**") for carrying out due diligence as required in terms of Regulations 8(1A)(ii) and 8(1D) of the Delisting Regulations. The outcome of the said board meeting was informed to the Stock Exchanges on 26.03.2019 only.

1.vii) On 29.03.2019, the Company received a letter from the Acquirers, providing the details of the floor price for the Delisting Offer, along with a certificate provided by Mr. Ashis Baran Bose, proprietor of A. B. Bose & Associates, Chartered Accountants, certifying the Floor Price for the Delisting Offer to be Rs. 305.71 (Rupees Three Hundred and Five and Seventy One Paisa Only) per equity share computed in accordance with the Delisting Regulations read with Regulation 8 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 ["**Takeover Regulations**"] ("**Floor Price Letter**").

1.viii) The Board of Directors, in their meeting on 29.03.2019, inter-alia passed the following resolutions:

- took on record the Due Diligence Report submitted by the Merchant Banker;
- based on the information available with the Company and after taking on record the undertakings confirmation from the Promoter or Promoter Group of the Company and the Due Diligence Report, the Board of Directors have certified in accordance with Regulation 8(1B) of Delisting Regulations that (a) the Company is in compliance with applicable provisions of securities law; (b) the Acquirers/ Promoter or Promoter Group or their related entities are in compliance with sub-regulation (5) of Regulation 4 of Delisting Regulations; and (c) the delisting is in the interest of the shareholders;
- approved the Delisting Offer in terms of Regulation 8(1)(a) of the Delisting Regulations subject to the approval of shareholders of the Company by way of special resolution through Postal Ballot;
- took on record Floor Price Letter; and
- approved the notice of postal ballot in order to take the approval of shareholders by way of Postal Ballot in accordance with Regulation 8(1)(b) of Delisting Regulations and in accordance with the provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and other applicable laws.

The Company notified the outcome of the aforesaid Board Meeting to the Stock Exchanges on 29.03.2019 only.

1.ix) The shareholders of the Company approved the Delisting Offer by way of special resolution in accordance with the Delisting Regulations based on the results of the Postal Ballot declared on 06.05.2019 at the registered office of the Company and the same was notified to the Stock Exchanges on the same date. As part of the said resolution, the votes cast by the Public Shareholders in favour of the Delisting Offer were more than two times the number of votes cast by the Public Shareholders against it.

1. x) The Company has been granted in-principle approval for delisting of the equity shares of the Company from BSE vide their letter no. LO/Delisting/VM/IP/149/2019-20 dated 24.07.2019 and CSE vide their letter no. CSE/LD/14779/2019 dated 16.08.2019 received on 19.08.2019 in accordance with Regulation 8(3) of the Delisting Regulations.

1.xi) This PA is being issued in the following newspapers as required under the Regulation 10(1) of the Delisting Regulations:

Newspapers	Languages	Editions
The Financial Express	English	All India Edition
Jansatta	Hindi	All India Edition
Mumbai Lakshadweep	Marathi	Mumbai Daily Edition
Sukhabar	Bengali	Kolkata Daily Edition

1.xii) Any changes, modifications or amendments to the Public Announcement, if any, will be notified by way of issuing corrigendum in all of the aforesaid newspapers.

1.xiii) The Delisting Offer is subject to the acceptance of the Discovered Price (defined below in Paragraph 13 of this Public Announcement), determined in accordance with the Delisting Regulations, by the Acquirers. The Acquirers may also, at their discretion, propose: (i) a price higher than the Discovered Price for the purposes of the Delisting Offer; or (ii) a price which is lower than the Discovered Price but not less than the book value of the Company as certified by the Merchant Banker, in terms of regulation 16(1A) of the Delisting Regulations ("**Counter Offer Price**"). Any Discovered Price that is accepted by the Acquirers for the Delisting Offer, a higher price that is offered by the Acquirers for the Delisting Offer at their discretion, or a Counter Offer Price that results in shareholding of the Promoter and Promoter Group reaching 90% of the total equity shares outstanding pursuant to acceptance of the Counter Offer Price by Public Shareholders, shall hereinafter be referred to as the "**Exit Price**".

1.xiv) The Acquirers reserve the right to withdraw the Delisting Offer in certain cases as set out in Paragraph 21 of this Public Announcement.

2. NECESSITY AND OBJECTIVE OF DELISTING OFFER:

The objective of making the delisting offer is to obtain full ownership of equity shares of the Company, which will provide the Promoter or Promoter Group with operational flexibility to support the Company's business and future financing needs. Other reasons include (i) ongoing expenses with the maintenance of listing on both BSE and CSE will be reduced, including investor relations expenses; (ii) the management's time can be dedicated to the Company's business and time dedicated to compliance with listing requirements gets reduced.

3. BACKGROUND OF THE ACQUIRERS:

3. i) **Mr. Surendra Kumar Dugar**

Mr. Surendra Kumar Dugar, Managing Director, aged about 60 years and holds a degree in Bachelor of Science. He is the member of Promoter Group and currently holds 642700 equity shares representing 13.35% of the fully paid-up equity shares of the Company.

3. ii) **Mrs. Madhu Dugar**

Mrs. Madhu Dugar, Woman Director, aged about 48 years, and holds a degree in Bachelor of Commerce. She is the member of Promoter Group and currently holds 250000 equity shares representing 5.19% of the fully paid-up equity shares of the Company.

3.iii) **Mrs. Pratibha Dugar**

Mrs. Pratibha Dugar, aged about 49 years and holds a degree in Bachelor of Arts. She is the member of Promoter Group and currently holds 130000 equity shares representing 2.70% of the fully paid-up equity shares of the Company.

3.iv) **Surendra Kumar Dugar HUF**

Surendra Kumar Dugar Hindu Undivided Family, was incorporated on 01.01.2001. Mr. Surendra Kumar Dugar is the Karta and its registered address is situated at 201, Vaishno Chambers, 6 Brabourne Road, Kolkata -700001. The said HUF forms part of the Promoter Group and currently holds 188000 equity shares representing 3.90% of the fully paid-up equity shares of the Company.

3. v) **Mr. Sanyam Dugar**

Mr. Sanyam Dugar, aged about 25 years has done Masters of Science in Economics. He is the member of Promoter Group and currently holds 125000 equity shares representing 2.60% of the fully paid-up equity shares of the Company.

3.vi) **Mr. Rishabh Dugar**

Mr. Rishabh Dugar, aged about 36 years has done Masters in Business Administration. He is the member of Promoter Group and currently holds 124435 equity shares representing 2.58% of the fully paid-up equity shares of the Company.

3.vii) **Mr. Shreyans Dugar**

Mr. Shreyans Dugar, aged about 27 years has done graduation in Economics and Finance. He is the member of Promoter Group and currently holds 108700 equity shares representing 2.26% of fully paid-up equity shares of SIL.

3.viii) **Mr. Anant Dugar**

Mr. Anant Dugar, aged about 26 years and has done Bachelor of Science in Mechanical Engineering. He is the member of Promoter Group and currently holds 75000 equity shares representing 1.56% of the fully paid-up equity shares of the Company.

3.ix) **Mrs. Vinita Dugar**

Mrs. Vinita Dugar, aged about 56 years is an Undergraduate. She is the member of Promoter Group and currently holds 100000 equity shares representing 2.08% of the fully paid-up equity shares of the Company.

3. x) **Kamal Kumar Dugar HUF**

Kamal Kumar Dugar Hindu Undivided Family was incorporated on 12.03.1999. Mr. Kamal Kumar Dugar is the Karta and its registered address is situated at 504, Vaishno Chambers, 6 Brabourne Road, Kolkata -700001. The said HUF forms part of the Promoter Group and currently holds 70000 equity shares representing 1.45% of the fully paid-up equity shares of the Company.

3.xi) As per the Certificate dated 09.08.2019 issued by Mr. Kamal Kishor Poddar, Partner of M/s. VKR & Co. (Membership No. 062844 & Firm Registration No. 328237E, UDIN NO. 19062844AAAAAA3107, Chartered Accountants, having office at 3A, Bow Street, 1st Floor, Room No. 4, Kolkata- 700012, Tel. No.- 033 4004 7745, Email: vkroffice@gmail.com has certified that the Acquirers have adequate resources to implement the Delisting Offer in full.

3.xii) No individual belonging to the Promoters/ Promoter Group of SIL has sold any equity shares of the Company during the six months preceding the date of the Board Meeting i.e., 29.03.2019, wherein the Delisting Offer was approved. Further, the Acquirers or any other person/ entity forming part of the Promoter or Promoter Group of SIL have undertaken not to sell the equity shares of the Company until the earlier of (i) completion of the Delisting Offer in accordance with the Delisting Regulations; or (ii) failure of the Delisting Offer in accordance with the Delisting Regulations.

3.xiii) Neither the Acquirers nor any of the Promoters/ Promoter Group of SIL has been prohibited by the SEBI from dealing in securities, in terms of directions issued under section 11B of the SEBI Act, 1992 as amended ("**SEBI Act**") or under any other regulation made under the SEBI Act.

3.xiv) The Acquirers hereby invite all the Public Shareholders of the Company to bid in accordance with the reverse book building process of the BSE and on the terms and subject to the conditions set out herein, all of their Offer Shares.

3.xv) The Acquirers have, as detailed in Paragraph 19 of this Public Announcement made available all the requisite funds necessary to fulfill the obligations of the Acquirers under the Delisting Offer.

4. BACKGROUND OF THE COMPANY – SANTOSH INDUSTRIES LIMITED ("SIL"):

4. i) Santosh Industries Limited ("**SIL**") was originally incorporated as "Santosh Industries Private Limited" on 25.01.1960 with the Registrar of Companies, West Bengal. Pursuant to the receipt of shareholders approval on 25.02.1981, the name of the Company was rechristened to its present name, i.e. Santosh Industries Limited, and a fresh Certificate of Incorporation consequent upon change of name was issued on 06.04.1981 by the Registrar of Companies, West Bengal. The Corporate Identity Number ["**CIN**"] of SIL is L51909WB1960PLC024531. The Registered Office of the Company is presently situated at 3A, Auckland Place, 3rd Floor, Suite No. 3A, Kolkata- 700017 with Tel No.: (033) 2290 2277/ 3377, Fax No.: (033) 2290 4477, E-mail Id: sil@bmd.net.in, Website: www.santoshindustrieslimited.in.

4. ii) The Company is presently engaged in the business of investments and dealing in shares and securities, and providing loans and advances. SIL is registered with the Reserve Bank of India as a Non-Banking Financial Company having Registration No. 05.01890 w.e.f. 30.04.1998.

4.iii) The authorized capital of the Company is Rs. 5,00,00,000/- (Rupees Five Crores Only) consisting of 48,50,000 (Forty Eight Lakhs Fifty Thousand) equity shares of the face value of Rs. 10/- each and 15,000 7% Tax Free Redeemable Cumulative Preference Shares of the face value of Rs. 100/- each. The paid-up equity share capital of the Company is Rs. 4,81,45,750/- (Rupees Four Crores Eighty One Lakhs Forty Five Thousand Seven Hundred Fifty Only) consisting of 4814575 fully paid-up equity shares of face value of Rs.10/- each. There are no outstanding convertible instruments, warrants or stock-options as on the date of this PA. None of the equity shares held by the Public Shareholders of the Company are subject to any lock–in requirements. The equity shares of the Company are presently listed at both BSE & CSE.

4.iv) As on the date of the PA, the Directors of the Company are Mr. Surendra Kumar Dugar, Mr. Ajit Kumar Bachhawat, Mr. Tulsi Kumar Dugar, Mrs. Madhu Dugar, Mr. Kamal Kumar Dugar and Mr. Umang Lodha.

4. v) A brief summary of the standalone audited financials of the Company for the Financial Years ended 31.03.2017, 31.03.2018 and 31.03.2019 are as follows:

(Amount Rs. In Lakhs except BV)

Particulars	Year ended 31.03.2019 (Audited)	Year ended 31.03.2018 (Audited)	Year ended 31.03.2017 (Audited)
Paid up share capital	481.46	481.46	481.46
Reserves & Surplus	25910.98	25269.10	23372.58
Networth	**263922.44**	**275750.56**	**23854.04**
Total Non Current Liabilities	-	-	-
Total Current Liabilities	515.70	515.60	66.11
Total Equity & Liabilities	**36445.93**	**35803.95**	**33457.94**
Total Non Current Assets	32754.96	30624.05	29495.55
Total Current Assets	3690.97	5179.90	3962.39
Total Assets	**36445.93**	**35803.95**	**33457.94**
Book Value per Share in Rs. (BV)	548.18	534.79	495.41

(Amount Rs. In Lakhs except EPS)

Particulars	Year ended 31.03.2019 (Audited)	Year ended 31.03.2018 (Audited)	Year ended 31.03.2017 (Audited)
Revenue from Operations	2145.39	2421.97	2385.78
Other Income	2.38	1.78	0
Total Income	**2147.77**	**2423.75**	**2385.78**
Less: Total Expenses	803.94	262.96	379.85
Profit /(Loss) before exceptional items and Tax	**1343.83**	**2160.79**	**2005.93**
Less: Exceptional Items	500.00	-	-
Profit (Loss) before Tax from continuing operations	**843.83**	**2160.79**	**2005.93**
Less: Tax expense	80.73	264.27	201.49
Net Profit/ (Loss) for the period from continuing operations	**763.10**	**1896.52**	**1804.44**
Net Profit / (Loss) from discontinued operations	**763.10**	**1896.52**	**1804.44**
Profit/(Loss) for the period	**763.10**	**1896.52**	**1804.44**
Earnings/ (Loss) per Equity Share ["**EPS**"]of Face Value of Rs. 10/- each):			
For Continuing Operations:- Basic and Diluted EPS	**15.85**	**39.39**	**37.48**
For Discontinued Operations:- Basic and Diluted EPS	**15.85**	**39.39**	**37.48**

5. PRESENT CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN OF THE COMPANY:

5. i) The authorized share capital of the Company is Rs. 5,00,00,000/- (Rupees Five Crores Only) consisting of 4850000 (Forty Eight Lakhs Fifty Thousand) equity shares of the face value of Rs. 10/- each and 15000 7% Tax Free Redeemable Cumulative Preference Shares of the face value of Rs. 100/- each. The paid-up equity share capital of the Company is Rs. 4,81,45,750/- (Rupees Four Crores Eighty One Lakhs Forty Five Thousand Seven Hundred Fifty Only) consisting of 4814575 fully paid-up equity shares of the face value of Rs.10/- each. There are no outstanding convertible instruments, warrants or stock-options as on the date of this PA. None of the equity shares held by the Public Shareholders of the Company are subject to any lock–in requirements. None of the Acquirers and other members of the Promoter Group of the Company are participating in the Delisting Offer and will not tender their equity shares in the reverse book building process as part of the Delisting Offer.

5. ii) The Acquirers presently hold in aggregate 1813835 equity shares, representing 37.67% of the fully paid-up equity share capital of the Company. The Acquirers together with the other members of the Promoters/ Promoter Group of SIL presently hold 3561010 equity shares, representing 73.96% of the fully paid-up equity share capital of the Company.

5. iii) The Shareholding Pattern of the Company as on 30.06.2019 is as follows:

Particulars	No. of Shares	% Shareholding
Acquirers (being part of Promoters/ Promoter Group)	1813835	37.67
Other Promoters / Promoter Group	1747175	36.29
Total Promoter Group	3561010	73.96
Public	1253565	26.04
Non Promoter-Non Public	0	0
Shares Underlying DRs	0	0
Shares held by Employee Trust	0	0
Total	4814575	100.00

6. LIKELY POST SUCCESSFUL DELISTING OFFER SHAREHOLDING PATTERN OF THE COMPANY:

The likely post-delisting shareholding pattern of the Company, assuming that all the Offer Shares held by the Public Shareholders are acquired pursuant to successful completion of the Delisting Offer, will be as follows:

Particulars	No. of Shares	% Shareholding
Acquirers (being part of Promoters/ Promoter Group)	3067400	63.71
Other Promoters / Promoter Group	1747175	36.29
Total Promoter Group	4814575	100.00
Public Shareholders	NIL	NIL
Total	4814575	100.00

7. STOCK EXCHANGES ON WHICH EQUITY SHARES OF SIL ARE LISTED AND SOUGHT TO BE DELISTED:

The equity shares of the Company are presently listed on both the BSE & CSE. The equity shares of the Company are frequently traded on the BSE and infrequently traded on the CSE within the meaning of explanation provided under regulation 2(1)(j) of the Takeover Regulations. The Acquirers propose to delist the equity shares of the Company from both the BSE & CSE in accordance with the Delisting Regulations.

8. MANAGER TO THE DELISTING OFFER:

The Acquirers have appointed M/s. VC Corporate Advisors Private Limited, Merchant Banker, having CIN: U67120WB2005PTC106051 and registered office at 31, Ganesh Chandra Avenue, 2nd Floor, Suite No.–2C, Kolkata – 700 013, Tel. No : (033) 2225-3940, Fax No.: (033) 2225-3941, Email: mail@vccorporate.com and Website: www.vccorporate.com as Manager to the Delisting Offer ("**Manager to the Offer**"). As on the date of this PA, the Manager to the Offer doesn't hold any equity shares of the Company.

9. REGISTRAR TO THE DELISTING OFFER:

The Acquirers have appointed Maheshwari Datamatics Private Limited, having CIN: U20221WB1982PTC034886 and registered office at 23, R.N. Mukherjee Road, 5th Floor, Kolkata - 700001, Tel No.: (033) 2248-2248, Fax: (033) 2248-4787, E-mail: mdpldc@yahoo.com as the Registrar to the Delisting Offer ("**Registrar to the Offer**").

10. STOCK BROKER OF THE ACQUIRER:

The Acquirers have appointed JRK Stock Broking Private Limited, CIN No. U67110WB2007PTC117267, Regd.Office : Tobacco House, 1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room No.: 301, Kolkata- 700 001, Tel.No.: (033) 4017 4777, Fax No. (033) 4017 4700, Email Id: info@jrkgroup.in, Contact Person: Mr. Birendra Kumar Jain

11. STOCK EXCHANGE DATA REGARDING THE COMPANY:

11. i) The equity shares of SIL are presently listed on both the BSE & CSE. The equity shares of the SIL are frequently traded on the BSE and infrequently traded on the CSE within the meaning of explanation provided under regulation 2(1)(j) of the Takeover Regulations.

11. ii) The high, low and average price of the Equity Shares (in Rupees per share) during the three financial years immediately preceding the month of the Public Announcement is as follows:

Financial Year	BSE			CSE		
	High*	Low*	Average**	High*	Low*	Average**
2019- 2018	488.10	151.20	351.06	-	-	-
2018- 2017	126.00	126.00	126.00	-	-	-
2017- 2016	-	-	-	-	-	-

** High of intra-day high / Low of intra-day low during the period.*

***Average of the closing prices during the period.*

Source: www.bseindia.com; www.cseindia.com

11.iii) The monthly high and low market prices of the Equity Shares (in Rupees per share) and trading volumes for six completed calendar months preceding the month of the Public Announcement are as follows:

Months	BSE			CSE		
	High*	Low*	Volume**	High*	Low*	Volume **
July' 2019	285.00	274.00	2			
June' 2019	299.25	299.25	339	-	-	-
May' 2019	285.00	285.00	2	-	-	-
April' 2019	313.00	298.00	10	-	-	-
March' 2019	345.20	313.00	5109	-	-	-
February' 2019	361.00	285.00	18908	-	-	-

** High of intra-day high / Low of intra-day low during the period.*

***Aggregate trading volume in each respective month (number of Equity Shares) during the period.*

Source: www.bseindia.com; www.cseindia.com

12. DETERMINATION OF THE FLOOR PRICE:

12. i) The Acquirers propose to acquire the equity shares from the Public Shareholders pursuant to the Reverse Book Building Process ("**RBB**") established in terms of Schedule II of the Delisting Regulations.

12. ii) The equity shares of the Company are presently listed on both the BSE & CSE. The equity shares are placed under Group 'XT' having a Scrip Code of "540822" & Scrip Id: "SANTOSHIND" on the BSE and Scrip Code of "10029243" at CSE under ISIN INE576C01017. The marketable lot for equity shares is 1 (One) equity share.

12.iii) The total trading turnover in the equity shares of the Company on BSE, i.e., the nation-wide trading terminal, and CSE, based on trading volume during the period from 01.03.2018 to 28.02.2019, i.e., twelve calendar months prior to the month of the Stock Exchanges Notification Date is as given below:

Stock Exchanges	Total No. of equity shares traded from 01.03.2018 to 28.02.2019	Total No. of equity shares of the Target Company	Trading Turnover (as % of total equity shares)
BSE	779157	4814575	16.18%
CSE	Nil	Nil	Nil

(Source: www.bseindia.com and cseindia.com).

Thus, as mentioned above, the equity shares of the Company are frequently traded on the BSE and infrequently traded on the CSE within the meaning of explanation provided under regulation 2(1)(j) of the Takeover Regulations.

As required under Regulation 15(2) of the Delisting Regulations, the floor price of the Delisting Offer is required to be determined in terms of Regulation 8 of the Takeover Regulations, as may be applicable. The reference date for computing the floor price would be the date on which the recognized stock exchanges were notified of the board meeting in which the delisting proposal would be considered, i.e. 26.03.2019 (**"Stock Exchanges Notification Date"/"Reference Date**").

12.iv) Accordingly, in terms of Regulation 8 of the Takeover Regulations with reference to the both BSE & CSE Notification Date, the floor price shall be highest of the following:

Sr. No.	Particulars	Price (In Rs.)
1.	The highest negotiated price per equity shares of the Company for any acquisition under the agreement attracting the obligation to make a public announcement of an offer.	Not Applicable
2.	The Volume- Weighted Average Price paid or payable for acquisitions by the Promoters/ Promoter Group/ Acquirers during 52 weeks immediately preceding the Reference Date	Rs. 184.16 per equity share
3.	Highest price paid or payable for acquisitions by the by the Promoters/ Promoter Group/ Acquirers during 26 weeks immediately preceding the Reference Date	Not Applicable
4.	The Volume-Weighted Average Market Price of shares for a period of sixty trading days immediately preceding the Reference Date as traded on the Stock Exchanges where the maximum volume of trading in the shares of the Company are recorded during such period, provided such shares are frequently traded	Rs. 305.71 per equity share
5.	Where the shares are not frequently traded, the price determined by the Promoters/ Promoter Group/ Acquirers and the Manager to the Offer taking into account valuation parameters including, book value, comparable trading multiples, and such other parameters as are customary for valuation of shares of such companies	Not Applicable
6.	The per share value computed under Regulation 8(5) of the SEBI SAST Regulations, if applicable	Not Applicable

Source: Certificate dated 29.03.2019 issued by M/s. A. B. Bose & Associates, Chartered Accountants.

Based on the above, the Acquirers in consultation with the Manager to the Offer have set the Floor Price at Rs. 310/- (Rupees Three Hundred and Ten Only) per equity share.

12.v) The Public shareholders may tender their equity shares at any time during the ("**Bid Period**" as defined hereinafter) and at any price at or above the Floor price in accordance with the terms and subject to the conditions set out therein.

13. DETERMINATION OF THE DISCOVERED PRICE AND EXIT PRICE:

13. i) The Acquirers propose to acquire the equity shares from the public shareholders pursuant to reverse book building process through an acquisition window facility i.e., separate acquisition window in the form of a web based bidding platform provided by the BSE, in accordance with the Stock Exchange Mechanism (the "**Acquisition Window Facility**" or "**Offer to Buy**"/ "**OTB**"), conducted in accordance with the terms of the Delisting Regulations.

13.ii) All public shareholders may tender their equity shares during the Bid Period as set out in Paragraph 16 and 20 of the PA.

13.iii) The final offer price shall be determined as per the reverse book- building process prescribed under the Delisting Regulations. In accordance with such reverse book-building process, the final offer price shall be determined as the price at which shares accepted through eligible bids results in the shareholding of the Promoter Group (including Acquirers) reaching 90% of the total issued and paid- up equity shares of the Company excluding the shares which are held by a custodian and against which depository receipts have been issued, if any (the "**Discovered Price**").

13.iv) The Acquirers are under no obligation to accept the Discovered Price. The Acquirers may, at their discretion:

- accept the Discovered Price; or
- offer a price higher than the Discovered Price; or
- offer a Counter Offer Price.

13.v) The "**Exit Price**" shall be:

- the Discovered Price, if accepted by the Acquirers;
- a price higher than the Discovered Price, if offered by the Acquirers at their discretion; or
- the Counter Offer Price offered by the Acquirers at their discretion which, pursuant to acceptance by Public Shareholders, results in the shareholding of the Promoters/ Promoter Group reaching 90% of the total issued and paid- up equity shares of the Company.

13.vi) The Acquirers shall announce the Discovered Price, their decision to accept or reject the Discovered Price, the Counter Offer Price, and/ or the Exit Price, as applicable, in the same newspapers in which the present Public Announcement has appeared in accordance with the schedule of activities.

13.vii) Once the Acquirers announce the Exit Price, the Acquirers will acquire, subject to the terms and conditions of the PA and the Offer Letter, all the Shares validly tendered up to and equal to the Exit Price, for a cash consideration equal to the Exit Price for each shares tendered. The Acquirers will not accept Offer Shares offered at a price that exceeds the Exit Price.

13.viii) If the Acquirers do not accept the Discovered Price in terms of Regulation 16 of the Delisting Regulations, or the Delisting Offer fails in terms of Regulation 17 of the Delisting Regulations:

- The Acquirers will have no right or obligation to acquire the Offer Shares tendered in the Delisting Offer;
- The Acquirers through the Manager to the Offer, will within 5 working days of closure of the Bid Period announce the failure of the Delisting Offer, through an announcement in all newspapers where this Public Announcement has been published;
- No final application for delisting shall be made before the BSE & CSE;
- The lien on the Equity Shares tendered in the Delisting Offer will be released and such equity shares shall be returned to the respective Public Shareholders from their relevant stock broker demat account within 10 (ten) working days from the closure of the Bid Period in accordance with Regulation 19(2)(a) of the Delisting Regulations; and
- The escrow account opened under regulation 11 of the Delisting Regulation shall be closed.

14. MINIMUM ACCEPTANCE CONDITION FOR SUCCESS OF THE DELISTING OFFER:

The acquisition of equity shares by the Acquirers and the successful delisting of the Company shall be conditional upon:

Continued on next page.....

epaper.jansatta.com

Where Counter Offer is not made:

14. i) The Acquirers either accepting the Discovered Price or offering an Exit Price higher than the Discovered Price pursuant to acceptance and/or rejection by Public Shareholders, results in the shareholding of the Promoter/ Promoter Group reaching 90% of the fully paid- up equity share of the Company. It may be noted that notwithstanding anything contained in this PA, the Acquirers reserve the right to reject the Discovered Price if the same is higher than the floor price;

14.ii) A minimum number of 772110 (Seven Lakhs Seventy Two Thousand One Hundred and Ten) representing 16.04% equity shares being tendered at or below the Exit Price, prior to the closure of bidding period i.e. on the Bid Closing Date so as to cause the cumulative number of Equity Shares held by the Acquirers together with Promoter Group (as on date of the Public Announcement taken together with the equity shares acquired through the Acquisition Window Facility or OTB) to be equal to or in excess of 4333120 (Forty Three Lakhs Thirty Three Thousand One Hundred Twenty) representing 90% of the fully paid- up equity share of the Company as per Regulation 17(1)(a) of the Delisting Regulations ["**Minimum Acceptance Condition**"];

14.iii) As per the information available, there were 117 Public Shareholders holding Equity Shares in dematerialized mode as on 29.03.2019, being the date of the meeting in which the proposal for Delisting was approved by the Board of Directors. A minimum number of 30 (Thirty) Public Shareholders (25% of number of Public Shareholders holding equity shares in dematerialized mode as on 29.03.2019 (being the date on which the Board approved the Delisting Offer) shall participate in the reverse book building process, in accordance with Regulation 17(1)(b) of the Delisting Regulations, provided that if the Acquirers along with Manager to the Offer demonstrates to the BSE that they have delivered the Letter of Offer of this Delisting Offer to all the Public Shareholders either through registered post or speed post or courier or hand delivery with proof of delivery or through email as text or as an attachment to email or as a notification providing electronic link or uniform resource locator including a read receipt (referred to as the "**Letter of Offer Delivery Requirement**") then the mandatory participation of aforementioned number of the Public Shareholders is not applicable;

Pursuant to Explanation I of Regulation 17(1)(b) of the Delisting Regulations the Letter of Offer Delivery Requirement is deemed to have been complied with it (a) if the Acquirers or the Manager to the Offer dispatches the Letter of Offer to all the Public Shareholders of the Company by registered post or speed post through the India Post and is able to provide a detailed account regarding the status of delivery of the Letter of Offer (whether delivered or not) sent through India Post; (b) if the Acquirers or the Manager to the Offer is unable to deliver the Letter of Offer to certain Public Shareholders of the Company by modes other than speed post or registered post of India Post, efforts should have been made to dispatch the Letter of Offer to them by speed post or registered post of India Post and is able to provide a detailed account regarding the status of delivery of the Letter of Offer (whether delivered or not) sent through India Post.

14.iv) No amendments to the Delisting Regulations or any applicable regulations or an order of a court or other authority or any other circumstance taking place, which in the opinion of the Acquirers would prejudice the Acquirers from proceeding with the Delisting Offer. Provided that, withdrawal of the Delisting Offer on this count shall be subject to the receipt of regulatory approvals, if any, as may be required for the same; and

14.v) The Acquirers will obtain requisite statutory approvals, if any, required for the Delisting Offer in accordance with paragraph 21 of this PA and meeting the conditions set out in Regulation 17 of the Delisting Regulations.

Where Counter Offer is made:

If a Counter Offer is made by the Acquirers in accordance with Regulation 16(1A) of the SEBI Delisting Regulations, Delisting Offer shall be deemed to be successful only if post Delisting Offer, the Promoter/ Promoter Group shareholding taken together with the equity shares accepted at the Counter Offer price reaches 90% of the fully paid- up equity share of the Company excluding the Equity Shares which are held by a custodian and against which depository receipts have been issued overseas. The "Timelines for Counter Offer Process" shall be intimated in the same newspapers in which this PA has been published and the other formalities will be complied in accordance with the SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/DCR2/CIR/P/2019/35 dated 13.03.2019.

15. ACQUISITION WINDOW FACILITY OR OFFER TO BUY (OTB):

15. i) Pursuant to the Delisting Regulations, the Acquirers are required to facilitate tendering of the Equity Shares by the Public Shareholders of the Company and the settlement of the same, through the Stock Exchanges mechanism provided by SEBI. SEBI vide its circular reference no. CIR/CFD/ POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 and CFD/DCR2/CIR/ P/2016/131 dated December 09, 2016 on 'Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchanges pursuant to Tender-Offers under Takeovers, Buy Back and Delisting' (the "**SEBI Circular**") sets out the procedure for tendering and settlement of Equity Shares through the Stock Exchanges (the "**Stock Exchanges Mechanism**").

15.ii) As per the SEBI Circular, the Acquirers have chosen Acquisition Window Facility or OTB provided by the BSE Limited ("**BSE**" or "**Designated Stock Exchange**").

15.iii) Further, it provides that the BSE shall take necessary steps and put in place the necessary infrastructure and systems for implementation of the stock-exchange mechanism and to ensure compliance with requirements of the SEBI Circulars. Pursuant to the SEBI Circulars, the BSE has issued guidelines detailing the mechanism for acquisition of shares through Stock Exchanges.

15.iv) The cumulative quantity tendered shall be displayed on website of the BSE at specific intervals during Bid Period.

15.v) The Acquirers have appointed the Buyer Broker to undertake the acquisitions made pursuant to this Delisting Offer.

16. DATES OF OPENING AND CLOSING OF BID PERIOD:

16. i) All the Public Shareholders holding Equity Shares are eligible to participate in the RBB by tendering, the whole or part of the Equity Shares held by them through the Acquisition Window Facility at or above the Floor Price. The period during which the Public Shareholders may tender their equity shares to the Acquirers in the reverse book building process (the "**Bid Period**") shall commence at on opening of trading hours on Thursday, 29.08.2019, the "**Bid Opening Date**") and close on the end of trading hours on Thursday, 05.09.2019 (the "**Bid Closing Date**"). During the Bid Period, the order for bidding the shares will be placed by Bidders/ Sellers through their respective Bidder/Seller Member during normal trading hours of the secondary market. Any change in the Bid Period will be notified by way of a corrigendum in the newspapers where the Public Announcement is published.

16.ii) The Public Shareholders should note that the Bids are required to be uploaded in the Acquisition Window Facility or OTB on or before the Bid Closing Date for being eligible for participation in the Delisting Offer. Bids not uploaded in the Acquisition Window Facility or OTB will not be considered for delisting purposes and will be rejected.

16.iii) The Public Shareholders should submit their Bids through stock brokers registered with BSE only. Thus, Public Shareholders should not send bids to Company/ Acquirers/ Manager to the Offer/ Registrar to the Offer.

16.iv) Bids received after close of trading hours on the Bid Closing Date shall not be considered for the purpose of determining the Discovered Price payable for the equity shares by the Acquirers pursuant to the reverse book building process.

16.v) The Letter of Offer inviting the Public Shareholders (along with necessary forms and detailed instructions) to tender their equity shares by way of submission of "**Bids**" will be dispatched as indicated in Paragraph 20 of this PA.

17. PROCEDURE FOR TENDERING AND SETTLEMENT OF SHARES THROUGH STOCK EXCHANGES:

17. i) The Delisting Offer is open to all public shareholders of the Company. Public shareholders who have acquired equity Shares but whose name do not appeared in the register of members of the Company as on specified date, or unregistered owners or those who have acquired equity shares after the specified date, or those who have not receive the Letter of Offer, may also participate in this offer by submitting an application on plain paper giving details regarding their shares and confirming their consent to participate in this Offer on the terms and conditions of this Offer as set out in the Public Announcement and the Letter of Offer, which may be obtained from the BSE's Website, that is, (www.bseindia.com) or from www.mdpl.in. The Acquirers are not eligible to participate in the Offer.

17.ii) The Letter of Offer and Tender Form, outlining the terms of the delisting as well as the detailed disclosures as specified in the Delisting Regulations, will be mailed/sent to eligible persons.

17.iii) In the event of an accidental omission to dispatch the Letter of Offer or non-receipt of the Letter of Offer by any Public Shareholder, such Public Shareholders may obtain a copy of the Letter of Offer by writing to the Registrar to the Offer at their address given in Paragraph 9 of this Public Announcement, clearly marking the envelope "Santosh Industries Limited - Delisting Offer". Alternatively, the Public Shareholders may obtain copies of the Letter of Offer from the website of the BSE, www.bseindia.com, or, from the website of the Registrar to the Offer, at www.mdpl.in respectively.

17.iv) The Company will not accept any Equity Shares offered for delisting offer which are under any restraint order of a court for transfer/sale of such shares.

17.v) BSE Limited shall be the Designated Stock Exchange for the purpose of tendering equity shares in the Offer.

17.vi) The Offer will be implemented by the Acquirer through the Stock Exchanges Mechanism, as provided under the Delisting Regulations and circular no CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 and CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016 issued by Securities and Exchange Board of India read with the guidelines issued by BSE.

17.vii) For the implementation of the Offer, the Acquirers have appointed JRK Stock Broking Private Limited as the registered broker ("**Buying Broker**") through whom the purchases and settlements on account of the Offer would be made by the Acquirers. The contact detail of the Buyer Member/ Buyer Broker is as follows:

JRK Stock Broking Private Limited

Regd. Office: Tobacco House, 1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room No.: 301,

Kolkata- 700 001.

Tel. no.: (033) 4017 4777, Fax No. (033) 4017 4700, Email Id: info@jrkgroup.in

Contact Person : Mr. Birendra Kumar Jain

17.viii) The facility for acquisition of shares through Stock Exchange mechanism pursuant to Offer shall be available on the Stock Exchanges in the form of a separate Acquisition Window.

17.ix) All the Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares under the Offer would have to approach their respective stock brokers (**"Selling Broker(s)"**), during the normal trading hours of the secondary market during the Tendering Period. The Buying Broker may also act as Selling Broker for Public Shareholders.

17.x) During the Tendering Period, the tender of the Equity Shares by the Public Shareholders in this Offer will be placed through their respective Selling Brokers during normal trading hours of the secondary market.

17.xi) The cumulative quantity bidded shall be made available on BSE Limited's website– www.bseindia.com throughout the trading session and will be updated at specific intervals during the Bid Period.

17.xii) In the event Selling Member of any Eligible Shareholder is not registered with BSE trading member/ stock broker, then that Eligible Shareholder can approach any BSE registered stock broker and can register himself by using quick unique client code (UCC) facility through that BSE registered stock broker (after submitting all details as may be required by such BSE registered stock broker in compliance with applicable law). In case the Eligible Shareholder is unable to register himself by using quick UCC facility through any other BSE registered stock broker, then that Eligible Shareholder may approach the Buyer Broker, viz. JRK Stock Broking Private Limited, to register himself by using quick UCC facility.

17.xiii) Public Shareholders, who have tendered their Offer Shares by submitting Bids pursuant to the terms of the Public Announcement and the Letter of Offer, may withdraw or revise their Bids upwards not later than 1 (one) day before the Bid Closing Date. Downward revision of Bids shall not be permitted. Any such request for revision or withdrawal of the Bids should be made by the Public Shareholder through their respective Seller Member, through whom the original Bid was placed, not later than 1 (one) day before the Bid Closing Date. Any such request for revision or withdrawal of Bids received after normal trading hours of the secondary market 1 (one) day before the Bid Closing Date will not be accepted. Any such request for withdrawal or revision should not be made to the Company/ Acquirers/ Manager to the Offer/ Registrar to the Offer.

17.xiv) It shall be the responsibility of the Public Shareholders tendering in the Delisting Offer to obtain all requisite approvals (including corporate, statutory and regulatory approvals) prior to tendering their equity shares in the Acquisition Window Facility. The Acquirers shall assume that the eligible Public Shareholders have submitted their Bids only after obtaining applicable approvals, if any.

17.xv) The Offer Shares to be acquired under the Delisting Offer are to be acquired free from all liens, charges, and encumbrances and together with all rights attached thereto. Offer Shares that are subject to any lien, charge or encumbrances are liable to be rejected.

17.xvi) Public Shareholders holding Offer Shares under multiple folios are eligible to participate in the Delisting Offer.

17.xvii) The Public Shareholders should further note that they should have a trading account with a Seller Member as the Bids can be entered only through their respective Seller Member. The Seller Member would issue contract note and pay the consideration to the respective Public Shareholder whose Equity Shares are accepted under the Delisting Offer.

17.xviii) **Procedure to be followed by Shareholders holding Equity Shares in the dematerialized form:**

- Public Shareholders who desire to tender/ bid their equity shares in the electronic form under the Delisting Offer would have to do so through their respective Seller Member by indicating to their Seller Member the details of equity shares they intend to tender under the Delisting Offer. The Public Shareholders should not send Bids to the Company/ Acquirers/ Manager to the Offer/ Registrar to the Offer. Public Shareholders should tender their equity shares before close of market hours on the last day of the Tendering Period.
- The Seller Members would be required to transfer the number of equity shares by using the settlement number and the procedure prescribed by the Indian Clearing Corporation Limited ("**Clearing Corporation**") for the transfer of the equity shares to the Special Account of the Clearing Corporation before placing the bids and the same shall be validated at the time of order entry. The details of the Special Account of Clearing Corporation shall be informed in the offer opening circular that will be issued by BSE Limited/ Clearing Corporation.
- Upon placing the Bid, the Seller Member shall provide a Transaction Registration Slip ('**TRS**') generated by the exchange bidding system to the Bidder/ Pubic Shareholder. TRS will contain the details of order submitted like Bid ID No., Application No., DP ID, Client ID, No. of Equity Shares tendered and price at which the Bid was placed etc.
- On receipt of TRS from the respective Seller Broker, the Public Shareholder has successfully placed the bid in the Delisting Offer.
- Please note that submission of Bid Form and TRS is not mandatorily required in case of Offer Shares held in dematerialized form.
- For custodian participant orders for demat Shares, early pay-in is mandatory prior to confirmation of Bid by custodian. The custodian shall either confirm or reject the bids not later than the closing of trading hours on the last day of the Bid Period. Thereafter, all unconfirmed orders shall be deemed to be rejected. For all confirmed custodian participant bids, order modification shall revoke the custodian confirmation and the revised bids shall be sent to the custodian again for confirmation.
- The Clearing Corporation will hold the Equity Shares tendered under the Delisting Offer in trust until the Acquirers complete their obligations under the Delisting Offer in accordance with the SEBI Delisting Regulations.

17.xix) **Procedure to be followed by Shareholders holding Equity Shares in the Physical form:**

- As per the provisions of Regulation 40(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI PR 51/2018 dated December 3, 2018, requests for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository w.e.f. 01.04.2019.
- Accordingly, the Public Shareholders who are holding equity shares in physical form and are desirous of tendering their equity shares in the Offer can do so only after the equity shares are dematerialized. Such Public Shareholders are advised to approach any depository participant to have their equity shares dematerialized.

17.xx) **Basis of Acceptance:**

Based on the offer files received from the BSE, the Registrar to the Offer in consultation with the Manager to the Offer shall provide details of basis of acceptance to Clearing Corporation within specified timelines.

17.xxi) **Settlement of Shares:**

Upon finalization of the basis of acceptance as per Delisting Regulations:

- The settlement of trades shall be carried out in the manner similar to settlement of trades in the secondary market.
- On closure of the Offer, reconciliation for acceptances shall be conducted by the Manager & Registrar to the Delisting Offer and the final list shall be provided to BSE to facilitate settlement on the basis of the shares transferred/ marked as early pay-in to the account of the Clearing Corporation.
- For consideration towards the Equity Shares accepted under the Delisting Offer, the money of the Special Account shall be used to pay the consideration to the Buyer Broker on or before the pay-in date for settlement. The Buyer Broker will transfer the funds to the Clearing Corporation, which will be released to the respective Seller Member(s)/ Custodian Participants as per the secondary market payout in their settlement bank account. The Seller Members(s)/Custodian Participants would pay the consideration to their respective clients. The payment of consideration to all Shareholders validly tendered in the Delisting Offer will be made in Indian National Rupees.
- The equity shares acquired in the demat form would either be transferred directly to the respective account of the Acquirers provided it is indicated by the Buyer Broker or it will be transferred by the Buyer Broker to the respective account of the Acquirers on receipt of the equity shares pursuant to the clearing and settlement mechanism of the Stock Exchanges.
- The Seller member would issue a Contract Note and pay the consideration to the respective Public Shareholder whose shares have been accepted under the Delisting Offer. The Buyer Broker would also issue a contract note to the Acquirers for the shares accepted under the Delisting Offer.
- The Public Shareholders who intend to participate in the Delisting Offer should consult their respective Seller Members for payment to them of any cost, charges and expenses (including brokerage) that may be levied by the Seller Member upon the Public Shareholders/Seller for tendering Equity Shares in the Delisting Offer (secondary market transaction). The consideration received by the Public Shareholders/Seller from their respective Seller Members, in respect of accepted equity shares, could be net of such costs, charges and expenses (including brokerage) and the Acquirers/ the Company/ the Buyer Broker accept no responsibility to bear or pay such additional cost, charges and expenses (including brokerage) incurred solely by the Public Shareholders.
- Unaccepted/ Rejected demat Shares, if any, tendered by the Shareholders would be returned to the respective Seller Members by Clearing Corporation as part of the exchange payout process. In case of Custodian Participant orders, unaccepted demat Shares, if any, will be returned to the respective Custodian Participant. The Seller Members/ Custodian Participants would return these unaccepted shares to their respective clients on whose behalf the bids have been placed.
- If Public Shareholders Bank account details are not available or if the fund transfer instruction is rejected by Reserve Bank of India or Bank, due to any reasons, then the amount payable to Public Shareholders will be transferred to the Selling Broker for onward transfer to the Public Shareholders.
- In case of certain client types viz. NRI, Foreign Clients etc. (where there are specific RBI and other regulatory requirements pertaining to funds pay-out) who do not opt to settle through custodians, the funds pay-out would be given to their respective Selling Broker's settlement accounts for releasing the same to their respective Shareholder's account onwards.
- Bidders/ Seller Public Shareholders will have to ensure that they keep the DP account active and unblocked to receive credit in case of return of Equity Shares, due to rejection or non -acceptance of the shares under the Offer.
- Any equity shares that are subject matter of litigation or are held in abeyance due to pending court cases/ attachment orders/ restriction from other statutory authorities wherein the Public Shareholder may be precluded from transferring the Equity Shares during pendency of the said litigation are liable to be rejected if directions/ orders regarding these Equity Shares are not received together with the equity shares tendered under the Offer.

18. PERIOD FOR WHICH THE DELISTING OFFER SHALL BE VALID:

The Public Shareholders may submit their Bids under the Stock Exchanges Mechanism during the Bid/ Tendering Period. Additionally, once the equity shares have been delisted from the Stock Exchanges, all the remaining Public Shareholders ("**Residual Shareholders**"), whose Shares have not yet been acquired by the Acquirers may offer their equity shares for sale to the Acquirers at the Exit Price for a period of one year following the date of the delisting of the equity shares from the Stock Exchanges ("**Exit Window**"). A separate offer letter in this regard will be sent to the Residual Shareholders which will contain terms and conditions for participation post delisting. Such Residual Shareholders may tender their equity shares by submitting the required documents to the Registrar to the Offer during the Exit Window.

19. DETAILS OF THE ESCROW ACCOUNT:

19. i. The estimated consideration payable under the Delisting Regulations, being the Floor Price of Rs. 310/- (Rupees Three Hundred and Ten Only) multiplied by the number of Shares outstanding with the Public Shareholders i.e., 1253565 Shares, is Rs. 38,86,05,150/- (Rupees Thirty Eight Crores Eighty Six Lakhs Five Thousand One Hundred Fifty Only) (**"Escrow Amount"**).

19. ii. In accordance with Regulations 11(1) and 11(3) of the Delisting Regulations, the Acquirers have appointed HDFC Bank Limited ("**Escrow Bank**"), a schedule commercial bank and a banker to an issue registered with SEBI. The Acquirers, Escrow Bank and the Manager to the Offer have entered into an escrow agreement dated 27.05.2019 pursuant to which the Acquirers have opened the Escrow Account and have deposited therein an amount more than 100% of the Escrow Amount marking lien in favor of the Manager to the Offer by way of deposit of cash Rs. 38,86,50,000/- (Rupees Thirty Eight Crores Eighty Six Lakhs Fifty Thousand Only). On determination of the Exit Price and making of the Public Announcement under Regulation 18 of the SEBI Delisting Regulations, the Acquirers shall ensure compliance with Regulation 11(2) of the SEBI Delisting Regulations.

19.iii. On determination of the Exit Price and making of the Public Announcement under Regulation 18 of the Delisting Regulations, the Acquirers shall ensure compliance with Regulation 11(2) of the Delisting Regulations.

19.iv. If the Acquirers accept the Discovered Price and offer an Exit Price, the Acquirers will open a special account with the Escrow Bank and credit thereto, the entire amount due and payable as consideration in respect of the Shares validly tendered in the Delisting Offer at the Exit Price. In such case, the Acquirers shall also ensure that the lien marked remains valid on the additional amount until the expiry of the Exit Window.

19.v. Further, the Escrow Bank will open the Special Account ("**Special Account**") on the instructions of the Acquirers and the Manager to the Offer, which shall be used for payment to the Public Shareholders who have validly tendered Offer Shares in the Delisting Offer. The Manager to the Offer shall instruct the Escrow Bank to transfer the total consideration amount to the Special Account and if the Delisting Offer fails; the Escrow and Special Account so opened shall be closed.

20. PROPOSED SCHEDULE FOR THE DELISTING OFFER:

Activity	Date	Day
Resolution for approval of the Delisting Proposal passed by the Board of Directors of SIL	March 29, 2019	Friday
Specified Date for determining the names of shareholders to whom the Offer Letter shall be sent#	August 09, 2019	Friday
Date of publication of the Public Announcement	August 20, 2019	Tuesday
Last date of completion of Dispatch of Offer Letters/ Bid Forms to the Public Shareholders as on Specified Date	August 22, 2019	Thursday
Bid Opening Date (bid starts at trading hours)	August 29, 2019	Thursday
Last date of revision (upwards) or withdrawal of Bids	September 04, 2019	Wednesday
Bid Closing Date (bid closes at end of trading hours)	September 05, 2019	Thursday
Last date for Announcement of Discovered Price/Exit Price and acceptance/ non-acceptance of the same	September 13, 2019	Friday
Last date of payment of consideration*	September 20, 2019	Friday
Last date for return of Equity Shares to the shareholders in case of failure of Delisting Offer/Bids have not been accepted	September 20, 2019	Friday

#Specified Date is only for the purpose of determining the name of the Public Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer will be sent. However, all owners (registered or unregistered) of the equity shares of the Company are eligible to participate in the Delisting Offer any time before and on the Bid Closing Date.

**Subject to the acceptance of the Discovered Price or the Exit Price.*

All the dates are subject to change and are dependent on obtaining all the requisite statutory and regulatory approvals as may be applicable. In the event there is any change in the proposed timetable, it will be announced by way of a corrigendum to the PA in the same newspapers in which the PA appeared.

21. STATUTORY APPROVALS:

21. i) Delisting Offer is subject to approvals, if any, required under the provisions of the Delisting Regulations, Listing agreement entered with both BSE & CSE and any other applicable rules and regulations in force for the time being.

21.ii) As of date, there is no other statutory or regulatory approval pending to implement the Delisting Offer. If any statutory or regulatory approval becomes applicable subsequently, the Delisting Offer will be subject to such statutory or regulatory approvals. In the event that the receipt of the statutory/ regulatory approvals are delayed, changes to the proposed timetable, if any, shall be intimated to BSE, and hence made available for the benefit of Shareholders.

21.iii) If the shareholders who are not persons resident in India (including NRIs, OCBs and FIIs) had required any approvals (including from the RBI, or any other regulatory body) in respect of the equity shares held by them, they will be required to submit such previous approvals, that they would have obtained for holding the Equity Shares, to tender the Equity Shares held by them in this Delisting Offer, along with the other documents required to be tendered to accept this Delisting Offer. In the event such approvals are not submitted, the Acquirers reserve the right to reject such Equity Shares tendered in the Delisting Offer.

21.iv) It shall be the responsibility of the Public Shareholders tendering Offer Shares in the Delisting Offer to obtain all requisite approvals (including corporate, statutory and regulatory approvals), if any, prior to tendering the Offer Shares held by them in the Delisting Offer, and the Acquirers shall take no responsibility for the same. The Public Shareholders should attach a copy of any such approval to the Bid Form, wherever applicable.

21.v) The Acquirers reserve the right not to proceed with or withdraw the Delisting Offer in the event the conditions mentioned in the paragraph 21 of this PA are not fulfilled, and if any of the requisite statutory approvals are not obtained or conditions which the Acquirers consider in their sole discretion to be onerous are imposed in respect of such approvals.

22. NOTE ON TAXATION:

22. i) Under current Indian tax laws and regulations, capital gains arising from the sale of equity shares in an Indian company are generally taxable in India. Any gain (in excess of Rs. 1 Lakh) realized on the sale of listed equity shares on Stock Exchanges held for more than 12 months will be subject to capital gains tax in India @ 10% if securities transaction tax ("**STT**") has been paid on the shares. STT will be levied on and collected by domestic Stock Exchanges on which the equity shares are sold. Further, any gain realised on the sale of listed equity shares held for a period of 12 months or less which is sold will be subject to short term capital gains tax @ 15% provided the transaction is chargeable to STT.

22.ii) SHAREHOLDERS ARE ADVISED TO CONSULT THEIR TAX ADVISORS FOR TAX TREATMENT ARISING OUT OF THE PROPOSED DELISTING OFFER AND APPROPRIATE COURSE OF ACTION THAT THEY SHOULD TAKE. ACQUIRERS DO NOT ACCEPT NOR HOLD ANY RESPONSIBILITY FOR ANY TAX LIABILITY ARISING TO ANY PUBLIC SHAREHOLDER AS A REASON OF THIS DELISTING.

23. CERTIFICATION BY THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY:

"The Board has certified that:

23. i) The Company has not raised any funds by issue of securities during the last five years immediately preceding the date of Public Announcement

23.ii) All material information which is required to be disclosed under the provisions of the continuous listing requirements under the listing agreement has been disclosed to the Stock Exchanges;

23.iii) The Company is in compliance with the applicable provisions of securities laws;

23.iv) The Acquirers or Promoter or Promoter Group or any of their related entities have not carried out any transaction during the aforesaid period to facilitate the success of the delisting offer which is not in compliance with the provisions of sub-regulation (5) of Regulation 4 of Delisting Regulations;

23.v) The delisting is in the interest of the shareholders."

24. COMPLIANCE OFFICER:

Ms. Jyoti Bhartia, Address: 3A, Auckland Place, 3rd Floor, Suite No. 3A, Kolkata- 700017; Tel. No. (033) 2277/ 3377; **Fax No. :** (033) 2290 4477; E-mail Id: sil@bmd.net.in.

25. DISCLAIMER PARAGRAPH OF BSE:

25. i) It is to be distinctly understood that the permission given by BSE to use their network and software of the "Online Reverse Book Building facility for delisting of securities" should not in any way be deemed or construed that the compliance with various statutory and other requirements by the Company, Manager to the Offer, etc., are cleared or approved by BSE; nor does BSE in any manner warrant, certify or endorse the correctness or completeness of any of the compliance with the statutory and other requirements nor does BSE have any financial responsibility or liability nor does BSE take responsibility in any way for the financial or other soundness of the Company, its promoters or its management.

25.ii) It is also to be distinctly understood that the approval given by BSE should not in any way be deemed or construed to mean that the PA and the Offer Letter has been cleared or approved by BSE, nor does BSE in any manner warrant, certify or endorse the correctness or completeness of any of the contents of the announcements, nor does BSE warrant that the securities will be delisted.

25.iii) That every person who desires to avail of the exit opportunity may do so pursuant to independent inquiry, investigation and analysis and shall not have any claim against BSE or against the Investor Protection Fund set up by BSE whatsoever by reason of any loss which may be suffered by such person consequent to or in connection with such offer and tender of securities through reverse book-building process whether by reason of anything stated or omitted to be stated herein or any other reason whatsoever.

26. GENERAL DISCLAIMER:

- Every person who desires to avail of the Delisting Offer may do so pursuant to independent inquiry, investigation and analysis and shall not have any claim against the Acquirers, the Manager to the Offer or other members forming part of the Promoter/ Promoter Group/ the Company/ the Registrar to the Offer whatsoever by reason of any loss which may be suffered by such person consequent to or in connection with such Delisting Offer and bid of securities through the reverse book-building process whether by reason of anything stated or omitted to be stated herein or any other reason whatsoever.

For further details please refer to the Offer Letter which will be sent to the Public Shareholders who are shareholders of the Company as on the Specified Date.

MANAGER TO THE DELISTING OFFER:

VC Corporate Advisors Pvt. Ltd.
CIN: U67120WB2005PTC106051
SEBI REGN No.: INM000011096
Validity of Registration: Permanent
(Contact Person: Ms. Urvi Belani)
31 Ganesh Chandra Avenue, 2nd Floor,
Suite No -2C, Kolkata-700 013
Phone No : (033) 2225-3940
Fax : (033) 2225-3941
Email: mail@vccorporate.com
Website: www.vccorporate.com

REGISTRAR TO THE DELISTING OFFER:

Maheshwari Datamatics Pvt. Ltd.
CIN: U20221WB1982PTC034886
SEBI REGN No.: INR000000353
Validity of Registration: Permanent
(Contact Person: Mr. S. Rajagopal)
23, R.N. Mukherjee Road, 5th Floor,
Kolkata - 700 001
Tel No.: (033) 2248-2248
Fax No.: (033) 2248-4787
Email: mdpldc@yahoo.com
Website: www.mdpl.in

Signed by the Acquirers:

Sd/-
Surendra Kumar Dugar
Promoter Director
Sd/-
Sanyam Dugar
Promoter
Sd/-
Rishabh Dugar
Promoter
Sd/-
Anant Dugar
Promoter
For Kamal Kumar Dugar HUF
Sd/-
Kamal Kumar Dugar Karta

Sd/-
Madhu Dugar
Promoter Director
Sd/-
Pratibha Dugar
Promoter
Sd/-
Shreyans Dugar
Promoter
Sd/-
Vinita Dugar
Promoter
For Surendra Kumar Dugar HUF
Sd/-
Surendra Kumar Dugar Karta

Date: 19.08.2019 **Place: Kolkata**

सिंडिकेट बैंक कब्जा सूचना [अचल सम्पत्ति के लिए नियम 8 (1)]

जैसा कि प्रतिभूतिकरण व वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियन 2002 के नियम 3 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद–13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिंडिकेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी के नाम के सामने दर्शाये गये खाते में उनके नाम के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख/उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था। ऋणियों/गारन्टरों द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर ऋणी और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि खाते के सामने दी गई तारीख का उक्त नियमों के नियम–8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति का कब्जा नीचे लिखी तिथि को ले लिया गया है। उधारकर्ता(ओं) का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों के एवज मे उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया है। ऋणियों/गारन्टरों को विशेष रूप से एवं जन सामान्य रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन–देन न करें। इन सम्पत्तियों में किसी प्रकार का लेन–देन सिंडिकेट बैंक, संबंधित शाखाओं को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है।

क्र. सं.	शाखा का नाम एवं ऋणी/गारन्टर के नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति स्वामी का नाम	मांग नोटिस की तिथि	कब्जा लेने की तिथि	बकाया राशि
1.	**ऋणी:** श्रीमति कमला, विनोद। **शाखा:** दिल्ली पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद शाखा।	भूमि और ईमारत आवासीय घर जिसकी माप 60 स्क्वेयर यार्डस, आई.ई. 50.166 स्क्वेयर मीटर, खसरा नं0 315, गांव धूकना, परगना लोनी तहसील और जिला गाजियाबाद मालिक श्रीमति कमला पत्नि श्री विजय पाल। **जिसकी सीमाऐं– उत्तर** में श्री भूप सिंह का प्लॉट, **दक्षिण** में 12 फिट चौड़ा रास्ता, **पूर्व** में श्री भोपाल का प्लॉट और **पश्चिम** में अन्य मालिक का प्लॉट।	04.06.2019	17.08.2019	रू0. 8,24,843.22 + ब्याज एवं अन्य व्यय
2.	**ऋणी:** अब्दुल सलाम, अहमद हसन। **शाखा:** मसूरी शाखा।	प्लॉट जिसकी माप 100 स्क्वेयर यार्डस आबादी मसूरी परगना डासना तहसील और जिला गाजियाबाद उत्तर–प्रदेश। मालिक अब्दुल सलाम पुत्र श्री मो0. युनुस। **जिसकी सीमाऐं– उत्तर** में श्री अब्दुल सलाम का घर, **दक्षिण** में श्री मोमीन का घर, **पूर्व** में श्री मोमीन का प्लॉट और **पश्चिम** में श्री हसमुददीन का घर।	03.06.2019	17.08.2019	रू0. 3,41,779.40 + ब्याज एवं अन्य व्यय
3.	**ऋणी: अरीबा ट्रेडिंग कम्पनी, प्रो0 शाहिद मलिक, अजब सिंह।** **शाखा:** दिल्ली पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद शाखा।	आवासीय प्लॉट जिसकी माप 80.19 स्क्वेयर मीटर, खसरा नं0 386, गांव धूकना मालिक शाहिद मलिक पुत्र श्री हाजी अब्दुल हामिद। **जिसकी सीमाऐं– उत्तर** में अन्य का प्लॉट, **दक्षिण** में 20 फिट चौड़ा रोड, **पूर्व** में अन्य का प्लॉट और **पश्चिम** में 20 फिट चौड़ा रोड़।	03.06.2019	16.08.2019	रू0. 18,61,125.82 + ब्याज एवं अन्य व्यय
4.	**ऋणी:** श्री ओमप्रकाश, श्रीमति मुन्नी, रईसुददीन। **शाखा:** दिल्ली पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद, शाखा।	यूआरईएम सम्पत्ति मकान नं0. 851 जिसकी माप 41.80 स्क्वेयर मीटर गांव कैला भटटा, गाजियाबाद। मालिक श्री रईसुददीन। **जिसकी सीमाऐं– उत्तर** में ओमप्रकाश का घर, **दक्षिण** में 12 फिट चौड़ा रास्ता, **पूर्व** में एडवोकेट का घर और **पश्चिम** में जाकिर का घर।	03.06.2019	16.08.2019	रू0. 5,87,421.45 + ब्याज एवं अन्य व्यय

दिनांक: 17-08-2019 **क्षेत्रीय कार्यालय : गाजियाबाद।** **प्राधिकृत अधिकारी**

मुकदमों से सुरक्षा सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं : न्यायालय

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को व्यवस्था दी कि जो लोग सरकारी कंपनियों या उपक्रमों में नौकरी करते हैं, उन्हें आपराधिक मुकदमे से सुरक्षा प्राप्त नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 197 के तहत अपने सरकारी कामकाज के दौरान कथित आपराधिक कदाचार को लेकर किसी भी सरकारी कर्मचारी पर मुकदमा चलाने के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति लेनी होती है और कोई भी अदालत बिना ऐसी मंजूरी के लिए अपराध का संज्ञान नहीं ले सकती है। (भाषा)

सार्वजनिक सूचना

(औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 के पराग्राफ 21(2) के अंतर्गत)

बेयर जायडस फार्मा प्राईवेट लिमिटेड

बेयर हाउस, सेन्ट्रल एवेन्यू

हीरानंदानी इस्टेट, ठाणे (वेस्ट) 400607

महाराष्ट्र

CIN No.: U24233MH2011PTC213118

वेबसाईटः www.bayerzydus.com

ई-मेलः bharati.shetty@bayer.com

फोन नं.: 9122 – 25311234

सर्व–साधारण का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाता है कि बेयर जायडस फार्मा प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय उपरोक्त पते पर है द्वारा सूचित फार्म्यूलेशन नाम Resochin® (क्लोरोक्विन फॉस्फेट टैब्लेट्स आईपी 250 mg) (यहां के बाद ''मेडिसिन'' के रूप में वर्णित) का विपणन किया जा रहा है। बेयर जायडस फार्मा प्राईवेट लिमिटेड इस सूचना की तिथि से छह माह की अवधि के बाद उपरोक्त उत्पाद के विपणन को रोकना तथा बंद करना चाहता है।

उपरोक्त मेडिसिन को बंद कर दिए जाने के उपरान्त वह बाजार में उपलब्ध नहीं हो सकता है अतएव, इस मेडिसिन का उपयोग करने वाले मरीज वैकल्पिक मेडिसिन प्रेस्क्राईब करवाने के लिए अपने चिकित्सक से सम्पर्क करें। सभी चिकित्सक/चिकित्सा कर्मी भी इस तथ्य का ध्यान रखें।

भारती शेट्टी

कम्पनी सचिव

बेयर जायडस फार्मा प्राईवेट लिमिटेड

तिथिः 20 अगस्त, 2019

स्थानः ठाणे

एनआरसी की विसंगतियों को दूर करने के लिए विधायी विकल्पों पर विचार संभव : सोनोवाल

नई दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा)।

असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने सोमवार को संकेत दिया कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के अंतिम प्रकाशन के बाद इसमें कुछ नामों को गलत तरीके से शामिल किए जाने से निपटने के लिए सरकार विधायी विकल्पों पर विचार कर सकती है।

सोनोवाल ने कहा कि असम सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 31 अगस्त को एनआरसी का प्रकाशन शांतिपूर्ण ढंग से किए जाने को सुनिश्चित करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से यहां मुलाकात के बाद उन्होंने बताया, 'लोकतंत्र में हर किसी को सवाल पूछने का अधिकार है। एनआरसी के प्रकाशन के बाद, अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो जो भी जरूरी होगा हम वो कदम उठाएंगे।' सोनोवाल से पत्रकारों ने पूछा था कि क्या सरकार अंतिम एनआरसी में गलत तरीके से शामिल हो गए नामों से निपटने के लिए क्या विधायी विकल्पों पर विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने केंद्र और असम सरकार की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था जिसमें गलत तरीके से नामों के शामिल होने की जांच के लिए नमूना पुनर्सत्यापन का अनुरोध किया गया था। सोनोवाल ने कहा कि 2018 में जब मसौदे का हिस्सा और अंतिम मसौदा प्रकाशित हुआ था तो असम में कानून–व्यवस्था की स्थिति को लेकर आशंकाएं थीं। उन्होंने कहा, 'असम के लोगों के सहयोग से लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। इस बार भी केंद्र सरकार के सक्रिय सहयोग से और लोगों की उम्मीदों के मुताबिक एनआरसी 31 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा।'

तीन तलाक कानून के खिलाफ याचिका पर 18 अक्तूबर को सुनवाई

नई दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा)।

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह एक बार में तीन तलाक की प्रथा को अपराध बनाने वाले नए कानून को चुनौती देने संबंधी जनहित याचिका पर 18 अक्तूबर को सुनवाई जारी रखेगा।

मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की एक पीठ ने याचिकाकर्ता की संक्षिप्त दलीलें सुनीं और इसके बाद मामले में आगे की सुनवाई 18 अक्तूबर को तय कर दी। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि वह मामले में नोटिस जारी नहीं कर रही है। वकील शाहिद अली ने इस महीने के शुरू में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 को एक याचिका दायर कर चुनौती दी थी।

फोकस इंडस्ट्रियल रिसोर्सेस लिमिटेड

[illegible]

फोन: 011-27673522, 011-47039000 फैक्स: 011-27676399

ई-मेल: info@focuslimited.in, वेबसाइट: www.focuslimited.in

शुद्धिपत्र

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 14.06.2019 को प्रकाशित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम में नीचे दिए गए दिनांक 16.08.2019 के बदले दिनांक 12.08.2019 पढ़ा जाए।

फोकस इंडस्ट्रियल रिसोर्सेस लिमिटेड के लिए

हस्ता./–

(ममता जिन्दल)

प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 00085096

स्थान: दिल्ली

दिनांक : 19.08.2019

'हाथ से मैला साफ करने की प्रथा खत्म करने की कार्ययोजना तैयार'

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार ने सीवर और सैप्टिक टैंकों में प्रवेश कर हाथ से सफाई के कार्य को रोकने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है, जिसमें सीवेज प्रणाली को आधुनिक बनाने और मशीन से सफाई करने की सुविधा शामिल है।

सतत साफ–सफाई पर राष्ट्रीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, ग्रामीण विकास तथा पेयजल एवं साफ–सफाई मंत्रालय ने कार्ययोजना तैयार की है। (भाषा)

Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board, Katra

Abridged Notice Inviting Tender

For and on behalf of the Chairman, Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board, Sealed Tenders are invited on the prescribed format, duly affixed with Revenue Stamps worth Rupees Six only for the Supply of **"1121 Steamed Basmati Rice in 50 Kg./10 Kg. Packing" for a period of One Year F.O.R. at Non-Engineering Store, Banganga, Katra.** The Tender should reach this office by or before 09.09.2019 upto 03.00 P.M. IST. The Tender Documents containing detailed terms and conditions and Tender Format can be had from the Central Office of the Shrine Board, Katra against Cash payment of Rs. 300/- (Non-transferable and Non-refundable) on any working day and same can be downloaded from our website: **www.maavaishnodevi.org**.

Sd/- (Amit Vermani), KAS,
Dy. Chief Executive Officer,
Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board, Katra.

No.: Co/Pur/NE/168-V/5537
Dated: 19.08.2019

MANAPPURAM FINANCE LTD.

CIN-L65910KL1992PLC006623 IV/470A (old) W638A(New) Manappuram House,Valapad, Thrissur, Kerala - 680 567

नीलामी सूचना

विशेषकर गिरवीकर्ताओं और सामान्य रूप में जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अकाउंट्स में रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी निम्नलिखित शाखाओं पर दिनांक 16.09.2019 को सुबह 10.00 बजे से किया जाएगा. हम ऐसे डिफाल्टर ग्राहकों के सोने के आभूषणों की नीलामी करने जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद अपने लोन की रकम नहीं चुकाई है. जिन आयटम्स की नीलामी नहीं हो पाएगी, उनकी नीलामी किसी अन्य दिन बिना पुन: सूचना दिए की जाएगी. नीलामी के स्थान व तिथि (अगर कोई हो) में परिवर्तनों की कोई सूचना नीलामी केन्द्र या वेबसाइट पर लगाई जाएगी तथा इस बारे में कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी.

गिरवियों की सूची -

दिल्ली, भोलेनाथ नगर दिल्ली 121570700008797, 9232, 9286, 9295, 9301, 9306, 9318, 9343, 9370, 9380, 9409, 121570730003247, 3273, 3327, 3328, 3367, 3409, द्वारका सेक्टर 7 113760700009671, 9695, 9738, 9749, 9785, 9786, 9839, 9930, 113760700010290, 0297, 0374, 0375, 0378, 0390, 0394, 0402, 0416, 0427, 0428, 0429, 0438, 0439, 0440, 0447, 0451, 0457, 0458, 0467, 0468, 0484, 0485, 0486, 0494, 0496, 0499, 0507, 0508, 0512, 0513, 113760730002361, 2979, 3005, 3054, 3080, गीता कॉलोनी 107590700017814, 9192, 9239, 9381, 9392, 9511, 9514, 9599, 9716, 9754, 107590700020374, 0422, 0426, 0446, 0457, 0473, 0477, 0486, 0487, 0492, 0512, 0519, 0521, 0524, 0535, 0538, 0533, 0550, 0551, 0556, 0557, 0561, 0565, 0574, 0581, 0588, 0606, 0619, 0668, 0669, 0673, 0674, 0679, 0682, 0689, 0692, 0693, 107590730003410, 3437, 4068, 4069, 4104, 4114, 4115, 4143, 4144, 4153, 4183, कड़कड़डूमा 102760700009367, 9452, 9543, 9723, 9734, 9742, 9747, 9748, 9757, 9777, 9778, 9795, 9807, 9809, 102760730002482, 3225, 3237, 3284, 3285, 3286, 3367, 3434, 3452, 3454, 3457, कालकाजी 100870700052230, 2874, 4175, 4418, 4668, 4717, 4794, 4812, 4886, 4934, 5008, 5039, 5215, 5391, 5490, 5571, 5594, 5595, 5663, 5689, 5709, 5736, 5771, 5810, 5890, 5892, 5909, 5959, 5978, 5991, 5998, 6068, 6073, 6126, 7369, 7390, 7447, 7448, 7449, 7454, 7457, 7466, 7469, 7483, 7498, 7522, 7541, 7544, 7548, 7551, 7552, 7561, 7572, 7573, 7580, 7592, 7593, 7595, 7600, 7601, 7605, 7609, 7628, 7636, 7647, 7659, 7664, 7669, 7673, 7677, 7678, 7679, 7680, 7684, 7686, 7695, 7697, 7702, 7714, 7724, 7728, 7732, 7737, 7738, 7745, 7747, 7758, 7759, 7774, 7780, 7781, 7783, 7787, 7788, 7793, 7795, 7803, 7810, 7821, 7825, 7826, 7827, 7829, 7831, 7849, 7852, 7859, 7861, 7864, [illegible]

[illegible] 6969, 6971, 6975, 6976, 6994, 7000, 7011, 7012, 7013, 7018, 7022, 7031, 7038, 7045, 7048, 7054, 7055, 7065, 7069, 7071, 7075, 7087, 7089, 7091, 7092, 7094, 7099, 7101, 7108, 7109, 7115, 7118, 7119, 7121, 7122, 7127, 7129, 7136, 109670730008323, 8326, 8349, 8385, 8401, 8402, 8443, 8444, 8496, 8516, 8568, 8571, 8595, 8701, सुभाष नगर दिल्ली 126870700010375, 0475, 0476, 0492, 0833, 0848, 0855, 0883, 0904, 0933, 0941, 0952, 0959, 0964, 0966, 126870730005613, 8780, 8797, 8829, 8834, 8835, 8836, 8850, 8900, 8912, 8966, 9022, 9023, 9133, 9213, 9403, उत्तमनगर दिल्ली 121360700011323, 1390, 2325, 2664, 2833, 2998, 3603, 3614, 3615, 3635, 3690, 3697, 3723, 3747, 3785, 3792, 3797, 3811, 3816, 3817, 121360730004738, पश्चिम दक्षिण महिपालपुर 107680700013718, 4732, 4790, 4839, 4865, 4961, 4988, 5023, 5039, 5048, 5051, 5102, 5284, 5388, 5399, 5410, 5411, 5412, 5414, 5415, 5422, 5424, 5425, 5432, 5438, 5447, 5467, 5473, 5474, 5475, 5483, 5486, 5501, 107680730003506, 4676, 4684, 5385, 5398, 5399, 5402, 5403, 5407, 5413, 5414, 5431, 5458, 5459, 5554, 5583, 5606, वसंत कुंज 107800700018637, 8905, 9070, 9547, 9563, 9682, 9824, 9920, 9994, 9997, 107800700020015, 0032, 0089, 0105, 0115, 0116, 0124, 0469, 0545, 0554, 0557, 0559, 0586, 0587, 0588, 0592, 0593, 0594, 0610, 0611, 0616, 0617, 0620, 0627, 0628, 0649, 0657, 0662, 0666, 0670, 0672, 0684, 0691, 0700, 0708, 0713, 0716, 0726, 0729, 107800730009783, 107800730011033, 1483, 1516, 1521, 1522, 1699, 1862, 1951, पश्चिम दिल्ली वाणिज्य प्लेस दिल्ली 123730700017068, 7110, 7148, 7395, 7396, 7418, 8024, 8032, 8036, 8049, 8051, 8067, 8078, 8092, 8094, 8106, 8120, 8123, 8145, 8149, 8174, 8175, 8196, 8198, 8207, 8216, 123730730009344, 9361, 9363, 9448, 9524, 9539, 9564, 9575, 9655, इंद्रपुरी 111720700012806, 2837, 2876, 2904, 3308, 3312, 3315, 3324, 3325, 3344, 3360, 3399, 3401, 3411, 3414, 3418, 3420, 3421, 3427, 3452, 111720730006661, 6699, 6709, 6871, 6943, 6979, तिलकपुर दिल्ली 123260700006486, 6489, 6490, 6496, 6503, विष्णु गार्डन 111320700012468, 2772, 2783, 2853, 3507, 3534, 3537, 3547, 3579, 3586, 3601, 3624, 3626, 3638, 3677.

उपरोक्त नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को निम्नलिखित का पालन करना होगा - इच्छुक बोलीकर्ताओं को ईएमडी के रूप में रू. 10,000/- नीलामी के दिन नकद जमा कराना होगा (असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाएगा). बोलीकर्ता को वैध पहचान प्रमाण/पैन कार्ड साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृपया 09387160067 पर संपर्क करें.

अधिकृत अधिकारी
मणप्पुरम फाइनेंस लि. हेतु

KRBL Limited

पंजीकृत कार्यालय: 5190, लाहौरी गेट, दिल्ली – 110006

CIN: L01111DL1993PLC052845

फोन: +91-11-23968328, फैक्स: +91-11-23968327

ईमेल: investor@krblindia.com;

वेबसाइट: www.krblrice.com

26वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई–वोटिंग एवं बुक क्लोजर की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसाय के निष्पादन के लिए केआरबीएल लिमिटेड के सदस्यों की 26वीं (छब्बीसवीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 13 सितम्बर, 2019 को प्रातः 11.00 बजे श्री सत्य साई इंटरनेशनल सेंटर, प्रगति विहार, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में आयोजित की जाएगी।

26वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से भेजी जा चुकी हैं जिनके ई–मेल पता कंपनी या डिपॉजिटरी भागीदार(रों) के साथ पंजीकृत हैं। उसी की भौतिक प्रतियां, अन्य सभी सदस्यों को स्वीकार्य पद्धति से उनके पंजीकृत पते पर भेजी जा चुकी हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014, के नियम 20, के समय–समय पर संशोधित प्रावधानों और सेबी (सूचीयन अनिवार्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम, 44 के अनुसार कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना मत इलेक्ट्रॉनिक रूप से देने की सुविधा प्रदान करती है। रिमोट ई–वोटिंग तथा बैलेट मतपत्र प्रक्रिया को सही एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए जांचकर्ता के तौर पर श्री दीपक कुकरेजा, पार्टनर मैसर्स डीएमके एसोसिएट्स, और सुश्री मोनिका कोहली, पार्टनर मैसर्स डीएमके एसोसिएट्स को वैकल्पिक जांचकर्ता के तौर पर नियुक्त किया गया है। उपरोक्त प्रावधानों के अधीन विवरण नीचे दिया गया है:

(i) रिमोट ई–वोटिंग प्रारंभ होने की तिथि व समयः मंगलवार, 10 सितम्बर, 2019 (प्रातः 9.00 बजे)

(ii) रिमोट ई–वोटिंग समाप्त होने की तिथि व समयः गुरुवार, 12 सितम्बर, 2019 (सायं 5.00 बजे)।

(iii) ऐसा व्यक्ति जिसका नाम डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर या लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर में निर्दिष्ट तिथि अर्थात गुरुवार, 05 सितम्बर, 2019 को दर्ज है, केवल वही रिमोट ई–वोटिंग के साथ ही साथ एजीएम में वोट देने का पात्र होगा।

(iv) एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करने और कंपनी के सदस्य बनने वाले व्यक्ति, एजीएम के नोटिस में यथा वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com, investor@krblindia.com और jksingla@alankit.com पर अनुरोध भेज कर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

(v) रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान की अनुमति गुरुवार, 12 सितम्बर, 2019 को सायं 05:00 बजे के बाद नहीं दी जाएगी। इसके पश्चात वोटिंग के लिए, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा ई–वोटिंग मॉड्यूल डिसेबल कर दिया जाएगा।

(vi) मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम के आयोजन स्थल पर उपलब्ध करायी जाएगी।

(vii) 26वीं एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.krblrice.com पर, लिंक इन्वेस्टर रिलेशन्स के तहत और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है।

(viii) वे सदस्य जिन्होंने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिया है, एजीएम में भी भाग ले सकते हैं परन्तु एजीएम स्थल पर फिर से अपना वोट देने के हकदार नहीं होंगे।

(ix) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग निर्देशों के लिए, सदस्य 26वीं एजीएम के सूचना निर्देशों को देख सकते हैं तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के साथ जुड़े किसी भी प्रश्न/शिकायतों के मामले में, सदस्य हेल्प सेक्शन www.evotingindia.com पर शेयरधारकों के लिए उपलब्ध बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका का संदर्भ ले सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com को लिख सकते हैं या सीडीएसएल ई–वोटिंग हेल्पडेस्क 1800225533 या श्री जे के सिंगला, वरिष्ठ प्रबंधक, मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, अलंकित हाउस, 3ई/7, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली – 110055, ईमेल jksingla@alankit.com, फोन नं0: 011-42541960, मोबाइल: 9899888264 से संपर्क कर सकते हैं।

(x) ई–वोटिंग/एजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग का परिणाम रविवार, 15 सितम्बर, 2019 को या उससे पूर्व घोषित किया जाएगा। पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.krblrice.com पर उपलब्ध होगा और इसकी जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, को भी दी जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों तथा सेबी (सूचीयन अनिवार्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम, 42 के साथ पठित उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनी की 26वीं एजीएम के उद्देश्य के लिए और लाभांश के भुगतान के लिए योग्य सदस्यों के निर्धारण के लिए कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर पुस्तकें शुक्रवार, 30 अगस्त, 2019 से शुक्रवार, 13 सितम्बर, 2019 (दोनों दिनों सहित) तक के लिए बंद रहेंगे।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते **केआरबीएल लिमिटेड**
हस्ता/–
रमन सड़ा
कंपनी सचिव

स्थानः नोएडा
दिनांकः 20 अगस्त, 2019

उन्नाव कांड : सीबीआइ को और दो हफ्ते का समय मिला

नई दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने उस सड़क दुर्घटना मामले की जांच पूरी करने के लिए सीबीआइ को सोमवार को और दो सप्ताह का समय दिया, जिसमें उन्नाव बलात्कार पीड़िता और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उसके दो रिश्तेदारों की मौत हो गई थी। न्यायालय ने इससे पहले सीबीआइ को जांच पूरी करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था। न्यायालय ने यह देखते हुए जांच के लिए समय बढ़ा दिया कि जांच एजंसी ने मामले में अभी तक 'काफी विस्तृत जांच' की है।

सीबीआइ ने बलात्कार पीड़िता और उसके वकील के बयान अब तक दर्ज ना हो पाने का हवाला देते हुए जांच पूरी करने के लिए अदालत से और चार सप्ताह का समय मांगा था। सीबीआइ ने साथ ही यह भी कहा कि उसे अभी तक एकत्रित इलेक्ट्रॉनिक जांच का विश्लेषण भी करना है। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस के एक पीठ ने साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को उस वकील को पांच लाख रुपए देने का आदेश भी दिया जो कि गंभीर स्थिति में है और उसका इलाज चल रहा है। पीठ ने हालांकि बलात्कार पीड़िता के परिवार के सदस्यों द्वारा मीडिया में दिए सार्वजनिक बयानों पर आपत्ति जताई और कहा कि इससे मामले की सुनवाई के दौरान आरोपियों को मदद मिल सकती है। पीठ ने कहा, 'आपको यदि कोई शिकायत है, हमसे निःसंकोच बताएं। हम आपकी मदद के लिए यहां पर हैं। उसके परिवार के कुछ सदस्य मीडिया में बयान दे रहे हैं। इससे आरोपियों को ही मदद मिल सकती है।'

गुमशुदा की तलाश

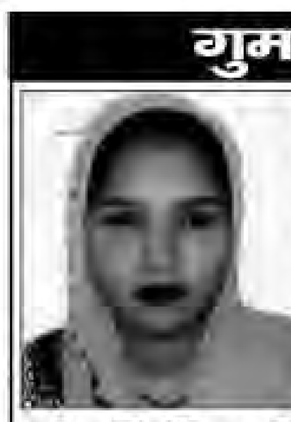

श्रीमति शिवानी

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एक महिला (फोटो में प्रदर्शित) जिसका **नाम** श्रीमति शिवानी **पत्नी** सूरज **निवासी** मकान सं. 2, गली नं. 1, दीप एंक्लेव, विकास नगर, उत्तम नगर दिल्ली जो दिनांक 01.08.2019 से करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास, दिल्ली से लापता है। इस संदर्भ में डीडी सं. 141ए दिनांक 02.08.2019 थाना करोल बाग, दिल्ली में दर्ज है। जिसका शारीरिक विवरण इस प्रकार है:—

उम्र: 22 साल, **कद:** 5'2, **रंग** : सांवला, **चेहरा** : गोल, **शरीर** : मध्यम, **कपड़े** काले रंग का सूट, काले रंग की सलवार और पैरों में काले रंग की चप्पल पहने हुए है।

यदि किसी भी व्यक्ति को इस लापता महिला के बारे में कोई जानकारी या सुराग मिले तो अधोहस्ताक्षरी को निम्नलिखित पते पर सूचित करने की कृपा करें। ईमेल: **cic@cbi.gov.in** वेबसाइट **http://cbi.nic.in**

फोन: 011-24368638, 24368641
फैक्स नं.: 011-24368639
DP/6506/CD/19

थानाध्यक्ष
थाना करोल बाग, दिल्ली
मध्य जिला, दिल्ली
दूरभाष 011-28726870, 28721115

केन फिन होम्स लि.

1ला तल, डीडीए बिल्डिंग, पारस सिनेमा के निकट, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 CIN No. L85110KA1987PLC008699
फोन: 7625079108, 011-26435815, 26430236, ईमेल: delhi@canfinhomes.com

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्व साधारण तथा विशेष रूप से ऋणधारक(कों) तथा गारन्टर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका केन फिन होम्स लि., नेहरू प्लेस, नई दिल्ली शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **भौतिक कब्जा** किया गया है, की आशा सिंह एवं सतवीर सिंह (ऋणधारकों) तथा श्री प्रकाश चन्द दुर्गपाल (गारन्टरों) से आगे के ब्याज तथा उस पर अन्य चार्जेज के साथ 01.12.2017 को केन फिन होम्स लि. के बकाये रु. 1971694/- (रुपये उन्नीस लाख इकहत्तर हजार छः सौ चौड़ानवे मात्र) की वसूली के लिये 24.09.2019 को "जैसा है जहां है", "जो भी जैसा है" तथा "जो कुछ भी वहां है" आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य रु. 21,00,000/- (रुपये इक्कीस लाख मात्र) तथा धरोहर राशि भुगतान रु. 2,10,000/- (रुपये दो लाख दस हजार मात्र) होगी।

सम्पत्ति की अनुसूची

फ्लैट नं. एस-2, दूसरा तल, फ्रान्ट साईड-एमआईजी (छत के अधिकार के साथ), प्लॉट नं. ए-6/4, डीएलएफ, अंकुर विहार, लोनी, जिला गाजियाबाद, उ.प्र.-201102 विस्तार 600 वर्ग फीट (55.74 वर्ग मी.)

पूर्वः प्लॉट नं. ए-6/4ए, पश्चिमः प्लॉट नं. ए-6/3
उत्तरः 9 मी. चौड़ी सड़क, दक्षिणः हेल्थ सेन्टर

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तें केन फिन होम्स लि. की आधिकारिक वेबसाईट (www.canfin-homes.com) पर दी गई है। कृपया अधोलिखित लिंक https://www.canfinhomes.com/SearchAuction.aspx देखें।

तिथिः 19.8.19
स्थानः नई दिल्ली

हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी
केन फिन होम्स लि.

बैंक बोर्ड ब्यूरो

निम्नलिखित पद हेतु उन भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित जिनका अतुल्य ट्रैक रिकॉर्ड हो:

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

1. बैंक ऑफ़ बड़ौदा 3. केनरा बैंक
2. बैंक ऑफ़ इंडिया 4. पंजाब नेशनल बैंक

पात्रता
- उम्र: 45 से 57 वर्ष
- न्यूनतम अनुभव : मुख्यधारा बैंकिंग में 15 साल, जिसमें कम से कम एक वर्ष बोर्ड स्तर पर होना चाहिए

कैसे आवेदन करें
- आवेदन पत्र और अन्य विवरण हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं http://www.banksboardbureau.org.in/WhatsNew/Index

आवेदन अंतिम तिथि
- विधिवत रूप से भरे हुए फॉर्म सितंबर 23, 2019 तक बैंक बोर्ड ब्यूरो कार्यालय पहुँच जाने चाहिए

सचिव,
बैंक बोर्ड ब्यूरो

ध्यान दें: आगे से अन्य विवरण (जैसे शुद्धि-पत्र इत्यादि) बैंक बोर्ड ब्यूरो की वेबसाइट पर ही प्रकाशित होंगे।

EXPRESS
Careers

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट

निम्नलिखित पदों के लिए सुपात्र भारतीय राष्ट्रिकों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

(i) **वरिष्ठ प्रबंधक (कार्पोरेट विधि)** - 2 पद संविदा आधार पर
(ii) **शहरी अभिकल्पकार** - 1 पद संविदा आधार पर
(iii) **पाईलट (नियमित आधार पर)** - 7 पद (अज-1, अजा-1, अपिव-5). सामान्य उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।
(iv) **पाईलट (संविदा आधार पर)** - 14 पद

क्रम संख्या (i) तथा (ii) के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि **07/09/2019** होगी। क्रम संख्या (iii) तथा (iv) के लिए विज्ञापन खुला रहेगा तथा रिक्तियों को भरे न जाने के मामले में तथा/या अतिरिक्त रिक्तियाँ उत्पन्न होने के मामले में आवेदनों पर विचार किया जायेगा।

इच्छुक उम्मीदवार शैक्षिक पात्रता, आयु, अनुभव आदि के संबंध में विस्तृत विवरण के लिए हमारी वेबसाईट **www.mumbaiport.gov.in (media / vacancy)** में देखकर, आवेदन का निर्धारित प्रपत्र डाऊनलोड कर के उस प्रपत्र में अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है तथा इस बारे में उम्मीदवार हमारी वेबसाईट समय समय पर देखें।

MbPT-14-2019

सचिव

महाराष्ट्र में ट्रक-बस की टक्कर में 13 लोगों की मौत

धुले, 19 अगस्त (भाषा)।

महाराष्ट्र के धुले जिले के धुले जिले में एक कंटेनर ट्रक और एक बस के बीच हुई सीधी टक्कर में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और अन्य 15 लोग घायल हुए हैं।

पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि यह हादसा शहादा-दोंदायचा मार्ग पर निम्गुल गांव के पास रविवार की रात करीब साढ़े दस बजे हुआ। बस राज्य परिवहन विभाग की थी। उन्होंने बताया कि ट्रक चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया, जिससे वाहन बस से जा टकराया। बस नंदुरबार जिले के शहादा से औरंगाबाद जा रही थी।

अधिकारी ने कहा, 'दो बच्चों, दो महिलाओं और दोनों वाहन के चालकों सहित हादसे में 13 लोगों की जान चली गई।' उन्होंने बताया कि 11 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। दो लोगों की धुले के दोंदायचा शहर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।

This is a public announcement for information purposes only and is not a prospectus announcement. This does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe for securities.
Not for publication or distribution, directly or indirectly outside India.

STERLING & WILSON

STERLING AND WILSON SOLAR LIMITED

Our Company was originally incorporated at Mumbai on March 9, 2017 as Rashmika Energy Private Limited, as a private limited company under the Companies Act, 2013, pursuant to a certificate of incorporation dated March 10, 2017 issued by the Registrar of Companies, Maharashtra at Mumbai (**"RoC"**). Subsequently, the Solar EPC Division of Sterling and Wilson Private Limited was demerged into our Company pursuant to the order dated March 28, 2018 of the National Company Law Tribunal, Mumbai Bench with the appointed date for the transfer of such Solar EPC Division being April 1, 2017. Thereafter, to reflect the association of our Company with the Sterling and Wilson group, the name of our Company was changed to Sterling and Wilson Solar Private Limited pursuant to the resolution passed by our Shareholders at their extra-ordinary general meeting held on March 29, 2018 and the certificate of incorporation pursuant to change of name was issued by the RoC on April 24, 2018. Subsequently, our Company was converted into a public limited company pursuant to the approval of our Shareholders at an extra-ordinary general meeting held on January 11, 2019. Consequently, the name of our Company was changed to Sterling and Wilson Solar Limited and a fresh certificate of incorporation consequent upon conversion from private company to a public company was issued by the RoC on January 25, 2019. For further details relating to changes in the registered office and name of our Company, see *"History and Certain Corporate Matters"* beginning on page 138 of the Prospectus dated August 10, 2019 (**"Prospectus"**).

Registered Office and Corporate Office: 9th Floor, Universal Majestic, P L Lokhande Marg, Chembur (West), Mumbai 400 043. **Telephone no.:** +91 22 2548 5300; **Website:** www.sterlingandwilsonsolar.com
Contact Person: Jagannadha Rao Ch. V., Company Secretary and Compliance Officer; **Telephone no.:** +91 22 2548 5300; **E-mail:** ir@sterlingwilson.com; **Corporate Identity Number:** U74999MH2017PLC292281

OUR PROMOTERS: SHAPOORJI PALLONJI AND COMPANY PRIVATE LIMITED AND KHURSHED YAZDI DARUVALA

Our Company has registered the Prospectus with the Registrar of Companies, Maharashtra at Mumbai, and the Equity Shares are proposed to be listed on the BSE Limited (**"BSE"**) and the National Stock Exchange of India Limited (**"NSE"**) and the trading will commence on or about Tuesday, August 20, 2019.

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC OFFERING OF 36,533,820 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 1 EACH ("EQUITY SHARES") OF STERLING AND WILSON SOLAR LIMITED ("OUR COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 780 PER EQUITY SHARE ("OFFER PRICE") AGGREGATING TO ₹ 28,496.38 MILLION, COMPRISING OF AN OFFER FOR SALE OF 24,355,880 EQUITY SHARES BY SHAPOORJI PALLONJI AND COMPANY PRIVATE LIMITED AGGREGATING TO ₹ 18,997.59 MILLION AND 12,177,940 EQUITY SHARES BY KHURSHED YAZDI DARUVALA AGGREGATING TO ₹ 9,498.79 MILLION (TOGETHER, THE "PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS") AND SUCH EQUITY SHARES OFFERED BY THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS (THE "OFFERED SHARES") (THE "OFFER"). THE OFFER CONSTITUTES 22.78 % OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY.

QIB Category: Atleast 75% of the Offer
Retail Category: Not more than 10% of the Offer
Non Institutional Investor Category: Not more than 15% of the Offer

OFFER PRICE : ₹ 780 PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF ₹ 1 EACH
THE OFFER PRICE IS 780 TIMES OF THE FACE VALUE

Risks to Investors:

- The six Global Coordinators and Book Running Lead Managers and two Book Running Lead Managers associated with the Offer have handled 48 public issues in the past three years out of which 18 closed below the issue price on listing date.
- The Price/ Earnings ratio based on diluted EPS for Fiscal 2019 for the Issuer at Offer Price is 19.57.
- The average cost of acquisition per Equity Share for our Promoter Selling Shareholders is Nil per Equity Share.

* The Offer Price is ₹780.

For details of build-up of Promoters' shareholding in our Company, please see 'Capital Structure - Build-up of the Promoters' shareholding in our Company' Page 80 of the Prospectus.

BID/OFFER OPENED ON AUGUST 6, 2019 | BID/OFFER CLOSED ON AUGUST 8, 2019
ANCHOR INVESTOR BIDDING DATE WAS AUGUST 5 , 2019

The Offer was made in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended (**"SCRR"**) read with Regulation 31 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended (the **"SEBI ICDR Regulations"**). The Offer was made through the Book Building Process in accordance with Regulation 6(2) of the SEBI ICDR Regulations wherein not less than 75% of the Offer was available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers (**"QIBs"**) (the **"QIB Portion"**), provided that our Company and the Promoter Selling Shareholders in consultation with the GCBRLMs and BRLMs allocated 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis. One-third of the Anchor Investor Portion was reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from the domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. 5% of the Net QIB Portion was available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the QIB Portion was available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders (other than Anchor Investors), including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. Further, not more than 15% of the Offer was available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders and not more than 10% of the Offer was available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. All Bidders, other than Anchor Investors, were mandatorily required to participate in the Offer through the Application Supported by Blocked Amount (**"ASBA"**) process by providing details of their respective ASBA Accounts which were to be blocked by the Self Certified Syndicate Banks (**"SCSBs"**). Anchor Investors were not permitted to participate in the Anchor Investor Portion through the ASBA process. For details, see *"Offer Procedure"* beginning on page 459 of the Prospectus.

The Offer received 38,051 applications for 36,583,911 Equity Shares as per the bid book resulting in 0.9131 times subscription as disclosed in Prospectus. The details of the applications received in the Offer from Retail Individual Bidders, Non-Institutional Bidders and QIBs are as under (before technical rejections, multiple or duplicate Bids and Bids not banked/returned):

Category	No. of Applications	No of Equity Shares applied	Equity Shares Reserved (Red Herring Prospectus)	No. of times Subscribed	Amount in Rs.
ANCHOR	27	18,028,853	18,028,846	1.0000	14,062,505,340.00
QIB	50	12,332,007	12,019,231	1.0260	9,618,965,460.00
NII	147	5,086,053	6,009,615	0.8463	3,967,117,787.00
RETAIL	37,827	1,136,998	4,006,410	0.2838	888,063,401.00
TOTAL	**38,051**	**36,583,911**	**40,064,102**	**0.9131**	**28,536,651,988.00**

Final Demand

A summary of the final demand as per BSE and NSE as on the Bid/Offer Closing Date at different Bid prices is as under:

Bid Price	Bid Quantity	% to Total	Cumulative Total	Cumulative Total %
775	33,440	0.18	33,440	0.18
776	3,743	0.02	37,183	0.20
777	7,581	0.04	44,764	0.24
778	7,524	0.04	52,288	0.28
779	4,332	0.02	56,620	0.30
780	18,008,162	94.95	18,064,782	95.24
CUT-OFF	901,892	4.76	18,966,674	100.00
TOTAL	**18,966,674**	**100.00**		

The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange, being BSE on August 14, 2019.

A. Allotment to Retail Individual Investors (After technical rejections, multiple or duplicate Bids and Bids not banked/returned)

The Basis of Allotment to the Retail Individual Bidders, who have bid at cut-off or at the Offer Price of ₹ 780 per Equity, was finalized in consultation with BSE. This category has been subscribed to the extent of 0.2717 times. The total number of Equity Shares Allotted in Retail Individual Bidders category is 1,088,643 Equity Shares to 36,096 successful applicants. The under subscribed portion of 2,917,767 Equity Shares in the Retail Category has been spilled over to Qualified Institutional Buyers. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

Category	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares Applied	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per Bidder	Ratio	Total No. of Equity Shares Allotted
19	29,863	82.73	567,397	52.12	19	1:1	567,397
38	2,908	8.06	110,504	10.15	38	1:1	110,504
57	1,021	2.83	58,197	5.35	57	1:1	58,197
76	432	1.20	32,832	3.02	76	1:1	32,832
95	406	1.12	38,570	3.54	95	1:1	38,570
114	253	0.70	28,842	2.65	114	1:1	28,842
133	222	0.62	29,526	2.71	133	1:1	29,526
152	67	0.19	10,184	0.94	152	1:1	10,184
171	28	0.08	4,788	0.44	171	1:1	4,788
190	205	0.57	38,950	3.58	190	1:1	38,950
209	27	0.07	5,643	0.52	209	1:1	5,643
228	42	0.12	9,576	0.88	228	1:1	9,576
247	622	1.72	153,634	14.11	247	1:1	153,634
TOTAL	**36,096**	**100.00**	**1,088,643**	**100.00**			**1,088,643**

Note: Unsubscribed portion of 2,917,767 Equity Shares spilled over to QIB Category.

B. Allotment to Non Institutional Investors (After technical rejections, multiple or duplicate Bids and Bids not banked/returned)

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Bidders, who have bid at the Offer Price of ₹ 780 per Equity Share or above, was finalized in consultation with BSE. This category has been subscribed to the extent of 0.8460 times. The total number of Equity Shares allotted in this category is 5,084,324 Equity Shares to 142 valid applicants. The under subscribed portion of 925,291 Equity Shares in the Non Institutional has been spilled over to Qualified Institutional Buyers. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under: (Sample)

Category	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares Applied	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per Bidder	Ratio	Total No. of Equity Shares Allotted
266	24	16.90	6,384	0.13	266	1:1	6,384
285	12	8.45	3,420	0.07	285	1:1	3,420
304	2	1.41	608	0.01	304	1:1	608
380	4	2.82	1,520	0.03	380	1:1	1,520
399	2	1.41	798	0.02	399	1:1	798
475	3	2.11	1,425	0.03	475	1:1	1,425
494	3	2.11	1,482	0.03	494	1:1	1,482
513	7	4.93	3,591	0.07	513	1:1	3,591
570	3	2.11	1,710	0.03	570	1:1	1,710
627	18	12.68	11,286	0.22	627	1:1	11,286
817	1	0.70	817	0.02	817	1:1	817
874	1	0.70	874	0.02	874	1:1	874
950	4	2.82	3,800	0.07	950	1:1	3,800
988	3	2.11	2,964	0.06	988	1:1	2,964
1,007	2	1.41	2,014	0.04	1,007	1:1	2,014
1,273	4	2.82	5,092	0.10	1,273	1:1	5,092
1,292	3	2.11	3,876	0.08	1,292	1:1	3,876
1,311	1	0.70	1,311	0.03	1,311	1:1	1,311
1,900	2	1.41	3,800	0.07	1,900	1:1	3,800
2,565	2	1.41	5,130	0.10	2,565	1:1	5,130
3,838	1	0.70	3,838	0.08	3,838	1:1	3,838
5,130	2	1.41	10,260	0.20	5,130	1:1	10,260
5,700	2	1.41	11,400	0.22	5,700	1:1	11,400
13,452	1	0.70	13,452	0.26	13,452	1:1	13,452
14,991	1	0.70	14,991	0.29	14,991	1:1	14,991
25,650	2	1.41	51,300	1.01	25,650	1:1	51,300
56,411	1	0.70	56,411	1.11	56,411	1:1	56,411
64,087	2	1.41	128,174	2.52	64,087	1:1	128,174
128,155	2	1.41	256,310	5.04	128,155	1:1	256,310
128,193	1	0.70	128,193	2.52	128,193	1:1	128,193
256,405	2	1.41	512,810	10.09	256,405	1:1	512,810
284,240	1	0.70	284,240	5.59	284,240	1:1	284,240
448,704	1	0.70	448,704	8.83	448,704	1:1	448,704
641,022	2	1.41	1,282,044	25.22	641,022	1:1	1,282,044
1,282,044	1	0.70	1,282,044	25.22	1,282,044	1:1	1,282,044

Note: Unsubscribed portion of 925,291 Equity Shares spilled over to QIB Category.

C. Allotment to QIBs (excluding Anchor Investors) (After technical rejections, multiple or duplicate Bids and Bids not banked/returned)

Allotment to QIBs, who have bid at the Offer Price of ₹ 780 per Equity Share or above, has been done on a proportionate basis in consultation with BSE. This category has been subscribed to the extent of 0.7774* times of the Net QIB portion. The total number of Equity Shares allotted in the Net QIB Portion is 12,332,007 Equity Shares, which were allotted to 50 successful Applicants. As per the SEBI ICDR Regulations, Mutual Funds were allotted 5% of the Equity Shares of Net QIB portion available i.e. 793,115 Equity Shares (includes under subscribed portion of 145,888 Equity Shares spilled over from Retail Category and 46,265 Equity Shares spilled over from Non Institutional Category) and other QIBs and unsatisfied demand of Mutual Funds were allotted the remaining available Equity Shares i.e. 11,538,892 Equity Shares (includes under subscribed portion of 2,771,879 Equity Shares spilled over from Retail Category and 879,026 Equity Shares spilled over from Non Institutional Category) on a proportionate basis.

CATEGORY	FIS/BANKS	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPC	TOTAL
ALLOTMENT	1,923,066	2,959,155	641,022	1,346,131	1,768,691	3,693,942	12,332,007

*The Registrar informed that in QIB Category 50 valid applications for 12,332,007 Equity Shares were received at higher end of the price band against 12,019,231 Equity Shares reserved for this category resulting in subscription of 1.0260 times. However, after including the spillover of 3,843,058 Equity Shares i.e. 925,291 Equity Shares from Non Institutional Investors Category and 2,917,767 Equity Shares from Retail Individual Investors, resulting into total of 15,862,289 Equity Shares resulting in subscription of 0.7774 times.

D. Allotment to Anchor Investors

The Company Promoter Selling Shareholders, in consultation with the GCBRLMs and BRLMs, have Allotted 18,028,846 Equity Shares to 22 Anchor Investors (through 27 Applications) at the Anchor Investor Offer Price of ₹ 780 per Equity Share in accordance with the SEBI Regulations. This represents 60.00% of the QIB Portion (as disclosed in the Red Herring Prospectus)

CATEGORY	FIS/BANKS	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPC	TOTAL
ALLOTMENT	—	2,884,637	641,060	—	576,935	13,926,214	**18,028,846**

The Board of our Company at its meeting held on August 16, 2019 has taken on record the Basis of Allotment of Equity Shares, finalised in consultation with the Designated Stock Exchange, being BSE and has allotted the Equity Shares to various successful Bidders. The Allotment Advice-cum-Intimations and/ or notices will be dispatched to the address of the investors as registered with the depositories. Further, the instructions to the Self Certified Syndicate Banks for unblocking of funds and transfer to Public Offer Account have been issued on August 14, 2019 and payment to non-Syndicate brokers have been issued on August 16, 2019. In case the same is not received within ten days, investors may contact the Registrar to the Offer at the address given below. The Equity Shares Allotted to the successful Allottees have been uploaded on August 16, 2019 for credit into the respective beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company has filed the listing application with BSE and NSE on August 16, 2019. The Company has received listing and trading approval from BSE and NSE and the trading will commence on or about August 20, 2019.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus.

INVESTORS PLEASE NOTE

Pursuant to the finalisation of the Basis of Allotment, the number of the Equity Shares held by SPCPL, which shall be pledged in favour of Housing Development Finance Corporation Limited, after creation of lock-in in accordance with Regulation 16(b) of the SEBI ICDR Regulations, stands updated from up to 57,347,979 Equity Shares (representing 35.76% of the paid-up Equity Share capital of the Company) to 59,718,766 Equity Shares (representing 37.24% of the paid-up Equity Share capital of the Company). Related disclosures on pages 34, 78 and 81 of the Prospectus should be read together with this update.

These details of the Allotment made shall be hosted on the website of Registrar to the Offer, Link Intime India Private Limited at www.linkintime.co.in

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Offer quoting full name of the First/ Sole applicant, Serial number of the ASBA form, number of Equity Shares bid for, name of the Member of the Syndicate, place where the bid was submitted and payment details at the address given below:

LINK Intime

Link Intime India Private Limited
C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083.
Telephone no.: +91 22 4918 6200; **E-mail:** sterlingwilson.ipo@linkintime.co.in
Investor grievance e-mail: sterlingwilson.ipo@linkintime.co.in; **Website:** www.linkintime.co.in
Contact Person: Shanti Gopalkrishnan; **SEBI Registration No.:** INR000004058

For STERLING AND WILSON SOLAR LIMITED
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Mumbai
Date: August 19, 2019

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF STERLING AND WILSON SOLAR LIMITED.

STERLING AND WILSON SOLAR LIMITED has registered the Prospectus with the Registrar of Companies, Mumbai. The Prospectus is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, on the websites of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and is available on the websites of the GCBRLMs at www.icicisecurities.com, www.axiscapital.co.in, www.credit-suisse.com, www.db.com/India, www.iiflcap.com and www.sbicaps.com and the websites of the BRLMs at www.indusind.com and www.yesinvest.in. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see the section titled *'Risk Factors'* on page 28 of the Prospectus.

These materials are not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States. These materials are not an offer for the sale of the Equity Shares or other securities in the United States or elsewhere. The Equity Shares referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (**"Securities Act"**) and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws.

No public offering of the Equity Shares or other securities is being made in the United States.

CONCEPT

बाजवा को तीन साल का सेवा विस्तार

इस्लामाबाद, 19 अगस्त (भाषा)।

पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को और तीन साल के लिए सेवा विस्तार दे दिया गया है। मीडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि क्षेत्र के मौजूदा सुरक्षा हालात के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। इसकी एक वजह यह भी बताई गई है कि प्रधानमंत्री इमरान खान और बाजवा घनिष्ठ सहयोग के साथ काम कर रहे हैं और उसी को देखते हुए उनके कार्यकाल को विस्तार देने का फैसला किया गया है। मीडिया रिपोर्टों में सोमवार को यह जानकारी दी गई।

प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी संक्षिप्त अधिसूचना के अनुसार, 'जनरल कमर जावेद बाजवा को मौजूदा कार्यकाल की समाप्ति की तारीख से और तीन साल का सेवा विस्तार दिया जाता है।' 'डान' समाचारपत्र ने बताया है कि क्षेत्र के सुरक्षा माहौल के मद्देनजर यह फैसला किया गया है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि फैसला प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा किया गया। इस समय जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ द्वारा जनरल बाजवा को नवंबर, 2016 में सेना प्रमुख बनाया गया था। 58 वर्षीय बाजवा के इस साल सेवानिवृत्त होने की संभावना थी।

इससे पूर्व, ऐसी खबरें आ रही थीं कि प्रधानमंत्री खान, बाजवा को तीन साल का सेवा विस्तार दे सकते हैं। दोनों के बीच तालमेल भी काफी देखा जा रहा है। बाजवा, खान की पहली अमेरिका यात्रा के समय उनके साथ गए थे जहां प्रधानमंत्री ने वाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। खान ने अभूतपूर्व कदम के तहत बाजवा को राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य भी मनोनीत किया था। पाकिस्तान में सेना प्रमुख के पद पर नियुक्ति प्रधानमंत्री और उनकी सरकार का विशेषाधिकार होती है। यहां सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी को सेना प्रमुख बनाने की परंपरा का पालन नहीं किया जाता। बाजवा को ऐसे समय में सेवा विस्तार दिया गया है जब जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के फैसले के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध खराब दौर से गुजर रहे हैं।कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने के भारत के फैसले पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए पाकिस्तान ने नई दिल्ली के साथ अपने राजनयिक संबंधों का दर्जा कम करने का फैसला किया था और भारतीय उच्चायुक्त को निष्कासित कर दिया था।

श्रीलंका में मानवाधिकार उल्लंघन का आरोपी फील्ड कमांडर बना सैन्य प्रमुख

कोलंबो, 19 अगस्त (भाषा)।

श्रीलंका के विवादित फील्ड कमांडर को नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति कार्यालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। यह विवादित फील्ड कमांडर देश के 26 साल तक चले गृहयुद्ध के दौरान मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघनों का आरोपी रहा है। मौजूदा सैन्य प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल महेश सेनानायक की सेवा अवधि नहीं बढ़ाने के कारण लेफ्टिनेंट जनरल शवेंद्र सिल्वा (55) यह प्रभार संभालेंगे।

राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के कार्यालय ने लेफ्टिनेंट जनरल शवेंद्र सिल्वा को नया सैन्य कमांडर नियुक्त किए जाने की घोषणा की। सिल्वा ने 2009 में गृह युद्ध के अंतिम दौर में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) के विद्रोहियों के खिलाफ जंग में सेना के 58वें डिविजन की कमान संभाली थी। उनकी ब्रिगेड पर आम नागरिकों, अस्पतालों और फंसे हुए तमिल नागरिकों को की जा रही रसद आपूर्ति रोकने का आरोप है। सिल्वा के नाम का उल्लेख संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) द्वारा 2013 में पारित प्रस्ताव में था जिसमें श्रीलंकाई सेना पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।

अफगानिस्तान में हिंसा बढ़ाना है पाकिस्तान का मकसद : राजदूत

वाशिंगटन/काबुल, 19 अगस्त (भाषा)।

अफगानिस्तान ने कश्मीर को उसके यहां अमेरिका की अगुआई में चल रही शांति प्रक्रिया से जोड़ने की पाकिस्तान की कोशिश को धृष्ट, अवांछित और गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। साथ ही अफगानिस्तान ने अपने यहां लंबे समय तक हिंसा फैलाने के इस्लामाबाद के नापाक इरादे की भी निंदा की है। अमेरिका में अफगानिस्तान की राजदूत रोया रहमानी ने कहा कि पाकिस्तान का मकसद कश्मीर मुद्दे से अफगानिस्तान को जोड़कर अफगान धरती पर हिंसा को बढ़ाना है।

अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत असद माजिद खान ने पिछले हफ्ते न्यूयार्क टाइम्स से कहा था कि ताजा भारत-पाक तनाव के बीच उनका देश अफगानिस्तान से लगती सीमा से लेकर कश्मीर तक सैनिकों की फिर से तैनाती कर सकता है। खबर है कि इससे अमेरिका और तालिबान के जारी शांति वार्ता उलझ सकती है।

अमेरिका में अफगानिस्तान की राजदूत रोया रहमानी ने कहा, 'अफगान शांति प्रयास को कश्मीर की उभरती स्थिति से जोड़ने वाले ऐसे कोई भी बयान घृष्ट, अवांछित एवं गैर जिम्मेदाराना हैं।' रविवार को वाशिंगटन स्थित अफगान दूतावास से जारी बयान में रहमानी ने कहा, 'अफगानिस्तान अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत असद माजिद खान के इस बयान पर दृढ़ता से प्रश्न खड़ा करता है कि कश्मीर के वर्तमान तनाव से अफगानिस्तान की शांति प्रकिया प्रभावित हो सकती है।'

जाकिर नाइक से पूछताछ करेंगे मलेशियाई अधिकारी

कुआलालंपुर, 19 अगस्त (भाषा)।

मलेशियाई अधिकारियों ने जाकिर नाइक को हिंदुओं व चीनियों के खिलाफ कथित नस्ली टिप्पणी करने के मामले में दूसरी बार तलब किया है। इससे कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने विवादित धर्म उपदेशक को कहा था कि उसे देश में राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की इजाजत नहीं है। आधिकारिक बरनामा संवाद समिति ने सोमवार को खबर दी कि नाइक को रॉयल मलेशिया पुलिस मुख्यालय, बुकित अमन में उसका बयान दर्ज कराने के लिए दूसरी बार बुलाया गया है। भारतीय अधिकारी कथित धनशोधन और घृणा भाषणों के जरिए चरमपंथ भड़काने के मामलों में 2016 से नाइक की तलाश कर रहे हैं।

मोदी की फ्रांस, यूएई और बहरीन की यात्रा 22 से

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 19 अगस्त।

- फ्रांस में रक्षा, परमाणु सहयोग और आतंकवाद से निपटने पर होगी बात
- यूएई में प्रधानमंत्री 'आर्डर आफ जायद' ग्रहण करेंगे
- बहरीन में परस्पर हितों पर होगी बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 26 अगस्त तक फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और बहरीन की यात्रा पर रहेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान वे इन देशों के शीर्ष नेताओं के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। फ्रांस में रक्षा, परमाणु ऊर्जा, नौवहन सहयोग और आतंकवाद से निपटने जैसे विषयों बातचीत होगी। प्रधानमंत्री वहां के बियारेत्ज शहर में 25 अगस्त को जी7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में भारत को सहयोगी देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। सऊदी अरब में प्रधानमंत्री मोदी वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'आर्डर आफ जायद' ग्रहण करेंगे। बहरीन में मोदी अपने समकक्ष राजकुमार शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा के साथ द्विपक्षीय संबंधों के पूरे आयामों के साथ ही क्षेत्रीय और परस्पर हित के अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

विदेश मंत्रालय के सचिव (ईआर) टीएस तिरुमूर्ति ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 22 अगस्त की शाम फ्रांस पहुंचेंगे। फ्रांस से प्रधानमंत्री 23 से 25 अगस्त तक संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन की द्विपक्षीय यात्रा पर जाएंगे। मोदी 25 अगस्त को जी7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने फ्रांस के बियारेत्ज शहर लौटेंगे। वे शिखर सम्मेलन में 'असमानता से मुकाबला' विषय पर भी अपने विचार रखेंगे। 22 अगस्त की शाम को ही प्रधानमंत्री की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बैठक होगी। दोनों नेताओं के बीच पहले आमने सामने की बैठक और फिर शिष्टमंडल स्तर की बैठक होगी। राष्ट्रपति मैक्रों मोदी को रात्रिभोज देंगे। वहां प्रधानमंत्री का भारतीय समुदाय को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। भारत और फ्रांस के बीच चर्चा में रक्षा सहयोग महत्वपूर्ण आयाम होंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा, नौवहन क्षेत्र, अंतरिक्ष सहयोग, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। फ्रांस के साथ जैतपुर परमाणु संयंत्र परियोजना को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। भारत और फ्रांस अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को आगे बढ़ाने व तीसरे देश खास तौर पर अफ्रीका में इसे आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।

प्रधानमंत्री 23 से 25 अगस्त तक संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और बहरीन की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा इस मायने में भी खास है, क्योंकि इस दौरान वह यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'आर्डर आफ जायद' ग्रहण करेंगे। वहां महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर डाक टिकट भी जारी करेंगे। रुपे कार्ड शुरू करेंगे। दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, समग्र सामरिक सहयोग के बढ़ावा देने के साथ कारोबार, आतंकवाद से निपटने, अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने पर व्यापक चर्चा होगी। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान अबु धाबी के युवराज शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे।

बहरीन में मोदी अपने समकक्ष राजकुमार शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा के साथ द्विपक्षीय संबंधों के पूरे आयामों के साथ ही क्षेत्रीय और परस्पर हित के अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बहरीन के शेख हमाद बिन ईसा अल खलीफा मोदी के सम्मान में एक रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री का मनामा में श्रीनाथजी मंदिर के पुनरुद्धार कार्य की शुरुआत करने का कार्यक्रम है। बहरीन में करीब 3,50,000 भारतीय नागरिक रहते हैं जो कि देश में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है और वे बहरीन के विकास में योगदान दे रहे हैं।

मनमोहन सिंह राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए

जनसत्ता ब्यूरो
जयपुर, 19 अगस्त।

राजस्थान से राज्यसभा की एक सीट के लिए हुए उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है।

निर्वाचन अधिकारी प्रमिल कुमार माथुर ने सोमवार को दोपहर 3 बजे बाद नाम वापसी का समय खत्म होने के बाद सिंह को निर्वाचित घोषित किया। राज्यसभा की एक सीट के लिए सिर्फ कांग्रेस के मनमोहन सिंह का ही नामांकन दाखिल हुआ था।

सिंह के निर्वाचन का प्रमाण पत्र उनके प्रतिनिधि के तौर पर विधानसभा के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने हासिल किया। निर्वाचन अधिकारी माथुर ने बताया कि एक सीट के लिए सिर्फ मनमोहन सिंह के ही चार नामांकन पत्र दाखिल हुए थे। जांच के दौरान सभी नामांकन सही पाए गए।

नीरज शेखर राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित

लखनऊ, 19 अगस्त (भाषा)।

भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज शेखर सोमवार को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए।

चुनाव अधिकारी एवं विशेष सचिव बृजभूषण दुबे ने कहा, 'आज, सोमवार, नाम वापसी की समयसीमा समाप्त होने के बाद नीरज शेखर को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया।' राज्य में राज्यसभा की एक सीट के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार नीरज शेखर का निर्विरोध निर्वाचन पहले ही तय हो गया था क्योंकि उनके अलावा किसी और ने नामांकन नहीं किया था। शुक्रवार नामांकन पत्र की जांच की प्रक्रिया पूरी हो गई थी और आज नाम वापसी की अंतिम समयसीमा थी।

SBI

परिचालन जोखिम प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट सेंटर, 6ठी मंजिल, एयर इंडिया बिल्डिंग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021.

प्रस्ताव हेतु अनुरोध

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा प्रचालन जोखिम प्रबंधन विभाग, के लिए कंसलटेन्ट की नियुक्ति के लिए इच्छुक पार्टियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं. बोली जमा कराने की अंतिम तिथि 11.09.2019 दोपहर 3:00 बजे तक है. अधिक जानकारी के लिए, इच्छुक पार्टियां हमारी वेबसाइट **https://www.sbi.co.in** या **https://bank.sbi** पर विजिट कर सकती हैं.

स्थान: मुंबई
दिनांक: 20.08.2019

हस्ताक्षर
उप महाप्रबंधक
(परिचालन जोखिम)

FSL

फ्रान्टलाइन सिक्युरिटीज लिमिटेड
CIN: L65100DL1994PLC058837
पंजीकृत कार्यालयः एम-6, II रा तल, एम ब्लॉक मार्केट, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली- 110048
शाखा कार्यालयः बी-22, सेक्टर-4, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301
टेलीफोनः 0120-2534067, 68 फैक्सः 0120-2534111
ईमेलः secretarial@fsltechnologies.com, वेबसाईटः www.fslindia.com

वार्षिक साधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंग एवं सदस्यों के रजिस्टर बंद होने की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि फ्रान्टलाइन सिक्युरिटीज लिमिटेड के सदस्यों की 25वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, 12 सितम्बर, 2019 को 9.45 पूर्वा में पीएचडी हाउस- लक्ष्मीपत सिंघानिया ऑडिटोरियम, 4/2, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली- 110016 में आयोजित की जाएगी।

एजीएम के आमंत्रण की सूचना सहित वित्त वर्ष 2018-19 के वार्षिक रिपोर्ट सदस्यों को कूरियर द्वारा उनके पंजीकृत पते पर तथा जिन्होंने डिपॉजिटरीज/आरटीए/कम्पनी के पास अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत कराये हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज दिये गये हैं। वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट (www.fslindia.com) तथा साथ ही निरीक्षण के लिये सभा की तिथि तक व्यावसायिक अवधि के दौरान सभी कार्य दिवसों को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध हैं। यह सूचना लिंक इन्टाइम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड की वेबसाईट https://instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध है।

कंपनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014, समय-समय पर यथा-संशोधित के नियम 20 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनिमयन, 2015 के विनियमन 44 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार यह कंपनी सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रानिक माध्यमों से मतदान करने की सुविधा अपने सदस्यों के लिए सहर्ष उपलब्ध करा रही है। शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कंपनी ने लिंक इन्टाइम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड की सेवाएं प्राप्त की हैं।

लाभांश के भुगतान तथा एजीएम के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तकें शुक्रवार, 6 सितम्बर, 2019 से गुरुवार, 12 सित. 2019 (दोनों दिवस सहित तक बंद रहेंगे।)

इस संदर्भ में सदस्य कृपया ध्यान रखें किः

I. रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम स्थल पर मतदान करने के लिए शेयरधारकों की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश से कट ऑफ तिथि 5 सितम्बर, 2019 (व्यावसायिक अवधि की समाप्ति) है तथा कट ऑफ तिथि 5 सितम्बर, 2019 (व्यावसायिक अवधि की समाप्ति) को भौतिक अथवा डीमैटीरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्य एजीएम के किसी अन्यत्र स्थान से लिंक इन्टाईम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं (''रिमोट ई-वोटिंग'' द्वारा) अथवा एजीएम में मत पत्र द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं।

II. रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 9 सितम्बर 2019 को 9.00 बजे पूर्वा. से शुरू होगी तथा बुधवार, 11 सितम्बर, 2019 को 5 बजे सायं में बंद होगी।

III. यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद किंतु कट ऑफ तिथि 5 सितम्बर, 2019 (व्यावसायिक अवधि की समाप्ति) से पूर्व कंपनी का शेयर अर्जित किए हों तथा सदस्य बने हों, वे निम्न संपर्कों पर आरटीए से संपर्क कर कंपनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) से ई-वोटिंग के लिए पास्वर्ड एवं यूजर आईडी प्राप्त कर सकते हैंः **आरटीए-टेली.**: + 91 11 41410592/93/94, ई मेल आईडीः **bharatb@linktime.co.in**

IV. 11 सितम्बर, 2019 को 5 बजे सायं के बाद लिंक इन्टाईम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड द्वारा रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निष्क्रिय कर दी जाएगी तथा उक्त तिथि एवं समय के बाद मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी।

V. एजीएम स्थल पर मत पत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

VI. रिमोट- ई वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर देने के बाद भी सदस्य एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन एजीएम में उन्हें फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

VII. जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल हों, वे रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ मत पत्र के द्वारा साधारण सभा में मतदान की सुविधा प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे।

VIII. यदि शेयरधारक का ई-वोटिंग से संबंधित कोई प्रश्न अथवा समस्या हो, वे 'HELP' खंड में https://intavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQ's) तथा ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें अथवा enotices@linkintime.co.in पर ईमेल करें अथवा टेली.: 022-49186000 पर हमें कॉल करें।

एजीएम में लाभांश, यदि कोई घोषित होता है, का भुगतान उन सदस्यों को किया जाएगा जिनके नाम 5 सितम्बर, 2019 (व्यावसायिक अवधि की समाप्ति) को कंपनी की सदस्यों के रजिस्टर में शामिल होंगे। कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू होने वाले प्रावधानों तथा हरित पहल के एक भाग के रूप में कंपनी अपने सदस्यों को उनके ई-मेल पते उपलब्ध कराने/ अद्यतन कराने के लिए प्रेरित करती है ताकि इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन्हें सूचना/ दस्तावेजों/ वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराया जा सके। सदस्यों को उनके ईसीएस/ एनईएफटी मैंडेट्स पंजीकृत कराने के लिए भी प्रेरित किया जाता है ताकि भविष्य में लाभांश प्रत्यक्ष रूप से उनकी बैंक खाता में क्रैडिट की जा सके। भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों के लिए अभिलेखों को अद्यतन करने के लिए अनुरोध कंपनी या आरटीए के पास तथा डीमैटीरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों के मामले में डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट के पास भेजी जा सकती है।

फ्रान्टलाइन सिक्युरिटीज लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
पूजा गुप्ता
(कंपनी सचिव)
एम. नं.: 42583

तिथिः 19.8.2019
स्थानः नोएडा

शुद्धिपत्र प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा (17 अगस्त 2019 को प्रकाशित)
[illegible]
अशोक कुमार गुप्ता
अंतरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालयः एनईपीजेड, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उ0प्र0

कब्जा सूचना (चल/अचल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट-IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, (दूसरा) अध्यादेश 2002 (2002 का अध्यादेश 3) के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एनईपीजेड, नोएडा शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक **30/05/2019** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदारः मैसर्स न्यू एज एपारेल्स प्रा0 लि0, प्लॉट नं.342, उद्योग केन्द्र-2, इकोटेक पार्क-3, ग्रेटर नोएडा-201306 (उ0प्र0) निदेशकः (1) श्री हिमान्शु रस्तोगी पुत्र दिनेश कुमार रस्तोगी एवं (2) मयन्क रस्तोगी पुत्र दिनेश कुमार रस्तोगी, स्थायी पताः** पट्टी राजा राम शियाना बुलन्दशहर (उ0 प्र0), **वर्तमान पताः** एल-181, मनोज विहार, नीति खण्ड-3, इंदिरापुरम, गाज़ियाबाद (उ0प्र0) पिन-201014. **गारण्टरः (1) श्री हिमान्शु रस्तोगी (2) मयन्क रस्तोगी, स्थायी पताः पट्टी राजा राम शियाना, बुलंदशहर, (उ0प्र0) वर्तमान पताः** एल-181, मनोज विहार, नीति खण्ड-3, इन्दिरापुरम, गाज़ियाबाद (उ0प्र0) पिन-201014 **(3) प्रसान्त रस्तोगी पुत्र वेद प्रकाश रस्तोगी एवं (4) श्रीमती पुष्पान्जली रस्तोगी पत्नी प्रसान्त रस्तोगी, वर्तमान पताः** एल-181, मनोज विहार, नीति खण्ड-3, इन्दिरापुरम, गाज़ियाबाद (उ0प्र0) पिन-201014 को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.2,87,07,741.02 (दो करोड़ सतासी लाख सात हजार सात सौ इकतालिस रूपये एवं दो पैसे मात्र) ब्याज के साथ** उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा **दिनांक 14.08.2019** को ले लिया है। **कर्जदार** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे **सम्पत्ति** के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और **सम्पत्ति** का कोई भी लेनदेन **रु.2,87,07,741.02 (दो करोड़ सतासी लाख सात हजार सात सौ इकतालिस रूपये एवं दो पैसे मात्र) और उस ब्याज के साथ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एनईपीजेड, नोएडा शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुडाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

चल सम्पत्ति का विवरण
स्टॉक / प्लान्ट एवं मशीनरी का दृष्टि बंधित (बंधक) रखना

अचल सम्पत्ति का विवरण
ईएम प्लॉट सं.342, उद्योग केन्द्र-2, ईकोटेक पार्क-3, ग्रेटर नोएडा-201306 (उ0प्र0) जो घिरा हैः
उत्तरः पूर्व से प्लॉट सं.275
दक्षिणः पश्चिम से 24 मीटर चौड़ी रोड
दक्षिणः पूर्व से प्लॉट सं.343 उत्तरः पश्चिम से प्लॉट सं.341

स्थानः नोएडा
तिथिः 14.08.2019

प्राधिकृत अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

LIBERTY SHOES LIMITED **LIBERTY**

CIN L19201HR1986PLC033185
Registered Office: Libertypuram, 13th Milestone, G.T. Karnal Road, Kutail, P.O. Bastara, Dist. Karnal - 132114, Haryana
Corporate Office: Ground Floor, Tower A, Building No. 8, DLF Cyber City, Phase - II, Gurugram-122002, Haryana
Tel.: (+91) 0124-4616200, Fax: (+91) 0124-4616222
E-mail: investorcare@libertyshoes.com **Website:** www.libertyshoes.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to SEBI Circular SEBI/HO/MIRSD/DOS3/CIR/P/2018/139 dated 6th November 2018, the Company has received following requests from the transferee(s) to transfer the below mentioned securities as these securities were purchased by below mention transferee(s) long back and could not get transferred/registered in his/her/their name earlier.

Folio No.	Name(s) of the Holder(s)/ Transferor	Security Type and Face Value	Number of Securities	Distinctive Nos. From - To	Name(s) of the Transferee(s)
0003164	MANSUKH G SADHARIYA	Equity Share ₹10/-	100	4045101 - 4045200	D. JAYACHANDRA REDDY SAVITHA PANWAR

Any person who has a claim in respect of the above mentioned securities, should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 30 days from the date of Publication of this Notice along with appropriate documentary evidence thereof in support of such claim, else the Company will proceed to transfer the securities in favour of the above proposed Transferee(s), without any further intimation.

Place: Gurugram, Haryana
Dated: Monday, 19th August, 2019

Munish Kakra
CFO & Company Secretary

वसूली अधिकारी-I का कार्यालय,
ऋण वसूली न्यायाधिकरण -III, दिल्ली
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001

बिक्री उद्घोषणा सूचना

आरसी सं. 1025/2018 बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के तहत बिक्री की उद्घोषणा दिनांकित : 02-08-2019

बैंक ऑफ इंडिया बनाम मैसर्स जिया जैम्स एण्ड ज्वैल्स एवं अन्य

सीडी सं. 1 मैसर्स जिया जैम्स एण्ड ज्वैल्स प्रॉपराइटर प्रकाश जोशी, 2578-79, प्रथम तल, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
सीडी सं. 2 प्रकाश जोशी (प्रॉपराइटर) आरजेड-31, विष्णु गार्डन, गली नंबर 2, ख्याला, नई दिल्ली-110018
सीडी सं. 3 राधा जोशी (गारंटर) आरजेड-31, विष्णु गार्डन, गली नंबर 2, ख्याला, नई दिल्ली-110018

जबकि आप पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण-III, दिल्ली द्वारा ओ.ए. सं. 502/2017 में आहरित वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार देय रू. 1,45,35,825.58/- (रूपए एक करोड़ पैंतालीस लाख पैंतीस हजार आठ सौ पच्चीस तथा पैसे अट्ठावन मात्र) की राशि, प्रमाणपत्र के अनुसार लागत, अनुषंगी खर्चे तथा वह ओ. ए. दाखिल करने की तिथि यानि 12-06-2017 से 12 प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज सहित, चुकाने में असफल रहे हैं।

और जबकि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त वसूली प्रमाणपत्र के समाधान में नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री करने का आदेश दिया है। एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कोई स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में, उक्त सम्पत्ति 27-09-2019 को अप. 3.00 बजे से अप. 4.00 बजे के बीच (समाप्ति से पूर्व अंतिम 5 मिनट में कोई बोली आने की स्थिति में स्वतः विस्तार क्लॉज सहित, यदि अपेक्षित है) सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. (एबीसी प्रोक्योर), ए-201/208, वॉल स्ट्रीट-II, ओरियंट क्लब के सामने, गुजरात कालेज के निकट, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006 गुजरात (भारत) फोन : +91 079 40230808-816/817/818/821/824/831/832 फैक्स : +91 79 40016876 के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रानिक बोलीदान" द्वारा बेची जाएगी। किसी पूछताछ हेतु सम्पर्क करें श्री राम प्रसाद : 9265562821

आगे विवरण के लिए सम्पर्क करें : श्री नीरज रस्तोगी, मुख्य प्रबंधक, मोबाइल नंबर 9871286176

उपरोक्त नामक प्रतिवादी की जिस सम्पत्ति की बिक्री की जाएगी, उसका वर्णन नीचे अनुसूची में किया गया है तथा उक्त सम्पत्ति की देयताएं तथा संबंधित दावे, जिनका अभी तक अभिनिश्चयन किया गया है, अनुसूची में प्रत्येक लॉट के सामने वर्णित अनुसार हैं।

बिक्री से संबंधित कोई ड्यूटी करने वाला कोई भी अधिकारी अथवा अन्य व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति के लिए बोली नहीं लगाएगा, बेची गई सम्पत्ति में कोई हित अर्जित नहीं करेगा अथवा अर्जित करने का प्रयास नहीं करेगा। यह बिक्री आय कर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित शर्तों और उनके तहत बनाए गए नियमों तथा आगे निम्नलिखित शर्तों के तहत होगी।

संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किए गए हैं, परंतु अधोहस्ताक्षरी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, असत्यकथन या विलोपन के लिए जवाबदेह नहीं होंगे।

1. सम्पत्तियों का वर्णन, सुरक्षित मूल्य तथा ईएमडी निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	सम्पत्ति विवरण	सुरक्षित मूल्य/ईएमडी
1.	सम्पत्ति सं. 1 एवं 2, दक्षिण साइड सुपर एरिया माप 106.7 वर्ग फीट प्रत्येक दुकान तृतीय तल पर, छत/टेरेस का अधिकार नहीं, उक्त सम्पत्ति गली नंबर 7, वार्ड नंबर XVI खसरा नंबर 2121-297, बीडनपुरा, करोलबाग, नई दिल्ली-110005 स्थित फ्रीहोल्ड सम्पत्ति म्युनिसिपल नंबर 2519-20 का अंश है।	रू. 21,76,000/- (रूपए इक्कीस लाख छहत्तर हजार मात्र) ईएमडी रू. 2,17,600/- (रूपए दो लाख सत्रह हजार छह सौ मात्र)

2. सम्पत्तियां सुरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएंगी।
3. रकम जिससे बोली बढ़ायी जायेगी, वह रू. 50,000/- (रू. पचास हजार मात्र) है। बोली अथवा बोलीदाता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में लॉट की नीलामी तत्काल दोबारा की जाएगी।
4. उच्चतम बोलीदाता को क्रेता घोषित किया जाएगा। उच्चतम बोली अस्वीकार/स्वीकार करना अधोहस्ताक्षरी का विवेकाधिकार होगा, यदि पेश की गई ऑफर उसको स्वीकार किए जाने हेतु स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत होती है।
5. ईएमडी वसूली अधिकारी-I, ऋण वसूली न्यायाधिकरण-III, दिल्ली के पक्ष में डीडी/पे आर्डर के रूप में 25-09-2019 तक लिफाफे में वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-III, दिल्ली के पास जमा की जाएगी। उसके बाद जमा की गई ईएमडी ई-नीलामी में भाग लेने हेतु स्वीकार्य नहीं होगी।
6. पैन कार्ड, पता प्रमाण तथा पहचान प्रमाण की प्रति, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर तथा घोषणा यदि वे अपनी स्वयं की ओर से अथवा अपने प्रधानों की ओर से बोली दे रहे हैं। उत्तरवर्ती मामले में, उन्हें प्राधिकारपत्र प्रस्तुत करना होगा तथा चूक करने पर उनकी बोली अस्वीकार कर दी जाएगी। कम्पनी के मामले में कम्पनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति या कोई अन्य दस्तावेज, जो कम्पनी के प्रतिनिधित्व/अटॉर्नी की पुष्टि करता हो, जमा करना होगा और ऐसी जमा की रसीद/प्रतिपन्ना उक्त सेवा प्रदाता या सीएच बैंक को ई-मेल द्वारा या अन्य प्रकार से उक्त तिथि तक प्राप्त हो जानी चाहिए और उसकी हार्ड कॉपी वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-III, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
7. सफल बोलीदाता को अपनी अंतिम बोली की 25 प्रतिशत राशि, ईएमडी समायोजन के बाद, अगले बैंक कार्य दिवस को अर्थात अप. 03.00 बजे तक उक्त खाते में वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में डीडी द्वारा जमा करनी होगी।
8. क्रेता को अंतिम बोली की 75 प्रतिशत राशि सम्पत्ति की बिक्री की तिथि से 15 वें दिन को अथवा पूर्व जमा करनी होगी। यदि 15वां दिन रविवार या अवकाश है, तब 15वें दिन के बाद पहले बैंक कार्य दिवस को ऊपर पैरा 4 में निर्धारित विधि में जमा करनी होगी। इसके अतिरिक्त क्रेता को रू. 1,000/- तक 2 प्रतिशत की दर पर तथा रू. 1,000/- से अधिक पर 1 प्रतिशत की दर पर निरोध शुल्क "दि रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, दिल्ली" के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-III, दिल्ली के पास जमा करना होगा।
9. सम्पत्ति संभावित बोलीदाताओं द्वारा निरीक्षण के लिए 19-09-2019 को पूर्वा. 11.00 बजे से अप. .4.00 बजे तक खुली रहेगी।
10. निर्धारित अवधि में भुगतान में चूक की स्थिति में, सम्पत्ति की बिक्री नए सिरे से की जाएगी। ऐसी बिक्री से पहले उसकी नई उद्घोषणा जारी की जाएगी। बोलीदाता द्वारा पहले जमा की गई राशि, यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपयुक्त समझा जाता है, बिक्री के व्यय काटने के बाद, सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी और चूककर्ता क्रेता के, सम्पत्ति अथवा उसके किसी अंश अथवा सम्पत्ति की पुनरबिक्री से प्राप्त होने वाली राशि के किसी अंश के संबंध में, सभी दावे मान्य होंगे।
11. सम्पत्ति की बिक्री "जैसा है जहां है तथा जो है जैसा है आधार" पर की जा रही है।
12. अधोहस्ताक्षरी के पास अनुपयुक्त पाई जाने पर किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने अथवा किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, नीलामी प्रास्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।
13. इस समय अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में सम्पत्तियों के संबंध में कोई राजस्व/ऋणभार अथवा मांगदावा का विवरण नहीं है। तथापि, संभावित बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे, अपने स्वयं के हित में, ईएमडी जमा करने से पूर्व बिजली/पानी/गृह कर बिल के बकाया अथवा किसी अन्य ऋणभार के संबंध में सावधानीपूर्वक जांच कर लें।
14. असफल बोलीदाताओं को उनकी ईएमडी की वापसी के लिए आरसी की सुनवाई की अगली निर्धारित तिथि को अथवा पूर्व एक आवेदन डीआरटी-III की रजिस्ट्री में पहचान प्रमाण के साथ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। ईएमडी तदनुसार आरसी की सुनवाई की निर्धारित/अनुवर्ती तिथि को वापस की जाएगी।
15. यहां ऊपर विनिर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किए गए हैं, परंतु अधोहस्ताक्षरी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, असत्यकथन या विलोपन के लिए जवाबदेह नहीं होंगे।
16. सीएच बैंक को इसमें दिए गए विवरण की सत्यता की जांच करने तथा प्रमाणित करने का निर्देश दिया जाता है।

मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर के साथ आज दिनांक 02 अगस्त, 2019 को दिया गया।

(अनिल कुमार यादव)
वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-III, दिल्ली

कॉर्पोरेशन बैंक
(सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक)
अंचल कार्यालय-दिल्ली उत्तर, दूसरा तल, फैज रोड-1, नई दिल्ली-110005, फोन नं. 011-28754615, 28754642, ईमेल आईडीः **dlirec@corpbank.co.in,** वेबसाईटः **www.corpbank.com**

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 (1) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक(कों) तथा गारन्टर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका कॉर्पोरेशन बैंक (प्रतिभूत क्रेडीटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक/भौतिक कब्जा किया गया है की, नीचे वर्णित ऋणधारक(कों) एवं गारन्टर(रों) से कॉर्पोरेशन बैंक के नीचे वर्णित बकाये की वसूली के लिये नीचे वर्णित तिथि को ''जैसा है जहाँ है'', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहाँ है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि का विवरण नीचे दिया गया है।

शाखा का नाम एवं पताः	के.जी. मार्ग शाखा, फोन नं. 011-23327927	
ऋणधारक एवं गारन्टर/रों का नाम	**ऋणधारकः** 1. मै. पारस ट्रेडिंग कं., 455, गली नं.-19, जाफराबाद, दिल्ली-110053 2. श्री सद्दाम मलिक, पुत्र श्री शेर खान मलिक (प्रॉपराइटर), 1469, गली नं. 48, जाफराबाद, शाहदरा, दिल्ली-110053 गान्टरः श्री शुभम अग्रवाल, श्रीमती मीना बेगम, पत्नी श्री शेर खान मलिक, 1469, गली नं. 48, जाफराबाद, शाहदरा, दिल्ली-110053	बकाया राशिः रु. 7724628.00 तथा उस पर आगे का ब्याज एवं अन्य चार्जेज

सम्पत्ति सं. 07: सम्पत्ति सं. 1469, खसरा नं. 39 में, गली नं. 48, जाफराबाद, शाहदरा, दिल्ली-110053, माप 54.34 वर्ग मी. में स्थित सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 5.9.2019 को 11.45 बजे पूर्वा. से 1.15 अप. तक 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार के साथ। आरक्षित मूल्यः रु. 64,60,000/-, जमा की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 6,46,000/-
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपयाः https://corpbank.com/sites/defaults/files/corpbank-page-files/tender/paras_trading_co_1.pdf में दी गई लिंक देखें।

तिथिः 19.08.2019
स्थानः दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी,
कॉर्पोरेशन बैंक

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that, I OMPAL SHOKEEN is no longer associated with the following firms with effective from 15th August, 2019. I am no longer responsible for their actions & activities.
1) LAW CIRCLE
B-343, Lower's Ground Floor
New Friend Colony, Delhi - 110025
2) TOMAR & ASSOCIATES
Office - 9, Community Center, 2nd Floor
Ashok Vihar Phase - 2, Delhi - 110052
3) SV LEGAL FIRMS
Flat No - 1672, B-1, Vasant Kunj
Delhi - 110070
4) MANBHARI ADVOCATES
Lawyer's Chamber No - 347, Western wing, Tis Hazari Courts, Delhi - 110054
5) CKT LEGAL FIRM
C-6/169, Ground Floor Lawrence Road
Delhi - 110035

कर्ज व जमा की ब्याज दरों को रेपो दर से जोड़ने का सही समय : रिजर्व बैंक

मुंबई, 19 अगस्त (भाषा)।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को पूरी बैंकिंग व्यवस्था में कर्ज व जमा पर दी जाने वाली ब्याज दरों को केंद्रीय बैंक की रेपो दर में होने वाले उतार-चढ़ाव के साथ जोड़ने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे मौद्रिक नीति का फायदा ग्राहकों तक पहुंचने में तेजी आएगी।

भारतीय स्टेट बैंक समेत कई सार्वजनिक बैंकों ने हाल में अपनी कर्ज और जमा दर के मूल्यांकन को रेपो दर से जोड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसी महीने मौद्रिक नीति बैठक में रेपो दर में 0.35 फीसद की कटौती करने के बाद बैंकों ने यह कदम उठाया। रिजर्व बैंक की ओर से रेपो दर में ताजा कटौती के बाद रेपो दर 5.4 फीसद रह गई। बैंकों ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब नियामक ने उनकी खराब वित्तीय सेहत को देखते हुए इसके लिए दबाव नहीं डालने का फैसला किया है।

आरबीआइ गवर्नर दास ने उद्योग मंडल फिक्की की ओर से आयोजित सालाना बैंकिंग सम्मेलन में कहा कि दरों को बाहरी मानकों से जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाने की जरूरत है और यह काम तेज गति से होना चाहिए। मुझे लगता है कि अब नए ऋण को रेपो दर जैसे बाहरी मानकों से जोड़ने को औपचारिक रूप देने का सही समय आ गया है। हम इस पर नजर रखे रहे हैं और जरूरी कदम उठाएंगे। हम नियामक के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे। बाजार के रुख को देखेंगे और ऐसे कदम उठाएंगे जो नए कर्ज को रेपो या अन्य बाहरी मानकों से जोड़ने में मदद करेंगे।

गवर्नर ने कहा कि बैंकों ने अपनी ब्याज दरों खासकर नए कर्ज को रेपो और अन्य बाहरी मानकों से जोड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन इस प्रक्रिया में तेजी की जरूरत है। आज अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ मौद्रिक नीति की ही नहीं बल्कि उसका लाभ नीचे तक पहुंचाने की भी जरूरत है।

आर्थिक वृद्धि में गिरावट पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि कयामत और निराशा किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं हैं। वृद्धि को बढ़ावा देना हम सबकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हर नीति निर्माता के लिए यह चिंता का विषय है। उन्होंने माना कि एनबीएफसी संकट, कुछ अहम क्षेत्रों में पूंजी उपलब्धता और मौद्रिक नीति का फायदा ग्राहकों को पहुंचाने और बैंकिंग सुधार से कारोबारी समुदाय के साथ अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता रहा है। दास ने कहा कि वैश्विक बैंकिंग प्रणाली जोखिम को सहने के लिए लचीली हो रही है। वित्तीय स्थिरता पर नजर रखना जरूरी है क्योंकि यह अकेले दीर्घकालिक वृद्धि सुनिश्चित कर सकती है।

आरबीआइ गवर्नर ने उम्मीद से कम वृद्धि और आर्थिक सुस्ती के संकेतों को वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए सबसे बड़ा जोखिम बताया है। उन्होंने कहा कि वित्तीय स्थिरता की दिक्कतों को भुगतान, कर्ज और बाहरी बाजारों से खत्म किया जा सकता है। दास ने एनपीए की समस्या से जूझ रहे सार्वजनिक बैंकों में कामकाज संचालन में सुधारों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बैंकों की असली परीक्षा बाजार से पूंजी प्राप्त करने की उसकी क्षमता है। बैंक को पूंजी के लिए सिर्फ सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने दिवाला कानून में किए गए संशोधनों का भी स्वागत किया।

अर्थव्यवस्था में चुनौतियां, पर हताश न हों : दास

मुंबई 19 अगस्त (भाषा)।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने माना कि इस समय घरेलू अर्थव्यवस्था की गति धीमी पड़ रही है। इसके सामने आंतरिक और बाह्य दोनों स्तर पर कई चुनौतियां हैं। लेकिन लोगों को निराशा का राग अलापने के बजाय आगे के अवसरों को देखना चाहिए।

दास का यह बयान ऐसे समय आया है जब देश के कारोबार जगत के बड़े लोग बजट में उठाए गए कुछ कदमों को लेकर सरकार से नाखुश हैं। इसमें धनिकों और विदेशी पोर्टफालियो निवेशकों पर आयकर अधिभार की दर में बढ़ोतरी भी शामिल है। आयकर अधिभार बढ़ाए जाने के बाद से एफपीआइ ने शेयर/बांड बाजार में बिकवाली बढ़ा रखी है। इससे पांच जुलाई के बाद प्रमुख शेयर सूचकांक 13 फीसद से अधिक गिर चुके हैं।

उन्होंने फिक्की के सम्मेलन में कहा कि अर्थव्यवस्था में चुनौतियां जरूर हैं। कुछ क्षेत्र विशेष से जुड़े मसले हैं और कुछ वैश्विक व बाहरी चुनौतियां हैं। मेरा मानना है कि सोच की अहम भूमिका होती है। कृपया आगे के अवसरों की ओर देखिए। दास ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र, व्यावसायिक समुदाय, नीति नियंताओं और हम विनियामकों को मिलकर चुनौतियों का सामना करना चाहिए और भविष्य को अधिक आत्मविश्वास से देखना चाहिए।

शेयर बाजारों में तीसरे दिन भी तेजी सूचकांक 52 अंक मजबूत

मुंबई, 19 अगस्त (भाषा)।

शेयर बाजारों में सोमवार को लगातार तीसरे दिन तेजी रही। लेकिन अच्छी शुरुआत के बाद आर्थिक नरमी और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की स्थिति को लेकर चिंता के बीच कारोबार की समाप्ति से पहले वित्तीय और वाहन कंपनियों के शेयरों में बिकवाली दबाव से तेजी पर अंकुश लगा।

तीस शेयरों वाला सूचकांक वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख के कारण एक समय 369 अंक तक मजबूत हुआ। लेकिन अंत में यह 52.16 अंकों की तेजी के साथ 37,402.49 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी मामूली 6.10 अंक की बढ़त के साथ 11,053.90 अंक पर बंद हुआ। पिछले तीन कारोबारी सत्रों में सूचकांक 444.33 अंक मजबूत हो चुका है जबकि निफ्टी में 128.05 अंक की तेजी आई। कारोबारियों के अनुसार मांग में नरमी के कारण अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को लेकर चिंता बने रहने से भी बाजार पर असर पड़ा।

सूचकांक में शामिल जिन शेयरों में अच्छी तेजी दर्ज की गई, उनमें सन फार्मा, टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, एलएंडटी, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आइसीआइसीआइ बैंक शामिल हैं। इनमें 2.66 फीसद तक की तेजी रही। दूसरी तरफ यस बैंक, पावरग्रिड, ओएनजीसी, एसबीआइ, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटो कार्प, टाटा स्टील, एशियन पेंट्स और एचडीएफसी बैंक में 3.46 फीसद तक की गिरावट दर्ज की गई।

प्रतिबंधित बीजों के इस्तेमाल पर कार्रवाई की मांग

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 19 अगस्त।

भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय महामंत्री बद्रीनारायण चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रतिबंधित बीजों के कृषि में हो रहे इस्तेमाल पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि एचटीबीटी कपास, बीटी बैंगन व जीएम सरसों जैसे बीज प्रतिबंधित हैं। पर कुछ वैज्ञानिक, बिकाऊ प्रचार तंत्र और प्रलोभन के शिकार प्रशासक कंपनी के पक्ष में भ्रामक जानकारियां किसानों के बीच फैला रहे हैं।

ट्रांसकोर्प इन्टरनेशनल लि.

CIN : L51909DL1994PLC235697

पंजीकृत कार्यालयः प्लाट नम्बर 3, एच.ए.एफ. पॉकेट, सेक्टर 18ए, द्वारका, फेज–।। नई दिल्ली– 110075

Website: www.transcorpint.com E-mail: grievance@transcorpint.com

फोनः 30418901-05 फैक्सः 91-11-30418906

प्रारूप - DPT-1

निक्षेपों को आमन्त्रित करने हेतु परिपत्र या विज्ञापन के रूप में परिपत्र

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73(2) व धारा 76 व कम्पनी (निक्षेप को स्वीकार करने) नियम, 2014 के नियम 4 (1) एवं 4(2) के अनुसार)

1. सामान्य जानकारी

अ) **कम्पनी का नाम, पता, वेबसाईट व सम्पर्क का विवरण– नाम : ट्रांसकोर्प इन्टरनेशनल लि.**

(1) **पंजीकृत कार्यालय**: प्लाट नं. 3, एच.ए.एफ. पॉकेट, सेक्टर 18ए, द्वारका, फेज–II, नई दिल्ली– 110075

(2) **प्रधान कार्यालय**: ट्रांसकोर्प टावर, मोती डूंगरी रोड, जयपुर– 302004

Web-site:- www.transcorpint.com, e-mail-grievance@transcorpint.com फोन: 0141–4004888, 999 फैक्स 0141–4004888

ब) **निगमन की तिथि**:– 20 दिसम्बर, 1994

स) **कम्पनी के कारोबार, सहायक कम्पनी, ब्रांच, इकाईयों की जानकारी**

(1) के कारोबार की जानकारी :मुद्रापरिवर्तन, प्रीपेड भुगतान प्रणाली और दूसरे अन्य कई कारोबार

(2) **शाखाऐं** :– नई दिल्ली (बाराखम्बा), नई दिल्ली (द्वारका), अन्नासलाई (चेन्नई), जालन्धर, जयपुर, चंडीगढ़, कलकत्ता, मुम्बई, पुणे, अहमदाबाद, देहरादून, जम्मू, अन्नानगर (चेन्नई), गुड़गांव, लुधियाना, नई दिल्ली (पीतमपुरा), कोयम्बटोर, बैंगलूरु, अमृतसर, कोचिन, हैदराबाद, वडोदरा।

प्रधान कार्यालय:–जयपुर, पंजीकृत एवं कोर्पोरेट ऑफिस:– नई दिल्ली

(3) **सहायक कंपनियां** :–

अ) नाम :–रिटको ट्रेवल्स एण्ड टयूर्स प्रा लि.

ब) स्थिति :–पूर्णतया स्वामित्ववाली सहायक कंपनी

स) पता: ट्रांसकोर्प टावर, मोती डूंगरी रोड, जयपुर– 302004

(द) व्यापार की जानकारी :– टयूर्स एवं ट्रेवल्स

(1) नाम :– ट्रांसकोर्प एस्टेट्स प्रा. लि.

(2) स्थिति :– पूर्णतया स्वामित्व वाली सहायक कंपनी

(3) पता:– ट्रांसकोर्प टावर, मोती डूंगरी रोड, जयपुर– 302004

(4) व्यापार की जानकारी :–सम्पत्तियों के किराऐ पर देना, प्रोपर्टी एवं विनियोजन

द) **कंपनी के प्रबन्ध की संक्षिप्त जानकारी**:–

श्री हेमन्त कौल, निदेशक– श्री हेमन्त कौल को वितिय क्षेत्र में काफी व्यापक अनुभव है। वह बजाज एलियांज इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में प्रबंध निदेशक और सी ई ओ अथवा एक्सिस बैंक में कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं। श्री हेमन्त ने निजी इक्विटी फर्मों में स्वतंत्र प्रबंध सलाहकार रहकर वितिय क्षेत्र में निवेशों का मूल्यांकन भी करवाया है। उन्होंने आईडीबीआई को भी बैंकिंग लाइसेंस के आवेदन हेतु भी सलाह दी है।

श्री गोपाल कृष्ण शर्मा प्रबंध निदेशक– श्री गोपाल कृष्ण शर्मा कम्पनी में प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। श्री गोपाल शर्मा को मुद्रा परिवर्तन, मनी ट्रान्सफर के व्यापार में विशाल अनुभव है।

श्री पुरुषोतम अग्रवाल, निदेशक– श्री पुरुषोतम अग्रवाल एक सेवानिवृत भारतीय प्रशासनिक अधिकारी हैं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने राजस्थान सरकार के साथ औद्योगिक विकास में सराहनीय कार्य किया है।

श्री अशोक कुमार अग्रवाल, निदेशक– श्री अशोक कुमार अग्रवाल कंपनी के निगमन की तिथि से सन् 1994 से कंपनी के निदेशक पद पर कार्यरत हैं। श्री अशोक कुमार अग्रवाल को विभिन्न व्यवसायों जैसे कि इन्फ्रास्ट्रक्चर वित व हेल्थ मैनेजमेंट में व्यापक अनुभव है। श्री अग्रवाल वर्तमान में डब्लयू. एच. ओ द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी आई आई एच एम आर के न्यासी हैं जो कि भारत की अग्रणी संस्थानों में से एक है। श्री अग्रवाल जॉन हापकिंस यूनिवर्सिटी, यू.एस. ए. के न्यासी हैं। श्री अग्रवाल एक चिकित्सक है व उन्होंने सामाजिक कार्यों व व्यवसायो में भारत से बाहर भी अपना नाम बनायाहै।

श्री वेदांत कनोई निदेशक– श्री वेदांत कनोई निदेशक के रूप में कमनी के साथ जुड़े हुए है। श्री कनोई को विभिन्न व्यवसायो में विशाल अनुभवहै।

श्री सुजान सिन्हा स्वतंत्र निदेशक– श्री सुजान सिन्हा जो कि 30 से अधिक वर्षो से वरिष्ठ वित्तीय व्यवसायी के रूप में इस व्यवसाय में हैं, जिन्हे बैंक, एन.बी.एफ.सी., मुख्य रूप से खुदरा क्षेत्र में काम का विशाल अनुभव है। श्री सुजान सिन्हा कोलकाता युनिवर्सिटी से भूगर्भशास्त्र में स्नातक है। श्री सुजान सिन्हा को 14 वर्षो से अधिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच बैंकिंग, कार्मिक प्रशासन के साथ साथ विदेशी मुद्रा के काम का विशाल अनुभव है। इन्होंने कई प्राईवेट सेक्टर ग्रुप जैसे ईस्ट इंडिया हेडक्वार्टर उषा मार्टिन ग्रुप, जिसका सुमिटोमो कोर्पोरेशन जो कि जापान की कम्पनी है उसमें 50:50 जोइंट वेंचर है, यूटी आई बैंक (बाद में जिसका नाम एक्सिस बैंक हो गया), श्री राम ग्रुप में काम विशाल अनुभव है।

श्रीमती अप्रा कुच्छल, स्वतंत्र निदेशक– श्रीमती अप्राकुच्छल मार्केटिंग और फाइनेंस में आई आई आई एम, जयपुर से एम.बी.ए. और इंडियन इंस्टीटयुट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद से मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम को सर्टिफिकेट कोर्स, नेशनल इंस्टीट्युट ऑफ टकोलोजी, जयपुर से सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंसी प्रोग्राम कर रखा है तथा इसके साथ साथ उनका इसमें उत्कृष्ट उद्यमिता का कौशल हासिल है। श्रीमती अप्राकुच्छल महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न सामाजिक पहलों के लिए भी काम कर रही है।

श्री अमित्वा घोष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी– श्री अमित्वा घोष एक साइंस स्नातक व मानव संसाधन प्रबन्धन के डिग्रीधारी हैं, श्री घोष को मुद्रा परिवर्तन व मनी ट्रांसफर व्यापार का 20वर्षो से भी अधिक अनुभव है।

श्री दिलीप कुमार मोरवाल, कम्पनी सचिव– श्री दिलीप कुमार मोरवाल, कम्पनी सचिव के पद परकार्यरत हैं व उन्हें कानूनी, सचिविय व वित्त सम्बन्धी क्षेत्र में 20 से अधिक वर्षो का अनुभव है।

श्रीसुबोध सुरेका, मुख्य वित्तीय अधिकारी– श्री सुबोध सुरेका अर्हता प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो इस कम्पनी में बतौर मुख्य वित्तीय अधिकारी के पद पर कार्यरत है। श्री सुबोध सुरेका को अकाउंट और ऑडिट प्रणाली में 13 वर्षो से अधिक का विशाल अनुभव है।

ई) **निदेशकों का नाम, पता DIN व पेशे की जानकारी** –

क्र.सं.	पूरा नाम	वर्तमान आवासीय पता	पद	DIN	पेशा
1.	श्री हेमन्त कौल	ए–105, अत्रे पथ, श्याम नगर, जयपुर 302019 (राज)	गैर कार्यकारी अध्यक्ष	00551588	सलाहकार
2.	श्री गोपाल शर्मा	सी 142, द सम्मिट, पार्क ड्राइव, डीएलएफफेज, 5 गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर 54, गुडगांव– 122011, हरियाणा	प्रबंध निदेशक	00016883	सलाहकार
3.	श्री पुरोषोत्तम अग्रवाल	51, गौरव नगर, सिविल लाइन्स, जयपुर–302007 (राज)	निदेशक	00272598	सलाहकार
4.	श्री अशोक कुमार अग्रवाल	डी–32ए, सुभाष मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302001 (राज)	निदेशक	01237294	उद्योगपति व सामाजिक कार्यकर्ता
5.	श्री वेदान्त कनोई	डी–1103, न्यूफ्रेंडस कॉलोनी, नई दिल्ली– 110025	निदेशक	02102558	उद्योगपति
6.	श्री सुजान सिन्हा	डी–704, आर.एन.ए. कोन्टिनेंटल, सुभाषनगर, चेम्बुर ईस्ट, मुम्बई– 400071	स्वतंत्र निदेशक	02033322	सलाहकार
7.	श्रीमती अप्राकुच्छल	62, हरिकिशन सोमानी मार्ग, हथरोई फोर्ट, अजमेर रोड, जयपुर– 302001	स्वतंत्र निदेशक	08453955	उद्योगपति

फ) **जोखिम तत्वों के बारे में प्रबन्धकों की सोच / राय**– कम्पनियों की मुद्रा परिवर्तन व मनी ट्रांसफर के कारोबार में है अतः मुद्रा की दरों में किसी भी परिवर्तन से कम्पनी के लाभों पर असर पड सकता है व इसकी और बाजार प्रतिस्पर्धा व सरकार की नीतियो में परिवर्तन का भी कम्पनी के परिणामों पर असर पड सकता है। कम्पनी ने जोखिमों के प्रबन्धन हेतु एक विस्तृत पॉलिसी बनाई है जिसके अन्तर्गत हर तिमाही पर संचालक मण्डल समस्त जोखिमों की स्थिति व उनके प्रबन्ध करने सम्बन्धी मामलों पर विचार करता है व तदानुसार कार्यवाही की जाती है।

ज) **निम्न के सम्बन्ध में भुगतान करने के सम्बन्ध में की गई चूक व उनकी राशि अवधि व वर्तमान स्थिति** –

(i) वैधानिक देय – शून्य, कुछ मामलों में देरी को छोडकर

(ii) डिबेन्चर व उन पर देय ब्याज – नहीं

(iii) किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा दिए गए ऋण व उनके ब्याज के भुगतान :– नहीं

2. **निक्षेप योजना का विवरण** –

अ) प्रस्ताव पारित करने की तिथि–11 अप्रेल 2018 31 जुलाई 2015 22 जुलाई 2016 23 अक्टूबर 2016 27 मई 2017 21 जुलाई 2018, 29 अक्टूबर 2018, 10 अगस्त 2019

ब) निक्षेपों को आमंत्रित करने का अधिकार प्रदान करने हेतु साधारण सभा में प्रस्ताव पारित करने की तिथि – 25 जून, 2014

स) निक्षेपों का प्रकार अर्थात् प्रतिभूतित या अप्रतिभूतित– अप्रतिभूतित

द) राशि जिसे निक्षेप के रूप में प्राप्त किया जा सकता है पिछले वित्तीय वर्ष अन्तिम दिन व इस परिपत्र को जारी करने की तिथि को निक्षेपों की राशि, निक्षेपों को वह राशि जिसे स्वीकारा जाएगा व अगले 12 माह में देय निक्षेप।

क्र.सं.	विवरण	विवरण
1.	वह राशि जितनी निक्षेप कम्पनी अधिनियम व नियमों के अन्तर्गत स्वीकार की जा सकती हैं।	कम्पनी (निक्षेपों को स्वीकार करना) नियम 2014 के नियम 3 (4) (ए) के अनुसार –₹ 588.88 (शेयर पूँजी व स्वतंत्र संचयों का 10 प्रतिशत 31.3.2019) कम्पनी (निक्षेपों को स्वीकार करना) नियम 2014 के नियम 3 (4) (बी) के अनुसार –₹ 1472.20 (शेयर पूँजी व स्वतंत्र संचयों का 25 प्रतिशत 31.3.2019)
2.	पिछले वित्तीय वर्ष (2014–15) के अंतिम दिन निक्षेपों की कोष राशि	31.03.2019 को ₹ 709.31 लाख (283 निक्षेपधारी जिसमें ₹ 14.30 लाख) अस्वामित्व निक्षेप सम्बन्धित है।
3.	इस परिपत्र को जारी करने की तिथि को निक्षेपों का स्तर व निक्षेपों का प्रस्तावित स्तर व राशी। ये निक्षेप जिन्हें अगले 12 माह में चुकाया जाना है। (मतलब अगले 2 साल तक)	परिपत्र जारी करने की तिथिः 10 जुलाई 2019 ₹ 613.33 लाख कितने निक्षेपों को स्वीकारा जाएगा– उपरोक्त क्रम सं. 1 में दी गई राशी। आगामी 12 माह में देय राशिः ₹ 281.09 लाख (31.03.2020 तक) और ₹ 297.59 (31.03.2021 तक)

ई) निक्षेपों को स्वीकार करने की दशाऐं – अवधि, ब्याज की दर, भुगतान का माध्यम एवं पूर्ण भुगतान

सावधि जमा योजना							
योजना–1			योजना–2 (त्रैमासिक संचयी)				
अवधि	न्यूनतम जमा राशि (रूपयों में)	ब्याज की दर प्र.ब.	अवधि	न्यूनतम जमा राशि (रूपयों में)	ब्याज की दर प्र.ब. (तिमाही संचयी)	परिपक्वता राशि (रूपयों में)	वास्तविक उपज प्रति वर्ष
1 वर्ष	25,000	8.75%	1 वर्ष	25000	8.75%	27260	9.04%
2 वर्ष	25,000	9.50%	2 वर्ष	25000	9.50%	30164	10.33%
3 वर्ष	25,000	10.50%	3 वर्ष	25000	10.50%	34118	12.16%

ट्रस्ट/सोसाइटियों की डिपॉजिट एवं 50 लाख से ऊपर की सिंगल डिपोजिट की ब्याज दरें समग सीमाओं के अधीन पार्टियों के बीच पारस्परिक रूप से तय की जाएगी।

भुगतान व पूर्ण भुगतान का माध्यम – चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंक में अंतरण द्वारा

फ) **योजना कब शुरू होगी व परिपत्र / विज्ञापन की वैधता अवधि**

(1) योजना की शुरू होने की तिथि –10 अगस्त, 2019

(2) परिपत्र/विज्ञापन की वैधता अवधि –यह परिपत्र या विज्ञापन 31 मार्च 2020 के छः माह या वार्षिक साधारण सभा में रखके प्रस्तुत करने की तिथि या वार्षिक साधारण सभा की देय तिथि दोनों में से जो पहले हो वह वैध रहेगा।

ज) **निक्षेप प्राप्त करने का उद्देश्य** – निक्षेप से प्राप्त धन का प्रयोग व्यवसायिक प्रयोजनों व अन्य कार्पोरेट उद्देश्यों हेतु किया जाएगा।

एच) **क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ली गई रेटिंग का मतलब – रेटिंग प्राप्त करने की तिथि**

क्र.सं.	विवरण	विवरण
1.	रेटिंग एजेंसी का नाम	ब्रिकवर्क रेटिंग्स
2.	ली गई रेटिंग	BWR FBBB (पर्याप्त सुरक्षा)
3.	ली गई रेटिंग का मतलब	यह रेटिंग कम्पनी के मूलधन व ब्याज के भुगतान की प्यॉप्त सुरक्षा को दर्शाती है। दशाओं में परिवर्तन इन मामलों को उच्च रेटिंग से ज्यादा प्रभावित कर सकती है।
4.	वह तिथि जब रेटिंग प्राप्त की गई है	12.10.2018

आई) निक्षेप बीमा का विवरण – लागू नहीं है।

ज) निक्षेपों को प्रत्याभूतित (सुरक्षित करने का विवरण) – निक्षेप अप्रतिभूतित है व कम्पनी इनके भुगतान को सुरक्षित करने हेतु उचित बीमा ले लेगी।

क) निदेशकों, के.एम.पी. व प्रमोटरों का निक्षेपों में हित जो कि अन्य व्यक्तियों के हितों से भिन्न हो– शून्य, निक्षेपों का उपयोग कम्पनी के प्रयोजनाओं में किया जाएगा।

3. **अशोधित निक्षेपों का विवरण** –

((1) राशि –₹ 709.31 लाख अर्जित ब्याज जो देय नहीं हुआ है को छोड़कर (31.03.2019) को (अनक्लेम्ड निक्षेप ₹ 14.30 लाख)

(2) स्वीकार करने की तिथि – 01.04.2012 से 31.03.2019 विभिन्न तिथियों पर

(3) स्वीकार की गई राशि–₹ 182.65 लाख (रिनिवल शमिल है) (01.04.2018 से 31.03.2019 तक)

(4) ब्याज की दर –8.00% से 12.00% तक।

(5) निक्षेपधारियों की संख्या – 283 निक्षेपधारी (जिसमें 7 अनक्लेम्ड निक्षेप शामिल हैं)

(6) निक्षेप व उस पर ब्याज के भुगतान में की गई त्रुटि का विवरण(यदि कोई है)–कम्पनी ने निक्षेपों के भुगतान में व उन पर देय ब्याज के भुगतान में कोई त्रुटि नहीं कीहै।

(7) यदि निक्षेप व अर्जित ब्याज के भुगतान सम्बन्धी कोई त्रुटि की गई हो तो उसका विवरण – शून्य

4. **कम्पनी की वित्तीय स्थिति** :–

(अ) कम्पनी का लाभ, करों से पूर्व व करों के बाद परिपत्र को जारी करने के पूर्व के तीन सालों हेतु। (लाख में)

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 2018–2019	वर्ष 2017–2018	वर्ष 2016–2017
1.	करों से पूर्व लाभ	(1141.56)	3450.10	283.89
2.	करों के बाद लाभ	(849.92)	2568.18	186.97

(ब) कम्पनी द्वारा पिछले 3 वित्तीय वर्षों में घोषित लाभांश, ब्याज भुगतान राशियों व नकद लाभ (लाख में)

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 2018–2019	वर्ष 2017–2018	वर्ष 2016–2017
1.	घोषित लाभांश			
	(अ) लाभांश की दर (प्रति अंश)	शून्य	0.80 प्रति अंश	0.16 प्रति अंश
	(ब) लाभांश की राशि (कर सहित)	शून्य	203.41	48.96
2.	ब्याज भुगतान / कवरेज रेश्यो			
	(अ) भुगतान किया ब्याज	262.92	301.98	356.84
	(ब) करों के बाद नकद लाभ व ब्याज	(481.43)	2975.7	649.18
	(स) ब्याज भुगतान / कवरेज रेश्यो	(1.83)	9.85	1.82

* कम्पनी ने अपने अंशों का उप–विभाजन कर मई 2016 से 10/– रूपये प्रति अंश से 2/– रूपये प्रति अंश कर दिया है।

(सी) कम्पनी के परिपत्र/विज्ञापन के पिछले तीन अंकेक्षित खातों का संक्षिप्त विवरण– (लाख में)

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 2018–2019*	वर्ष 2017–2018*	वर्ष 2016–2017**
1.	**आस्तिया**			
	(1) गैर चालू आस्तिया	4887.17	5235.39	5215.87
	(2) चालू आस्तिया	3953.83	6642.40	3151.24
	कुल	**8841.00**	**11877.79**	**8367.11**
2.	**पूंजी का दायित्व**			
	(1) अंशधारियों का फंड	5891.74	6988.14	4408.33
	(2) गैर चालू दायित्व	437.88	899.19	877.61
	(3) चालू दायित्व	2511.38	3990.46	3081.17
	कुल	**8841.00**	**11877.79**	**8367.11**

*एज पर IND AS

** एज पर AS

(डी) परिपत्र/विज्ञापन के जारी करने के पिछले तीन वित्तीय वर्षों के अंकेक्षित कैश फ्लो का विवरण – (रूपयों में)

क्र.सं.	विवरण	31.3.2019 को	31.3.2018 को	31.03.2017 को
1.	संचालन से नेटकैश फ्लो	-1109.31	-717.45	922.56
2.	विनियोजन से नेटकैश फ्लो	1981.90	754.22	-93.47
3.	वित्तीय कार्यो से नेटकैश फ्लो	-1366.89	145.52	-527.11
	नकद व नकद के समान में नेट वृद्धि / घटौती (1+2+3)	-494.30	182.29	301.98

द पिछले तीन वर्षो में लेखा निधि में किए गए परिवर्तन का ब्यौरा व उससे लाभ व संचयों पर परिवर्तन का ब्यौरा– शून्य

5. **निदेशकों की घोषणा – हम ट्रान्सकोर्प इंटरनेशनल के निदेशक घोषणा करते हैं कि** –

(1) कम्पनी ने इस अधिनियम के शुरू होने से पूर्व या बाद में स्वीकार किए निक्षेपों के भुगतान में कोई त्रुटि नहीं की है।

(2) निदेशकों ने सभी तथ्यों की जॉच कर ली है व घोषित करते हैं कम्पनी की वित्तीय स्थिति ठीक है व कम्पनी समस्त दायित्वों के भुगतान करने में सक्षम रहेगी व कम्पनी परिपत्र को जारी करने के एक वर्ष तक दिवालिया नहीं होगी।

(3) कम्पनी ने अधिनियम व उसके अन्तर्गत बने नियमों के प्रावधानों का पालन कर लिया है।

(4) कम्पनी ने इस अधिनियम के शुरू होने से पूर्व स्वीकार की गई निक्षेपों का भुगतान समय पर किया है व आने वाले समय में भी देय होने पर समय पर भुगतान करेगी व भुगतान किए जाने तक ये सभी निक्षेप अन्य अप्रत्याभूतित दायित्वों के समान ही रहेंगी।

(5) यदि कम्पनी की क्रेडिट रेटिंग में कोई विपरीत परिवर्तन होता है तो कम्पनी निक्षेप धारकों को निक्षेप वापिस लेने का पर्याप्त अवसर देगी।

(6) निक्षेपों द्वारा प्राप्त राशि का प्रयोग घोषित प्रयोजनों हेतु ही किया जायेगा।

(7) कम्पनी द्वारा स्वीकृत निक्षेप अप्रत्याभूतित है व अन्य अप्रत्याभूतित दायित्वों के समान (Pari passu) है।

अस्वीकरण: यह साफ समझ लिया जाए कि जो परिपत्र या विज्ञापन के रूप में परिपत्र रजिस्ट्रार को जमा कराया गया है उसे रजिस्ट्रार या केंद्र सरकार की अनुमति ना समझा जाए। निक्षेप योजना की वित्तीय सुदृढ़ता जिसके लिए निक्षेप आमंत्रित किए गए हैं या वित्तीय विवरण की यथार्थता अथवा परिपत्र या विज्ञापन के रूप में परिपत्र जिस पर राय अभिव्यक्त की गई है, उसके लिए रजिस्ट्रार या केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। निक्षेपधारियों से अनुरोध है कि निक्षेप योजना में निवेश करने से पहले यथोचित जांच कर लें।

ट्रान्सपोर्ट इंटरनेशनल के निदेशक मण्डल की ओर से

	Sd/-	Sd/-	Sd/-
	हेमन्त कॉल	श्री गोपाल कृष्ण शर्मा	पुरूषोतम अग्रवाल
दिनांकः 10.08.2019	गैर–कार्यकारी अध्यक्ष	प्रबंध निदेशक	निदेशक
स्थान : पुष्कर	DIN: 00551588	DIN: 00016883	DIN: 00272598

कुलदीप का दावा मजबूत, ईशांत ने भी दिखाया जलवा

कूलिज (एंटीगा), 19 अगस्त (भाषा)।

वरिष्ठ तेज गेंदबाज इशांत शर्मा की पहले स्पैल की तूफानी गेंदबाजी और बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव ने शानदार प्रदर्शन से भारत ने वेस्टइंडीज ए के खिलाफ अभ्यास क्रिकेट मैच के दूसरे दिन भी अपना दबदबा बनाए रखा।

भारत ने सुबह अपनी पहली पारी पहले दिन के स्कोर पांच विकेट पर 297 रन पर समाप्त घोषित कर दी और इसके बाद वेस्टइंडीज ए को 56.1 ओवर में 181 रन पर समेट दिया। इशांत ने 21 रन देकर तीन, उमेश यादव ने 19 रन देकर तीन और कुलदीप ने 35 रन देकर तीन विकेट लिए।

वरिष्ठ ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने पहली पारी में गेंदबाजी नहीं की।

पहली पारी में 116 रन की बढ़त लेने के बाद भारत ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी दूसरी पारी में एक विकेट पर 84 रन बनाकर अपनी बढ़त 200 रन पर पहुंचा दी है।

हनुमा विहारी (नाबाद 48) अपने पूरे प्रवाह में दिखे जबकि पारी का आगाज करने के लिए भेजे गए कार्यवाहक कप्तान अंजिक्य रहाणे (नाबाद 20) संघर्ष करते हुए नजर आए। मयंक अग्रवाल 13 रन बनाकर आउट हुए।

कुलदीप यादव : कुलदीप ने 35 रन देकर तीन विकेट लिए। उन्होंने अपना दावा मजबूत कर दिया है। अगर भारत दो स्पिनरों के साथ खेलता है तो उनको जगह मिलना तय है।

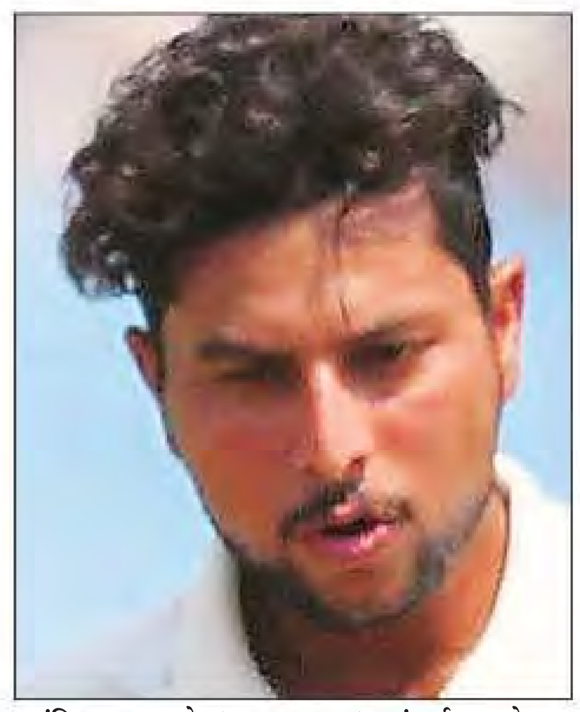

ईशांत शर्मा : ईशांत शर्मा ने 21 रन देकर तीन विकेट लिए। उन्होंने अपने पहले स्पैल की तूफानी गेंदबाजी से वेस्ट इंडीज ए टीम को दबाव में ला दिया जिससे भारत का दबदबा बना रहा।

उमेश यादव : उमेश यादव ने 19 रन देकर तीन विकेट लिए। हालांकि यादव टैस्ट टीम के लिए शीर्ष तीन गेंदबाजों में शामिल नहीं हैं लेकिन उन्होंने भी कैरेबियाई टीम का मध्यक्रम झकझोरा।

दूसरा दिन भारतीय गेंदबाजों के नाम रहा। ईशांत ने शुरू से ही सही लेंथ पकड़ ली थी। उन्होंने अपने पहले स्पैल में जेरेमी सोलोजानो (नौ) और ब्रैंडन किंग (चार) को पवेलियन भेजा। इस बीच जसप्रीत बुमराह ने भी 11 ओवर किए।

उमेश यादव टैस्ट टीम के लिए शीर्ष तीन गेंदबाजों में शामिल नहीं है लेकिन उन्होंने भी कैरेबियाई टीम का मध्यक्रम झकझोरा। इस प्रदर्शन के बावजूद अगर भारत पहले टैस्ट मैच में तीन तेज गेंदबाजों के साथ उतरता है तो बुमराह, शमी और ईशांत के रहते हुए उमेश को अंतिम एकादश में मौका मिलना मुश्किल है।

जहां तक कुलदीप की बात है तो तीन विकेट लेने से उन्होंने अपना दावा मजबूत कर दिया है। अगर भारत दो स्पिनरों के साथ खेलता है तो उनको जगह मिलना तय है।

भारत जब दोबारा बल्लेबाजी के लिए उतरा तो टीम प्रबंधन ने रहाणे को सलामी बल्लेबाज के रूप में उतारने का सही फैसला किया लेकिन 35 ओवर के दौरान वह संघर्ष ही करते रहे।

रहाणे ने अब तक 95 गेंदों का सामना किया है। दूसरी तरफ विहारी को किसी तरह की परेशानी नहीं हुई और उन्होंने अब तक अपनी पारी में छह चौके और एक छक्का लगाया है।

सलामी बल्लेबाज अग्रवाल ने हालांकि तेज गेंदबाज रोमेरियो शेफर्ड की गेंद पर विकेटकीपर जेहमार हैमिल्टन को कैच दिया।

सपने में भी नहीं सोचा कि ईश्वर मुझ पर इतना मेहरबान होगा : कोहली

कूलिज (एंटीगा), 19 अगस्त (भाषा)।

दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शुमार भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 11 साल पूरे करने पर कहा कि उन्होंने कभी इससे अधिक की उम्मीद नहीं की थी। कोहली ने 2008 में अंतरराष्ट्रीय करिअर की शुरुआत की। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। उन्होंने 18 अगस्त 2008 को श्रीलंका के खिलाफ दांबुला में वनडे के रूप में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था।

कोहली ने अपने ट्विटर हैंडल पर दो तस्वीरों को साझा किया है। उन्होंने साथ में लिखा है, 'इसी दिन 2008 में एक किशोर के रूप में शुरुआत करने से लेकर 11 साल की यात्रा पूरी करने तक, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ईश्वर मुझ पर इतना मेहरबान होगा।'

कोहली ने अपने ट्विटर हैंडल पर दो तस्वीरों को साझा किया है। उन्होंने साथ में लिखा है, 'इसी दिन 2008 में एक किशोर के रूप में शुरुआत करने से लेकर 11 साल की यात्रा पूरी करने तक, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ईश्वर मुझ पर इतना मेहरबान होगा। आप सभी को अपने सपनों को सच करने और सही रास्ते में आगे बढ़ने की शक्ति मिले। सदैव आभारी।' उन्होंने जो तस्वीरें साझा की हैं उनमें पहली श्रीलंका के खिलाफ पदार्पण मैच की है जबकि दूसरी एंटीगा में उनके होटल के कमरे की है। भारत अभी वेस्टइंडीज के दौरे पर है जहां उसे 22 अगस्त से एंटीगा में पहला टैस्ट मैच खेलना है। इससे पहले भारत ने टी20 और वनडे शृंखला अपने नाम की थी।

कोहली ने पदार्पण करने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे अब तक 77 टैस्ट मैचों में 6613 रन बना चुके हैं जिसमें 25 शतक शामिल हैं। उन्होंने 239 वनडे में 43 शतकों की मदद से 11520 रन बनाए हैं। उनके नाम पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 68 शतक दर्ज हैं और वे एक दशक में 20,000 से अधिक रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं।

हॉकी इंडिया ने जूनियर महिला राष्ट्रीय शिविर के लिए 33 खिलाड़ियों का चयन किया

नई दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा)।

हॉकी इंडिया ने सोमवार को जूनियर महिला राष्ट्रीय शिविर के लिए 33 खिलाड़ियों का चयन किया। शिविर में टीम को आस्ट्रेलिया में होने वाले त्रिकोणीय टूर्नामेंट के लिए तैयार किया जाएगा।

संभावित खिलाड़ी 14 सितंबर तक अभ्यास एवं अनुकूलन शिविर में भाग लेंगे। इस दौरान खिलाड़ियों को कोच बलजीत सिंह सैनी को रिपोर्ट करनी होगी। टीम को इसके बाद आस्ट्रेलिया में त्रिकोणीय टूर्नामेंट में हिस्सा लेना है जिसमें तीसरी टीम न्यूजीलैंड की होगी। संभावित खिलाड़ियों की सूची इस प्रकार है :

गोलकीपर: राशनप्रीत कौर, खुशबू, एफ रामेंगमवी।

रक्षा पंक्ति : प्रियंका, सिमरन सिंह, मरीना लालरामिंगकी, गगनदीप कौर, इशिका चौधरी, ज्योतिका कलसी, सुमिता, अक्षता ढेकले, ऊषा, परणीत कौर।

मध्य पंक्ति : बलजीत कौर, मारियाना कुजूर, किरण, प्रभलीन कौर, प्रीति, अजमीना कुजूर, वैष्णवी फाल्के, कविता बागड़ी, बलजिंदर कौर, सुषमा कुमारी

अग्रिम पंक्ति : मुमताज खान, ब्यूटी डूंगडुंग, गुरमेल कौर, दीपिका, लालरिंडिकी, जीवान किशोरी टोप्पो, रुतुजा पिसल, संगीता कुमारी, योगिता बोरा, अन्नू।

वेस्ट इंडीज के खिलाफ नेट गेंदबाज के रूप में भारतीय टीम से जुड़े रहेंगे सैनी

नई दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा)।

नवदीप सैनी के कौशल से प्रभावित भारतीय टीम प्रबंधन ने इस तेज गेंदबाज को वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टैस्ट मैचों की शृंखला के लिए नेट गेंदबाज के रूप में टीम से जोड़े रखने का फैसला किया है।

दिल्ली की तरफ से घरेलू क्रिकेट में खेलने वाले सैनी ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ फ्लोरिडा में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था और अपने पहले मैच में ही वे मैन आफ द मैच बने थे। वे इससे पहले इंग्लैंड में भारतीय टीम के नेट गेंदबाज और आइसीसी विश्व कप के दौरान भुवनेश्वर कुमार के कवर के रूप में टीम के साथ जुड़े थे।

बीसीसीआइ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'हां, नवदीप सैनी को टीम प्रबंधन ने टेस्ट शृंखला के लिए भी टीम के साथ बने रहने के लिए कहा है। वे मुख्य रूप से नेट गेंदबाज के रूप में टीम के साथ रहेंगे। वे भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें टैस्ट प्रारूप के लिए तैयार करना चाहते हैं।'

सैनी ने वेस्टइंडीज ए के खिलाफ अभ्यास मैच में छह ओवर भी किए ताकि इशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह और उमेश यादव को थोड़ा आराम मिल सके। मोहम्मद शमी और

भुवनेश्वर कुमार ने पहली पारी में गेंदबाजी नहीं की।

बीसीसीआइ अधिकारी ने कहा, 'सैनी पिछले कुछ वर्षों से प्रथम श्रेणी मैचों में अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं। उनके पास तेजी है और वे गेंद को हवा में और पिच से मूवमेंट दिलाने की काबिलियत रखते है। अगर उन्हें अच्छी तरह से तैयार किया जाता है तो इससे शीर्ष क्रिकेट के लिए हमारे तेज गेंदबाजों की संख्या ही बढ़ेगी। टीम प्रबंधन की अभी उनको लेकर यही सोच है।'

डब्लूएफआइ ने साक्षी मलिक को कारण बताओ नोटिस थमाया

नई दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा)।

ओलंपिक पदकधारी साक्षी मलिक को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्लूएफआइ) ने बिना अनुमति के राष्ट्रीय शिविर छोड़ने पर कारण बताओ नोटिस दिया है जबकि इसी आरोप में शिविर में शामिल 25 महिला पहलवानों को निलंबित कर दिया गया है। लखनऊ स्थित साइ केंद्र में शिविर में 45 महिला पहलवानों में से 25 राष्ट्रीय महासंघ की अनुमति के बिना शिविर से अनुपस्थित थी। इन 25 पहलवानों में से साक्षी (62 किग्रा), सीमा बिस्ला (50 किग्रा) और किरन (76 किग्रा) ने हाल ही में विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई किया है। इन तीनों खिलाड़ियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जिसका बुधवार तक जवाब देना होगा। इनके अलवा बाकी सभी पहलवानों को अगले आदेश तक राष्ट्रीय शिविर से निलंबित कर दिया गया है और सोमवार को विश्व चैंपियनशिप के गैर ओलंपिक श्रेणी के ट्रायल्स में

भाग लेने से रोक दिया गया है।

डब्लूएफआइ के सहायक सचिव विनोद तोमर ने कहा कि भारतीय दल जब तैयारी टूर्नामेंट के लिए बेलारूस और एस्टोनिया रवाना हुआ तो बाकी बचे पहलवान बिना अनुमति लिए ही शिविर से चले गए।

शीर्ष पर बरकरार कोहली के करीब पहुंचे स्मिथ

दुबई, 19 अगस्त (भाषा)।

आस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने आइसीसी की सोमवार को जारी टैस्ट बल्लेबाजी रैंकिग में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल कर लिया और अब उनके शीर्ष पर काबिज विराट कोहली से केवल नौ अंक कम हैं।

भारतीय कप्तान के 922 अंक हैं और वे दुनिया के नंबर एक टैस्ट बल्लेबाज बने हुए हैं। बर्मिंघम में दोनों पारियों में शतक जड़ने के बाद लार्ड्स में 92 रन की पारी खेलने वाले स्मिथ के 913 अंक हैं।

शीर्ष दस में शामिल अन्य भारतीयों में चेतेश्वर पुजारा चौथे स्थान पर बने हुए हैं।

श्रीलंका के कप्तान दिमुथ करुणारत्ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक जड़ने के कारण चार पायदान ऊपर आठवें स्थान पर पहुंच गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के एडेन मार्कराम ने भी अपनी रैंकिग में सुधार किया है और वे छठे स्थान परहैं जबकि इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को खराब फॉर्म का खामियाजा भुगतना पड़ा और वह नौवें स्थान पर खिसक गए हैं।

आस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने आइसीसी की सोमवार को जारी टैस्ट बल्लेबाजी रैंकिग में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल कर लिया है और अब उनके शीर्ष पर काबिज विराट कोहली से केवल नौ अंक कम हैं।

गेंदबाजों की सूची में पैट कमिन्स शीर्ष पर बने हुए हैं जबकि रविंद्र जडेजा एक पायदान ऊपर पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं। उनके साथी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन दसवें स्थान पर बने हुए हैं।

जडेजा आलराउंडरों की सूची में तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। इस सूची में वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर शीर्ष पर जबकि बांग्लादेश के शाकिब अल हसन दूसरे स्थान पर हैं।

इस बीच भारत को वेस्टइंडीज से आगामी टैस्ट शृंखला में 0-1 से हारने पर भी अपनी नंबर एक रैंकिग गंवानी पड़ सकती है। इससे भारत के अंकों की संख्या 108 हो जाएगी। इस परिणाम पर वेस्टइंडीज 88 अंकों के साथ पाकिस्तान से ऊपर सातवें स्थान पर पहुंच जाएगा।

भारत अभी 113 अंक लेकर शीर्ष पर बना हुआ है। उसके बाद न्यूजीलैंड (111) और दक्षिण अफ्रीका (108) का नंबर आता है।

राजपूत की दावेदारी से दिलचस्प हुई बल्लेबाजी कोच की दौड़

मुंबई, 19 अगस्त (भाषा)।

भारतीय टीम के मुख्य कोच के पद के लिए नजरअंदाज किए गए लालचंद राजपूत अब बल्लेबाजी कोच बनने की दौड़ में शामिल हो गए हैं जिसके लिए उन्होंने सोमवार को अन्य दावेदारों के साथ साक्षात्कार दिया। एमएसके प्रसाद की अगुआई वाली चयन समिति टीम के सहयोगी सदस्यों को चुनाव करेगी। सोमवार को बल्लेबाजी कोच के लिए 13 जबकि वेंकटेश प्रसाद सहित पांच उम्मीदवारों ने गेंदबाजी कोच के लिए साक्षात्कार दिया। टीम के मौजूदा सहयोगी सदस्यों बल्लेबाजी कोच संजय बांगड़, गेंदबाजी कोच भरत अरुण और क्षेत्ररक्षण कोच आर श्रीधर का मंगलवार को साक्षात्कार होगा।

बल्लेबाजी कोच के लिए 57 साल के राजपूत के दावेदारी पेश करने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। पूर्व टैस्ट बल्लेबाज विक्रम राठौर को पहले से ही संजय बांगड़ की जगह लेने के लिए मजबूत दावेदार माना जा रहा था।

एक बार फिर से टीम के मुख्य कोच चुने गए रवि शास्त्री ने मौजूदा सहयोगी सदस्यों को बरकरार रखने की ओर इशारा किया जिससे यह माना जा रहा कि अरुण और श्रीधर का दावा काफी मजबूत रहेगा।

बांगड़ को हालांकि कड़ी चुनौती मिलेगी क्योंकि सबसे ज्यादा आवेदन इस पद के लिए आए हैं।

प्रजनेश विंस्टन सलेम के दूसरे दौर में, बोपन्ना-शरण हारे

नार्थ कारोलिना, 19 अगस्त (भाषा)।

भारत के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी प्रजनेश गुणेश्वरन ने रविवार को यहां जर्मनी के सैड्रिक मार्सेल स्टेब को सीधे सेटों में हराकर एटीपी विनस्टन सलेम टूर्नामेंट के दूसरे दौर में प्रवेश किया।

विश्व रैंकिंग ताजा जारी सूची में दो पायदान चढ़कर 89वें स्थान पर पहुंचने वाले प्रजनेश ने विश्व में 253वें नंबर के स्टेब को एक घंटे 12 मिनट तक चले मैच में 6-3, 6-4 से हराया। दूसरे दौर में उनका मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त फ्रांसीसी खिलाड़ी बेनोइट पियरे से होगा जिन्हें पहले दौर में बाई मिली थी।

पहले सेट में दोनों खिलाड़ियों ने अच्छी शुरुआत की लेकिन प्रजनेश ने चौथे गेम में ब्रेक प्वाइंट लेकर 3-1 से बढ़त बनाई और फिर यह सेट जीतने में उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। प्रजनेश ने चौथे गेम में तब स्टेब की सर्विस तोड़ी थी जबकि वे शुरू में 0-40 से पीछे थे।

प्रजनेश ने विश्व में 253वें नंबर के स्टेब को एक घंटे 12 मिनट तक चले मैच में 6-3, 6-4 से हराया।

दूसरे सेट में दोनों खिलाड़ियों ने पहले आठ गेम तक अपनी सर्विस बचाए रखी। प्रजनेश ने नौवें गेम में ब्रेक प्वाइंट लिया जो निर्णायक साबित हुआ।

खबर कोना

अमेरिका में 47वीं वार्षिक रोडरेस में विजेता लियोनार्ड कोइर।

मेदवेदेव को एटीपी सिनसिनाटी ओपन का खिताब

सिनसिनाटी, 19 अगस्त (एएफपी)।

पिछले दो टूर्नामेंट में उपविजेता बनकर संतोष करने वाले दानिल मेदवेदेव ने रविवार को यहां डेविड गोफिन को 7-6 (7/3), 6-4 से हराकर एटीपी सिनसिनाटी मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता।

इस नौवीं वरीयता प्राप्त रूसी खिलाड़ी ने अंतिम गेम में ब्रेक प्वाइंट बचाने के बाद ऐस जमाकर जीत दर्ज की। यह मास्टर्स 1000 में उनका पहला खिताब है। इससे पहले वे वाशिंगटन में निक किर्गियोस और मांट्रियल में राफेल नडाल से फाइनल मुकाबला हार गए थे।

मेदवेदेव ने कहा, 'आखिर में ट्रॉफी जीतना एक शानदार अहसास है। मैं काफी थक चुका हूं। मैं अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं लेकिन दर्शकों ने मेरे अंदर ऊर्जा का संचार किया।'

मेदवेदेव ने सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराया था।

जूनियर महिला मुक्केबाजों को सर्बियाई टूर्नामेंट में 12 पदक

नई दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा)।

भारत की जूनियर महिला मुक्केबाजों ने सर्बिया के वरबास में तीसरे नेशन्स कप में चार स्वर्ण पदक सहित कुल 12 पदक जीते।

भारतीय टीम ने चार स्वर्ण, चार रजत और चार कांस्य पदक के साथ उप विजेता की ट्रॉफी भी अपने नाम की। भारत के लिए तमन्ना (48 किग्रा), अंबेशोरी देवी (57 किग्रा), प्रीति दाहिया (60 किग्रा) और प्रियंका (66 किग्रा) ने स्वर्ण पदक जीते।

तमन्ना को सर्वश्रेष्ठ विदेशी मुक्केबाज भी चुना गया। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के बयान के अनुसार उन्होंने फाइनल में रूस की एलेना ट्रेमासोवा को 5-0 से हराया।

पूजा, नवजोत को ट्रायल्स में चुनौती के बिना मिला विश्व चैंपियनशिप का टिकट

नई दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा)।

ओलंपिक भार वर्ग में जगह पक्की करने में नाकाम रहीं महिला पहलवान पूजा ढांडा और नवजोत कौर ने सोमवार को लखनऊ में ट्रायल्स के लिए मैट पर उतरे बिना ही विश्व चैंपियनशिप का टिकट हासिल कर लिया।

ओलंपिक भार वर्ग क ट्रायल्स पहले ही हो चुके हैं और सोमवार को गैर ओलंपिक वर्ग के ट्रायल्स में पूजा ने 59 किग्रा और नवजोत ने 65 किग्रा भार वर्ग में जगह पक्की की। दोनों को चुनौती देने के लिए कोई पहलवान मौजूद नहीं था। भारतीय कुश्ती संघ ने अनुशासनहीनता के आरोप में 25 पहलवानों पर प्रतिबंध लगाया है जिनमें से सात पहलवानों को इन ट्रायल्स में भाग लेना था। 59 और 65 किग्रा भारवर्ग में दावेदारी के लिए कोई अन्य पहलवान मौजूद नहीं था।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 275, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना- एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।